खण्ड-321, अंक-8
सोमवार, 13 वैशाख, शक संवत् 1898
(3 मई, 1976 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 321 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

1976

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	567–569
प्रश्नोत्तर	569–597
राज्य निराश्रित सहायता समिति, किंग एडवर्ड सप्तम सेनीटोरियम, भुवाली की परामर्शदात्री समिति तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश में कार्य करने हेतु सदस्यों के निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना ..	597—598
उत्तर प्रदेश भूदान-यज्ञ (संशोधन) विधेयक; 1974 को वापस लेने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	598
उत्तर प्रदेश भंडार अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक, 1976 (पुरःस्थापित किया गया)	598–599
उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1976 (पुरःस्थापित किया गया) ..	599
1976–77 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या 18—सचिवालय, अनुदान संख्या 19—जिला प्रशासन, अनुदान संख्या 23—लेखन सामग्री और मुद्रण, अनुदान संख्या 25—अन्य प्रशासनिक सेवायें, अनुदान संख्या 21—पुलिस, अनुदान संख्या 22—कारागार, अनुदान संख्या 30—वैज्ञानिक सेवायें एवं शोध, अनुदान संख्या 36—सूचना तथा प्रचार तथा अनुदान संख्या 40—अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक सेवायें (स्वीकृत)	599–656
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	656
जौनपुर जिले के कतिपय विकास क्षेत्रों तथा वाराणसी जिले की विभिन्न तहसीलों में पेय जल संकट के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ..	656–659
नत्थियां	660–693

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, 3 मई, 1976

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन में 11 बजकर 6 मिनट पर अध्यक्ष, श्री वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य–194

अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनवार जमील, श्री (एडवोकेट) उर्फ जिमी मियां
अनिरुद्ध राय, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
आगा जैदी, श्री
आनन्द स्वरूप, श्री
आबिद अली, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
ऊदल, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश, श्री
ओम प्रकाश गुप्त, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काशी प्रसाद, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
क्रान्ति कुमार, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी बिशारद, श्रीमती
गया सिंह, श्री
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर, श्री (एडवोकेट)
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, डाक्टर
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर, श्री (अतरौलिया, जिला आजमगढ़)
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश नरायन त्रिपाठी, श्री
जगदीश मिश्र, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जफर आजमी, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जुगल किशोर यादव, श्री
झिलमिट , श्री
तेज नरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
त्रिवेनी, श्री
दीपनारायण बन महन्थ, श्री
दुर्योधन , श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, डाक्टर
धर्मवीर सिंह, श्री

ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नन्हे लाल, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
निसार अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पुरुषोत्तम लालबधवार, श्री (उर्फ राजा जी)
पूरन चन्द, श्री
प्यारे लाल वर्मा, श्री
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु दयाल, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम दत्त, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बाल कृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह यादव, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भारत सिंह, श्री
भीखा लाल, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलखान सिंह, डाक्टर
मलखान सिंह सैनी, श्री
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असलम, हाफिज
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ ललन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुबीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रणजीत सिंह "जूदेव", श्री
रफीउल्ला, श्री
रमा पन्त, कुमारी
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
रामगरीब, कैप्टेन
रामचन्द्र बक्श सिंह, श्री
रामजी सिंह, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नारायण पाठक, श्री
राम पति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
राम पूजन पटेल, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
राम लखन सिंह, श्री
राम लाल राही श्री
रामशिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पांडेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
लक्ष्मी नरायण पांडेय, श्री

लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम ,श्री
लोकपति, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद तिवारी, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिवचरन लाल, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिव लाल, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम मिश्रा, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीशचन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सोहन लाल, श्री (जिला बदायूं)
सोहन लाल धुसिया, श्री
स्वरुप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हरिराम, श्री
हुब राज, श्री
हेमराज, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

सोमवार, 3 मई, 1976

श्री अध्यक्ष—

कोरम के अभाव में 6 मिनट विलम्ब से कार्यवाही प्रारम्भ कर रहा हूं। माननीय सदस्य जरा सचेष्टता का परिचय दें।

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

विधान परिषद् के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की समाप्त किये जाने का कथित सुझाव

**1—कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला सुल्तानपर)—

क्या यह सही है कि शासन ने विधान परिषद् के 'शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र' को समाप्त करने का सुझाव हाल ही में केन्द्रीय सरकार को दिया है? यदि हां, तो क्यों?

गृह राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर)—

जी नहीं।

कुंवर श्रीपाल सिंह—

क्या मुख्य मंत्री जी बतलायेंगे कि यह सच है कि दिल्ली में आज से 1 महीना अथवा डेढ़ महीना पहले मुख्य मंत्री का जो सम्मेलन हुआ था, उसम इस विषय पर विचार हुआ था और यह निर्णय लिया गया था कि ये कांस्टीट्यूएंसीज समाप्त कर दी जायं।

श्री अध्यक्ष—

इससे क्या मतलब है?

कुंवर श्रीपाल सिंह—

अनेक बार मुख्य मंत्रियों ने समय-समय पर यह कहा था, तो मेरा सवाल है, क्या यह सच है कि मुख्य मंत्रियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया था?

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी इजाजत नहीं देता। आपका प्रश्न है "क्या शासन ने विधान परिषद् के 'शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र' को समाप्त करने का सुझाव हाल ही में केन्द्रीय सरकार को दिया है? यदि हां, तो क्यों?" सरकार का उत्तर है 'जी नहीं'।

कुंवर श्रीपाल सिंह--

मुख्य मंत्री जी उस बैठक में गये, तो क्या उस बैठक में कोई इस प्रकार का निर्णय लिया गया था ?

मुख्य मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी--)

मैं जिन बैठकों में सम्मिलित हुआ हूं अभी तक उनमें कोई ऐसा प्रश्न सामने नहीं आया।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

ग्राम भरसाड़, गोरखपुर में झगड़ा एवं मारपीट की घटना

*1--श्री शारदा प्रसाद रावत (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)--

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि दिनांक 16 मार्च, 1976 (होली के दिन) करीब तीन बजे दोपहर बाद जनपद गोरखपुर के सहजनवां थानान्तर्गत ग्राम भरषाड़ में कतिपय व्यक्तियों द्वारा अपने ही गांव के होली मिलन के जलूस पर होली का दहन की रंजिस को लेकर बन्दूकों से प्राण घातक हमला किया गया जिससे 18 व्यक्तियों को गोली की चोट आई जिससे उस क्षेत्र में असुरक्षा की भावना एवं आतंक व्याप्त हो गया है ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 15-3-76 की रात में होलिका दहन के मामले को लेकर हुए विवाद के कारण ग्राम भरसाड़ गोरखपुर के निवासियों क दो दलों में दिनांक 16-3-76 को लगभग 3 बजे दिन में झगड़ा एवं मारपीट की घटना हुई, जिसमें बंदूक, लाठी आदि का प्रयोग किया गया। इस घटना में एक पक्ष के 18 व्यक्तियों को छर्रे की व दो को लाठी, ढेला आदि की चोटें आईं। दोनों दलों की ओर से थाना सहजनवां, गोरखपुर पर 18-3-76 को लिखित रिपोर्ट प्राप्त हुई।

उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर दो मुकदमे अपराध संख्या 71 अन्तर्गत धारा 147/148/149/307/323 भारतीय दंड विधान व अपराध सं0 71 ए, अन्तर्गत धारा 147/148/149/336/452/323/307 भारतीय दंड विधान के कायम किये गये और विवेचना प्रारम्भ की गई।

घटना की सूचना प्राप्त होते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंच कर स्थिति को सामान्य बनाने हेतु उचित व्यवस्था की तथा चोटिहल व्यक्तियों की चिकित्सा की व्यवस्था कराई। ग्राम भरसाड़ में 17-3-76 को सशस्त्र पुलिस की गारद तैनात की गई। अपराध सं0 71/76 के 2 अभियुक्तों के आग्नेयास्त्रों के लाइसेंस निलंबित कराये गये तथा एक अभियुक्त के आग्नयास्त्र क लाइसेंस के निलम्बन हेतु जिला मजिस्ट्रेट, बस्ती को रिपोर्ट भेजी गई एवं उसका आग्नेयास्त्र कब्जे में ले लिया गया। अपराध सं0 71 ए/76 क भी एक अभियुक्त का आग्नेयास्त्र का लाइसेंस निलम्बित कर दिया गया। पुलिस ने दोनों पक्षों के विरुद्ध धारा 107/118 जा0 फौ0 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु भी रिपोर्ट दी।

जिला अधिकारियों ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया तथा अस्पताल में जाकर घायलों के उपचार की उचित व्यवस्था कराई थी।

घटना से ग्राम भरसाड़ में व आस-पास के क्षेत्र में भय या तनाव की स्थिति नहीं है।

अल्मोड़ा के उप पुलिस अधीक्षक, श्री बी० बी० सिंह की गोली से पातली बगड़ में श्री लियाकत हुसेन व श्री मुल्ला की मृत्यु

*2—**श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल) (अनुपस्थित)—**

क्या मुख्य मंत्री को इस बात की सूचना है कि दिनांक 23 मार्च, 1976 को अल्मोड़ा के उपपुलिस अधीक्षक (श्री बी0 बी0 सिंह) ने बागेश्वर से लौटते हुए पातली बगड़ नामक स्थान पर दो वन श्रमिकों को गोली मार दी जिनकी अलमोड़ा अस्पताल में मृत्यु हो गई? यदि हां, तो घठना का पूरा विवरण क्या है?

श्री धर्मवीर—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 23-3-76 को रात के 9.20 पर श्री बृजभूषण सिंह उप पुलिस अधीक्षक, अल्मोड़ा ने थाना अल्मोड़ा पर रिपोर्ट दर्ज कराई कि जब वे अपने अर्दली के साथ बागेश्वर से अल्मोड़ा लौट रहे थे तो रास्ते में पातली बगड़ नामक गांव के पास लकड़ी के गिल्टे लगाकर सड़क को पूर्णतः यातायात के लिये बन्द पाया। जब वे तथा उनके अर्दली गिल्टो को हटाने को बढ़े कि इतने में 7/8 आदमी, जिनके पास कुल्हाड़ी, लाठी व डन्डे थे, ने उन पर आक्रमण किया और उनको व उनके अर्दली को चोट पहुंचाई। अपने बचाव में उन्होंने पांच बार फायर किया जिससे एक दो बदमाश घायल हो गये और तभी सब बदमाश मौके से भाग गये। उक्त रिपोर्ट के आधार पर एक मुकदमा अन्तर्गत धारा 399/402/188 भा0 द0वि0 पंजीकृत किया गया। उक्त घटना के संबंध में दिनांक 24-3-76 को प्रातः 8 बजे एक लिखित सूचना पटवारी पातली बगड़ के पास श्री खड़क सिंह, मुन्शी गोदाम, पातलीबगड़ ने दी कि दिनांक 23-3-76 को रात्रि के 8.30 बजे उनको सूचना मिली कि कुछ लोग उनकी लकड़ी चुराकर जीप में भर रहे है तो वह घटनास्थल की ओर कुछ व्यक्तियों के साथ रवाना हुआ। जब वे लोग आ रहे थे तो गोली चलने की आवाज सुनी तथा एक जीप देखी। जीप के चले जाने के बाद घटनास्थल पर देखा कि लियाकत हुसेन व मुल्ला को गोलियों की चोट लगी थी और गोली मारने वाले उनको गोली मारकर भाग गये थे। उक्त रिपोर्ट के आधार पर धारा 308, 398 भा0 द0वि0 का मुकदमा कायम किया गया।

इसी बीच उक्त घटना में घायल दो व्यक्तियों को उनके साथियों द्वारा दिनांक 23-3-76 की रात्रि में अल्मोड़ा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों घायल व्यक्तियों की अस्पताल में दिनांक 24-3-76 को मृत्यु हो गयी।

उक्त दोनों मुकदमों की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दी गयी है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। प्रश्न संख्या 2 नत्थी "ख" यद्यपि माननीय गोविन्द सिंह नेगी का है लेकिन माननीय ऊदल को इसमें दिलचस्पी है, अतः मैं उनको इस बारे में प्रश्न करने की अनुमति देता हूं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

श्री बृज भूषण सिंह, पुलिस अधीक्षक एवं उनके अर्दली को जो चोट आई, उनके लिये डाक्टरी मुआयना क्या कहता ह?

श्री धर्मवीर—

डाक्टरी रिपोर्ट इस प्रकार है :

1. Gun shot wound (wound of injury) ½ Cm X ½ Cm. about 2.3 Cm. below the left nipple ½ Cm outer to 1 Mid Sternal line.
2. Gun shot wound ½ Cm X ½ Cm on the left back 7 Cm, the inferior angle of peapula (Scapula) and 12 Cm from them.

---

*नोट:—तारांकित प्रश्न संख्या 2 श्री ऊदल द्वारा पूछा गया।

श्री ऊदल—

श्री बृज भूषण सिंह को जो चोटें आईं वे क्या हैं ?

श्री धर्मवीर—

1. Contusion 10 cms X 2 cms on right back along the spin of right shoulder back.
2. Contusion 2 cms X 1 cm on front of right shoulder.
3. Swelling 8 cms X 6 cms on outer aspect of right thigh just below the hip joint
4. Contusion 5 cms X 2 cms on outer aspect of right thigh
5. Contusion 4 cms X 2 cms on outer aspect of right 3rs 12 cms above the right elbow.
6. Contusion 2 cms X 1 cm on back of scalp 6 cm behind the right ear.

REMARKS:

Complaint of pain in front of chest over lower part of sternum
All the injurils are simple, caused by some blunt objects
all the injuries are fresh.

श्री ऊदल—

इस बात को देखते हुए कि यह घटना बहुत ही अहम घट गयी और वे वन श्रमिक थे जिन दोनों को गोली चला कर जान से मार दिया गया। अल्मोड़ा अस्पताल में मर गये, इस तथ्य को छिपाने के लिए बाद में चोट बनवा कर घटना को दर्ज करवाया गया, तो क्या सरकार इस पूरे मामले की विवेचना के लिये किसी उच्च अधिकारी को या सतर्कता आयोग को सौंपेगी ?

श्री धर्मवीर—

उत्तर में ही लिखा है कि उक्त दोनों वन श्रमिकों का मामला अपराध अनुसन्धान विभाग को सौंप दिया गया है।

श्री बालकृष्ण सनवाल (जिला नैनीताल)—

क्या मुख्य मंत्री जी बतायगे कि इस संबंध में आयुक्त, कुमायूं मंडल भी मौके पर गये थे और उन्होंने भी रिपोर्ट दी और क्या उसको बतायेंगे सदन में ?

श्री धर्मवीर —

मैंने निवेदन किया कि दोनों को अनुसंधान विभाग को सुपुर्द कर दिया गया है, जब उसकी फाइंडिंग्स आ जायंगी तब आवश्यकता पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने पूछा कि कुमायूं के कमिश्नर ने जांच की थी ?

कुमारी रमा पन्त (जिला अल्मोड़ा)—

मैं पूछना चाहती हूं कि ऐसे कोई और तथ्य प्रकाश में आये हैं कि कितना समय जांच पूर्ण करने में लगेगा ?

श्री धर्मवीर—

इसके संबंध में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि विभाग अनुसंधान कर रहा है, जांच हो जायगी तो उसकी रिपोर्ट आपको मिल जायगी।

कुमारी रमा पंत—

क्योंकि दोनों मारे गये बन श्रमिक थे तो क्या सरकार ऐसी स्थिति में है कि उनके बच्चों और बीबियों को आर्थिक सहायता प्रदान करे या नहीं ?

श्री धर्मवीर—

ऐसा शासन के विचाराधीन नहीं है ।

कुमारी रमा पन्त—

क्या भविष्य में सहानभूतिपूर्वक विचार किया जायगा ?

श्री धर्मवीर—

माननीय सदस्य अगर लिख कर दगे, शासन को भेज देंगे तो शासन विचार कर सकता है ।

कुमारी रमा पन्त—

श्रमिकों की हत्या की गयी या कानूनी तौर पर मारे गये, जब तक जांच नहीं होती कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनके परिवार निराश्रित हैं, कुल गरीब लोग हैं तो क्या कुछ सहायता दी जा सकती है या नहीं ?

श्री धर्मवीर—

कोई सहायता की व्यवस्था करायेंगे ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

मीसा के अन्तर्गत निरुद्ध भूत पूर्व मंत्रियों को स्पेशल श्रेणी की सुविधा दिये जाने की मांग

*1—श्री राम अधार (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित), श्री राजेन्द्र सिंह (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित) तथा श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या वर्तमान आपात स्थिति के दौरान प्रदेश के कारागारों में "मीसा" के अन्तर्गत निरुद्ध किए गए भूतपूर्व मंत्रियों को उच्च श्रेणी से ऊपर स्पेशल श्रेणी देने के शासन के आदेश है ? यदि हां, तो प्रदेश के किन-किन जेलों में भूतपूर्व मंत्रियों को उसके अनुसार सुविधायें दी जा रही हे ? और वाराणसी केन्द्रीय कारागार में ऐसी सुविधा न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

वांछित सूचना देना लोकहित में नहीं है ।

गोरखपुर जिले में बन्दी श्री तेज बहादुर सिंह की मारे-पीटे जाने की घटना

*2—श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित) तथा श्री शारदा प्रसाद रावत (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि दिनांक 4 जनवरी, 1976 को प्रातः 9 बजे के करीब जिला जेल, गोरखपुर में उच्च श्रेणी के बन्दी एवं सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता श्री तेज बहादुर सिंह को कतिपय बन्दियों द्वारा पीटा गया था और उन्हें चोट आई थी ? यदि हां, तो उन बन्दियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

इस प्रश्न का उत्तर देना लोक हित में नहीं होगा ।

[3 मई, 1976 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*1—श्री मोहम्मद रफी खां, श्री अब्दुल बाकी तथा श्री दघीच सिंह—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

कुकुरघोटी टोला नन्दपुर, देवरिया निवासी श्री बाबू नन्दन की हत्या

*2—श्री हरि केवल (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला देवरिया, थाना खामपार, ग्राम कुकुर घोटी, टोला नन्दपुर में गत जून, 1975 में श्री बाबू नन्दन लोहार की हत्या कर दी गई है? यदि हां, तो मुलजिमानों के खिलाफ अब तक कौन सी कार्यवाही हुई?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

दिनांक 9 जून, 1975 को सबेरे 8.30 बजे श्री राजा राम निवासी ग्राम कुकुरघाटी टोला नन्दपुर देवरिया ने थाना खामपार पर लिखित सूचना दी थी कि 8/9 जून, 1975 की रात में उनके पुत्र बाबूनन्दन के घर से जाने के बाद उसी दिन (9-6-75 को) प्रातः चार बजे एक गड्ढे में उसकी लाश मिली। इस सूचना में तीन व्यक्तियों पर बाबू नन्दन की हत्या करने का सन्देह व्यक्त किया गया था।

उक्त सूचना के प्राप्त होने पर थाने पर धारा 302/201 भारतीय दन्ड विधान के अन्तर्गत मुकदमा अंकित किया गया जिसमें विवेचना जारी है।

फर्रुखाबाद के ग्राम सौरिख निवासी श्रीमती विमल किशोरी की मृत्यु

*3—श्री बिमल प्रसाद तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि दिनांक 21 मई, 1975 को जिला फर्रुखाबाद के थाना व ग्राम सौरिख में श्रीमती विमल कुमारी पत्नी श्री सुभाष चन्द्र के जलने के कारण मृत्यु हो गई और मृतक के पिता ने उक्त घटना के तुरन्त बाद लिखित शिकायत पुलिस अधीक्षक को की है कि उसकी लड़की को जला कर मार डाला गया है? यदि हां, तो इस शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री धर्मवीर—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री राम नरायन निवासी जिला फर्रुखाबाद ने पुलिस अधीक्षक, फर्रुखाबाद को एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 22 मई, 1975 का इस आशय का दिया था कि उनकी पुत्री विमल किशोरी, जिसका सही नाम नवल किशोरी बतलाया गया है को, उनके पति श्री सुभाष चन्द्र, निवासी कस्बा व थाना सौरिख एवं ससुराल के अन्य लोगों ने जला कर मार डाला। इस प्रार्थना-पत्र में लगाए गए आरोपों की जांच कराई गई। जांच से किसी जुर्म का होना नहीं पाया गया बल्कि घटना आकस्मिक पाई गई।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या मन्त्री महोदय बतलायेंगे कि घटना की जांच किस पुलिस अधिकारी ने की और क्या उस असहाय मृत महिला का पोस्टमार्टम कराया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री धर्मवीर—

जांच वहां के थानाध्यक्ष द्वारा की गयी है और पोस्ट मार्टम नहीं हुआ था।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, शिकायत पुलिस अधीक्षक से की गई थी तो क्यों उनसे जांच नहीं करायी गई?

श्री धर्मवीर—

चूंकि शिकायत में शिकायतकर्ता ने जो दरख्वास्त दी थी, उसमें यह कहा गया था कि इलाकाई पुलिस इसकी तफतीश करें और जांच करे। इसलिए जांच थानाध्यक्ष ने की थी।

श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि पोस्ट मार्टम न कराने के क्या कारण थे?

श्री धर्मवीर---

चूंकि पोस्ट मार्टम कराए जाने पर किसी ने जोर नहीं दिया। उनके पिता, मामा और मायके के लोगों ने इसे आकस्मिक घटना माना और वहां पंचनामा कराकर लाश उन्हे दे दी।

श्री विमल प्रसाद तिवारी---

मान्यवर, मैं आपके माध्यम के यह जानना चाहूंगा कि मैंने तो स्वयं मृत महिला के पिता की दरख्वास्त देखी जिसमें यह कहा गया कि उच्च अधिकारी से इसकी जांच कराई जाय क्योंकि थानाध्यक्ष मिले हुए थे, इसलिए इस सारी घटना को दबाने का प्रयास किया गया और इसीलिए पोस्टमार्टम भी नहीं कराया गया। मैंने स्वयं भी मुख्य मन्त्री को पत्र लिखा था। तो क्या विधायक के पत्र के बाद भी यह उपयुक्त समझा गया कि थानाध्यक्ष जांच करे ? डाक्टर चन्द्रपाल सिंह के पास घटना का पूरा ब्यौरा मौजूद है।

श्री धर्मवीर---

शिकायतकर्ता ने जो प्रार्थना-पत्र दिया था उसमें उन्होंने लिखा था कि इलाकायी पुलिस इसकी जांच करे। चूंकि उन्हें कोई सन्देह नहीं था। यदि सन्देह होता तो निश्चित ही कोई बड़ा अधिकारी इसकी जांच करता।

श्री विमल प्रसाद तिवारी---

मैंने स्वयं माननीय मुख्य मन्त्री को लिखकर भेजा था कि किससे आप जांच करायें।

श्री अध्यक्ष---

किस तारीख को लिखकर दिया था ?

श्री धर्मवीर---

मान्यवर, इसकी सूचना मेरे पास नहीं है कि आपने माननीय मुख्य मन्त्री जी को प्रार्थना-पत्र दिया।

श्री ऊदल---

क्या माननीय गृह मन्त्री इस मृत महिला के पिता ने जो प्रार्थना-पत्र दिया था, पुलिस अधीक्षक को, उसको पढ़ने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मवीर---

मान्यवर, वह पत्र इस प्रकार है---"सेवा में सविनय निवेदन है कि प्रार्थी मुहल्ला रंग साजन फतेहगढ़, थाना कोतवाली फतेहगढ़ का निवासी है। अर्सा करीब 5 साल का हुआ कि प्रार्थी ने अपनी लड़की विमल किशोरी की शादी सुभाषचन्द पुत्र दुला लाल, साकिन सौरिख थाना सौरिख के साथ की थी। सुभाषचन्द्र व रमेशचन्द्र पुत्रगण दुलारे लाल व दुलारे लाल पुत्र नामालूम व पत्नी दुला लाल मेरी लड़की से इस वजह से नाराज रहते थे कि उसके दो लड़कियां पैदा हुई जो कि मौजूद हैं। शादी करने के बाद में यह भी मालूम हुआ कि दुलारे लाल ने अपनी भाभी व सुरेशचन्द्र की बीबी यानी बहू को जहर देकर मार डाला था। फलत : तारीख 21 मई, 1975 को करीब 9 बजे दिन प्रार्थी की लड़की पर मिट्टी का तेल डालकर उपरोक्त लोगों ने उसे मार दिया इससे उसकी मृत्यु हो गई। प्रार्थी को एक दीगर व्यक्ति ने खबर दी कि तुम्हारी लड़की को जला दिया है। प्रार्थी छिबरा मऊ तक पहुंच पाया था कि इस दुलारे लाल ने बतलाया कि तुम्हारी लड़की कानपुर में है। अस्पताल में गई है। प्रार्थी कानपुर गया और पता लगाया तो वहां लड़की नहीं थी। तब तक उपरोक्त प्रार्थी की लड़की को गंगा जी पर जला दिया गया। प्रार्थी व उनके घर वालों को लड़की तक देखने नहीं दी। इस दुर्घटना के बाबत कुंआ सौरव के बहुत से लोग कहने बताने को तैयार हैं।

अत : प्रार्थना-पत्र की जांच श्रीमान् जी स्वयं इलाका पुलिस से कराकर उपरोक्त अपराधियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्यवाही किए जाने की कृपा करें, अति कृपा होगी।"

तो मान्यवर, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने चूंकि यह स्पष्ट किया था कि इलाका पुलिस से इसकी जांच करा लें तो थानाध्यक्ष से जांच कराई गयी। यदि कोई सन्देह होता तो वे ऐसा न करते। इसलिए इलाका पुलिस से जांच कराई गई और यह उसी की रिपोर्ट है।

डाक्टर धर्मपाल सिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं जानता हूं, यह मेरे मकान की बात है जिसमें मैं रहता हूं। उसमें बैंक आफ इन्डिया, डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक व फेमिली प्लानिंग आफिस हैं उसी के एक हिस्से में बैंक मैनेजर रहता था। लड़की सुन्दर थी, नौजवान थी। इन दोनों में तनाव रहता था कारण मैं नहीं जानता लेकिन उसे यह पीटता था। एक दफा तो यहां तक घटना घटी कि इस कदर झगड़ा हुआ कि मेरी वाइफ उतर कर आई और कोआपरेटिव बैंक का गार्ड भी बीच बचाव करने के लिए आया, उसकी मां भी मौजूद थी जो गुस्सा थी। हमने चाहा कि पुलिस में सूचना करनी चाहिए लेकिन निर्णय हुआ कि रात में पुलिस न बुलाई जाय। जिस दिन वह घटना हुई उस दिन मैं नहीं था मेरी नौकरानी कहार वहां थी, जो बर्तन मल रही थी, उसने देखा कमरा बन्द था अन्दर कोई जा नहीं सकता था। अन्दर क्या हुआ पता नहीं। लेकिन कहा गया कि स्टोव से आग लग गई थी। उसकी साड़ी पर मिट्टी का तेल लगा हुआ था, उससे मालूम होता है कि उसको मारना चाहते थे। कहते हैं कि इनमें तनाव था और पचास हजार रुपया देने को कहा था और 10 हजार रुपये शेष थे। वह दूसरी शादी करना चाहते थे। ऐसा मालूम होता है कि थानाध्यक्ष ने विधिवत् जांच नहीं की। वह लोग आए और उनसे मिल कर केस को दबा दिया गया।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

माननीय सदस्य ने जो तथ्य बताए हैं और इससे पहले माननीय सदस्य ने जो पत्र का उल्लेख किया है, उसके सन्दर्भ में किसी वरिष्ठतम अधिकारी से इस सम्बन्ध में जांच करा ली जाएगी।

*4—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

[1ले सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 8 पर उत्तरित।]

देवरिया के ग्राम भटवाटोला निवासी श्री विशुनी तथा श्रीमती बल केशिया की सांप काटने से मृत्यु

*5—श्री हरि केवल (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद के ग्राम सभा भरौली थाना सलेमपुर के निवासी विशुनी हरिजन व उसकी औरत को गला दबाकर दिनांक 14/15 अगस्त, 1975 की रात में मार डाला गया और उन दोनों की लाश को मकान से उठा कर खेत में रख कर गुदरा से ढक कर दोनों के हाथ में खुरपी पकड़ा कर शोर कर दिया गया कि उसे सांप ने काट लिया है और उक्त दोनों की लाश को थानाध्यक्ष ने जलवा दिया है जिससे पूरे क्षेत्र में हरिजनों एवं अल्प संख्यक जनों में क्षोभ और निराशा व्याप्त है? यदि हां, तो कातिलों एवं थानाध्यक्ष पर अब तक कौनसी कार्यवाही की गई है?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

प्राप्त सूचना के अनुसार उप सभापति ग्राम इचौना बाजार थाना सलेमपुर देवरिया व अन्य ने दिनांक 15 अगस्त, 1975 को सबेरे 7.15 बजे थाना सलेमपुर, देवरिया पर इस आशय की लिखित सूचना दी कि बीती रात में सांप काटने से श्री बिशुनी हरिजन व श्रीमती बलकेशिया पत्नी श्री बिशुनी निवासीगण ग्राम भटवाटोला की मृत्यु हो गई है। अत: पंचायतनमा लेकर दाह संस्कार हेतु आज्ञा देने की कृपा करें।

उक्त सूचना थाने के अभिलेखों में अंकित की गई व पुलिस घटना स्थल पर पहुंची जहां मृतकों के शव उनके मकान से सटे खेत में अपने-अपने पहने हुए कपड़ों में पड़े पाए गए। पंचायतनामा कराने के बाद शव मृतकों के वारिस को अन्तिम संस्कार हेतु दे दिये गए।

शवों की पोस्ट मार्टम कराए बिना दाह संस्कार हेतु देने के सम्बन्ध में सम्बन्धित सब इन्स्पेक्टर को लाईन हाजिर करने के उपरान्त अफसर दोयम बना दिया गया है

श्री बिशुनी व श्रीमती बलकेशिया की मृत्यु के सम्बन्ध में क्षेत्र निरीक्षक द्वारा दरयाफ्त हाल विवेचना की जा रही है।

उक्त घटना से क्षेत्र के हरिजनों एवं अन्य अल्प संख्यकों में क्षोभ और निराशा व्याप्त होने की बात सही नहीं है।

बांदा के थाना राजापुर में गोलीकाण्ड की जांच रिपोर्ट

*6—श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि दिनांक 22 दिसम्बर 1972 को थाना राजापुर, जिला बांदा में हुए गोलीकांड के सम्बन्ध में जूडिशियल इन्क्वायरी बैठाई गयी थी ? यदि हां, तो जांच रपट में किन-किन को दोषी पाया गया था और उनके विरुद्ध शासन द्वारा मुकदमा चलाना स्थगित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

दिनांक 22 दिसम्बर, 1972 को जनपद बांदा के अन्तर्गत थाना राजापुर की पुलिस द्वारा थाना पर एकत्र एक स्थानीय इन्टर कालेज के छात्रों की एक उग्र भीड़ पर गोली चलाए जाने की घटना की जांच के लिए कमीशन्स आफ इन्क्वायरी ऐक्ट के अन्तर्गत एक जांच आयोग की नियुक्ति की गई थी। जांच रिपोर्ट में पुलिस द्वारा कीं गई फायरिंग को उचित बताया गया है तथा आयोग की रिपोर्ट में किसी के विरुद्ध मुकदमा चलाए जाने की संस्तुति नहीं की गई है। अतः प्रशासन द्वारा मुकदमा चलाना स्थगित किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

आयोग की जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जा चुकी है।†

गोंडा कारागार के बन्दी श्री हृदय नरायन सिंह को मारे पीटे जाने की घटना

*7—श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा) (अनुपस्थित) तथा श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच) (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 19 सितम्बर, 1975 को गोन्डा जेल में डी0 आई0 आर0 के बन्दी श्रीं हृदय नरायन को कुछ बदमाशों ने बुरी तरह मांर कर दांत तोड़ डाला और उन्हें खौलती हुई घी कीं कड़ाही पर ढकेल दिया जिससे वे बुरी तरह जल गए ? और इस घटना के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना-पत्र हृदय नरायन ने कार्यवाही किए जाने हेतु जेल अधिकारियों द्वारा जिलाधीश को दिया ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जिला कारगार, गोन्डा में तारीख 19 सितम्बर, 1975 को विचाराधीन बन्दी श्री हृदय नरायन सिंह आदि तथा अन्य साधारण अपराधी बन्दियों के बीच मार-पीट की घटना घटित हुई थी। श्री हृदय नरायन सिंह का एक पैर घी की कढ़ाई से टकरा गया जिससे उन्हें जलने की चोटें आयीं। उनका एक दांत भी टूट गया। श्री हृदय नरायन सिंह ने इस घटना से सम्बन्ध में जांच के लिए एक आवेदन पत्र जिला मैजिस्ट्रेट को भेजा था। जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा इस घटना की मैजिस्टी रियल जांच करायी गई थी। श्री सिंह के साथ जिन साधारण बन्दियों को मारपीट का दोषी पाया गया था उन सबको जेल मैनुअल के अनुसार दण्ड दिया गया है।

---

†छापी नहीं गई।

*8—श्री त्रिवेणी सहाय तथा श्री बाबू लाल वर्मा—

[9वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 8 पर स्थानान्तरित।]

*9—श्री मोहम्मद रफी खां—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त।]

थानाध्यक्ष से बढ़िया, जौनपुर के विरुद्ध रिपोर्ट न लिखने की शिकायत

*10—श्री ऊदल—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि थानाध्यक्ष, नेवढ़िया जिला जौनपुर के खिलाफ, तारीख 15 अगस्त, 1975 तथा 18 अगस्त, 1975 की मारपीट की घटना की रिपोर्ट न लिखने, घायलों का उपचार न कराने और रिपोर्ट करने गए त्रिवेणी नामक व्यक्ति को दफा 151 में गलत तरीके से बन्द करने तथा मारने वालों का पक्ष लेने के सम्बन्ध में कोई आरोप-पत्र दिनांक 4 अक्तूबर, 1975 का प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही जौनपुर के यहां की गई और उन्होंने ही डाक्टरी मुआइना कराया?

श्री धर्मवीर—

थानाध्यक्ष, नेवढ़िया जिला जौनपुर के विरुद्ध दिनांक 15 अगस्त, 1975 तथा दिनांक 18 अगस्त, 1975 को हुई मारपीट की घटना की रिपोर्ट न लिखने, अपशब्दों का प्रयोग करने, प्रार्थी श्री त्रिवेणी के भाई श्री दीनानाथ को गलत तरीके से धारा 151 जा0 फौ0 के अन्तर्गत बन्द कर देने आदि के आरोपों से सम्बन्धित शिकायती-पत्र दिनांकित 4 अक्तूबर, 1975 शासन को प्राप्त हुआ था। शिकायती-पत्र में लगाए गए आरोपों की जांच कराई गई। जांच से प्रतीत हुआ कि वादी श्री दीनानाथ की सूचना पर दिनांक 15 अगस्त, 1975 को थाना नेवढ़िया पर मुकदमा अंकित किया गया था। मुकदमा अंकित करने के बाद थाने के समक्ष वादी तथा उसके विपक्षी के बीच वाद विवाद एवं झगड़ा होने पर पुलिस द्वारा दोनों को धारा 151 जा0 फौ0 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था। दिनांक 18 अगस्त, 1975 को थाना नेवढ़िया पर कोई रिपोर्ट अंकित कराए बिना ही वादी थाने से वापस चला गया था। जांच से पुलिस के विरुद्ध लगाए गए आरोपों में सत्यता नहीं पाई गई।

दिनांक 18 अगस्त, 1975 को हुई मारपीट की घटना के सम्बन्ध म दोनों पक्षों ने पुलिस अधीक्षक, जौनपुर के नाम से उप पुलिस अधीक्षक को अलग-अलग प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया था जिसके आधार पर दिनांक 20 अगस्त, 1975 को थाना नेवढ़िया पर दोतरफा मुकदमें कायम करके विवेचना की गई और विवेचना के पश्चात् आरोप-पत्र प्रेषित किये गए थे मुकदमें न्यायालय के विचाराधीन हैं।

घायल व्यक्तियों का डाक्टरी मुआइना पुलिस अधीक्षक, जौनपुर ने नहीं कराया बल्कि घायलों ने स्वयं डाक्टरी मुआइना कराया था।

श्री ऊदल—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो दिनांक 15 अगस्त, 1975 और 18 अगस्त, 1975 जिसके सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र पुलिस अधीक्षक और जिलाधीश को मिले थे उसको किस अधिकारी ने जांच की?

श्री धर्मवीर—

श्री चन्द्रमणि, उप-पुलिस अधीक्षक, जौनपुर ने की।

श्री ऊदल—

क्या माननीय मन्त्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि जिसका जिक्र उन्होंने किया है लोग थाने से वापस इसलिए ले गए कि थाने में पुलिस ने रिपोर्ट लिखने नहीं दी, इसलिए सीधे पुलिस अधीक्षक के पास गए और वहां रिपोर्ट की। उन्होंने आदेश दिया कि उनकी

रिपोर्ट लिखें। जिसका जिक्र आपने किया है कि 20 तारीख को रिपोर्ट लिखी गई, 20 तारीख को उसकी रिपोर्ट लिखी गई है। तो क्या इसकी जांच पुलिस अधीक्षक से करायेंगे कि यह वहां सीधे गए थे और नेवढ़िया पुलिस थाने में उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई थी?

श्री धर्मवीर —

रिपोर्ट में साफ है कि दोनों रिपोर्ट लिखी गई हैं और दुबारा न लिखने का कोई कारण नहीं है और सीधे जौनपुर के पुलिस अधीक्षक के पास वह चले गए। अब माननीय सदस्य कहते हैं तो मैं जांच करवा लूंगा कि वहां रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी गई।

श्री अध्यक्ष—

अब तो यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

श्री ऊदल—

थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी गई थी, 2 दिन बाद रिपोर्ट लिखी थी, अतः इस मामले में जांच करने को कहा था। थानाध्यक्ष ने कोई रिपोर्ट नही लिखी थी, उसे भगा दिया था।

वाराणसी के गांव बूढ़ापुर निवासी श्री राम देव शास्त्री का थाना रोहनिया के हेड कान्सटेबिल के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*11—श्री ऊदल—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रामदेव शास्त्री गांव प्रधान गांव बूढ़ापुर थाना रोहनिया, जिला वाराणसी तथा इनके पुत्र अशोक कुमार वर्मा को रोहनिया थाना के हेड कान्सटेबिल ने 7 सितम्बर, 1975 को हवालात में 8 बजे रात से 11.30 बजे रात तक बन्द किया था और गाली गुप्ता दिया, जिसकी शिकायत श्री शास्त्री ने 15 सितम्बर, तथा 21 सितम्बर, 1975 को जिलाधीश वाराणसी से प्रार्थना-पत्र देकर किया है। और उन्होंने जांच का आदेश दिया है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री धर्मवीर—

जिले से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री रामदेव शास्त्री, ग्राम प्रधान बूढ़ापुर थाना रोहनियां जिला वारणसी के दो प्रार्थना-पत्र जिले में प्राप्त हुए थे जिसमें उन्होंने थाना रोहनियां के हेड कान्स्टेबिल के विरुद्ध दिनांक 7 सितम्बर, 1975 को स्वयं को और अपने पुत्र श्री अशोक कुमार को हवालात में बन्द किए जाने तथा अपशब्द कहने आदि के आरोप लगाए थे।

उक्त आरोपों की जांच कराई गई। जांच से प्रार्थी व उसके पुत्र को हवालात में बन्द करने तथा अपशब्द कहने के आरोप निराधार पाए गए। किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठा।

श्री ऊदल—

इसकी जांच किससे कराई गई और क्या रामदेव शास्त्री, जो ग्राम बूढ़ापुर के सभापति हैं, से भी कोई साक्ष्य लिया गया?

श्री धर्मवीर—

मान्यवर, इसकी जांच क्षेत्राधिकारी (ग्रामीण) के द्वारा कराई गई थी।

श्री ऊदल—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस हेड कांस्टेबिल के खिलाफ दो प्रार्थना-पत्र पुलिस अधीक्षक, वाराणसी को श्री रामदेव शास्त्री ने दिए थे, वह अब भी रोहनियां में है, या उसके खिलाफ कोई कार्यवाही की गई?

श्री धर्मवीर—

वास्तविकता इसमें यह ह कि श्री रामदेव शास्त्री, जो शिकायतकर्त्ता हैं, वह जनसंघ के सक्रिय कार्यकर्त्ता हैं और थाने के सामने उनकी दुकान है। इसलिए एक न एक मामला उसमें होता रहता है। फिर भी उनकी इस शिकायत पर हेड कांस्टेबिल को स्थानान्तरित कर देने की कार्यवाही कर दी गई है।

*12—श्री काशीनाथ मेहरोत्रा—

[2रें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 30 पर उत्तरित।]

भगवान बुद्ध विद्यालय, संडीला, हरदोई में मार-पीट की घटना

*13—श्री काशीनाथ मेहरोत्रा (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 27 मार्च, 1975 को संडीला नगर जिला हरदोई में होम गार्ड के एक सिपाही ने रंग खेलने जाते हुए लखनऊ विश्वविद्यालय विधि संकाय के एक छात्र को बल्लम से घायल कर दिया? यदि हां, तो पूरी घटना क्या है तथा दोषी होम गार्ड के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है? मामले की जो एफ0 आई0 आर0 दिनांक 27 मार्च, 1975 को थाना संडीला में लिखाई गई है, वह क्या है?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

प्राप्त सूचना के अनुसार मार्च, 1975 में कस्बा संडीला के भगवान बुद्ध विद्यालय के अध्यापकों द्वारा क्रमिक अनशन चल रहा था तथा उन्होंने यह संकल्प लिया था कि विद्यालय का कोई कर्मचारी सदस्य उस वर्ष होली का उत्सव नहीं मनाएगा। वहां की तनावपूर्ण स्थिति को ध्यान में रखते हुए शान्ति व्यवस्था बनाए रखने हेतु एक होम गार्ड की तनाती कर दी गई थी। ड्यूटी पर तैनात होम गार्ड के पास बल्लम नहीं था। दिनांक 27 मार्च, 1975 को लगभग 10 बजे अध्यापकों के उक्त संकल्प को भंग करने के उद्देश्य से सर्वश्री रामेश्वर त्रिपाठी तथा सुरेश नाथ मेहरोत्रा के नेतृत्व में लगभग 50 लड़कों की एक भीड़, जिसमें लखनऊ विश्वविद्यालय के एक छात्र श्री नरोत्तम पांडिया उर्फ किशोर भी सम्मिलित थे, उक्त विद्यालय में घुस आई। ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड द्वारा रोके जाने पर उन लोगों ने गाली देना तथा भूख हड़ताल मंच पर ईंटें, पत्थर आदि फेकना आरम्भ कर दिया। इस घटना में श्री नरोत्तम पांडिया उर्फ किशोर, एक अज्ञात लड़का तथा होमगार्ड श्री राम विलास सिंह को चोटें आयीं। इस घटना से सम्बन्धित एक रिपोर्ट श्री योगेन्द्र कुमार त्रिपाठी, पुत्र श्री विद्याधर त्रिपाठी, सदर बाजार, कस्बा संडीला तथा दूसरी रिपोर्ट श्री विष्णु गोपाल अस्थाना, प्रधानाचार्य, भगवान बुद्ध उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, संडीला द्वारा थाने में दर्ज कराई गई जिनकी प्रतिलिपियां संलग्न हैं।

इन प्रथम सूचना रिपोर्टों के आधार पर मुकदमें दर्ज करके विवेचना की गई। विवेचना के दौरान पुलिस ने राम विलास सिंह, होम गार्ड को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। विवेचना में पर्याप्त साक्ष्य न उपलब्ध होने के कारण दोनों मुकदमों की विवेचना अन्तिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त कर दी गई।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 660–662 पर।)

बहराइच के ग्राम पटना खरगौरा निवासी श्रीमती चन्द्रकला द्वारा आत्म हत्या

*14—श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि बहराइच जिले के थाना भिनगा में अप्रैल, 1975 में श्रीमती चन्द्रकला, पुत्री काशी राम, निवासी पटना खरगौरा, थाना भिनगा की हत्या अथवा आत्म हत्या के सम्बन्ध में एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराई गई? यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? क्या सरकार उक्त घटना की जांच गुप्तचर विभाग द्वारा कराएगी?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

दिनांक 11 अप्रैल, 1975 को श्री छवि लाल वर्मा, निवासी ग्राम भवनियापुर दाखले अमवा, थाना भिन्गा, जिला बहराइच ने थाना भिन्गा पर लिखित सूचना दी थी कि दिनांक 10/11 अप्रैल, 1975 की रात में ननकऊ, पुत्र होली, निवासी ग्राम पटना खरगौरा तथा 5 अन्य अभियुक्तगण श्रीमती चन्द्रकला पुत्रीं काशी राम निवासी पटना खरगौरा जिससे वादी ने कोर्ट मैरिज की थी, को रंजिशन उठा ले गए। वादी ने सन्देह व्यक्त कियां था कि अभियुक्तगण चन्द्रकला की हत्या कर देंगे।

उक्त सूचना के आधार पर थाने पर धारा 458/364 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज करके विवेचना प्रारम्भ की गई। श्रीमती चन्द्रकला की लाश दिनांक 14 अप्रैल, 1975 को ग्राम सुजान डिहवा के निकट राप्ती नदी के उत्तरी तट पर पानी के अन्दर से बरामद करके पोस्ट मार्टम परीक्षण कराया गया। पोस्ट मार्टम परीक्षण से मृत्यु का कारण ज्ञात नहीं हो सका। विवेचना से मामला आत्म हत्या का पाया गया, अत: मुकदमें में अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई। इस मामले में गुप्तचर विभाग द्वारा जांच कराने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होंती।

गन्ने से चीनी उत्पादन की नयी प्रक्रिया की विकास योजना

*15 —श्री त्रिवेणी सहाय (अनुपस्थित) तथा श्री बाबू लाल वर्मा (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने गन्ने से चीनी उत्पादन बढ़ाने की नई प्रक्रिया का विकास करने की योजना शासन के विचाराधीन है। यदि हां, तो इसकी रूप-रेखा क्या है?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

इसकी रूपरेखा का अध्ययन किया जा रहा है।

*16—श्री अनवार जमील—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

*17—श्री अनवार जमील—

[2रे बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 31 पर उत्तरित।]

*18—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

[19वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 1 पर स्थानान्तरित।]

प्रदेश में नये थानों की स्थापना

*19—श्री प्रेमदत्त (जिला फतेहपुर)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस कमीशन की अनुशंसा के आधार पर प्रदेश में नए थाने खोलने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो कहां-कहां खोले जाएंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री धर्मवीर—

उत्तर प्रदेश पुलिस आयोग, 1960–61 ने पुलिस थानों के आकार क्षेत्र में कमी करने का सुझाव दिया था। उसके आधार पर थांने के मानक क्षेत्र फल को 150 वर्ग मील से घटाकर 113 वर्गमील रखने का निर्णय लिया गया। उक्त मानक के अनुसार प्रदेश में कुल 171 अतिरिक्त थानों की आवश्यकता पाई गई। इन 171 थानों की स्वीकृति तीन चरणों में वर्ष 1966, 1969 एवं 1972 में प्रदान की गई। इनके अतिरिक्त फरवरी, 1975 में सहारनपुर जनपद में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स रानीपुर क्षेत्र में तथा नवम्बर, 1975 में बुलन्दशहर जनपद के एटामिक इनरजी पावर प्रोजेक्ट, नरोरा में एक-एक नया थाना स्थापित किए जाने की शासन ने स्वीकृति प्रदान की है।

उत्तर प्रदेश पुलिस आयोग 1960-61 की संस्तुतियों के आधार पर अब प्रदेश में नए थाने नहीं स्वीकृत किए जाने हैं लेकिन क्षेत्र विशेष की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नए थाने खोले जाने के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है।

श्री प्रेमदत्त—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस आयोग, 1960-61 के आधार पर जनपद फतेहपुर के जाफरगंज में नया थाना खोलने की संस्तुति वहां से आई है? और यदि आई है, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री धर्मवीर—

मान्यवर, यह तो आयोग की रिपोर्ट बहुत बड़ी है? क्या हुआ, वस्तु स्थिति यह है कि सन् 1960-61 में जो हमारा कमीशन बना था, जो श्री जैन की अध्यक्षता में रिपोर्ट हुई थी कि प्रदेश में थानों की संख्या न बढ़ाई जाय। सहारनपुर हैवी एलेक्ट्रिक का कारखाना है वहां पर सरकार ने 2 थाने खोले हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

मान्यवर, माननीय सदस्य का यह प्रश्न था कि कहां-कहां खोले जायेंगे? फतेहपुर जिले में जाफरगंज आता है, तो वहां न खोलने का क्या कारण है? यह कमीशन के अन्दर रिकमेंन्डेड है कि जाफरगंज में खोला जाय।

श्री धर्मवीर—

मान्यवर, इसमें जो निर्णय लिया गया था कि 171 थानों की स्वीकृति तीन चरणों में खोलने की थी। सन् 1971-72 में कोई रिपोर्ट नहीं है कि जहां पर स्वीकृति हुई है, वहां पर थाने खोले जायं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मान्यवर, यह तो प्रश्न में ही सन्निहित था।

श्री अध्यक्ष—

कह तो रहे हैं कि कहां-कहां खोले जाएंगे?

श्री काशीनाथ मिश्र—

मान्यवर, यह माननीय सदस्य को निश्चित जानकारी है।

श्री अध्यक्ष—

तो यही पूछ लीजिए कि वह सूची है कि नहीं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मान्यवर, पुलिस कमीशन ने जिला फतेहपुर के अन्तर्गत जाफरगंज में खोलने की संस्तुति की है या नहीं?

श्री धर्मवीर—

मान्यवर, इसमें सूचना की आवश्यकता है।

***20—श्री राम सुन्दर पान्डेय—**

[6वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 9 पर स्थानान्तरित।]

***21—श्री कमला प्रसाद वर्मा—**

[2रे बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 32 पर उत्तरित।]

कानपुर जिले में डकैती तथा थानाध्यक्षों का स्थानान्तरण

***22—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—**

क्या मुख्य मन्त्री विधान सभा के प्रथम सत्र 1975 के 5वें गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 8 के उत्तर के सन्दर्भ में बतायेंगे कि कानपुर जिले में जनवरी, 1974 से अगस्त, 1974 तक 8 माह में 7 से 12 डकैतियां जिन थानों में पड़ी हैं, वहां के थानाध्यक्षों के अपराध न रोक पाने के सम्बन्ध में अलग-अलग क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

कानपुर जिले में जनवरी, 1974 से अगस्त, 1974 तक 8 माह में जिन सात थानों के अन्तर्गत 7 से 12 डकैतियां पडीं थीं उन थानों के थानाध्यक्षों में से थानाध्यक्ष, सचेंडी ने त्याग-पत्र दे दिया था। अन्य 6 थानाध्यक्षों से थानों का चार्ज हटाकर उनका स्थानान्तरण कर दिया गया था।

*23—श्री राम चन्द्र बक्श सिंह—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त।]

*24—श्री अठई राम तथा श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

[4थे बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 24 पर स्थानान्तरित।]

शाहजहांपुर के फरीदपुर इन्टर कालेज के विद्यार्थियों को लूटे जाने की कथित घटना

*25—श्री रामेश्वर नाथ चौबे (जिला बरेली) (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मन्त्री को पता है कि दिनांक 11 नवम्बर, 1975 को फरीदपुर इन्टर कालेज के कुछ विद्यार्थियों को जो कि कालिज आ रहे थे ग्राम रमेवन, थाना मीरानपुर कटरा, जिला शाहजहांपुर में इनको लूट लिया गया जिसकी रिपोर्ट भी थाने में नहीं लिखी गई? क्या यह सही है कि दिनांक 12 नवम्बर, 1975 को विद्यार्थी सीनियर पुलिस कप्तान, बरेली से मिले जिस पर तत्काल सी0 ओ0 द्वारा जांच का आदेश दिया? यदि हां, तो जांच से क्या सिद्ध हुआ तथा क्या कोई मुकदमा कायम किया गया?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित कथित घटना के सम्बन्ध में थाना मीरानपुर कटरा, जिला शाहजहांपुर पर कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई न ही कोई रिपोर्ट अंकित हुई है। इस सम्बन्ध में विद्यार्थी सीनियर पुलिस अधीक्षक, बरेली से नहीं मिले, न कोई जांच सी0 ओ0 द्वारा हुई। अत: कोई मुकदमा कायम किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

*26—श्री राम चन्द्र बक्श सिंह—

[1ले मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या 35 पर उत्तरित।]

आपात् कालीन स्थिति की घोषणा के बाद समय से पूर्व सेवा निवृत्त राजपत्रित अधिकारी

*27—श्री गोविन्द सिंह नेगी (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आपात्कालीन स्थिति की घोषणा के बाद दिनांक 15 जनवरी, 1976 तक राज्य में कितने राजपत्रित अधिकारियों को समय से पूर्व सेवा से निवृत्त किया गया है?

श्री धर्मवीर—

आपात्कालीन स्थिति की घोषणा के बाद दिनांक 15 जनवरी, 1976 तक राज्याधीन सेवाओं से 85 राजपत्रित अधिकारियों को समय से पूर्व सेवा से निवृत्ति किया गया है।

श्री ऊदल—

और कितने लोगों का मामला शासन के विचाराधीन है?

श्री धर्मवीर—

इसमें सूचना की आवश्यकता है।

श्री ऊदल—

क्या सहारनपुर के जिलाधीश का मामला भी विचाराधीन है?

श्री धर्मवीर—

इसमें भी सूचना की आवश्यकता है।

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या 27 श्री ऊदल द्वारा पूछा गया।

*28—श्री राम अधार—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।]

पांचवीं पंचवर्षीय योजना का क्रियान्वयन

*29—श्री राम अधार (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताएगी कि वर्ष 1974 व 1975 में पंचवर्षीय योजना को प्रदेश में न चलाने के क्या कारण थे और प्रदेश की पंचवर्षीय योजना कब तक क्रियान्वयन के लिए तैयार हो जाएगी ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

वर्ष 1974 और 1975 में पंचवर्षीय योजना को प्रदेश में पूर्व वर्षों की भांति निष्पादित किया गया है। प्रदेश की योजना राष्ट्रीय योजना का एक भाग होती है। आयोग के निर्देशानुसार प्रदेश की पांचवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप 3539 करोड़ रुपए का तैयार किया गया था परन्तु राष्ट्रीय स्तर पर मुद्रास्फीति के कारण राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका था जिसके फलस्वरूप प्रदेश की पांचवीं योजना के आधार पर अन्तिम निर्णय योजना आयोग द्वारा नहीं लिया जा सका। फिर भी 3062 करोड़ रुपए की तदर्थ पांचवीं योजना के आकार के आधार पर प्रदेश सरकार योजना का क्रियान्वयन कर रही है।

कैप्टेन एस० एस० रावत की मृत्यु की सी० आई० डी० द्वारा जांच]

*30—श्री गोविन्द सिंह नेगी (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मन्त्री को यह विदित है कि स्व0 कैप्टन एस0 एस0 रावत 1/9 जी0आर0 की ए 0एस 0एम 0 टी 0, फैजाबाद में दिनांक 8 मार्च, 1974 को हुई हत्या के सम्बन्ध में जांच करायी गई ? यदि हां, तो उस जांच का क्या परिणाम हुआ है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

कैप्टेन एस0 एस0 रावत, 1/9 जी0 आर0 की ए 0एस 0एम 0टी 0, फैजाबाद के तैराकी तालाब में 8 मार्च, 1974 को आकस्मात डूबने से उनकी मृत्यु हो जाने की सूचना थाना कैन्ट फैजाबाद पर दर्ज कराई गई थी। शासन ने इस मामले कीं जांच अपराध अनुसन्धान विभाग द्वारा करने के आदेश दिए थे। अपराध अनुसन्धान विभाग की अब तक की जांच से कैप्टेन रावत की हत्या किए जाने का ओई साक्ष्य नहीं मिला है। मृतक की पत्नी तथा उनके सम्बन्धियों ने कुछ नए तथ्य शासन तथा अपराध अनुसन्धान विभाग की जानकारी में लाए हैं जिनके सम्बन्ध में अपराध अनुसन्धान विभाग द्वारा आगे जांच की जा रही है।

पिछड़े वर्गों के उत्थान संबंधी श्री रूपनाथ सिंह यादव का ज्ञापन

*31—श्री अठई राम (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 19 नवम्बर, 1974, 16 जनवरी, 1975 तथा 17 फरवरी, 1975 का कोई ज्ञापन व फोनोग्राम पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण तथा उत्थान के सम्बन्ध में भारतीय लोक दल के नेता श्री रूपनाथ सिंह यादव, इलाहाबाद द्वारा भेजा गया, शासन को प्राप्त है ? यदि हां, तो शासन ने उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्री रूपनाथ सिंह यादव द्वारा भेजा गया दिनांक 19 नवम्बर, 1974 के बजाय 20 नवम्बर, 1974 का ज्ञापन तथा दिनांक 17 फरवरी, 1975 का फोनोग्राम शासन को प्राप्त हुआ। इस सन्दर्भ में उचित प्रश्नों पर विचारार्थ राज्य सरकार द्वारा "उत्तर प्रदेश सर्वाधिक पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित आयोग" का गठन किया जा चुका है।

जिला जज, गोंडा के विरुद्ध शिकायती-पत्र

***32—श्री दीप नारायण पांडेय (जिल गोंडा) (अनुपस्थित)—**

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जिले के वर्तमान जिला जज (श्री चमन सिंह) के विरुद्ध इनके गोंडा के प्रवास काल में कितने शिकायती प्रार्थना-पत्र न्याय मन्त्री तथा प्रशासकीय जज, इलाहाबाद हाई कोर्ट को मिले हैं? क्या कुछ शिकायतें ऐसी भी हैं जिसमें सरकारी धन का दुरुपयोग भी किया गया है? यदि हां, तो सरकार इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री प्रभु नारायण—

एक शिकायती-पत्र न्याय मन्त्री जी को तथा कुल 11 शिकायती-पत्र उच्च न्यायालय को प्राप्त हुए थे। इनमें सरकारी धन को दुरुपयोग करने की शिकायतें थीं। उच्च न्यायालय ने उन शिकायतों की जांच की और उन्हें सारहीन पाया। उच्च न्यायालय ने उन सभी शिकायती-पत्रों को फाइल कर दिया है।

***33—श्री राम सुन्दर पाण्डेय—**

[8वें शुक्रवार में प्रश्न संख्या 2 पर स्थानान्तरित।]

***34—श्री दधीच सिंह—**

[पुनर्विचार पर निरस्त।]

थाना कटरा, शाहजहांपुर की पुलिस के विरुद्ध शिकायती-पत्र

***35—श्री दधीचि सिंह (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)—**

क्या मुख्य मन्त्री को पता है कि शाहजहांपुर जिले के थाना व विकास क्षेत्र, जैतीपुर के अनेक ग्राम सभा के प्रधानों, सदस्यों व अन्य सभ्रान्त नागरिकों ने एक सामूहिक रूप से फरवरी, 1976 के द्वितीय सप्ताह में शिकायती-पत्र मुख्य मन्त्री को भेज कर थाना मीरानपुर कटरा की पुलिस के अन्यायपूर्ण व गलत कार्य की शिकायत की है तथा तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है? यदि हां, तो शिकायतें क्या-क्या हैं और क्या पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर ने सत्यता की जांच की और दोषी पुलिस वालों के विरूद्ध कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

प्रश्न में उल्लिखित आशय का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें थाना कटरा, शाहजहांपुर की पुलिस के विरुद्ध दिनांक 31 जनवरी, 1976 को सुभाष उर्फ मिरखू पुत्र बद्री सिंह को थाना कटरा की पुलिस द्वारा पकड़ कर धारा 399/402 भा0 दं0 वि0 तथा धारा 25 शस्त्र अधिनियम में झूठा चालान करने, एमरजेन्सी का दुरुपयोग करने, पार्टीबन्दी के आधार पर अन्यायपूर्ण तथा पक्षपात पूर्ण कार्य करने आदि के आरोप लगाए गए थे। उक्त प्रार्थना-पत्र में निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की गयी थी। पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर, द्वारा उक्त आरोपों की जांच क्षेत्राधिकारी, तिलहर, शाहजहांपुर द्वारा कराई गयी। जांच से थाना कटरा की पुलिस के विरुद्ध लगाए गय आरोप सत्य नहीं पा[illegible]। जांच से ज्ञात हुआ कि सुभाष उर्फ मिरखू को ग्राम स्योरा के पास से दिनांक 1, 2 फ[illegible]री 1976

की रात्रि में तीन अन्य अमुक लोगों के साथ डकैती डालने की योजना बनाते हुए थाना कटरा की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। उक्त चारों लोगों के पास से कुछ शस्त्र भी बरामद हुए। इस सम्बन्ध में थाना कटरा पर धारा 399/402/307 भा0 दं0 वि0 एवं धारा 25 शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा कायम किया गया। विवेचना के उपरान्त उक्त मुकदमें में चारों अभियुक्तों का चालान अदालत किया जा चुका है। मुकदमा न्यायालय के विचाराधीन है।

*36—श्री मुहम्मद असरार अहमद—

[7वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 3 पर स्थानान्तरित।]

दि काशी सहकारी चीनी मिल लि० औराई, वाराणसी का चुनाव तथा मिल के शीरे की कथित नीलामी

*37—श्री गिरिजा शंकर पाठक (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि जनपद वाराणसी की काशी सहकारी चीनी मिल, औराई के डेलीगेटों का माह सितम्बर, 1975 तक चुनाव हो गया था? यदि हां, तो अब तक उन डेलीगेटों के माध्यम से डाइरेक्टर बोर्ड का चनाव हुआ या नहीं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

दि काशी सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड औराई, जिला वाराणसी के समस्त डेलीगेटों का चुनाव सितम्बर, 1975 तक सम्पन्न नहीं हुआ था।

*38—श्री गिरिजा शंकर पाठक (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह भी कृपया बताएगी कि उक्त मिल में निकलने वाले शीरे का नीलाम वर्ष 1974-75 किसके नाम एवं किस रेट से किया गया था और यदि उक्त नीलाम सहकारी नियमों के विरुद्ध किया गया, तो क्या सरकार इसकी जांच कराएगी?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

दि काशी सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड, औराई जिला वाराणसी के वर्ष 1975-75 में उत्पादित शीरे की कोई नीलामी नहीं की गई है।

चीनी मिलों के लिए गन्ने की निर्धारित की गयी दर

*39—श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की कौन-कौन सी गन्ना मिलें नवम्बर, 1975 में चालू हो गई है और उनमें किसानों द्वारा दिए जा रहे गन्ने की अन्तिम दर क्या निश्चित की है?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

उत्तर प्रदेश की 77 चीनी मिलों में से 45 चीनी मिलों ने जिनकी सूची संलग्न है; माह नवम्बर, 1975 से कार्य करना आरम्भ कर दिया था।

इन चीनी मिलों के लिए गन्ने की निर्धारित की गई दर इस प्रकार है :

(1) रु0 13.25 प्रति कुन्टल पश्चिमी तथा मध्य क्षेत्र में,

(2) रु0 12.25 प्रति कुन्टल पूर्वी क्षेत्र में।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 663–664 पर।)

गोरखपुर तथा देवरिया की चीनी मिलों पर बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान

*40—श्री श्रीनारायण (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया और गोरखपुर की किन-किन चीनी मिलों के जिम्मे अब तक किसानों का कितना-कितना रुपया बकाया किन-किन वर्षों का पड़ा हुआ है और सरकार उसे किसानों को दिलवाने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

सीजन 1975-76 से पूर्व का दिनांक 29 फरवरी, 1976 तक गोरखपुर ए देवरिया जिलों की चीनी मिलों पर निम्न गन्ना मूल्य बकाया है :—

नाम चीनी मिल (गोरखपुर)—	सीजन		अवशेष गन्ना मूल्य (लाख रुपयों में)
1—सरदारनगर	1972–73	..	0.12
2—पिपराइच	1973–74	..	0.29
3—घुघली	1974–75	..	0.04
4—सिसवा बाजार	1970–71 से पूर्व	..	1.81
	1873–74	..	0.04
	1974–75	..	16.63
	योग	..	18.48
5—आनन्द नगर	1972–73	..	0.05
	कुल योग गोरखपुर	..	18.98

नाम चीनी मिल (देवरिया)—	सीजन		अवशेष गन्ना मूल्य (लाख रुपयों में)
6—बेतालपुर	1974–75	..	0.03
7—खड्डा	1070–71 से पूर्व	..	6.64
	1970-71	..	3.18
	योग	..	9.82
8—रामकोला (के)	1970–71 से पूर्व	..	8.78
9—पडरौना	1970–71	..	0.04
10—भटनी	1970–71 से पूर्व	..	0.68
	कुल योग देवरिया जिला	..	19.35
	सम्पूर्ण योग	..	38.33

अवशेष धनराशि की वसूली हेतु प्रत्येक मिल के पृथक गन्ना मूल्य खाते बैंक में खुलवाए गए हैं तथा उनमें जिलाधिकारी द्वारा गन्ना मूल्य की धनराशि को यथा सम्भव भुगतान कराने हेतु बैंकों से मिलने वाली अग्रिम का नियत प्रतिशत अलग रखने हेतु आदेश दिए गए हैं।

इसके अतिरिक्त पुराने बकाया की वसूली के लिए वसूली प्रमाण-पत्र भी जारी किए गए एवं चीनी मिलों का अधिग्रहण भी किया गया एवं शासकीय आदाताओं की भी नियुक्ति की गई तथा एक चीनी मिल की नीलामी भी की गई।

कुन्दन शुगर मिल, मुरादाबाद में गबन

*41—हाजी मोहम्मद हयात (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कुन्दन शुगर मिल, अमरोहा, जिला मुरादाबाद में दिनांक 3 अप्रैल, 1975 को गबन का एक मामला प्रकाश में आया था? उक्त मामले पर सरकार द्वारा जांच भी कराई गई थी ? यदि हां, तो पूरा विवरण क्या है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जी हां। कुन्दन शुगर मिल, अमरोहा में दिनांक 3 अप्रैल, 1975 को जाली पर्चियों पर भुगतान का एक मामला प्रकाश में आया। विभागीय जांच के बाद मामला पुलिस को सौंप दिया गया है और पुलिस द्वारा जांच चल रही है।

जिला जेल, गोरखपुर में बन्दी विधायकों का प्रार्थना-पत्र

*42—श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मन्त्री को ज्ञात है कि दिनांक 15 अगस्त, 1975 को जिला जेल, गोरखपुर में बन्द राजनैतिक बन्दियों मुख्य तौर पर विधायकों ने लिखित कई प्रार्थना-पत्र अधीक्षक कारागार को इस आशय का दिया था कि उन्हें अमर शहीद राम प्रसाद विस्मिल के पावन पर्व पर श्रद्धांजलि अर्पित करने या माल्यार्पण की आज्ञा दी जाय ? नहीं तो वे उस दिन राशन नहीं उठायेंगे ? यदि हां तो इस का पूर्ण विवरण क्या है और उस पर क्या कार्य-वाही की गई ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जी हां।

जेल में श्री विस्मिल का स्मारक ऐसे स्थान पर बना है, जहां सुरक्षा की दृष्टि से सम्बन्धित राजनैतिक बन्दियों का जाना उचित नहीं समझा गया और इस कारण उन्हें वहां जाने की आज्ञा नहीं दी गई।

जिला कारागार, गोरखपुर में निरुद्ध विधायकों का शिकायती-पत्र

*43—श्री अब्दुल रऊफ लारी (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार को जेल विधायकों के प्रार्थना-पत्र नवम्बर-दिसम्बर, 1975 में जेल अधिकारी, जिला जेल, गोरखपुर द्वारा की गई अनियमितताओं व धांधलियों के प्रति मिला था और जनवरी, 1976 में उन्हीं सब शिकायतों को वहां के जिला कांग्रेस कमेटी के मन्त्री (श्री जसवन्त सिंह जी एडवोकेट) ने की थी ? यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां।

जिला कारगार, गोरखपुर में निरुद्ध सर्वश्री मधुकर दिघे, फिरंगी प्रसाद, शारदा प्रसाद रावत और अब्दुल रऊफ लारी विधायकों का दिनांक 27 अक्तूबर, 1975 तथा श्री शारदा प्रसाद रावत का दिनांक 8 दिसम्बर, 1975 का शिकायती पत्र शासन को मिला था। शिकांयतों की जांच करने पर यह पता चला कि समस्त विधायकों को नियमानुसार जितनी सुविधायें दी जा सकती हैं वे सब दी जा रहीं थीं। कारागार विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध जो शिकायतें की गई वह निराधार पाई गईं।

श्री जसवन्त सिंह एडवोकेट ने भी इस सम्बन्ध में कुछ शिकायतें जिला कारागार, गोरखपुर के प्रशासन के सम्बन्ध में की हैं, जिनकी जिलाधीश, गोरखपुर द्वारा जांच की जा रही है।

*44—श्री मुहम्मद असरार अमहद—

[पुनर्विचार पर निरस्त ।]

प्रदेश की पश्चिमी क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा वसूल किया गया कार्टेज चार्जेज

*45—श्री हुकम सिंह (जिला मुजफ्फरनगर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को जानकारी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चीनी मिलें आउट सेन्टर्स से वर्तमान सीजन के जनवरी माह तक 75 पैसे प्रति कुंटल कार्टेज चार्जेज वसूल करते रहे हैं तथा गन्ने की कीमत में वृद्धि की घोषणा के पश्चात् इन मिलों ने 1 रुपया प्रति कुन्टल चार्ज करना प्रारम्भ कर दिया है जबकि कार्टेज के खर्चे में कोई किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई है? इस एक पक्षीय एवं विधि विरुद्ध कार्टेज चार्ज वृद्धि का क्या कारण है और सरकार उक्त वृद्धि को रोकने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

प्रदेश की पश्चिमी क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा माह जनवरी, 1976 तक 32 पैसे से 75 पैसे तक ,आउट सेन्टर्स पर गेट की अपेक्षा कम गन्ना मूल्य दिया गया तथा माह फरवरी, 1976 से आउट सेन्टर्स पर एक रुपया प्रति कुन्टल के हिसाब से गन्ना मूल्य में गेट की अपेक्षा कमी कर दी है ।

सभी चीनी मिलों के अध्यासियों को निर्देशित किया गया है कि वह आउट सेन्टर्स पर गन्ना मूल्य दर से 32 पैसे प्रति कुन्टल से अधिक कटौती न करें। जिला गन्ना अधिकारियों को भी यह निर्देश दिए गए हैं कि जहां चीनी मिलों द्वारा 32 पैसे प्रति कुन्टल से अधिक कटौती की गई हो वहां सम्बन्धित मिलों को जिलाधिकारी के माध्यम से कारण बताओ नोटिस दिए जाएं।

32 पैसे के हिसाब से आउट सेन्टर्स पर कटौती करने की विधिक स्थिति विवादास्पद है। चीनी मिल का कहना है कि वह मिल गेट तथा आउट सेन्टर्स पर न्यूनतम गन्ना मूल्य से बढ़ी हुई दर पर गन्ना मूल्य दे रहे हैं तथा कटौती को "कार्टेज पात्र" की संज्ञा नहीं देते हैं।

*46—श्री हुकम सिंह—

[विभिन्न विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त ।]

कुन्दन शुगर मिल, अमरोहा द्वारा गुजरात के व्यापारियों को चीनी की बिक्री

*47—हाजी मोहम्मद हयात (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कुन्दन शुगर मिल, अमरोहा ने गत वर्ष कुछ वैगन चीनी गुजरात के किसी व्यापारी को बेची थी और जब चीनी गुजरात पहुंच गई तो उस व्यापारी ने चीनी लेने से इन्कार कर दिया जिससे मिल को भारी क्षति हुई ? यदि हां, तो पूरा विवरण क्या है और इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

सितम्बर, 1974 में कुन्दन शुगर मिल्स, अमरोहा के शुगर सेल्स एजेन्टों ने गुजरात के कुछ व्यापारियों से सौदे पक्के किए थे। इनके अनुसार चीनी का लदान किया गया किन्तु डिलीवरी लेने तक चीनी के बाजार भाव कम हो गए और व्यापारियों ने माल को रेलवे से छुड़ाने में हीला हवाला किया। अन्ततः माल छुड़वा लिया गया। इस सौदे में मिल को कोई आर्थिक हानि नहीं हुई और जिस भाव पर चीनी बेची गई उसी के अनुसार मिल को पूरा रूपया मिल गया।

*48—श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

[पुनर्विचार पर निरस्त।]

*49—श्री दीप नारायण पाण्डेय—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

*59—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।]

*51—श्री आशाराम यादव—

[चौथे बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 35 पर स्थानान्तरित।]

केन्द्रीय कारागार, बरेली में बन्दी की पिटाई से कथित मृत्यु

*52—श्री किशन लाल (जिला पीलीभीत) (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मन्त्री यह बतायेंगे कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में अक्तूबर, 1975 में किसी बन्दी को इतना पीटा गया कि वह मर गया? यदि हां, तो क्या सरकार इस घटना की जुडीशिएल जांच कराएगी?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी नहीं।

शेष प्रश्न नहीं उठता।

जिला कारागार, लखनऊ के राजनैतिक बन्दियों का कथित शिकायती-पत्र

*53—श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि क्या 6 माननीय विधायकों के हस्ताक्षर से शासन को कोई शिकायती-पत्र दिनांक दिसम्बर, 1975 को प्राप्त हुआ है जिसमें जिला कारागार, लखनऊ में बन्द राजनैतिक बन्दियों के साथ दिनांक 1 दिसम्बर, 1975 को किए गए बर्बर दुर्व्यवहार की शिकायत की गई थी? यदि हां, तो शिकायत किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध है और सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही किया तथा शिकायत का पूर्ण विवरण क्या है?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जी नहीं।

ऐसा कोई शिकायती-पत्र शासन को प्राप्त नहीं हुआ है।

बृज मोहन लाल देवी प्रसाद तेल बिक्रेता, शोहरतगढ़, बस्ती के विरुद्ध लिखाई गयी रिपोर्ट

*54—श्री प्रभु दयाल (जिला बस्ती)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि दिनांक 12 दिसम्बर, 1975 को मोहाना थाना जनपद बस्ती के अन्तर्गत फर्म बृजमोहनलाल देवी प्रसाद तेल अधिकृत विक्रेता शोहरतगढ़ के विरुद्ध धारा 3, 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम व धारा 114/2 डी0 आई0 आर0 जो एफ0 आई0 आर0 पूर्ति निरीक्षक, नौगढ़ ने कराई है, उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है?

श्री धर्मवीर—

प्रश्न में उल्लिखित प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर थाने पर एक मुकदमा दर्ज किया गया जिसकी क्षेत्र निरीक्षक, नौगढ़, बस्ती द्वारा विवेचना की जा रही है।

श्री प्रभु दयाल—

क्या माननीय गृह मन्त्री जी बतायेंगे कि गोरखपुर डी0 आई0 जी0 ने इस मामले के बारे में सी0 आई0 डी0 को जांच करने के लिए लिखा था?

श्री धर्मवीर—

मान्यवर, ऐसी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री प्रभु दयाल—

मान्यवर, इस मामले की बिना पूरी तफतीश किए हुए, पुलिस रफा-दफा कर देना चाहती है ?

श्री धर्मवीर—

मान्यवर, इसकी भी सूचना नहीं है ।

श्री प्रभु दयाल—

मान्यवर, श्री डी० पी० बोरा, भूतपूर्व विधायक की वजह के इस मामले में देरी की जा रही है। तस्करी के मामले में डी० पी० बोरा भूतपूर्व एम० एल० ए० जो हैं उनका हाथ था, इसलिए इस मुकदमें में देरी की जा रही है और इस मामले में फाइनल रिपोर्ट लगाने की तैयारी की जा रही है।

श्री धर्मवीर—

ऐसी बात नहीं है। तो तथ्य सामने आयेंगे, कोई भी व्यक्ति हो, उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

***55—श्री गोपाल दत्त ओझा—**

[3रे शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 41 पर स्थानान्तरित।]

शेरकोट, बिजनौर में ताजिये के साथ अखाड़े निकालने की अनुमति न मिलना

***56—श्री अब्दुल वहीद (जिला बिजनौर) (अनुपस्थित)—**

क्या मुख्य मन्त्री बदलाने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष शेरकोट, जिला बिजनौर के मुसलमानों को ताजिए के जुलूस निकालने से जिलाधिकारी, बिजनौर तथा पुलिस अधीक्षक, बिजनौर ने रोक दिया था ? यदि हां, तो जुलूस रोकने का क्या कारण है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

प्राप्त सूचना के अनुसार इस वर्ष शेरकोट, जिला बिजनौर के मुसलमानों को ताजिए के जुलूस निकालने से जिलाधिकारी, बिजनौर तथा पुलस अधीक्षक, बिजनौर ने नहीं रोका, बल्कि गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी ताजिए निकालने की अनुमति दी गयी थी एवं शान्ति भंग होने की आशंका के कारण गत वर्षों की भांति ताजियों के साथ अखाड़े निकालने की अनुमति नहीं दी गयी थी।

***57—श्रीमती शकुन्तला देवी—**

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

स्वामी विवेकानन्द निवासी ग्राम पूरे भाऊदास, रायबरेली पर गोली से हमला किये जाने सबंधी रिपोर्ट

***58—श्री शिवकैलाश (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)—**

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पूरे भाऊदास (सड़या), जिला रायबरेली में दिनांक 17 मार्च, 1976 को 8.30 बजे दिन में श्री स्वामी विवेकानन्द सरपंच इन्होना, थाना शिवरतनगंज, राय बरेली पर कुछ लोगों ने गोली से हमला किया ? यदि हां, तो एफ० आई० आर० में किन लोगों के नाम हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

स्वामी विवेकानन्द सरपंच, इन्होना, निवासी ग्राम पूरे भाऊदास ने, अमुक चार व्यक्तियों द्वारा दिनांक 17 मार्च, 1976 को प्रातः 8 बजे उन पर गोली से हमला किए जाने की रिपोर्ट उसी दिन थाना शिवरतनगंज पर लिखाई थी जिसके आधार पर एक मुकदमा अन्तर्गत धारा 308 भारतीय दण्ड विधान का दर्ज हुआ । उक्त रिपोर्ट (एफ० आई० आर०)

में रामेश्वर सिंह, सहदेव सिंह, शत्रोहन सिंह तथा दृगपाल सिंह निवासीगण ग्राम पूरे भाऊदास को नामांकित किया गया था।

मुकदमा दर्ज होने के बाद अभियुक्तों की तलाश की गई किन्तु फरार हो जाने के कारण उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। अत: उनके विरुद्ध धारा 82/83 जा0 फौ0 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु रिपोर्ट न्यायालय भेजी गई। चारों अभियुक्तों ने दिनांक 14 अप्रैल, 1976 को न्यायालय में हाजिर होकर अपनी जमानत करा ली। विवेचना पूरी होने पर यथा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

*59—श्री राम प्रकाश यादव—

[4थे बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 53 पर स्थानान्तरित।]

इलाहाबाद के थरवई पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत हिंसक जानवरों द्वारा बच्चों को खो जाने की घटना

*60—श्री राम सजीवन (जिला बांदा)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जनपद के थरवई पुलिस स्टेशन क्षेत्र के अन्तर्गत बजीरपुर, चक जयन्ती कुम्होना, तुलसी पट्टी नोनारी इत्यादि गांवों में हिंसक जानवरों द्वारा अनेक बच्चों को मार कर खा जाने एवं घायल कर देने की सूचना प्राप्त हुई है? यदि हां, तो इसकी रोक-थाम के लिए क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो सरकार आवश्यक जांच करा कर हिंसक जानवरों को मारने की कार्यवाही कराएगी?

श्री धर्मवीर—

जी हां। इसकी रोक-थाम के लिए समय-समय पर पुलिस कर्मचारियों ने इन हिंसक जानवरों को मारने हेतु कई बार प्रयास किया किन्तु गेहूं तथा अरहर की फसल खड़ी होने के कारण उन्हें मारने में सफलता नहीं मिल पायी। इनके उन्मूलन हेतु स्थानीय पुलिस का एक स्क्वाड गठित कर दिया गया है और लाइसेन्सदारों को भी बतला दिया गया।

श्री ऊदल—

क्या माननीय मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि थरवई, पुलिस स्टेशन क्षेत्र के अन्तर्गत बजीरपुर, चक जयन्ती, कुम्होना, तुलसी पट्टी नोनारी आदि गांवों में एक साल में 5-6 बच्चों को हिंसक जानवरों ने मार डाला है। इससे बचने के लिए सरकार ने क्या किया है?

श्री धर्मवीर—

इसीलिए स्पेशल स्क्वाड की स्थापना की गयी है और पूरी नजर रखी जा रही है और पूरी सर्तकता बरती जा रही है।

ग्राम मुड़ली, बस्ती के अन्तर्गत सवर्णों द्वारा हरिजन परिवार की पिटाई

*61—श्री रामरेखा यादव (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के थाना मोहाना के अन्तर्गत ग्राम मुड़ली में 1975 के अप्रैल मास में सवर्णों द्वारा किसी हरिजन परिवार की पिटाई हुई है, जिसकी रिपोर्ट उसी दिन थाने में की गई और क्या थानाध्यक्ष घटना स्थल पर गए और गवाहानों के बयान लिए? यदि हां, तो क्या दोषी लोगों पर मुकदमा चलाया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

प्राप्त सूचनानुसार अप्रैल, 1975 में नहीं बल्कि दिनांक 7 मई, 1975 को ग्राम मुडिली थाना मोहाना जिला बस्ती में एक हरिजन परिवार को सवर्णों द्वारा मारे-पीटे जाने के बारे में एक लिखित रिपोर्ट थाना मोहाना पर उसी दिन प्राप्त हुई थी।

उक्त रिपोर्ट के आधार पर उसी दिन थाने पर धारा 147/323/325 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत एक मुकदमा कायम किया गया और विवेचना प्रारम्भ की गई। थानाध्यक्ष घटनास्थल पर गए और उन्होंने गवाहों के बयान लिए। विवेचना के उपरान्त अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय भेजा गया। मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है।

एच० आर० शुगर फैक्टरी, बरेली द्वारा बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान

*62—श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली) (अनुपस्थिति)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि बरेली की एच0 आर0 शुगर फैक्टरी पर गन्ना मूल्य का 1974-75 के पिराई सीजन के अन्त तक कितना धन कृषकों का बकाया है और उसका भुगतान करने के लिए सरकार ने क्या पग उठाए ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

पेराई सीजन 1974-75 के अन्त में (31-7-75 को) बरेली की एच0 आर0 शुगर फैकटरी पर कृषकों का 55.37 लाख रुपया गन्ना क्रय मूल्य अवशेष था।

इस मिल पर बकाया गन्ना मूल्य के सम्बन्ध में वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया गया था जिसके फलस्वरूप जिलाधिकारी, बरेली ने रिसीवर की नियुक्ति की है। जिलाधिकारी के आदेश के विरुद्ध मिल ने हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी है ? गन्ना मूल्य का भुगतान हाई कोर्ट के स्थगन आदेश दिनांक 4 अगस्त, 1975 के अनुसार हो रहा है।

दिनांक 29 फरवरी, 1976 को उक्त अवशेष घटकर अब 39.42 लाख रुपया रह गया है।

पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन विकास हेतु आवंटित धनराशि

*63—कुमारी रमा पन्त, श्री बाल कृष्ण सनवाल तथा श्री देव बहादुर सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि 1975-76 में प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन विकास हेतु कितना धन आवंटित हुआ, उसमें कितना व्यय किन-किन योजनाओं पर हुआ ? यदि धन पूरा व्यय न हुआ, तो उसका क्या कारण है ?

वित्त राज्य मन्त्री (श्री नरेन्द्र सिंह भन्डारी)—

वित्तीय वर्ष 1975-76 में प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन विकास हेतु रुपए 23,73,000 का प्राविधान हुआ था। इसमें से अधिष्ठान सम्बन्धी कार्य में रुपये 5,52,300 का तथा भवन निर्माण कार्य में रुपए 13,57,200 का व्यय हुआ। इस प्रकार कुल बजट रुपए 4,63,500 की हुई। बचत का कारण यह है कि कुछ पर्यटक आवास-गृहों का निर्माण भूमि प्राप्त न हो सकने के कारण प्रारम्भ न किया जा सका। इस बजट का उपयोग पर्वतीय क्षेत्र के ही अन्य विकास कार्यक्रमों में किया गया, उदाहरणार्थ अतिरिक्त सड़कों का निर्माण, नए विद्यालयों की स्थापना तथा चिकित्सा व पेय-जल की अतिरिक्त सुविधायें प्रदान करना। इस प्रकार पर्वतीय क्षेत्र के लिए जो परिव्यय निर्धारित था, उसमें कोई बचत नहीं हुई और पूरे परिव्यय का पूर्ण उपयोग कर लिया गया।

कुमारी रमा पन्त—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन विकास हेतु कितना धन खर्च करने का प्राविधान किया गया है?

श्री नरेन्द्र सिंह भन्डारी—

जी हां। इसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। भूमि भी प्राप्त की जा रही है।

श्री देव बहादुर सिंह—

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इसके लिए अलग-अलग कितना धन आवंटित किया था ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

यह ब्योरा उपलब्ध नहीं है। सूचना चाहिए।

श्री बाल कृष्ण सनवाल—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि भूमि प्राप्त करने का कार्य किस-किस स्थान पर हुआ। भूमि एक्वायर की गयी या किसी दूसरे तरीके के प्राप्त की गयी और विलम्ब का क्या कारण था ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

एववायर भी की गयी और कहीं-कहीं पर प्राइवेट प्रयास से भी प्राप्त की गयी है।

श्री देव बहादुर सिंह—

अधिग्रहण जो किया गया है वह मार्केट रेट पर किया गया या किसी खास रेट पर किया गया ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न दूसरा हो गया कि उसको बाजार दर पर खरीदा गया या अन्य प्रकार से। यह तो प्रश्न अलग है, लेकिन जवाब देना चाहे तो दे दें। वैसे जो उत्तर दिया गया है वह स्पष्ट है। अगर बताना चाहे तो बता दें लेकिन मांग सर्वथा युक्तियुक्त नहीं है।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

आमतौर पर मार्केट रेट पर ही भूमि अध्याप्त की जाती है।

श्री बालकृष्ण सनवाल—

ऐसा देखा गया है कि निजी बातचीत से कम पैसे में खरीदा जाता है लेकिन लैन्ड एक्वीजिशन की कार्यवाही से मार्केट रेट से कहीं अधिक ज्यादा पैसे में खरीदा जाता है। एक जगह पर तो निश्चित रूप से ऐसा हुआ है। तो क्या सरकार भविष्य के लिए इस प्रकार का प्राविधान करेगी कि मार्केट रेट से अधिक न जाय और अगर कम आती है तो आपसी बातचीत से खरीदने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा ?

श्री अध्यक्ष—

आपसी बातचीत मे क्या मतलब है ?

श्री बालकृष्ण सनवाल—

नेगोशिएशन्स से यह कम में आती है ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

ज्यादातर प्रयास यही हुआ है कि आपसी समझौते से भूमि प्राप्त की जाय।

अतारांकित प्रश्न

ग्राम चन्दनपुरा, एटा में हत्या सहित डकैती

1—श्री बाबू लाल वर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि एटा (आगरा) से 40 किलोमीटर दूर चन्दनपुरा गांव के एक परिवार के सभी सदस्यों की डाकुओं के एक गिरोह ने अभी हाल में हत्या कर दी ? तथा 50 हजार रुपए का माल लूट ले गए ? यदि हां, तो क्या कोई डाकू पकड़ा गया ? और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री बाबू, पुत्र श्री जीवाराम यादव, निवासी ग्राम चन्दनपुरा, मौजा बहोरनपुरा थाना सिढपुरा, जिला एटा द्वारा दिनांक 28 सितम्बर, 1975 को थाना सिढपुरा पर एक लिखित सूचना दी गयी कि दिनांक 2 सितम्बर, 1975 को लगभग पांच बजे सायंकाल कामता काछी 8-9 आदमियों को लेकर तथा उसका भाई नेकसे 9-10 आदमियों को

लेकर प्यारे के मकान पर चढ़ आए और उसके परिवार के लोगों को गोली से मारा और लूटपाट की। इस सूचना पर धारा 396 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत मुकदमा कायम किया गया तथा विवेचना आरम्भ की गयी। उक्त घटना में 7 व्यक्तियों की हत्या की गयी, एक व्यक्ति घायल हुआ तथा लगभग 50 हजार रुपए का माल लूटा गया। 10 नामजद अभियुक्तों में से एक घटनास्थल पर मारा गया, एक पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, एक गिरफ्तार किया गया तथा 6 ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। शेष एक फरार अभियुक्त के विरुद्ध धारा 82/83 दं0 प्र0 सं0 के कार्यवाही की गयी। आठ नामजद अभियुक्तों का धारा 396/302/307 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत चालान अदालत किया गया। अज्ञात अभियुक्तों में से विवेचना से प्रकाश में आया एक अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में मारा गया तथा शेष अज्ञात अभियक्तों का विवेचना से पता नहीं चला। मुकदमा न्यायालय में विचार धीन है।

2-3—श्री श्रीनारायण—

[5वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 1-2 पर स्थानान्तरित।]

पुलिस प्रशासन पर व्यय की गयी धनराशि

4—श्री श्रीनारायण—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1974-75 में (1-4-74 से 31-3-75) सरकार ने पुलिस प्रशासन पर कुल कितने रुपए व्यय किया था तथा 15 जून, 1975 से 15 अक्तूबर, 1975 तक कुल कितना रुपया व्यय करना पड़ा ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

वित्तीय वर्ष 1974-75 (1-4-74 से 31-3-75) में पुलिस प्रशासन पर कुल 51,63,31,194 रुपए व्यय किया गया। चूंकि व्यय का ब्यौरा मासिक आधार पर रखा जाता है पाक्षिक आधार पर नहीं, अत : 15 जून, 1975 से 15 अक्तूबर, 1975 तक के व्यय की सूचना देना सम्भव नहीं है लेकिन 1 जून, 1975 से 31 अक्तूबर, 1975 तक 24,04,14,380 रुपए व्यय किया गया।

श्री शशि राम गंगवार, निवासी खुड़नारवार, फर्रुखाबाद की गोली मार कर हत्या

5—श्री त्रिवेणी सहाय तथा श्री बाबू लाल वर्मा—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि 29 सितम्बर, 1975 में (फर्रुखाबाद) कायमगंज, थाना शमशाबाद के अन्तर्गत खूड़नाखार के मास्टर शशि राम गंगवार को 7.30 बजे शाम को गोली मार कर हत्या कर दी गई और उनकी लाइसेन्सी बन्दूक छीन कर आततायी भाग गए ? यदि हां, तो पुलिस में लिखी रिपोर्ट क्या है तथा सरकार ने आतताइयों को पकड़ने में क्या कार्यवाही की ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 29 सितम्बर, 1975 को थाना शमशाबाद, जिला फर्रुखाबाद पर श्री सुभाष चन्द्र निवासी खुड़नाखार जिला फर्रुखाबाद ने लिखित सूचना दी कि उसी दिन शाम को तीन अज्ञात व्यक्तियों ने जिनके पास तमंचा था, उनके पिता शशि राम गंगवार को पकड़ लिया और उनकी बन्दूक छीनने लगे। वादी के शोर करने पर कुछ व्यक्ति वहां पर आ गए तो बदमाशों ने उनके पिता को गोली मारी और वे उनकी लाइसेन्सी बन्दूक छीन कर भाग गए। इस सूचना के आधार पर एक मुकदमा धारा 394/307 भा0 दं0 वि0 का कायम किया गया जिसे बाद में धारा 394/302 भा0दं0 वि0 के अन्तर्गत परिवर्तित किया गया। विवेचना से प्रकाश में आए तीन अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया।

6—श्री बाबू लाल वर्मा तथा श्री त्रिवेणी सहाय—

[5वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 3 पर स्थानान्तरित।]

बहराइच जिले के कतिपय विकास खंडों की विकास योजनायें

7—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या सरकार को यह जानकारी है कि बहराइच जिले में विकास खन्ड सिरसिया एवं हरिहरपुर रानी तथा इकौना का दोआबा सर्वाधिक पिछड़ा हुआ एवं साधन तथा सुविधा-हीन है ? यदि हां, तो इन पिछड़े विकास खंडों के लिए सरकार कौन-कौन विशेष सुविधायें एवं सहायता प्रदान करने हेतु योजनायें चालू करने का विचार कर रही है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

यह सही है कि प्रश्नगत विकास खण्ड पिछड़े हैं।

इन विकास खण्डों के विकास के लिए प्रस्तावित अथवा कार्यान्वित की जा रही विशेष योजनाओं का सारांश सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 665–666 पर ।)

8—श्री काशीनाथ मेहरोत्रा—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त।]

9—श्री त्रिवेणी सहाय तथा श्री बाबू लाल वर्मा—

[5वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 4 पर स्थानान्तरित।]

10—श्री श्रीनारायण—

[5वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 5 पर स्थानान्तरित।]

11—श्री श्रीनारायण—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।]

12—श्री अनवार जमील—

[3रें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 13 पर उत्तरित।]

अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के पुलिस सब इन्सपेक्टरों व इन्सपेक्टरों की प्रोन्नति

13—श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अभी हाल में पुलिस विभाग में कितने सब-इन्स्पेक्टर, इन्सपेक्टर बनाए गए ? और उनमें से कितने अनुसूचित जाति व जनजाति के बनाए गए ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

वर्ष 1975 में सब-इन्सपेक्टर नागरिक पुलिस के पद से इन्सपेक्टर के पद पर प्रोन्नति हेतु 111 सब इन्सपेक्टर अनुमोदित किए गए, जिनमें अनुसूचित जाति के 16 सब-इन्सपेक्टर थे। अनुसूचित जन-जाति का कोई अभ्यर्थी नहीं था।

14—श्री गुलाब सेहरा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पुलिस विभाग में 1975 में जो लगभग 58 इन्सपेक्टरों की पदोन्नति करके डिप्टी एस0पी0 बनाए गए हैं ? उसमें कितने अनुसूचित जाति व जनजाति के हैं ? क्या शासन ने कोई आरक्षण का कोटा पहले से नियत किया हुआ था ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

वर्ष 1975 में केवल 50 इन्सपेक्टरों को पुलिस उपाधीक्षक के पद पर तदर्थ प्रोन्नति दी गई। पात्र इन्सपेक्टरों में केवल एक अनुसूचित जाति के थे जिन्हें आरक्षण के निर्धारित कोटे के विरुद्ध प्रोन्नति की गई। अनुसूचित जनजाति का कोई भी इन्सपेक्टर नहीं था।

15—श्री दया राम भास्कर—

[7वें गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 7 पर स्थानान्तरित।]

16—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

[7वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 2 पर स्थानान्तरित।]

मौजा डिगुरा जोत, बहराइच में चोरी की घटना

17—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि 1 जुलाई, 1974 से फरवरी, 1975 तक के बीच मौजा डिगुरा जोत, थाना इकौना, जिला बहराइच में होने वाली चोरी की रिपोर्ट कितनी और कब-कब हुई तथा उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? क्या यह सही है कि मौजा डिगुरा जोत में चोरियों का तांता लगा हुआ है फिर भी कोई गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 1 जुलाई, 1974 से 28 फरवरी, 1975 तक थाना इकौना, जिला बहराइच के अन्तर्गत ग्राम डिंगुराजोत में चोरी की घटनाओं की दो रिपोर्टें क्रमशः दिनांक 17 नवम्बर, 1974 व 13 जुलाई, 1974 को थाने पर दर्ज कराई जिनके आधार पर दो मुकदमें दर्ज किए गए, उक्त दोनों मुकदमों में विवेचना के फलस्वरूप अभियुक्तों का चालान न्यायालय में किया गया।

ऐसी कोई सूचना थाने पर नहीं है कि ग्राम डिंगुराजोत में चोरियों का तांता लगा हुआ है।

18—श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डे—

[6वें गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 6 पर स्थानान्तरित।]

19—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

[5वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 6 पर स्थानान्तरित।]

20—श्री गोपीनाथ कामेश्वरपुरी—

[6वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 5 पर स्थानान्तरित।]

राज्य निराश्रित सहायता समिति, किंग एडवर्ड सप्तम से नीटोरियम, भुवाली की परामर्शदात्री समिति तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश में कार्य करने हेतु सदस्यों के निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक आपको सूचना यह देनी है।

"राज्य निराश्रित सहायता समिति" के लिए तीन सदस्यों, जिनमें से कम से कम एक महिला सदस्या होंगी, 'किंग एडवर्ड सप्तम सेनीटोरियम, भुवाली' की परामर्शदात्री समिति के लिए दो सदस्यों तथा 'माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश' के लिए पांच सदस्यों के निर्वाचन के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है :—

(1) नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि तथा समय—बुधवार, दिनांक 5 मई, 1976 के अपराह्न 3 बजे तक।

(2) नाम-निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म-परीक्षा की तिथि तथा समय—बुधवार, दिनांक 5 मई, 1976 के अपराह्न 4 बजे सचिव, विधान सभा के कक्ष में।

(3) नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय—शुक्रवार, दिनांक 7 मई, 1976 के अपराह्न 3 बजे तक।

(4) मतदान, यदि आवश्यक हुआ तो मंगलवार, दिनांक 11 मई, 1976 को दिन के 11 बजे से अपराह्न 5 बजे तक विधान मन्डल, पुस्तकालय, विधान भवन, लखनऊ में होगा।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, यह तो हो नहीं पाएगा। हमको पता यह चला कि यह सदन शुक्रवार को ही अनिश्चित काल के लिए बन्द हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष—

14 तारीख तक तो अभी है।

श्री ऊदल—

ऐसा कुछ हमको पता चला है। तो आपकी यह घोषणा अपने आप निरस्त हो जाएगी। इसलिए मुख्यमन्त्री जी बैठे हुए हैं हम चाहते हैं कि वह बता दें, उसी के मुताबिक इसका भी कार्यक्रम बन जाय। वैसे हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, चाहे, आज ही सदन की बैठक खत्म हो जाय।

मुख्य मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्रीमन्, अभी कोई ऐसा निर्णय तो नहीं हुआ है। बिना माननीय सदस्य और उनके सम्मानित दल से परामर्श किए हम ऐसा करना भी नहीं चाहते। लेकिन यह सम्भव हो सकता है, मैं उसमें इन्कार नहीं कर सकता। अगर ऐसा हुआ तो हम कार्यक्रम के बारे में भी आपसे आग्रह करेंगे।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, जो फैसला अभी है, यह सदन का है और सदन अगर अपना काम जल्दी निपटा ले तो हमें और आपको यहां अनावश्यक बैठने में क्या दिलचस्पी होगी।

उत्तर प्रदेश भूदान यज्ञ (संशोधन) विधेयक, 1974 को वापस लेने का प्रस्ताव

गृह राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर)—

मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि विधान परिषद् द्वारा पारित तथा इस सदन में लम्बित उत्तर प्रदेश भूदान-यज्ञ (संशोधन) विधेयक, 1974 को, जिसे वापस लेने की अनुमति के लिए विधान परिषद् की सहमति प्राप्त हो गई है, वापस लेने की अनुमति दी जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि विधान परिषद् द्वारा पारित तथा इस सदन में लम्बित उत्तर प्रदेश भूदान यज्ञ (संशोधन) विधेयक, 1974 को, जिसे वापस लेने की अनुमति देने के लिए विधान परिषद् की सहमति प्राप्त हो गई है, वापस लेने की अनुमति दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश भंडार अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक, 1976

खाद्य मन्त्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश भन्डार अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भन्डार अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक, 1976 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बलदेव सिंह आर्य—

श्रीमन्, मैं उत्तर प्रदेश भन्डार अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक, 1976 को पुर:स्थापित करता हूं।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 667–668 पर।)

उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1976

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

श्रीमन्, मैं उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराए पर देने, किराए तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1976 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराए पर देने, किराए तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1976 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बलदेव सिंह आर्य—

श्रीमन्, मैं उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराए पर देने, किराए तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1976 को पुर:स्थापित करता हूं।

(देखिऐ नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 669–691 पर।)

1976–77 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 18—सचिवालय, अनुदान संख्या 19—जिला प्रशासन, अनुदान संख्या 23—लेखन सामग्री और मुद्रण, अनुदान संख्या 25—अन्य प्रशासनिक सेवायें, अनुदान संख्या 21—पुलिस, अनुदान संख्या 22—कारागार, अनुदान संख्या 30—वैज्ञानिक सेवाये एवं शोध, अनुदान संख्या 36—सूचना तथा प्रचार तथा अनुदान संख्या 40—अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक सेवायें

मुख्य मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 18—सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,65,00,700 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मैं, श्रीमन्, श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 19—जिला प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,66,88,200 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 23—लेखन सामग्री और मुद्रण के अन्तर्गत होने

[श्री नारायण दत्त तिवारी]
वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,29,52,200 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से, प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 25—अन्य प्रशासनिक सेवायें के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,55,32,600 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 21—पुलिस के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 51,29,47,600 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 22—कारागार के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,76,75,700 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 30—वैज्ञानिक सेवायें एवं शोध के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 19,75,800 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 36—सूचना तथा प्रचार के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,38,99,100 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 40—अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक सेवायें के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,26,500 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैंने यह सभी अनुदान प्रस्तुत कर दिए हैं। मेरे योग्य सहयोगी गृह राज्य मन्त्री और राज्य कारागार मन्त्री इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करेंगे। मैं अन्त में प्रयास करूंगा कि कुछ निवेदन कर सकूं।

श्री अध्यक्ष—
(श्री भीखा लाल से) आप के ही कटौती के प्रस्ताव हैं सभी अनुदानों पर, इसलिए आप सभी पर अपने कटौती के प्रस्ताव एक साथ पेश कर दीजिए।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—
अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि 'अनुदान संख्या 18—सचिवालय के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 19—जिला प्रशासन के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 23—लेखन सामग्री एवं मुद्रण के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 25—अन्य प्रशासनिक सेवायें के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 21—पुलिस के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की अलोचना करना तथा सुझाव देना।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 22—कारागार के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि 'अनुदान संख्या 30—वैज्ञानिक सेवायें एवं शोध' के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञासे प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 36—सूचना तथा प्रचार के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 40—अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक सेवायें के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की अलोचना करना तथा सुझाव देना।

अध्यक्ष महोदय, मैंने ये कटौती के प्रस्ताव इन सभी अनुदानों पर, जो मुख्य मंत्री जी ने पेश किये, प्रस्तुत कर दिये हैं लेकिन विशेष रूप से मुझे दो तीन अनुदानों के सम्बन्ध में आपके माध्यम से कुछ निवेदन करना है और वे ये हैं। सामान्य प्रशासन, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन। मैं समझता था कि माननीय मुख्य मंत्री जी अनुदान पेश करते समय कुछ बातों पर प्रकाश डालेंगे, प्रशासन को दुरुस्त करने के लिये जो नये कदम उन्होंने उठाये हैं या उठाने को सोच रहे हैं और उन सुझावों के आ जाने के बाद हमें कुछ कहने में आसानी होती, लेकिन मुख्य मंत्री जी ने शायद यह उचित समझा कि बहस होने के बाद वे पूरी बहस का उत्तर देंगे। खैर, ठीक है, माननीय मुख्य मंत्री जी सभी बातों का जवाब बाद में देंगे।

मान्यवर, सामान्य प्रशासन, पुलिस प्रशासन जो है वह हमारे शासन की रीढ़ है। जब हमारे विभाग, जो प्रशासन के अंग हैं, सक्षम होंगे, गतिशील होंगे तभी प्रशासन चुस्त और दुरुस्त होगा और आपके प्रशासन से जनता को राहत मिलेगी। अगर यह चुस्त और गतिशील न हुए और कमजोरी रही तो जाहिर है कि रीढ़ कमजोर होगी और उसी तरह से प्रशासन का ढांचा जो शरीर है, वह भी कमजोर होगा। मान्यवर, आज का जो यह बजट है, सामान्य प्रशासन और पुलिस प्रशासन का बजट है जो इमर्जेंसी के दौरान पेश किया गया

[श्री भीखा लाल]

है। यह उस समय का बजट है जब कि प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की है और जिसका कार्यान्वयन प्रारम्भ हो रहा है। उसको अमल में लाने के लिये, और प्रशासन को चुस्त व दुरुस्त करने के लिये ही यह बजट लाया गया है। उसी परिप्रेक्ष्य में, उसी सन्दर्भ में, इस बजट को देखना चाहिये। हमारे इस कार्यक्रम का लक्ष्य क्या ह? कार्यक्रम का लक्ष्य है कि प्रदेश की गरीब जनता को राहत पहुंचायें, उसकी आर्थिक स्थिति को सुधारें और उसका सामाजिक और आर्थिक उत्पीड़न जो हो रहा है उससे छुटकारा दिलाया जाय और उसके हितों की रक्षा की जाय। यह कसौटियां हैं जिनके ऊपर हमको इस कार्यक्रम के अमल को और अपने प्रशासन के कार्यकलापों को देखना होगा। हम समझते हैं कि अब समय आ गया ह कि इस 20 सूत्री कार्यक्रम, जो 30 जून तक पूरा हो जायगा, तो सरकार को इसका एक मूल्यांकन कराना चाहिये कि हमारे प्रदेश की जनता को, आर्थिक तौर से पिछड़े लोगों को राहत दिलाने के लिये इस कार्यक्रम का कितना हाथ है। हम कितना ऊपर उठे हैं और कितना काम हुआ ह इसका मूल्यांकन कराना चाहिये। मूल्यांकन की तमाम कसौटियां हो सकती हैं, मेरी समझ में एक कसौटी सबसे बड़ी होनी चाहिये कि अगर जनता की शिकायतें, पब्लिक की कंम्प्लेंट्स में कुछ कमी आयी है तो हमको समझना चाहिये कि जनता को कुछ राहत मिली है। इस 20 सूत्री कार्यक्रम के जरिये गरीब जनता को राहत मिल रही है तो पब्लिक कंम्प्लेट्स में कमी होगी। इसका मूल्यांकन कराना चाहिये। जैसे सरकार हर प्रकार के आंकड़े रखती है, जैसे कितनी डकतियां हुयीं, कितनी चोरियां हुयीं, कितने जरायम हुये, उसी प्रकार प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ जनता की कितनी शिकायतें आती हैं इन सबके आंकड़े भी रखने चाहिये और देखना चाहिये कि जनता की शिकायत बढ़ रहीं हैं या घट रही हैं। अगर घट रही हैं तो हम समझेंगे कि हमारा प्रशासन ठीक तरह से काम कर रहा है अगर कम्प्लेंट्स बढ़ रही है तो सरकार को सोचना पड़ेगा कि कहीं पर कोई कमी जरूर है और उस कमी को पूरा करने के लिये सरकार को कुछ उपाय निकालने पड़ेंगे।

इस इमरजेंसी के दौर में, इस बजट की बहस के दौरान तथा माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान माननीय सदन के तमाम सदस्यों ने यह कहा है कि इस इमरजेंसी के दौरान हमारे प्रशासन की जो उच्च नौकरशाही है, उसने यह तो महसूस किया है कि इमरजेंसी क इस दौर में हमारे कुछ अधिकार बढ़ गये हैं, लेकिन यह नहीं महसूस किया है कि हमारे उत्तरदायित्व भी बढ़ गये हैं। यह आमतौर से शिकायत हुयी है। शासक पार्टी के बैठे हुये माननीय सदस्यों ने भी इस तरह की शिकायत की हैं। अगर यह शिकायतें हैं, तो सरकार को इस तरफ गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिये और इसका सही हल निकालने के लिये कार्यवाही करना चाहिये। हमारे अधिकारियों के सोचने का तरीका और जो उनके काम करने का तरीका है, वह कैसे बदला जाय कि अधिकारी-गण अपने उत्तरदायित्वों को ठीक तरह से समझें और जनता के प्रति अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन ठीक तरह से करें? इस तरह सरकार को सोचना चाहिये। अगर मान्यवर, यह नहीं होता है तो जनता को जो राहत मिलनी चाहिये वह नहीं मिलेगी। इस दरम्यान मेरा भी यह अनुमान है कि शिकायतें बढ़ी हैं। जनता की कमप्लेंट्स बढ़ी हैं। एक बात और है, अगर जनता की कम्प्लेंट्स की कोई सुनवायी नहीं हुयी और उसको उचित न्याय नहीं मिला, तो जो 20 सूत्री कार्यक्रम का लक्ष्य है, गरीब जनता को न्याय दिलाना, सामाजिक और आर्थिक उत्पीड़न समाप्त करना, वह लक्ष्य पूरा नहीं होगा और एक डिमोरेलाइजेशन का वातावरण जनता के बीच फैलेगा।

एक दूसरी चीज जो हमको देखने में मिलती है वह यह है कि अगर कोई कर्मचारी या वरिष्ठ अधिकारी किसी किस्म की गलती करता है और जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को सही तरीके से नहीं निभाता है तो हमारे प्रशासन के अधिकारियों का दृष्टिकोण ऐसा होता है कि किसी तरह से उस अधिकारी या कर्मचारी का बचाव हो सके। इसके अलावा सरकार के सामने ऐसा हौवा खड़ा करते हैं जिससे सरकार को जो पोलीटिकल नि य।

चाहिये उसको लेने में कठिनाई पड़ती है। वह हौवा क्या है ? यह कि अगर उच्च अधिकारी के खिलाफ आप कोई कदम उठायेंगे और दंडित करेंगे तो प्रशासन का मारेल गिर जायगा। उसका मनोबल टूट जायेगा। श्रीमन्, आपको याद होगा पिछले दिनों एसेम्बली में घटना हो गयी थी और आपने एसेम्बली को स्थगित कर दिया था और अपने कक्ष में सभी को बुलाया था, परामर्श के लिये। सदस्यों की मांग थी कि एस0 पी0, एटा को निलम्बित किया जाय, तो आपके कक्ष में गृह विभाग के एक अधिकारी ने यह कहा कि यदि ऐसा कदम उठाया जायेगा तो अधिकारियों का मनोबल गिर जायेगा। यदि उच्च अधिकारियों के मनोबल को बचाकर प्रदेश को चलाना चाहते हैं तो यह नहीं हो सकता है और इस प्रकार यदि जनता का मनोबल गिर जायेगा तो यह प्रदेश नहीं चल सकता है। जनता में यदि असंतोष पैदा हो जायेगा तो उसका फायदा दक्षिणपंथी पार्टियां उठायेंगी। जयप्रकाश नारायण जी का आन्दोलन दक्षिण पंथी पार्टियों का आन्दोलन है। उन्होंने जनता के असंतोष को अपना आधार बनाया था आन्दोलन चलाने के लिये। यदि जनता का मनोबल गिर जायेगा तो जनतंत्र खतरे में पड़ जायेगा और जिस ओर सरकार प्रदेश को ले जाना चाहती है उसमें बाधायें पड़ेंगी। इसलिये अधिकारियों को समझना पड़ेगा और मनोवृत्ति के खिलाफ चाहे ऊंचे से ऊंचा अफसर क्यों न हो, यदि जनता के प्रति उत्तरदायित्व नहीं निभाते तो कठोर से कठोर कदम उठाने में सरकार को नहीं हिचकना चाहिये। जैसा कि हमने कहा कि इस दरम्यान घटनायें बड़ी हैं। इस इमरजेन्सी के दौरान, जबकि गरीब जनता को राहत देने की बात होती है तो वह घटनाये बड़े शर्म की बात है।

श्रीमन्, मिर्जापुर की घटना का उदाहरण मैं देना चाहता हूं। वहां आदिवासी के इलाके में जंगल विभाग के लोग आदिवासियों से खरचरी वसूल करते हैं। वहां 200–300 रु0 वसूल करते हैं और रसीद 75–100 रु0 की देते हैं। ऐसा सात गांवों में किया गया। जब लोगों ने अधिक पैसा देने से इन्कार किया तो उनकी बकरियां बंद कर दी गयीं। जब वे लोग छुड़ाने गये तो उनको मारा–पीटा गया है और 11 आदमियों को हवालात में बन्द कर दिया गया। कुकरितिया एक गांव है, वहां बन विभाग के लोग पी0 ए0 सी0 तथा पुलिस को लेकर एक दिन उस गांव में गये और एक घर में घुसकर आदमियों और औरतों को पीटा जो कि बड़े शर्म की बात है। एक आदिवासी 15 साल की लड़की जिसका नाम मंगली है उसके साथ उन लोगों ने बलात्कार भी किया। एक दूसरी आदिवासी महिला के साथ भी बेइज्जती की और वहसियाना तौर पर दोनों स्त्रियों के मुंह पर और गालों पर काटा है। अखबारों में छपा है और उनके जख्म भी दिखाई पड़ते हैं। तो इस इमरजेन्सी के दौरान यह घटनायें होती है जो कि शर्म की बात है।

श्रीमन्, दूसरी बात मिर्जापुर जिले में एक बागेश्वरी गांव है जहां के मुगल आदिवासी एक साहूकार का कर्जा चाहते थे जिसको उसने अदा कर दिया था। लेकिन सूद अधिक मांगते थे तो उसने इन्कार किया तो साहूकार ने बैल खोलने की कोशिश की किन्तु बैल नहीं खोल पाये। तो 2–3 गुण्डों को बुलाकर उनको मरवाया गया और उसके बाद साहूकार-भूषणा शाह थाने में गये। वह गये थाने अपनी जीप लेकर। एक थानेदार और दो सिपाहियों को बैठाकर लाये और मुगल की तलाशी शुरू हुई। मुगल नहीं मिला तो मुगल के बाप को पकड़कर ले गये और उससे कहा कि मुगल को तलाश करो। अगले दिन मुगल मिला। वह इतना जख्मी हो गया था कि घोड़े पर उसको लाद कर थाने ले गये। लेकिन पुलिस ने उसको इतना मारा था कि वह मर गया। चोपन के डी0वाई0 एस0 पी0 प्रधान के घर आये और

[श्री भीखा लाल]

बताया कि मुगल मर गया। उसकी पत्नी लाश मांगने गयी लेकिन वह नहीं दी गयी। इसी तरह से मिर्जापूर में डाला की घटना है जिसको मैंने माननीय गृह मंत्री जी को बताया। आदिवासियों की फसल वहां के जमींदारों ने जबरदस्ती कटवाना चाहा। आदिवासी अपनी फसल की रक्षा के लिये गये तो जमींदारों ने गोली चलाई। जब रिपोर्ट लिखवाने गये तो जमींदार की रिपोर्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी और उस पर 22 आदिवासियों को पकड़ कर बन्द कर दिया। 307 की रिपोर्ट जमींदार के खिलाफ भी लिखायी गयी थी लेकिन उसका एक आदमी पकड़ा गया। साथ ही आदिवासियों पर 147 और 148 की धारा भी लगा दी गयी और डी0 आई0 आर0 लगा दिया जिससे कि उनकी जमानत न हो सके। पुलिस जमींदारों से मिलकर गरीबों के साथ आज भी इमरजेन्सी के दौर में इस तह से ज्यादती करेगी तो जनता में रोष बढ़ेगा ही।

इसी तरह से जालौन की घटना है। कोंच कस्बे में दो लड़के आपस में लड़ रहे थे। हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के एक कार्यकर्ता, जो ब्रान्च सेक्रेटरी थे, उनका बीच बचाव कर दिया। उन लड़कों में एक लड़का स्पेशल मजिस्ट्रेट का था। उन्होंने पुलिस पर दबाव डाला। नतीजा यह हुआ कि दूसरे लड़के पर और हमारे ब्रांच सेक्रेटरी पर 307 का मुकदमा कायम कर दिया। मैंने जब गृह मंत्रीजी को बताया तो उन्होंने कृपा कर डी0 आई0 जी0 को जांच का आदेश दे दिया। इसी प्रकार हमारे कार्यकर्ता चन्द्रजीत यादव आजमगढ़ जिले के हैं और उनके पिता प्रधान हैं। एक आदमी मारा पीटा जाता है। वह चन्द्र जीत के साथ रिपोर्ट लिखाने जाता है। वहां मुंशी कहता है कि रिपोर्ट तब लिखी जायगी जब डाक्टरी रिपोर्ट ले आओगे। यह कहता है कि पहले पर्चा लिखो तो डाक्टरी करवा लायेंगे। मुंशी कहता है कि कितना पैसा दोगे। इस पर पैसा देने से इन्कार कर देते हैं तो मुंशी अपनी बेइज्जती समझता है और कुछ कहा सुनी हो जाती है। दो तीन दिन बाद पुलिस वाले जाते हैं। उसके बाप को मारते पीटते है और 353 का मुकदमा कायम कर देते हैं। इस तरह की बहुत सी घटनाएं हैं जिनके ब्योरे में जाने में काफी समय चाहिये। आजमगढ़ की एक घटना और है। कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता एक हरिजन है। उसके चचा के नाम जमीन एलाट थी। उसने उस पर फसल बोयी। गांव के जमींदार झारखंडे सिंह हैं। जबरदस्ती उसकी फसल कटवा दी। उसने 379 की रिपोर्ट लिखाई। थानेदार जांच के लिये आये। बजाय इसके कि वह सही बात सुनते और जांच करते थानेदार श्रीपत को पकड़ कर ले गये और झारखंडे जमीदार के दरवाजे पर ही उसकी पिटाई की।

एक हमारे साथी माननीय सदस्य हैं। ललितपुर के एम0 एल0 ए0 हैं। उन्होंने एक घटना का जिक्र किया और बताया कि ललितपुर में तालबेहट गांव में जमीन का एलाटमेन्ट गलत हुआ। हुआ यह कि वहां के जमीदारों ने वहां की सारी जमीन अपने नाम करवा ली थी और भूमिहीनों को कुछ भी नहीं मिला। एक हरिजन ने इसकी रिपोर्ट की। कलेक्टर के यहां से जांच हुई। वहां पर जो पट्टे किये गये थे, वे निरस्त कर दिये गये। इससे जमीदार लोग नाराज हो गये और पुलिस स मिलकर उस आदमी को गायब करवा दिया। 6 महीने हो गये हैं उसका पता नहीं चला है कि वह मार डाला गया या जिन्दा है। इसकी इन्क्वायरी के लिये कहा गया। आई0 जी0, डी0 आई0 जी0 सभी से शिकायत की गई लेकिन जो कोई चीज भी होती है, वह उसी थानेदार के पास पहुंचती है जिसकी यह सारी हरकत है। वह जाकर लोगों को धमका देता है कि अगर कोई ऐसी चीज की गई तो तुम लोगों को भी गायब करवा देंगे।

गृह राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर)—

यहां से जो दरख्वास्तें जाती हैं, वे सी0 ओ0 के पास जाती हैं और उसके जरिये से जांच होती है।

श्री भीखा लाल—

इस तरह की बहुत सी घटनायें हो रही है। अब पुलिस ने एक नया तरीका निकाला है। अगर उसका सही उपयोग किया जाय तो अच्छा है, लेकिन होता इसके विपरीत है। यह तरीका बदमाशों से एन्काउन्टर का है। अगर बदमाश डकैत है और उसमें मारा जाय तब तो अच्छा ही है, लेकिन यह डकैती के नाम पर फर्जी एन्काउन्टर्स करवाये जाते हैं और निर्दोष लोगों को मारा जाता ह या जिनसे बदला लेना है, उनको मारा जाता है। पिछले वर्ष हमारे उन्नाव में 80, 85 एन्काउन्टर्स हुये। तीन चार को छोड़ कर बाकी सभी फर्जी एन्काउन्टर्स थे। इन एन्काउन्टर्स में कई एक आदमी मारे जाते हैं और किसी को खरोच तक नहीं आती है, अंधाधुंध गोलियां चलती हैं लेकिन जिस आदमी को मारना है वही मारा जाता है। जनवरी, 1975 में थाना औरास में एक एन्काउन्टर दिखाया गया। हुआ यह एक दो हरिजनों को सूनसान जगह में ले जाकर मार दिया और दिखाया कि वह एन्काउन्टर में मारे गये। इसके जो सबूत हैं अगर उनको देखा जाय और जांच की जाय तो तत्काल ही वस्तुस्थिति मालूम हो जायेगी कि यह जो दिखाया गया ह वह फर्जी एन्काउन्टर दिखाया गया है। मैंने इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री जी से शिकायत की थी और यहा कहा था कि यह फर्जी एन्काउन्टर दिखाया गया है और आप इसकी जांच सी0 आई0 डी0 के जरिये करवायें। उन्होंन तत्काल सी0 आई0 डी0 की जांच करवाने के लिये आदेश दे दिया था। जनवरी, 1975 की घटना है और मैंने फरवरी, 1975 में पत्र लिखकर प्रार्थना की थी। उसी समय 17 फरवरी को मुख्य मंत्री जी के आदेश हो गये थे लेकिन आज तो मई, 1976 हो गयी है, अभी तक कोई जांच नहीं करवाई गई है। बात यह है कि उस केस में कुछ बड़े-बड़े अधिकारी भी फंसते हैं और जांच होने से उनका भी भण्डाफोड़ हो जायेगा। डेढ़ साल के बाद भी जांच की कोई शुरुआत नहीं हुई है, ऐसी भयंकर घटना हो जाने के बाद भी। इस तरह से चीजों को छुपाया जा रहा है।

इसी तरह से और भी एन्काउन्टर्स हुए हैं, जो फर्जी हुए हैं, उनका भी मैं जिक्र करना चाहूंगा। यह घटना आजमगढ़ जिले की है। वहां पर थोजीं गांव है जहां एक ईदू नाम का आदमी रहता था। ईदू की चक्की है। थानेदार वहां आकर बैठते थे। कभी अपनी तरफ से और कभी थानेदार के कहने से थानेदार की पान-मिठाई से खातिर वह करता रहता था। एक दिन थानेदार ने जब मिठाई मंगवाने को कहा तो उसने कहा कि मेरे घर मरीज पड़ा हुआ है वह दवा लेने जा रहा है। दरोगा जी की इस पर भृकुटी चढ़ गई और उन्होंने उसे मारा पीटा। उसने डाक्टरी करवाई और दरखास्त दी। इससे उसकी दुश्मनी पुलिस से हो गयी। दरोगा जी ने एक साजिश की। पहली अप्रैल को वह दोहरीघाट जाता है तो दरोगा जी उसे थाने ले जाते हैं। थाने में दो आदमी पहले से बैठे होते हैं। इंस्पेक्टर क्वार्टर में उसे बन्द कर दिया जाता है। फिर तीनों आदमियों को एक कार में बिठाया जाता है। रास्ते में कार छोड़ दी जाती है और ट्रक पर बिठा दिया जाता है और आगे चल कर ट्रक को छोड़ कर जीप पर बिठा दिया जाता है। दोहरी घाट और मऊ के बीच एक गांव है बिजोरिया वहां पेड़ की डालें कटवा कर सड़क पर डलवा दी जाती हैं और यह शोर किया जाता है कि बदमाश आ गये, लूटा जा रहा है। दरोगा जी जीप लेकर पहुंच जाते हैं और एन्काउन्टर दिखा कर तीनों आदमियों को गोली मार दी जाती है। घर वाले परेशान रहे, उनको पता नहीं चला। जब लाश पोस्ट मार्टम में पहुंची तो घर वालों को पता चला कि यह हमारा लड़का है। बीबी ने लाश मांगी लेकिन नहीं दी। इस तरह के फर्जी एन्काउन्टर होते हैं। एन्काउन्टर्स में अगर बदमाश और डकैत मारे जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है लेकिन उनकी आड़ में इस तरह के निर्दोष आदमी मारे जाते हैं, तो उसके

[श्री भीखा लाल]

लिये कुछ रास्ता निकलना चाहिये । हर थानेदार इस होड़ में है कि एन्काउन्टर दिखायें ताकि रिवार्ड मिल सके इंचार्ज को और दोयम आफिसर हो तो उसे इंचार्जी मिले ।

अभी पिछले दिन मुख्य-मंत्री ने जवाब देते हुए कहा था कि चोरी, डकैती की घटनायें बहुत हो रही हैं । ट्रेन्स में डकैतियां हो रही हैं । बसें लूटी जा रही हैं । इनको रोकने के लिये उन्होंने पुलिस को शूट एट साइट के आदेश दे दिये हैं । अपराधों को रोकने के लिये ऐसे कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है लेकिन भय यह है शूट-एट साइट के अधिकार का दुरुपयोग होगा । शूट एट साइट का अधिकार उस पुलिस को दिया जाता है जो अपने कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व को समझती है और उसके प्रति सचेत है लेकिन हमारे प्रदेश की पुलिस इस मापदण्ड पर खरी नहीं उतरती क्योंकि वह अपने उत्तरदायित्व, अधिकारों तथा कर्त्तव्य को नहीं समझती । लिहाजा इसका दुरुपयोग ही होगा जैसे इन इन्काउन्टर्स में हो रहा है । मेरा सुझाव यह है कि शूट एट साइट में अगर कोई मारा जाता है तो जुडीशियल इंन्क्वायरी फौरन आपको कराना चाहिये, क्योंकि मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी से तो कुछ निकलता नहीं है । मैजिस्टीरियल जांच से कुछ होता नहीं है । हम चाहते हैं कि हर मामले की जुडीशियल इन्क्वायरी हो । अगर थानेदार की गलती निकलती है और यह साबित होता है कि दरोगा ने गलत मारा है तो क्या आप ऐसे आदेश भी देंगे कि उनको भी शूट एट साइट कर दिया जाय । यदि आप इतना नहीं कर सकते तो कम से कम इतने आदेश तो वे ही दें कि डिसमिस एट साइट ।

श्री धर्मवीर—

ऐसी घटनाओं के बारे में जब कोई तथ्य प्रकाश में आते हैं तो चाहे कोई भी अधिकारी हो, उन्हें 302 का मुल्जिम बनाया जाता है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मैं माननीय भीखालाल जी, नेता साम्यवादी दल का बड़ा आदर करता हूं । उन्होंने जो बात कही वह अपने सन्दर्भ में बड़े महत्व का विषय है । हमारा कोई ऐसा विचार नहीं है कि निर्दोष या निरपराध व्यक्तियों को मारा जाय । ख्याल यह है कि ला एन्ड आर्डर, हाईवेज राबरी तथा ट्रांसफारमर की चोरी आदि कम नहीं हो रही है, वे बढ़ रही हैं, इसको कैसे रोका जाय ? यह सोचने की बात थी । जुडिशियल इन्क्वायरी की जहां तक बात है उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन उसमें जो एक लम्बा प्रोसीजर और प्रोसेस है, उसमें समय लग जाता है । उसके अनुसार पूरा तामझाम करना पड़ता है और पूरा एक ढांचा बनाना पड़ता है । मैं इस सम्बन्ध में उनसे परामर्श भी करूंगा, लेकिन पहले भी मैं उनसे स्पष्ट कहे दे रहा हूं कि मैं इस सम्बन्ध में माननीय भीखालाल जी से परामर्श करूंगा । मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी और जुडिशियल इन्क्वायरी के बीच कोई रास्ता निकालना होगा ।

श्री भीखालाल—

माननीय मुख्य मंत्री जी मेरी बात को सही समझें । मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी की नीयत पर कोई सन्देह नहीं है । जो कदम उठाये गये हैं, वे सही उठाये हैं । लेकिन उनका दुरुपयोग न हो । उनको रोकने के लिये आप सोचिये । क्योंकि एन्काउन्टर्स के जरिय जो अनुभव हुआ है वह काफी कड़वा है ।

श्री अध्यक्ष—

दुरुपयोग होगा ही । इसमें बदमाश जो हैं वे भाग जायंगे और आते-जाते बेवकूफ गांव वाला गोली मारा जायेगा । लेकिन मुख्य मंत्री ने इसकी गम्भीरता को देखकर कहा है कि यदि गोली मारने के योग्य है .....

श्री भीखा लाल—

इस पर मुझे कोई एतराज नहीं है । लेकिन मिसयूज नहीं होना चाहिये । इसकी तरफ सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये । इधर साल-दो साल में पुलिस विभाग में

कुछ नये डेवलपमेन्ट हुये हैं। पहले गिरोह कम पकड़े जाते थे और अब ज्यादा पकड़े जाने लगे हैं। माननीय भगवती सिंह विशारद, रूलिंग पार्टी के हैं उन्होंने कल अपने भाषण में इस पर शंका व्यक्त की। उनको तथा कुछ अन्य माननीय सदस्यों को भी अनुभव होगा कि गिरोहबन्दी की जो घटनायें दिखायी जाती हैं, उसमें अधिकतर फरजी होती हैं। कुछ लोग पहले से पकड़ कर थाने में इकट्ठा कर लिये जाते हैं और गवाह बुलाकर इकट्ठा कर लिये जाते हैं तब उनको किसी स्थान पर ले जाकर शोर मचाया जाता है एक आध फायर किये जाते हैं और गिरोह पकड़ने का नाटक किया जाता है। इसमें होता यह है बहुत से निर्दोष आदमी पकड़ लिये जाते हैं। तो इस तरफ भी सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये।

एक चीज पुलिस विभाग में और होती है। क्राइम वीक और क्राइम फोर्टनाइट मनाया जाता है। मैं यह बात नहीं समझ पाया कि क्या किसी पर्टिकुलर वीक या फोर्टनाइट में क्राइम्स ज्यादा होते हैं या होने वाले होते हैं। इसमें पुलिस अधीक्षक हर थाने का कोटा मुकर्रर कर देता है कि इतने बदमाश पकड़ कर जेल में भेजने हैं। अगर थानेदार को अपनी तरक्की लेनी है तो वह जरूर इतने आदमियों को पकड़ कर लायेगा। तो इस तरह से बहुत से आदमियों को किसी को तमंचा, चाकू, कांता, बल्लम, गांजा-भांग आदि के जुर्म में दिखाकर पकड़ा जाता है। मेरा सुझाव है कि क्राइम बीक या फोर्टनाइट को न चलाकर इस तरह के आर्डर होने चाहिये कि थ्रू आऊट दि इयर इस किस्म के जो लोग हैं उन पर निगाह होनी चाहिये। जिस वक्त इस किस्म के वाकिये हों, उस वक्त इस किस्म के लोगों को पकड़ कर जेल भेजना चाहिये। लेकिन अगर इस प्रकार से क्राइम वीक मनाये जायेंगे तो निरपराध लोगों को बन्द किया जायेगा। अतः इस तरफ भी सरकार का ध्यान जाना चाहिये।

मान्यवर, मुझे कल ही एक सूचना मिली। भ्रष्टाचार रोकने की बात की जाती है, रिश्वत रोकने की बात की जाती है लेकिन जब ऊंचे अधिकारियों का मामला सामने आता है तो मनोबल को गिरने की बात सामने आ जाती है और उसमें बाधा पड़ जाती है। जब कोई किस्सा होता है तो उस पर ऐक्शन नहीं लिया जाता है। मुझे एक मेरठ की सूचना मिली आपके यूथ कांग्रेस के लोगों के जरिये से। एक इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गये, 8 अप्रैल को विजिलेंस डिपार्टमेंट ने पकड़ा उनको, अदालत में पेश किया गया। अदालत से क्यों कि वह बड़े अधिकारी थे इसलिये जमानत पर रिहा कर दिये गये। मैं अदालत पर कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूं क्योंकि जो व्यवस्था है उसमें उनकी फौरन जमानत हो गई। तो जो दूसरा पहलू है कि रंगे हाथों पकड़े गये, उनको आज तक सस्पेंड नहीं किया गया। अपनी जगह पर वह काम कर रहे हैं। तो कैसे आप भ्रष्टाचार को रोकेंगे? एक आदमी रिश्वत लेते हुए विजिलेन्स द्वारा पकड़ा जाता है लेकिन उसका बाल बांका नहीं होता है। तो इस तरह से वह इनफ्लूऐन्स डालेगा और अपने हक में कदम उठायेगा। मैं समझता हूं कि इस प्रकार जो लोग रिश्वत लेते हुए पकड़े जायं उनके लिये सरकार का आदेश होना चाहिये कि उनको फौरन सस्पेण्ड कर दिया जाय और उसके बाद कार्यवाही हो। बाद में वह अपनी सफाई में सबूत दे सकता है, लेकिन सस्पेण्ड तो फौरन हो जाना चाहिये। यह मेरठ का वाकया है, बिजली डिपार्टमेन्ट का।

मान्यवर, दो चीजें इस दरम्यान हमारी नोटिस में आई। एक तो पूरे सदन के सामने आई और एक के बारे में मुझे अभी मालूम हुआ, मान्यवर, कि हमारे प्रदेश में दो महीने के अन्दर दो साम्प्रदायिक दंगे हुए थे। संभल वाले की चर्चा सदन में आई कि वहां मसजिद में पेश इमाम को मारा गया। अब वहां पर अमन है। एक और घटना के बारे में मुझे मालूम हुआ, मैं घटना मौके पर तो नहीं गया, लेकिन यह सीतापुर का जहांगीराबाद का

[श्री भीखा लाल]

मामला है। मुझे मालूम हुआ कि 10/11 अप्रैल को तीन बजे रात में हिन्दू मुसलमानों का दंगा हुआ। इसमें करीब 30 मुसलमानों के घर जला दिये गये। जब वहां के जिलाधिकारियों को सूचना मिली तो जाकर उन्होंने पकड़ना शुरू किया, करीब 100 मुसलमान जेल में बन्द हैं और 8 हिन्दू जेल में बन्द हैं। उन लोगों ने माननीय मुख्य मंत्री जी को दरख्वास्त दी, वह माननीय मंत्री जी को मिले, जो उस जिले के मंत्री, श्री अम्मार रिजवी हैं तथा प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी को भी प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन आज तक उसका कुछ नहीं हुआ। इतनी बड़ी घटना होती है, लेकिन कोई बड़ा अधिकारी कमिश्नर या इस रैंक का अधिकारी वहां नहीं पहुंचा : वहां पर लोग भयभीत हैं।

मान्यवर, इस संदर्भ में मैं दो बातें कहना चाहता हूं, एक तो खासतौर से यह कि यह जो घटना हुई, वहां पर साम्प्रदायिक लोग मौजूद हैं और वह क्षेत्र जनसंघ का है। इस बारे में सरकार की तरफ से कोताही हुई है, इस क्षेत्र से जनसंघ के प्रतिनिधि चुन कर आये हैं वहां पर आर0 एस0 एस0 अभी भी सक्रिय है। वहां के आर0 एस0 एस0 के प्रधान जो हैं, कांग्रेस में आ गये हैं, लेकिन उनकी हरकतें वही हैं जो कि पहले थीं। तो इसके लिये आर0 एस0 एस0 के लोग जिम्मेदार हैं वह अभी भी वहां पर निर्भीक होकर घूम रहे हैं। बेचारे गरीब लोग, मुसलमानों को पकड़-पकड़ कर जेल में डाला जा रहा है। जिनके घर फूंके गये, उन्हीं पर अत्याचार हो रहा है। मुरादाबाद में भी इसी प्रकार की घटनाएं हुई हैं। वहां पहले भी जनसंघ और आर0 एस0 एस0 की ऐक्टविटी को इतनी छूट दी गई कि उसकी कोई इन्तहा नहीं, शायद ही प्रदेश के किसी जिले में उनको इतनी छूट मिली हो। वहां पर सभी साम्प्रदायिक तत्व—मुस्लिम लीग, जमायते इस्लामी और आर0 एस0 एस0 के लोग मौजूद हैं। जो जाने-माने साम्प्रदायिक कार्यकर्ता हैं, वे फी वहां घूम रहे हैं। इस इमरजेन्सी में भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आप उन पर कड़ी निगाह रखें। मालूम होता है कि एमरजेंसी की ग्रिप कुछ ढीली होती जा रही है। हमारे प्रदेश की प्रगति में जो रोड़ अटका रहे थे, देश में तोड़—फोड़ की कार्यवाही कर रहे थे, जनता के असन्तोष का लाभ उठा कर, उनको गलत रास्ते पर डालने की कोशिश कर रहे थे—उन सबको एमरजेन्सी के दौरान दबाने की कोशिश की जा रही थी। किन्तु अब उसका उपयोग ठीक तरह से नहीं हो रहा है। उसका कारण मैंने पहले भी बताया था और आज भी कहता हूं—कहा गया था कि सर्विसेज की स्क्रीनिंग की जाएगी, किन्तु आज तक कोई स्क्रीनिंग नहीं हुई। हमारी सर्विसेज में तमाम आर0 एस0 एस0 कैडर के लोग, आनन्दमार्गी, और साम्प्रदायिक लोग बैठे हुए हैं। किन्तु आज तक कोई भी अधिकारी या कर्मचारी इस अभियोग में सर्विस से नहीं अलग किया गया है। तो जब तक सर्विसेज में स्क्रीनिंग नहीं की जाएगी, इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर जाना चाहिये कि इमरजेन्सी के दौरान दो-दो इस प्रकार की घटनाएं हो गई हैं, यह बड़ी गम्भीर बात है।

सरकार ने एमरजेन्सी के बाद प्रेस पर कुछ सेंसर लगा दिया, यह कुछ हद तक ठीक है, लेकिन कुछ हद तक नुकसानदेह भी है। प्रेस ऐसा माध्यम है जिसके जरिए, जनता की तकलीफें, उसकी ग्रीवान्सेज सरकार की नोटिस में आती हैं। जिला सीतापुर के जहांगीराबाद में 10 अप्रैल को दंगे की घटना हुई और सरकार के बैठे हुए बहुत से मंत्रियों तक को पता नहीं होगा कि वहां ऐसी घटना हुई हैं। क्योंकि वह अखबार में नहीं आया। अखबार में आ जाता तो सूचना विभाग वाले कटिंग लेकर कन्सर्न मिनिस्टर को भेज देते। इस प्रकार से यह नुकसानदेह है। सेंसर का मसला ऐसा लग गया है कि अधिकारियों के खिलाफ कोई बात हो तो निकल नहीं सकती है। कोई अखबार साहस करके निकाल भी देता है तो वह सरकार की आंख में खटकने लग जाता है और उसका जीना दूभर हो जाता है। 'जनयुग' कम्युनिस्ट पार्टी का दिल्ली में निकलने वाला एक मुख्य दैनिक समाचार पत्र है। उसमें इस प्रकार की घटनाएं कभी निकल जाती हैं, तो सरकार की निगाहों में वह खटक जाती हैं।

इस घटना के बाद भी यह अखबार उनकी निगाह में खटक रहा है। सेंसर का मतलब यह नहीं है कि जनता की ग्रीवान्सेज भी सरकार की नोटिस में न आने पावें। उनकी जा-कारी से प्रशासन को ठीक करने में सरकार को मदद मिलती है। बहुत सी चीजें, जो प्रशासन के माध्यम से उनकी जानकारी में नहीं आ पाती थीं, अखबारों के माध्यम से तुरन्त आ जाती थीं। तो सरकार इस पर पुनः विचार करे। यदि कोई तोड़-फोड़ की बात करता है, कोई जनता का मनोबल गिरानेवाली बात करता है या कारखानों का उत्पादन घटाने की बात करता है तो उसे अवश्य रोका जाए। सेंसर का अर्थ यही है। लेकिन यह अर्थ नहीं होना चाहिये कि जनता की शिकायतें, तकलीफें, जो अखबारों के मायध्म से सरकार के पास तक आ जाती थीं, उन पर भी रोक लगा दी जाए। सरकार को इस पर अवश्य ध्यान देना चाहिये।

मान्यवर, अपने प्रदेश में विजीलैंस की शाखा तो बनी है, लेकिन वह विजीलेंस की शाखा इतनी कमजोर है कि इतने बड़े प्रदेश में जहां पर तरह-तरह की घटनाएं हो जाती हैं, वह विजीलेंस का उतना, जितना उनका स्टाफ है, जो कुछ उनको सहूलियतें और सुविधाएं दी गयी हैं, वह इतनी कम हैं कि सक्षम तरीके से काम कर सकें। उनकी जांच के तौर तरीके में भी, हम समझते हैं कि कुछ बाधा है, कुछ रुकावट पड़ती है, चीजों को जल्दी से सामने लाने में हमको मालूम हुआ है कि अगर कोई शिकायत विजीलेंस के पास डायरेक्ट जाती है तो वह पहले सरकार के पास भेजते हैं। सरकार उसमें मंजूरी देती है, तब वह उसमें कांग्नीजेंस ले सकते हैं। जांच वगैरह पहले दौर में वह जाकर खुफिया तौर पर करेंगे, उसके बाद यह पता लगायेंगे कि प्राइमाफेसी केस बनता है? तो फिर विजीलेंस के डायरेक्टर फिर सरकार को लिखेंगे कि इसमें प्राइमाफेसी केस बनता है। तब सरकार ओपेन इन्क्वायरी का आदेश देती है। ओपेन इन्क्वायरी तब फिर करते हैं। तो इस तरह से जब यह मामला जाता है, तब दो मर्तवा आ करके लालफीताशाही में फंस जाया करता है। अगर कोई इसमें उच्च अधिकारी फंसा हो, तो सेक्रेटरियट में आ कर के मैनुपुलेट करेगा, जल्दी से सेंक्शन नहीं पहुंचेगी और देर होगी। देर होने के बाद जाने जब प्राइमाफेसी केस बनेगा, तो वर्षों लग जाते हैं और इसकी इन्क्वायरी पूरी नहीं होती, तो इस किस्म के मामलों में कोई ऐसा सरल प्रोसीजर निकालें कि जांच पड़ताल जल्दी हो सके। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कोई ऐसा सरल तरीका निकालें जिससे जांच करने में जल्दी हो। उनको सुविधाएं, जैसे विहिकिल आदि हैं, वे सुविधाएं पहुंचाई जायं।

एक बात की ओर मैं और सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बहुत से मामले इस समय इस विधान सभा के सामने आते हैं, जिसमें गबन की गम्भीर शिकायतें हैं। सिंचाई विभाग, पी0 डब्लू0 डी0 और दूसरे विभाग आदि हैं, जिनकी शिकायतें इस विधान सभा में आये-दिन आया करती हैं। हमारे माननीय सदस्य प्रश्नों के जरिये से बहुत से मामलों को पूछा करते हैं और इस सदन में उनके उत्तर भी दिये जाते हैं, तो मालूम हुआ कि कोई एक साल, कोई डेढ़ साल या 5-5 सालों से विभागीय जांच चल रही है। मान्यवर, 18-20-25 लाख तक के ग न हो जाते हैं और उनकी जांच 5-5 साल तक होती है। हमारा उत्तर प्रदेश इतना पिछड़ा हुआ है कि हमारे मुख्य मंत्री जी रोज-रोज दिल्ली जाकर कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। मान्यवर, त्वरित योजना में सड़कें बनवाई गयीं। वह आज तक पक्की नहीं हुई है। भारत सरकार से रुपया हमको नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ जो कुछ हमको मिला है, अधिकारी और इंजीनियर उसमें गबन करते हैं और मामला अगर पकड़ में आ जाता है, तो जांच पड़ताल में वर्षों लगते हैं। तो मान्यवर, कैसे गाड़ी चलेगी और फिर 2-3 साल के बाद ऐसा दब जाता है कि यह कह दिया जाता है कि

[श्री भीखा लाल]

वह रिटायर हो गये हैं और फोर्स्ड रिटायरमेंट हो गया है। पी० ए० सी० के सामने ऐसे बहुत से मामले आये और यह उत्तर दिया गया कि रिटायर हो गये हैं इसलिये उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो सकती है। कोई ऐसा तरीका निकाला जाय जो गबन के मामले हैं, जिनसे हमारे विकास के मामले में गोल माल हो जाता है, उसमें जल्दी कार्यवाही होनी चाहिये ताकि जो दोषी हैं, उनको सजा दिलाई जा सके।

श्री मोहन सिंह (जिला रायबरेली)—

ऐसे लोगों को पेन्शन देना बन्द कर देना चाहिये।

श्री भीखा लाल—

गबन करे तो उनके ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है और उनकी जो जायदाद है, उससे वसूल किया जा सकता है। मान्यवर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में अभी आदेश हो गये हैं कि जिलों में जो परगनाधिकारी हैं वह तहसीलों में रहा करें। वहीं पर रह कर अपने कार्य को करें, जिससे जनता को सुविधा मिले। लेकिन बजट में इस बात का कोई प्राविधान नहीं किया गया है कि वहां पर अदालत बने या उनके रहने के लिये क्वार्टर्स बनाये जायेंगे। इसका नतीजा यह होता है कि अधिकारी जीपों पर तहसीलों पर जाते हैं और जिला हेड क्वार्टर पर लौट आते हैं इससे सरकारी रुपये का अपव्यय बहुत हो रहा है। जीपों का दुरुपयोग हो रहा है और उनके आने-जाने में पेट्रोल खर्चा हो रहा है। जो जीप अधिकारियों के दौरे के काम आती थी, वही जीप अब अधिकारियों के लाने और ले जाने में प्रयोग की जा रही है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिये।

मान्यवर, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट के अधिकारियों व कर्मचारियों पर काम का बोझा बहुत बढ़ गया है, जिससे वे अपने कार्य को भी नहीं कर पाते हैं। आप देखते हैं कि परिवार नियोजन का काम उनको सौंपा गया है, परिवार नियोजन होना चाहिये, लेकिन अब उसकी जिम्मेदारी लेखपाल पर डाल दी गयी है, अगर वह इतने केस नहीं देगा, तो उसका बस्ता रखवा लिया जायगा। मान्यवर, वह कब पड़ताल करेगा और खाता और खतौनी आदि बनायेगा। इसके लिए उसके पास कोई समय ही नहीं बचता है। चाहे प्रोक्योरमेंट की योजना हो या अल्प बचत योजना हो, यह भी काम वही करेगा। तहसील में बैठकर प्रोक्योरमेंट के कागजात तैयार करेगा, इसके लिए भी कोई समय नहीं है कि वह पड़ताल करे। वह अपने घर पर बैठकर ही लिख लेता है किस खेत में कौन-कौन सा अनाज बोया गया है, और कितने क्षेत्रफल में बोया गया है। आज हमारा जो बोर्ड आफ रेवेन्यु है यह उसी आंकड़े पर विश्वास करता है। मान्यवर, यह सब फर्जी होता है। वह सब आंकड़े गलत होते हैं और सरकार जो अनुमान बनाती है, वह भी गलत सिद्ध होते हैं। तो कम से कम इस ओर भी सोचना चाहिये। यह काम स्वास्थ्य विभाग का है और अगर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी गांव जाते हैं तो उनकी मदद लेखपाल को करनी चाहिये। सरकार के आदेश हैं कि वितरित की गयी जमीनों पर 30 जून तक कब्जा दिला दिया जाय। एस० डी० ओ० को 30 जून तक जमीन पर कब्जा दिलाया जाये। मैं अपने जिले में गया था और एस० डी० ओ० से बात कर रहा था कि अभी तक कब्जा नहीं दिलाया गया है तो उन्होंने कहा है कि प्रोक्योरमेंट का काम हो रहा है तो कब्जा कब दिलवायें? इसलिये काम का इस तरह से बंटवारा होना चाहिये जिससे एक काम से दूसरे काम पर बाधा न पड़े। इन शब्दों के साथ जो कटौती का प्रस्ताव है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

सिंचाई मंत्री (श्री लोकपति)—

मुझे एक जानकारी करनी थी माननीय नेता कम्युनिस्ट पार्टी से, कि उन्होंने अभी से कहा कि मेरठ में कोई इन्जीनियर पकड़ा गया और वह ससपेंड नहीं हुआ। मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। फतेहपुर में एक इस तरह का केस हुआ था, उसको चार्ज शीट मिलते ही ससपेंड करने के आदेश कर दिये गये हैं।

(श्री भीखालाल द्वारा कोई कागज सिंचाई मंत्री को दिया गया।)

*श्री ईश्वरी सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

माननीय अध्यक्ष जी, आज माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने विभागों से सम्बन्धित जो अनुदान पेश किए हैं, सामान्य प्रशासन के सिलसिले में, उसके दो पहलू हैं। इसमें कुछ प्रशंसनीय कार्य भी हुए हैं और कुछ कार्य सही नहीं भी हुए हैं। प्रशंसनीय कार्यों के सम्बन्ध में मेरा जिक्र करना इसलिये जरूरी नहीं है क्योंकि मैं अपनी औकात जानता हूं। जिस प्रकार से प्रशासन चल रहा है और सदस्यों की तो मैं नहीं कहता, मैं ऐसा महसूस करता हूं कि यहां इस विभाग की हैसियत बराबर घटाई जा रही है। उनकी राय को, उनके मश्विरे को, या उनकी शिकायत को इसके सम्बन्ध में उतना महत्व नहीं दिया गया है और साथ ही साथ मैं यह भी जानता हूं कि मेरे प्रशंसा-पत्र का कोई विशेष महत्व भी नहीं है।

जहां तक प्रशासन का सवाल है, बुनियादी बात यह देखने की है कि प्रदेश में जो प्रशासन चल रहा है, वह किस दिशा में जा रहा है ? हमारा प्रशासन सचिवालय से लेकर जिला प्रशासन तक है, हमें देखना है कि वह हमारी आर्थिक उन्नति में कितना सहायक हो रहा है। हम यहां बैठकर जो निर्णय लेते हैं, कानून बनाते हैं, उनका अनुपालन वे किस प्रकार से कर रहे हैं ? जब हम इस पर दृष्टि डालते हैं तो कुछ बातें ऐसे मिलती हैं जिनकी ओर मैं अपने माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान विशेष रूप से खींचना चाहता हूं। सबसे पहली बात यह है कि हमारे प्रशासन का अंग केवल वह नौकरशाही नहीं है, जितने आई0 ए0 एस0 या पी0 सी0 एस0 अधिकारी हैं या जो भी इस सचिवालय से जिला प्रशासन या विभिन्न महकमों में कार्य कर रहे हैं, वे ही प्रशासन के अंग नहीं है बल्कि प्रशासन का मुखिया है हमारा इस प्रदेश का मंत्रिमंडल। हमारे प्रदेश का मंत्रिमडल सामूहिक रूप से और अलग-अलग, महकमों के जो भी सम्बन्धित मंत्री हैं, जिम्मेदार है। मेरे आलोचना करने का अभिप्राय किसी विशेष मंत्री की या मुख्य मंत्री की आलोचना करने से नहीं है, मेरा आशय केवल यह है कि हमारा प्रशासन किस दिशा में जा रहा है।

जहां तक आर्थिक प्रगति का प्रश्न है, हम देखते हैं कि जो अनेक वर्षों से बजट पेश करते आ रहे हैं, हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी, उसमें एक पहलू देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। हमारे प्रदेश में जो इस समय व्यय हो रहा है, वह पूंजीगत परियोजनाओं में बराबर घटता जा रहा है और चालू खर्चे में बढ़ता जा रहा है। मेरे पास वर्ष 1976-77 के आंकड़े नहीं हैं लेकिन मैं समझता हूं कि मेरे पास जो आंकड़े हैं, चालू व्यय के, वे इस प्रकार से हैं— वर्ष 1973-74 में यह 49.32 प्रतिशत था, वर्ष 1974-75 में यह 53.17 हो गया और वर्ष 1975-76 में यह व्यय 58.23 हो गया और मैं समझता हूं कि इस बजट में यह चालू व्यय, जैसाकि मैंने मोटे तौर पर देखा है, प्रतिशत तो नहीं निकाला लेकिन लगभग 60 प्रतिशत से भी ऊपर पहुंच जायेगा। इससे क्या दिशा मिलती है ?

भत्ते का मैंने विचार कर लिया है। जोकि पूंजीगत व्यय था, 73-74 का, वह था 50.68, और 74-75 में वह था 46.83 और 75-76 में 41.77 रह गया और इस वक्त 76-77 में मैं समझता हूं पूंजीगत यय 40 प्रतिशत से भी नीचे पहुंच गया है। तो देखना यह है कि हमारा जो प्रशासन पर खर्चा हो रहा है, उसका नतीजा यह हो रहा है कि हम खाली अपनी सारी आमदनी को प्रयोग करते जा रहे हैं, उसका कुछ प्रतिफल नहीं मिल रहा है, या हमारा प्रशासन अपनी कोशिश और दक्षता से इस ओर जा रहा है कि पब्लिक सेक्टर में पूंजी का निर्माण बराबर हो सके। यह दशा मैंने केवल इसी सरकारी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ईश्वरी सिंह]

बजट की ही नहीं देखी, बल्कि हमारे प्रदेश में जो निजी उद्योग-धंधे चल रहे हैं वह अन्य प्रदेशों या सारे भारतवर्ष के मुकाबले में कुछ ज्यादा अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। यहां कुछ संख्याएं और आंकड़े दिये गये हैं कि हमारे प्रदेश में कितने कारखाने हैं या उन कारखानेदारों की तरफ से कितनी पूंजी उद्योग-धंधों में चलायी गयी। तो प्रदेश की जनसंख्या के अनुपा से वह घटती चली जा रही है। तो यह प्रशासन का काम है और विशेष रूप से माननीय मुख्य मंत्री जी और मंत्रिमंडल का काम है कि वह देखें कि हमारी आर्थिक गति-विधि किस दिशा की तरफ जा रही है। इसके साथ-साथ जब हम अपने प्रदेश के ऋण की अवस्था को देखते हैं तो यह हालत मिलती है कि प्रशासन पर, बजट पर बराबर ऋण की संख्या बढ़ती चली जा रही है। यह सरकार के आंतरिक ऋण की जो दशा इसमें दी गयी है, माननीय वित्त मंत्री जी ने पूंजीगत व्यय तथा ऋण और अग्रिमों का अनुदान इसमें दिखाया है। सन् 1974–75 में जबकि राज्य सरकार का आवर्तक ऋण 1,35,99 लाख कुछ था तो वह 1976–77 में 4,79,85 लाख कुछ हो गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हमारे ऋणों की संख्या बढ़ती जायगी तो स्वाभाविक है कि चाहे उसको हम जनता से लें या भारत सरकार से उधार लें हमारे प्रदेश में जो भी पब्लिक सेक्टर में कारखाने खुलने हैं, पूंजी का निर्माण होना है और सारी आमदनी का पैसा बराबर हम चालू खर्चे में खर्च करते रहेंगे तो उतनी उन्नति नहीं कर पायेंगे। हमारे प्रदेश का खर्चा जो बहुत सी मदों में खपाया जा . . .

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य सामान्य चर्चा के अन्तर्गत यह कह रहे हैं, जबकि इन मांगों के बारे में अब चर्चा चलनी चाहिये।

श्री ईश्वरी सिंह—

आपकी सलाह के लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। चूंकि आज सचिवालय का भी बजट है, सामान्य प्रशासन का भी है, जिला प्रशासन, सब का एक साथ रखा गया है तो सब इन्हीं मदों में चालू खर्चे पर होता है।

(व्यवधान)

आप बोल लीजियेगा, मुझे सलाह देने की कोशिश न करें।

श्री अध्यक्ष—

आप उनकी तरफ ध्यान ही न दें।

श्री ईश्वरी सिंह—

जी हां, आपकी सलाह सही है।

तो जो हमारे प्रशासन की दशा है, सचिवालय का भी खर्चा बढ़ता चला जा रहा है माननीय लोकपति जी ने ध्यान खींचा कि भत्ता वगैरह ज्यादा बढ़ा है, इस वजह से ज्यादा खर्च हुआ है। लेकिन अगर भत्तों की मद निकाल दी जाय, तब भी खर्चा बढ़ा है। लेकिन जिस अनुपात से हम खर्चा बढ़ा रहे हैं क्या उस अनुपात से हमारी कार्य करने की क्षमता बढ़ी है? अगर ऐसा है, तब तो प्रशासन पर या सचिवालय पर ज्यादा खर्चा करना कारगर होगा, वरना नहीं। दूसरा पहलू यह भी है कि प्रशासन का अंग केवल नौकरशाही या सरकारी कर्मचारी नहीं है। प्रशासन का अंग हमारे मंत्रिमंडल के लोग भी हैं। आज हम चाहते हैं और यह हमारी पार्टी की नीति है कि प्रशासन में हम आम जनता का ज्यादा से ज्यादा सहयोग लें। यह सहयोग कई रूप में हो सकता ह। मैं इस अवसर पर यह ध्यान दिलाना चाहता हूं और ऐसा महसूस करता हूं कि मौजूदा मंत्रिमंडल विधायकों का या जो हजारों की तादाद में अनुभवी और योग्य कार्यकर्ता पड़े हुये हैं, केवल शासक दल के ही नहीं और पार्टियों के भी हैं, उनका भी सहयोग नहीं लिया जा रहा है। हमने अभी सुना कि 20 सूत्री कार्यक्रम के सिलसिले में, जिसे हम सब और माननीय मुख्य मंत्री जी भी बहुत महत्व देते हैं, लेकिन क्या वह 20 सूत्री कार्यक्रम केवल नौकरशाही के जरिये से पूरा कराया जायगा?

मेरा स्पष्ट कहना है कि नौकरशाही के जरिये से यह पूरा नहीं हो सकता। नौकरशाही के तो वही आंकड़े आते रहेंगे जैसे कि हमेशा आते रहे हैं। सब जानते हैं कि लोग कपास कितने एकड़ में बोते हैं लेकिन कागज पर कितने एकड़ का भेजते हैं। इसी तरह से 20 सूत्री कार्यक्रम के अनुपालन में प्रशासन कितना कार्य कर रहा है, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं कह सकता हूं कि मेरे क्षेत्र में आवास की जमीनों का 20 प्रतिशत अभी तक सही तरीके से आवंटन नहीं हुआ है, कब्जा नहीं दिलाया गया है। तो केवल अधिकारी कागजी नक्शे भेज दें और हम यह मान लें कि हमारा अनुपालन हो गया। 20 सूत्री कार्यक्रम का, मैं इसे नहीं मानता।

सीलिंग के सिलसिले में भी माफ कीजियेगा माननीय मुख्य मंत्री जी, हमारी पार्टी के लोग भी आज जिलों में ऐसे मौजूद हैं कि जिनसे सीलिंग की जमीन अभी तक नहीं निकाली जा सकी है और जिलाधिकारी केवल ऊपर की निगाह देख कर उनको छेड़ना नहीं चाहते। हमारे जिले में खुद सैकड़ों आदमी ऐसे हैं जो सीलिंग से ज्यादा जमीन दबाये हुये हैं और जिलाधिकारी उनको नोटिस देने के बावजूद भी जमीन को नहीं निकाल रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, माननीय मुख्य मंत्री जी, आपके मंत्रिमंडल में भी ऐसे लोग हैं जिनके पास सीलिंग से ज्यादा जमीन है। हम दुनियां में नाजायज कब्जे हटाने की बात करते हैं लेकिन वह नजूल की 6-6, 8-8 हजार वर्ग मीटर जमीन शहरों में दबाये हुये हैं। मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेना चाहता। मुझसे आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

राजस्व विभाग से संबंधित अनुदान आज नहीं है, आप संबंधित अनुदानों पर ही कहें, तो अच्छा हो।

श्री ईश्वरी सिंह--

मान्यवर, हम जो कानून यहां पास करते हैं, उसका अनुपालन सूबे के स्तर के अधिकारीगण किस रूप में करते हैं उससे ही प्रशासन की दक्षता, क्षमता और उसकी तबियत जाहिर होती है।

(इस समय 1 बजकर 6 मिनट पर उपाध्यक्ष, कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा पीठासीन हुये।)

श्री लोकपति--

या तो माननीय सदस्य उन व्यक्तियों के नाम बतायें या अपनी बात को वापस लें। अभी आपने कहा कि मंत्रिमंडल में कुछ ऐसे सदस्य हैं जिनके पास सीलिंग से अधिक भूमि है, तो उनके नाम बतायें।

श्री ईश्वरी सिंह--

मैं आग्रह करूंगा कि वे मुझसे यहां न पूछें, मैं ऐसे नामों को जानता हूं, अगर मुख्य मंत्री जी चाहेंगे, तो मैं लिख कर दे दूंगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

श्रीमान्, मुझे आश्चर्य है कि हमारे दल के एक विशिष्ट माननीय सदस्य ने इस प्रकार की बात यहां सार्वजनिक रूप से कही। अच्छा होता और यह यहां की परम्परा भी नहीं है, कि वे इसे यहां न कहते। यहां की परम्परा के यह बहुत अनुकूल नहीं था। खैर, उन्होंने एक

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

बात कही है तो अवश्य, वे चाहें तो, मुझे लिख कर दे दें, या बात करना चाहें बात कर लें। अब चूंकि उन्होंने कह दिया है, जो नहीं कहना चाहिये था, तो मैं समझता हूं उसका स्पष्टीकरण मुझको दें।

श्री ईश्वरी सिंह—

माननीय मुख्य मंत्री जी की आज्ञा शिरोधार्य है। मैं उन्हें लिख कर दे दूंगा।

(व्यवधान)

श्री धर्मवीर—

या तो आप कहते नहीं, कहा है तो उसकी सूचना दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

वे लिख कर दे देंगे।

श्री ईश्वरी सिंह—

मैं यह निवेदन कर रहा था. . . . . .

कारागार राज्य मंत्री (श्री श्रीकृष्ण गोयल)—

मान्यवर, या तो वे अपने शब्द वापस लें या उनके नाम बतायें क्योंकि पूरे मंत्रि-मंडल को उन्होंने मैलाइन किया है।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है, वे लिख कर दे देंगे।

श्री ईश्वरी सिंह—

मैंने पूरे मंत्रि मंडल के लिये नहीं कहा है, मैंने कहा है कि उसमें इस तरह के भ सदस्य हैं। मैं उनके नाम बता सकता हूं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को लिख कर दे दूंग (व्यवधान) प्रशासन को सुधारने के लिये यह आवश्यक है कि जो कानून यहां पास हों उनका सही अनुपालन हो। 20 सूत्री कार्यक्रम जिसमें हमारी अटूट श्रद्धा है उसके अनुपालन के लिये यह बहुत जरूरी है कि उसके साथ जनता के भी नुमाइन्दे नत्थी किये जायें। और चूंकि विधायक भी जनता के नुमायन्दे हैं, तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे केवल बीस सूत्रीय कार्यक्रम से ही नहीं, बल्कि जिले के प्रशासन से भी विधायकों को किसी न किसी रूप में सम्बद्ध करें और इस प्रकार का कोई उपाय निकालें क्योंकि ज़िले के प्रशासन का स्वरूप बदल रहा है। अब वह पुराना जमाना नहीं है कि कलेक्टर केवल कलेक्टरी करने के लिये रहे या एस0 पी0 केवल जो-जो जुर्म करते हैं, उन्हीं को पकड़-पकड़ कर जेलखाने भेजने के लिये रहे।

प्रशासन का उद्देश्य बदल रहा है, उसका मकसद बदल रहा है। जैसे-जैसे हमारा देश या सूबा तरक्की करेगा, उसके सामने विभिन्न समस्यायें आवेंगी और बहुत-सी जिले स्तर की और सूबे के स्तर की प्रशासनिक कठिनाइयां खड़ी हो जायेंगी। उनमें जनता के नुमायन्दे हों। अब वे किस रूप में किस हद तक शामिल हों और उनकी राय से किस हद तक आप प्रभावित होते हैं इसका उपाय आपको निकालना होगा। यह मैं इसलिये कह रहा हूं चूंकि मैं यह मानता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री जी समाजवादी और प्रगतिशाल विचार-धारा के हैं और इसीलिये मुझे उनसे आशा है। यदि पुराने ढर्रे से जिले का प्रशासन और सूबे का प्रशासन चलता रहा तो उससे कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। चूंकि वे इसमें आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उसी नाते से उनका ध्यान इस ओर दिलाता हूं। जिला प्रशासन के बारे में मुझे खासतौर से यह निवेदन करना है कि जिला स्तर पर हम यह महसूस करते है, खासतौर से ग्राम स्तर के ऊपर कि हमारे प्रशासन के अन्दर बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जो कि करीब-करीब एक ही प्रकार का कार्य करते हैं। जैसे लेखपाल है, पतरौल है, ग्राम

सेवक है, कामदार है, ये अगर विभाग के ग्राम स्तर के कर्मचारी हैं और मैं समझता हूं कि हमारे प्रशासन को, मुख्य मंत्री जी को इस पर बनिया तरीके से विचार करना चाहिये कि क्या हमारे जो ये ग्राम स्तर के कर्मचारी विभिन्न विभागों की तरफ से है और जिनके कार्य में समानता है, उनको हटा नहीं सकते हैं ? जैसे 6 गांवों के एरिया में जो लेखपाल हो उसको रेंकार्ड रखने का काम दें और दूसरे को निर्माण का रचनात्मक काम दें और इस तरह से जो बड़ा क्षेत्र है उसको घटा के छोटा कर दें, तो मेरे ख्याल से काम अच्छा हो सकता है । जैसे खेती से सम्बन्धित काम हो, चाहे उद्योग सम्बन्धी काम हो, चाहे बीस सूत्री कार्यक्रम सम्बन्धी काम हो, उनके ऊपर अच्छी तरह से ध्यान दे सकें, इसके लिये मेरा सुझाव है कि हमारे प्रदेश को इसमें पहल करना चाहिये कि ग्राम और ब्लाक स्तर पर कर्मचारियों के कार्य–क्षेत्र में उनकी संख्या को किस तरह से व्यवस्थित करें, जिससे लोगों को आराम और सुविधा मिले ।

जैसा कि माननीय भीखा लाल जी ने ध्यान दिलाया है, जिला प्रशासन में एक ही कर्मचारी को बहुत से कार्य करने पड़ते हैं । एक कर्मचारी को ग्राम स्तर पर विभिन्न विभागों के रेकार्ड्स रखने के लिये कह दिया जाय तो इससे आसानी हो सकती है । इसी प्रकार से और सरकारी योजना को कार्यान्वित करने के लिये उससे कह दिया जाय तो मैं समझता हूं कि यह बहुत अच्छा होगा । उसके लिये हमें बुनियादी तरीके से सोचना चाहिये कि क्या हमारी जो योजनायें चल रही हैं, या गांवों में हम जिस तरह का समाज चाहते हैं, खेती का स्वरूप चाहते हैं, या उद्योग-धंधों का स्वरूप चाहते हैं खासतौर से छोटे उद्योग–धंधों का, उनके अनुरूप हमारा प्रशासन सही तरीके से चले, इसी सम्बन्ध में मुझे कुछ सुझाव देने है और इसी प्रकार पुलिस प्रशासन के सम्बन्ध में भी कुछ निवेदन करना है । यह बात सही है कि आज की अव्यवस्था को देखते हुये हमें ज्यादा से ज्यादा अधिकार पुलिस को देने होंगे । जो भी अवांछनीय तत्व है, चाहे वे डकैत हों या चोरी करने वाले हों या दूसरे जुर्म करने वाले हों, उनको रोकने के लिये हमें पुलिस को ज्यादा से ज्यादा अधिकार देने होंगे । लेकिन साथ ही साथ हमें इस बात पर विचार करना है कि पुलिस अधिकारियों को जो ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग की जहां तक बात है । कांस्टेबिल से लेकर मैं एस० पी० तक की बात कर रहा हूं, जो उनको ट्रेनिंग दी जाती है उसमें बुनियादी तौर से परिवर्तन हमें करना होगा । कोई नये किस्म की कसौटी, नये किस्म का सुधार हमें करना होगा । जो ट्रेनिंग उनको स्कूलों में दी जाती है, चाहे मुरादाबाद का स्कूल हो या और कहीं का स्कूल हो, उनकी ट्रेनिंग में बुनियादी परिवर्तन करने की आवश्यकता है । आप अगर व्यवस्था चाहते है तो पुलिस को आपको ज्यादा अधिकार देने होंगे । अगर ज्यादा अधिकार नहीं देंगे तो अराजकता फैलेगी । लेकिन प्रश्न यह है कि उनको जो अधिकार दिये जायं उनका सही उपयोग हो । सही तरीके से अधिकार का इस्तेमाल किया जाय इसके लिये यह जरूरी है कि पुलिस की भर्ती के पैमाने और उनकी ट्रेनिंग के तौर तरीकों में बुनियादी परिवर्तन किया जाय ।

इसके साथ-साथ हम यह भी महसूस करते हैं कि अब वक्त आ गया है कि जो व्यवस्था बनाये रखने वाली पुलिस है और जो क्राइम इन्वेस्टीगेशन करने वाली पुलिस है, उनके संगठन को हम अलग-अलग करें । अभी माननीय भीखालाल जी ने कई केसेज बताये । जो पुलिस की कार्यवाही में जालसाजी और फर्जी काम होता है उसको मिटाने के लिये आज आवश्यकता इस बात की है कि व्यवस्था बनाये रखने वाली और छानबीन करने वाली, चार्जशीट देने वाली पुलिस में अंतर हो । इनका केडर अलग-अलग करना चाहिये जिससे अधिक अच्छा काम हो सके । मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय को अनुभव होगा कि

[श्री ईश्वरी सिंह]

बहुत से लोग, जो जांच की जाती है, उससे असंतुष्ट होकर यहां आते हैं और उनसे प्रार्थना करते है कि सी० आई० डी० को जांच करने के लिये दे दिया जाय। सी० आई० डी० की जितनी संख्या और क्षमता है, वह पूरी नहीं है और मैं समझता हूं कि सी० आई० डी० को केस सौंपते हुये माननीय मुख्य मंत्री जी झिझकते होंगे। तो यह समय है कि हम पुलिस का केडर बदलें। इस बात को भारत सरकार ने भी महसूस किया है। पहले पुलिस से ही बार्डर की सिक्योरिटी का काम लिया जाता था, लेकिन बाद में बिल्कुल अलग किया गया। मेरा अर्ज करने का मतलब यह है कि इसी तरीके से विचार किया जाय और जो व्यवस्था कायम करने वाली पुलिस है वह अलग की जाय और जो जुर्म की छानबीन करने वाली पुलिस है और चार्जशीट करनेवाली पुलिस है, उसको दूसरे तरह की ट्रेनिंग दी जाय। इस बात पर मैं समझता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री महोदय बुनियादी तौर से विचार करेंगे। मैं अंत में एक सुझाव और देना चाहता हुं कि जो भी हमारे सूबे में प्रशासन चल रहा है उसमें अगर कुछ खूबियां हैं तो खामियां भी हैं। अगर इस सिलसिले में हम बिल्कुल असावधान रहें और संतोष करके बैठ जायं कि सब ठीक चल रहा है तो मैं मुख्य मंत्री जी से निहायत अदब के साथ कहना चाहूंगा कि सब ठीक नहीं चल रहा है और हमको बहुत सतर्क रहना है और जिला प्रशासन में सुधार की बहुत सख्त जरूरत है। (धन्यवाद)

*श्री जगदीश नारायण त्रिपाठी (जिला मैनपुरी)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय भीखालाल जी द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

अभी हमारे राज्य के सामान्य प्रशासन के बारे में, पुलिस व्यवस्था के बारे में और जो दूसरे अनुदान पेश किये गये हैं उनके संबंध में यहां चर्चा हुई। मान्यवर, मैं पहले कुछ बातें पुलिस के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। आज आपात स्थिति लागू है और कमोबेश हमारे राज्य की सरकार के प्रत्येक विभाग के अन्दर उसका अहसास है। लेकिन एक मजाक है कि सबसे ज्यादा जिस विभाग में इस इमरजेन्सी का अहसास होना चाहिये था, पुलिस विभाग को, तो उसको यह अहसास नहीं है कि इमरजेन्सी उसके ऊपर भी लागू है और उसको सिर्फ इसका अहसास है कि इमरजेन्सी लागू करने के लिये उन्हें अधिकार सम्पन्न बनाया गया है और उस अधिकार को वह चाहे जिस तरह से दुरुपयोग करें।

मान्यवर, हमारे जिले के अन्दर नहीं बल्कि मेरा तो दावा है राज्य के प्रत्येक जिले में जब से इमरजेन्सी लागू हुई है अनेकों शिकायतें राज्य सरकार के पास और इस माननीय सदन के समक्ष भी आती रही है। इमरजेन्सी का सबसे बड़ा उद्देश्य था कि हमारे देश के अन्दर जो इस देश की स्वाधीनता और धर्मनिरपेक्षता तथा समाजवाद के आदर्शों के खिलाफ जो ताकतें हैं, उनके ऊपर जबरदस्त चोट करें और इस तरह की चोट करें जिससें कि उनके सांप के फन कुचल दिये जा सकें। इस तरह जो हमारे राष्ट्र ने उद्देश्य घोषित किये हैं, उनको हासिल करने के लिये आगे बढ़ सकें। लेकिन आज लम्बी चौड़ी बातों के बावजूद कोई ऐसा जिला नही है जहां कि आर०एस० एस० के मुख्य कार्यकर्ता जो बच गये, पकड़े जाने से, वे कहीं खुले आम और कहीं गुपचुप तरीके से कार्यरत न हों। चाहे शाखाओं पर बंदिश लगा दें लेकिन गांव के स्तर पर शाखायें छिपे-तौर पर काम कर रही हैं और एक गहरा जहर हमारे सामाजिक जीवन में पहुंचाया जा रहा है जो कि हमारे राष्ट्र के लिये बहुत बड़ा खतरा है। उनके ऊपर कोई चोट नहीं की जा रही है।

मान्यवर, मैं मैनपुरी जिले से आता हूं। मैंने पिछले बार भी सदन के समक्ष कुछ बातें रखीं थी और मैं फिर से उनको दोहराना चाहता हूं। मैनपुरी जिले में एक विद्यालय डी० ए० वी० इन्टर कालेज है। उसके प्रिंसिपल साहब जाने माने आर० एस० एस० के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रचारक हैं। लाखों कोशिश की गयी, कांग्रेस जनों ने कोशिश की, कम्युनिस्ट के कार्यकर्ताओं ने और एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने कोशिश की लेकिन पता नहीं किस तरह से वह महोदय आज भी छुटे हुये घूम रहे हैं और डी0 ए0 वी0 कालेज को आर0 एस0 एस0 का अखाड़ा बनाये हुये हैं। आज इमरजेन्सी को, 20 सूत्री कार्यक्रम की भावनाओं को लागू करने के लिये लगाया गया था, तो मैं दावा करता हूं कि उनको और हम सब के लिये यह बड़े शर्म की बात है। इस तरह इमरजेन्सी का दुरुपयोग हो रहा है। पिछली बार जब सदन चल रहा था तो हमारी ब्रांच लेवल के कार्यकर्ता के जो सेक्रेटरी थे कामरेड सीताराम, उनको इसलिये डी0 आई0 आर0 में बन्द कर दिया गया कि वहां की चौकी के दीवान की रिश्वतखोरी की मुखालिफत की थी। न सिर्फ डी0 आई0 आर0 में बन्द कर दिया गया बल्कि साथ साथ तमंचा लगा दिया गया। मैंने सदन में अनुपस्थिति करके वहां रहकर स्थानीय पुलिस में दखलन्दाजी करके बड़ी मुश्किल से जो डी0 आई0 आर0 लगायी गयी थी उसको रुकवाया और पुलिस ने तब दूसरी रिपोर्ट लगायी कि वह रिपोर्ट गलत है। जब कहीं जाकर वह डी0 आई0 आर0 की दफा वापस ली गयी और दफा 25 में उसके ऊपर आज भी केस है। सौ फीसदी झूठ है। सारे लोकल अधिकारी जानते हैं। मौके पर जांच हुई लेकिन फिर भी कोई पुरसाहाल नहीं।

यह तो रही कम्युनिस्ट पार्टी की बात। मैं कांग्रेस पार्टी की बात कहना चाहता हूं। मेरी निजी जानकारी है। मथुरा जिले के एक कांग्रेसी नेता श्री रमेशचन्द्र शर्मा कांग्रेस के अच्छे कार्यकर्ताहैं। मथुरा जिले में आर0 एस0 एस0 से संघर्ष करने वाले कांग्रेसजनों म अग्रणी हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उनके पिताजी। वह खुद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के महामंत्री और वह मीसा में बन्द। उनकी पत्नी बीमार। पैरोल की दरख्वास्त दिये महीनों हो गये। मुख्य मंत्री से मिले। आश्वासन दिया गया लेकिन लालफीताशाही की वजह से वह कागज चला नहीं तो यहां के अधिकारी क्या रिपोर्ट लगायें। एमरजेंसी, डी0 आई0 आर0 जिन तत्वों के खिलाफ लागू किया गया था वह तत्व तो आज खुले आम मटरगस्ती करते घूम रहे हैं वह तत्व जो आपके तरफदार और पैरोकार थे, वह जेलों में बंद है। क्या होगा हमारे देश का, क्या होगा धर्मनिर्पेक्षता का, क्या होगा हमारी आजादी का, क्या होगा हमारे सोशलिज्म के आदर्श का? यह विचारणीय बात है। जब हम यहां पुलिस के तौर तरीकों पर विचार करने बैठे हैं तो हम इस पर गहराई से विचार करें।

एक बात, मैनपुरी जिले के जो पुलिस अधिकारी हैं उनके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा। रोज हम प्रश्नोत्तर या विशेष चर्चा में सुनते हैं। हर जिले के अन्दर बहुत से निर्दोष लोग फंसा दिये जाते हैं और जो दोषी हैं, वह घूमते फिरते हैं। मैनपुरी जिला भी अपवाद नहीं है। मैनपुरी में एक किस्बी थाना है। एक बदमाश, नामी अपराधी जिसके खिलाफ वारन्ट था, नामजद रिपोर्ट कत्ल और डकैती की थी, पुलिस वाले उसको भगाये हुए थे। एक व्यक्ति ने थानेदार की शिकायत की। पुलिस का थानेदार हाजिर नहीं होने देता, इनकी कुछ साजिश है और साठ-गांठ है। मैंने भी एस0 पी0, डी-वाई0 एस0 पी0 से बातचीत की तो अपराधी महोदय हाजिर हो गये। फिर एक दूसरा कत्ल हुआ। जिन सज्जन ने थानेदार की शिकायत की थी, थानेदार ने योजना के साथ उस आदमी का नाम नामजद रिपोर्ट में लिखवाया। यह सारे लोग जानते हैं। रमेशचन्द्र मिश्रा उस व्यक्ति का नाम है। मैंने मुख्य मंत्री जी को लिखा, होम सेक्रेटरी को लिखा कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जानते हुए भी क्यों नहीं दखलन्दाजी करना चाहता? इसकी सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच होनी चाहिये। मैं मानता हूं कि सी0 आई0 डी0 और पुलिस का महकमा अलग-अलग नहीं है।

[श्री जगदीश नारायण त्रिपाठी]

मेरा अनुभव है कि पुलिस द्वारा तफशीस किये जाने वाले मुकदमें सी० आई० डी० को दिये गये तो कोई खास बात होने वाली नहीं। पुलिस में काम करने वाले थोड़े दिन में सी० आई० डी० में चले जाते हैं। कोई खास फर्क दोनों में नहीं है। लेकिन हमनें चाहा कि अगर सी० आई० डी० के जरिये जांच हो तो वहां की जनता में संतोष होगा और पुलिस के कानों में भी जू रेंगेगी। जब यह लिखा गया कि क्या इसमें सी० आई० डी० की जांच की जरूरत है तो यहां से लिखा गया कि जरूरत नहीं है। इस तरह से सारी चीजें चल रही हैं तो इस पर विचार करने की आवश्यकता है।

कुछ बातें मैं इंगित करना चाहता हूं। पिछले दिनों यह कहा गया था कि जिलों में मुंसिफ कोर्ट तहसील केन्द्र पर कर दिये जायेंगे ? फैसले के अनुसार जगहों को भी देखा गया कि कहां पर कोर्ट चल सकता है और कहां पर मुंसिफ रहेगा। सारे जिले में प्रचार हुआ, लेकिन बाद में सारा मामला टांय-टांय फिस हो गया। इसकी जांच होनी चाहिये। जनता की जो आकांक्षाएं हैं उनको आपको संतुष्ट करना चाहिये।

मैं कुछ बातें सूचना विभाग के बारे में भी कहना चाहता हूं। जनता की जो विशेष आकांक्षायें और शिकायतें अखबारों के जरिये आती हैं उनको यह विभाग सरकार तक और सरकार की जो नीति हैं उसको प्रचार और प्रसार के माध्यम से जनता तक यह पहुंचाता है। लेकिन क्या हमारे राज्य का सूचना विभाग अपने इस उद्देश्य में सफल रहा है ? मैं कहता हूं कि नहीं, यह सफल नहीं रहा है। पूर्णरूप से असफल रहा है। आज अगर हम देखें कि राज्य के कितने जिलों में सूचना अधिकारी और उनके आफिसेज हैं ? इनके होने पर ही तो सरकार यह दम्भ कर सकती है कि वह अपनी नीतियों को जनता के पास तक पहुंचा सके। यह मालूम हुआ कि शायद इस बजट में 10 जिलों में सूचना अधिकारियों तथा उनके कार्यालयों को खोलने की यवस्था की जा रही है। हमारा मैनपुरी तो पिछड़ा हुआ जिला है। मालूम नहीं क्या उस जिले का नाम भी इसमें है अथवा नहीं ? यह भी जनता की ही बात है कि जो आगे बढ़े हुये जिले हैं, वहां पर ही ये सभी सुविधायें आसानी के साथ उपलब्ध हो जाती हैं और पिछड़े हुये जिलों को कोई नहीं पूंछता। जिस तरह से इस विभाग का ढांचा है, कैसे कैसे महान लोग इसमें बैठे हैं और काम करने की क्या पद्धति है और किस प्रकार से नियुक्तियां होती हैं, प्रमोशन होते हैं, ये सभी बड़ी अजीबोगरीब बातें यहां पर हो रही हैं। सूचना अधिकारियों की जो नियुक्तियां पिछले दिनों हुई थीं, वह बड़ी ही मनमानी ढंग पर हुई थीं। न ज्येष्ठता का विचार और न मेरिट का विचार। इससे विभाग में एक बड़ा जबरदस्त असन्तोष व्याप्त हो गया है। पिछले दिनों चलचित्र निगम में भी कुछ नियुक्तियां हुई थीं, उसमें एक नियुक्ति असिस्टेंट मैनेजर की भी की गई थी। अभी यह पता चला है कि उस नियुक्ति पर जिन सज्जन को रखा गया है, वे न तो उस पद के लिये क्वालीफाइड हैं और न उनको उस काम का अनुभव है, बल्कि वे केवल आपके एक चहेते स्टेनो थे। केवल आपके स्टेनो होने से ही उस स्थान पर उनकी नियुक्ति कर दी गई। कोई इस पोस्ट के लिये अनुभव की अवश्यकता है वह उनके पास नहीं है, लेकिन क्योंकि वह चहेते थे इसलिये उनकी नियुक्ति हो गयी। ऐसे ही कंफर्मेशन के मामले में सरकार के स्पष्ट आदेश हैं कि तीन वर्ष की सर्विस के बाद कंफर्मेशन हो जाना चाहिये, लेकिन जांच पड़ताल करके पता चला कि लम्बे अर्से से कार्यरत अधिकारियों का आज तक कंफर्मेशन नहीं हुआ है। कुछ का इसलिये नहीं हुआ कि अधिकारी उनसे खुश नहीं और कुछका इसलिये नहीं हुआ कि उनकी फाइल रंगी हुयी है और नीचे से डाइरेक्टर महोदय के पास इनकी फाइल पेश ही नहीं की जा सकी। इस तरह का घोटाला तथा गड़बड़ी इस विधेयक के अन्दर चल रही है, जिसका कोई ठिकाना नहीं। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिये। अनिवार्य सेवा-मुक्ति के सम्बन्ध में मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इसके अन्तर्गत हमने ऐसा डर पैदा किया था कि जो भ्रष्ट अधिकारी होगा अथवा ठीक से काम नहीं करेगा वह वक्त से पहले नौकरी से निकाल दिया जायगा, लेकिन क्या इसका इस्तेमाल सही दिशा में सही लोगों के खिलाफ किया गया ?

बहुत से ऐसे कर्मचारी एवं अधिकारी हैं जिनका रिकार्ड अच्छा है, विशेष रूप से पुरस्कृत हैं, लेकिन उनको अनिवार्य रूप से सेवा-मुक्त कर दिया गया, जब कि गन्दे व भ्रष्ट लोग हैं वे आज भी कार्यरत हैं और उनके खिलाफ उंगली नहीं उठाई गई। मैं मुख्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि आज से अधिक अनुकूल अवसर आनेवाला नहीं है, लिहाजा अगर इमरजेंसी का उपयोग गलत तत्वों के खिलाफ नहीं किया गया तो आनेवाली पीढ़ियां हमको माफ नहीं करेंगी और वे हमको शिकायत की नजर से देखेंगी।

इस विभाग के जरिये जो विज्ञापन दिये जाते हैं उन पर भी जरा नजर यह सरकार डाल ले। लाखों-लाख रुपये का बजट विज्ञापन देने के लिये होता है लेकिन उनके देने का जो भी मापदंड है उसमें जो खरे उतरते हैं उनको तो विज्ञापन नहीं दिया जाता और व्यवहार में मापदंड की जो कसौटी है उस पर अमल नहीं किया जाता है। इसका नतीजा यह है कि जो लोग ऊपर के अधिकारियों को खुश कर लेते हैं, विभिन्न तरीकों से वे मनमाने तरीके से विज्ञापन पा लेते हैं और जो सही अधिकारी होते हैं, वे महरूम रह जाते हैं। इससे सूचना विभाग के खिलाफ विपरीत भावना हमारे मन में, विशेष कर बुद्धिजीवी लोगों के मन में पैदा हो रही है। इन सारी खराबियों को दूर करने की ओर सरकार का ध्यान जाना अनिवार्य है। इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)––

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी माननीय भीखालाल जी और एक अन्य कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य का भाषण सुन रहा था। उन्होंने पुलिस प्रशासन की कुछ घटनाओं के बारे में यहां पर चर्चा की। मान्यवर, मुझे ऐसा लगा कि 10 करोड़ का यह विशाल सूबा, नैनीताल, पौड़ी-गढ़वाल से लेकर बलिया और बुन्देलखंड तक का सारा इलाका जो है इसमें यदि एक-दो घटनायें हो जायं, तो उससे सारे प्रशासन का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। पुलिस प्रशासन, या जो जनरल प्रशासन है, वह पतीली का भात नहीं है कि एक चावल पक जाय तो सारा भात पक जाय। प्रशासन इससे नहीं आंका जाता। अभी जो माननीय सदस्य कह रहे थे उनकी बातों से ऐसा लगा कि सारी जेलों में निर्दोष लोग ही भरे हुये हैं और अपराधी स्वच्छन्द वातावरण में विचरण कर रहे हैं। मैं अपने जनपद के बारे में कहना चाहता हूं कि बलिया जिले में जितने भी अपराधी आपात्कालीन स्थिति में बन्द किये गये हैं, उनमें एक-आध को छोड़कर सभी सही मानों में बन्द किये गये हैं। कोई ज्यादती नहीं हुई है। अगर मैं यह भी कहूं कि वहां पर सारा प्रशासन ठीक चल रहा है तो यह भी अतिशयोक्ति होगी। माननीय सदस्य ने न्यायिक इन्क्वायरी या इनकाउन्टर के बारे में भी जिक्र किया। हमारे भीखालाल जी सदन के पुराने सदस्य हैं। उनको प्रशासन पर आरोप लगाते समय यह भी कहना चाहिये था कि फलाने-फलाने व्यक्ति हैं, जो कि निर्दोष हैं और वे बन्द किये गये हैं। हम भी जानते हैं कि इन्काउन्टर में लोग मारे भी जाते हैं। वैसे भी पुलिस सन्देह पर पकड़ सकती है लेकिन सारा जनमत जहां हो, यह ठीक है। हर डेमोक्रेटिक ऐक्शन इज जस्टीफाइड। जनमत जहां चले वहां प्रशासन को भी चलना चाहिये और यह सही भी है। किन्हीं–किन्हीं केसेज में तो पुलिस को गवाही ही नहीं मिलती है। पुलिस के पास कौन-सा रास्ता है? किसी चोर, डकैत या बदमाश से सारा इलाका त्रस्त होता है और यदि वह मार दिया जाता है तो सब लोग कहते हैं कि चलो अच्छा हुआ, हमारी जान छूटी। आम जनता में इसका समर्थन किया जाता है। अगर आपकी दो-एक घटनाओं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री काशी नाथ मिश्र]

से सारे पुलिस प्रशासन को दोष दिया जाय तो यह ठीक नहीं है। मैं माननीय भीखालाल जी से कहूंगा कि जो पुस्तिका आज पुलिस प्रशासन के सम्बन्ध में वितरित की गई है उसके पृष्ठ 6 पर लिखा है कि झांसी में 24 जुलाई, 1975 को एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके उससे 2 लाख 5 हजार रुपये का सोना बरामद किया गया था। तो यह भी पुलिस प्रशासन ही है कि एक आदमी से इतना माल पकड़ा गया। मैं यह भी नहीं कहता कि पुलिस प्रशासन बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रहा है लेकिन इधर 2 साल में जो सुधार इस विभाग में हुये हैं वह निःसंदेह प्रशंसनीय हैं। जन-मानस में भी पिछले 3/4 महीनों में अपराधों की घटनायें घटी हैं, जैसा कि आपको आंकड़ों से विदित होगा। मैं भीखालाल जी और अन्य सदस्यों से कह सकता हूं कि डाके और राहजनी के जो आंकड़े दिये गये हैं उनमें सन् 73 से 75 तक देखेंगे अपराधों की संख्या में घटोत्तरी हुई है। आप यह तर्क दे सकते हैं कि अपराध लिखे ही नहीं जाते। उसके साथ यह भी तर्क आ सकता है कि जो धूर्त किस्म के लोग हैं वे चोरी को डकैती का केस लिख दिया करते हैं। बहस का कोई आधार आपको बनाना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये से उत्तर प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूं कि पुलिस का काम कहां से शुरू होता है.....

श्री भीखालाल--

बहुत से धूर्त ऐसे भी होते हैं जो पुलिस की तरफदारी करते हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र ---

कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो झूठी रिपोर्ट भी लिखाते हैं। बड़े-बड़े स्मगलर्स हैं, फ्यूडअल्स हैं उनको पकड़ा जाय लेकिन उन पर राजनीतिक लोगों का दबाव पड़ता है। आप कहते हैं कि साहब रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, सुनवाई नहीं होती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि डिटरमिन्ड आईडियाज टु फाईट आउट दि लौज, अगर सारे मैजोरिटी के लोग, बहुमत के लोग चाहे कि बदमाशों से लड़ाई करनी है उसमें किसी को नहीं रोक सकते हैं। पुलिस का काम तो शुरू होता है, रिपोर्ट लिखने के बाद।

आज बहुसंख्यक जनता अगर अपराध करने पर आमादा हो जाय तो आप नहीं रोक पायेंगे। वैसे सही रास्ते पर चलने वालों की संख्या कम होती है। पलिस की वहां पर कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, जहां समाज में इस प्रकार के लोग प्रभाव डालते हैं और गलत काम करवाते हैं। (व्यवधान) बहुसंख्यक का मतलब वोट लेने से नहीं होता है। अगर कोई दो-चार आदमी गांव को डौमिनेट करते हैं और लोगों के ऊपर शासन करते हैं तो उसे उपाध्यक्ष महोदय, मैं सही नहीं मानता हूं। आज मैं भीखालाल जी से कहना चाहता हूं कि इसमें केवल वोट लेने की ही बात नहीं होनी चाहिये। आप इसे डिमोक्रेटिक एप्रोच नहीं कह सकते हैं। श्री भीखालाल जी ने दूसरे शब्दों में प्रशासन के अन्दर डिमोक्रेटिक एप्रोच की जरूरत की बात कही। आज ब्यूरोक्रेटिक आफिसरों से हमारे भीखा लाल जी या कोई जनप्रतिनिधि मिलते हैं और कोई बात कहते हैं तो वह अंग्रेजी लहजे में कहते हैं। दैट इज ट्रू, दैट इज राइट।

आज हमारे जिलों में पुलिस का काम जो है किसी जनप्रतिनिधि के कहने पर चलेगा या जो बड़े-बड़े ठगी करने वाले हैं, जो बड़े-बड़े सामंत हैं, उनके इशारे पर चलेगा। यह आज प्रश्न है। मैं जानता हूं कि हमारे सेक्रेटेरियेट में बैठने वाले लोगों से अगर जनप्रतिनिधि कोई बात कहते हैं तो उस पर निर्णय नहीं लिया जाता है। मैं कहना चहता हूं कि अगर कोई पब्लिक रिप्रजेंटेटिव कोई बात कहे तो एक समय के अन्दर हमको यह जबाब मिलना चाहिये कि मिश्रा जी आपकी डिफिकल्टी यह है और इसमें शासन का व्यू यह है। जो बात आप कहते हैं वह ऐसी नहीं है आप वोट की बजह से यह बात कह रहे हैं लेकिन तर्क इसके पीछे यह है। अगर कोई बात हम कहें तो उसे किसी न किसी रूप में जवाब मिलना चाहिये, उसे लटकाना नहीं चाहिये। मैं समझता हूं कि डिमोक्रेटिक एप्रोच का यह तौर-तरीका है। साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से यह बात कहना चाहता हूं कि आज कल यहां पर चर्चा

होती है कि यह जो 'सूट एट साइट का' अधिकार दिया है इससे और मनमानी पुलिस करेगी। तो मैं उस बात की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता जो हूं कि माननीय मुख्य मंत्री ने कही थी। आप कहते हैं कि इसका गलत उपयोग होगा। मेरी जहां तक जानकारी है कि 302 का मुकदमा दर्ज करने में बहुत सतर्कता से पुलिस काम लेती है। वह किसी को गलत नहीं फंसाना चाहते हैं 90 प्रतिशत पुलिस वाले जो हैं, सही बात लिखते हैं। हो सकता है कि कुछ थानेदार गलत फंसाते हों लेकिन 90 परसेंट केसेज में सही रिपोर्ट लिखते हैं। वह डरते हैं कि 302 के मुकदमें में कोई गलत आदमी न फंसे। हमारा देश जो है वह धर्म में विश्वास करता है, ईश्वर और खुदा में लोग विश्वास करते हैं, तो सूट एट साईट में मेरा ख्याल है कि पुलिस वाले गलत काम नहीं करेंगे। मुख्य मंत्री जी ने साफ कहा था कि जो राहजनी करने में पकड़ा जाय या डाका डालते हुए पकड़ा जाय और भागे या ट्रांसफारमर की चोरी कोई करता है, जो कि राष्ट्रीय अपराध है, उनमें सूट एट साईट का कानून लागू होगा। आप आज शहरों में जो बैंकों में लूट होती है, पुलिस वाले पीछा करते हैं, आदमी भाग जाता है, कलकत्ता से लोग यहां आकर डाका डालें या बिहार से लोग कलकत्ता जाकर डाका डालें तो उसमें सूट एट साईट करना ठीक होता है। तो इस स्थिति में इसे देखा जाय अगर क्रिमिनल्स के लिये न किया जाय तो शासन व्यवस्था कैसे चलेगी ?

कोई भी शासन की कुर्सियों पर बैठता है, उसका परम कर्त्तव्य हो जाता है कि किसी भी कीमत पर राज्य में कानून और व्यवस्था बनी रहे और इसको रोकने के लिये माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो आदेश जारी किया है वह अपनी जगह पर बिलकुल ठीक है और दुरुस्त है। अभी बहुत सी बातें यहां कही गई कम्युनल राईट्स के बारे में। मैं जानता हूं कि माननीय भीखालाल जी बहुत पुराने सदस्य हैं, राष्ट्रीय एकता के प्रबल समर्थक हैं और प्रगतिशील विचारों के हैं, फिर भी मैं उनसे कहना चाहता हूं कि कहीं एक-दो छुटपुट घटनाएं हो जाएं तो इस सदन में राष्ट्रहित और जिन नाजुक परिस्थितियों में हम गुजर रहे हैं, उनकी चर्चा यहां नहीं होनी चाहिये। उसको लिखकर आप मुख्य मंत्री के पास भेज सकते हैं, गृह–सचिव के पास और आई० जी० के पास लिखकर दे सकते हैं। मुरादाबाद में जो घटनाएं घटीं, उसकी कानाफूसी बड़े व्यापक स्तर पर हुई और जो अराजक तत्व हैं, उन्होंने इस आग को अन्य जगह भड़काना चाहा और इसकी पूरी कोशिश भी की और मैं जनता और प्रशासन को बधाई देना चाहता हूं कि इसके सबके बावजूद पुलिस प्रशासन इतना चुस्त रहा कि इसकी दुर्भावना दूसरी जगहों पर नहीं फैलने पाई और अराजक तत्व, साम्प्रदायिक तत्व इन दंगों को फैलाने में सफल नहीं हुए।

कल भी जो घटना हुई, हमारे दल के एक एम० एल० ए० के साथ पुलिस की ज्यादती के सम्बन्ध में, उस पर जो सरकार ने निर्णय लिया, वह भी एक सराहनीय कदम है। सवाल यह नहीं कि क्या घटनाएं घटी हैं, सवाल यह होता है कि कोई घटना घटे, कोई कत्ल हो, शासन ने उन पर तुरन्त कोई कदम उठाया या नहीं ? मैं सफाई के साथ कहना चाहता हूं कि पिछले दो तीन महीने में संगीन जरायम पेशे हुए हैं, उनका पता लगाने में हमारा पुलिस प्रशासन बड़ा ही चुस्त रहा है। मैं माननीय नारायणदत्त तिवारी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आई० पी० एस० रैंक के इतने बड़े अधिकारी एस० पी० को सस्पेन्ड किया गया है। यह हमारे प्रशासन की जागरूकता और चुस्ती का एक बड़ा उदाहरण है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतने बड़े अधिकारी को जनमत की भावनाओं के अनुकूल सस्पेन्ड किया गया हो।

श्री जगदीश नारायण त्रिपाठी--

यहां पर लोगों ने काम बन्द कर दिया, तो विवशता में उसे करना पड़ा।

श्री काशीनाथ मिश्र--

देखने की बात यह है कि कांग्रेस दल एक जागरूक लोगों की जमात है। गलत लोगों को हम दण्ड देना चाहते हैं। जो आप एक-दो, इधर-उधर की घटनाओं की बात करते हैं, उससे शासन की सही तस्वीर दृष्टिगोचर नहीं होती ह।

श्री अब्दुल बाकी (जिला आजमगढ़)--

भीखालाल मार खा जाएं तो क्या होगा ?

श्री काशीनाथ मिश्र--

एक साधारण आदमी के मार खाने पर भी वही होता है और भीखालाल जी तो बहुत बड़े आदमी हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं खासकर विजीलेन्स के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। समाज में चुने हुए लोग जिले-जिले में सभी जगह अपराध कराने के लिये मुस्तैद हैं और पुलिस के लिये आप यहां पर आलोचना भी करें, तो पुलिस का काम कितना काम्पलीकेटेड हो जाता है, यह आप और सबके सोचने की बात है। मैंने कल ही इस सदन में यहां कह दिया कि माननीय सदस्य लोग दवा लेकर बाहर बेचते हैं और मुझे इसकी पक्की सूचना मिली है तो कुछ लोगों ने उस पर एतराज किया। आज 10-15 लोग हमसे मिले हैं और उन्होंने कहा कि आपने बहुत ठीक किया, कई लोग ऐसा करते हैं और तीन-तीन सौ रुपयों की दवा लेते हैं। दो-तीन के नाम तो मुझे भी मालूम है, लेकिन लूंगा नहीं। पुलिस उनको भी पक? या उनको भी कानून की परिधि में लाया जाय, तो फिर बलवा मच जाएगा।

श्री भगवती प्रसाद (जिला फैजाबाद)--

आपने तो कहा था कि सब लोग ऐसा करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

यह कोई विवाद की बात नहीं है, आप बैठिए।

श्री काशीनाथ मिश्र--

सभी के बारे में मैंने नहीं कहा। तो इस बिजीलेन्स के बारे में जो मैं आप से कह रहा था, विजीलेन्स के काम के बारे में मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। विजीलेंस जो रिपोर्ट देता है और जो रिपोर्ट प्रशासन के पास आती है, वह सचिवालय में रख दी जाती है, असरदार लोग सिफारिश करके दबवा देते हैं। पुलिस और प्रशासन को ठीक करने के लिए एक ही तरीका अपनाया जाय। अगर यह कानून बनाएं कि इक्जीक्यूटिव आफीसर्स को कोई स्वेच्छा नहीं दी जायगी कि जैसा वह चाहेंगे वैसा करें। जो वह आदेश पारित करें, हर एक में कारण उन्हें बताना पड़ेगा। आज विजीलेन्स की तरफ से जो रिपोर्ट आती है, वह सिफारिश के तौर पर दबा दी जाती है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो रोग है सिफारिश का, यह माननीय सदस्य और सभी के लिए घातक है।

श्री उपाध्यक्ष--

भाषण के क्रम में बातचीत न करें। माननीय काशीनाथ जी भाषण के समय में बातचीत में लग जाते हैं तो व्यवधान पड़ता है।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मान्यवर, विजीलेंस विभाग, जो आपने रखा है, उसकी कोई उपयोगिता दिखे उस रिपोर्ट के मुताबिक शासन की तरफ से उन व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करना चाहिए। माननीय ईश्वरी सिंह की बातें मैं सुन रहा था। माननीय ईश्वरी सिंह का आक्षेप उसी प्रकार से था, जैसे किसी का कहीं पर कोई सबूत न हो। कहीं पर कोई बात जैसे बिना सबूत के रखी जाय। मान्यवर, कोई बात अगर रखी जाय, तो वह डाकूमेन्टरी सबूत के साथ रखी जाय।

श्री भीखा लाल––

आप किस आधार पर कह रहे हैं कि माननीय ईश्वरी सिंह ने निराधार बात कही ?

श्री काशीनाथ मिश्र––

आपने भी तो कहा है।

श्री भीखा लाल––

मैंने लिख कर दिया है।

श्री उपाध्यक्ष––

आप भी तो इसी प्रकार से कह रहे थे कि माननीय सदस्य दवायें बेचते हैं।

श्री ऊदल––

लिखकर दिया हुआ है।

श्री काशी नाथ मिश्र––

यह सरकार किस आधार पर लोगों को विज्ञापन, ऐडवर्टिजमेन्ट आदि देती है और क्या-क्या विज्ञापन देती है ? मेरी तो बात चलती नहीं है शासन में, मेरी अगर बात चले तो जो लोग मुख्यालय में, बहुत से बदमाश लोग एक-एक पन्ने का अखबार निकाला करते हैं, सूचना विभाग का काम है कि ऐसे लोगों की रिपोर्ट करे, जो स्टेन्डर्ड गिराते हैं, इन अखबारों को तुरन्त बन्द होना चाहिए। एक-एक सफे का अखबार निकालते हैं और वे लोग जर्नलिस्ट कहलाते हैं। मैं माननीय भीखा लाल जी का ध्यान ऐसे अराजक तत्वों की तरफ खींचना चाहता हूं जो पुलिस प्रशासन को ठीक से नहीं चलने देना चाहते हैं। इस तरह के अखबारों को बन्द कर देना चाहिए। ये लोग उच्च अधिकारियों पर असर डालते हैं। ये सारी बातें हैं। मान्यवर, मैंने बहुत ही कटु सत्य कहा है। लेकिन जब आप इन चीजों को मद्देनजर रखेंगे तभी हम लोग कुछ कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखें कि कई जगह कहा गया कि हरिजनों को गोली मार दी गयी। मैं कहना चाहता हूं कि आज हरिजन की एक आबादी है और अच्छी आबादी है। जो जम्हूरियत की राजनीति करते हैं और जो वोट और दल बनाना चाहते हैं, वह ही इसकी बात करते हैं। किसी थानेदार की हिम्मत नहीं है कि किसी हरिजन की रिपोर्ट को न लिखे।

हमारे जिले में एक घटना घटी। एक धोबी ने गलत रिपोर्ट लिखायी। एक धोबी डी-वाई० एस० पी० थे, उन्हीं को जांच दे दी गयी और मालूम हुआ कि वह घटना नहीं हुई। आज हरिजन बहुत ही जागरूक है और उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने जो हक-हकूक रखे हैं वह सभी लोग जानते हैं, किसी से छिपा नहीं है। वह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है। हमसे और आपसे ज्यादा रपट लिखाता है। यह कहना कि हरिजन की रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, यह केवल वोट लेने के लिए कहा जाता है और यह तथ्य से बिलकुल परे है। यह सारी बातें हैं। आपके माध्यम से मैं और भी बहुत सी बातें कहना चाहता था लेकिन मैं समझता हूं कि जिस तरह से पुलिस प्रशासन और जन प्रशासन चलना चाहिए उसमें काफी हद तक पिछले एक साल में बहुत ही सुधार हुआ है और इधर 3-4 महीने में जब से इमरजेन्सी लागू हुई है अराजक तत्व, असामाजिक तत्व और डकैतियों और चोरियों पर प्रशासन ने काफी हद तक काबू पाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इन शब्दों के साथ माननीय मन्त्री जी द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उसका समर्थन करता हूं।

एक सदस्य––

माननीय काशी नाथ मिश्र जी को धन्यवाद देना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—

जब आप भाषण करें तब दीजिएगा।

*कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला सुल्तानपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सदन में 12 वर्ष तक आलोचना करके देखा है, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ, आलोचना से काम नहीं चलता है तो मैं आर्गूमेन्ट करके देखूंगा कि शायद कोई काम चल सके। पुलिस के बारे में मैं कहना चाहता हूं। ज्यादा बात तो करनी नहीं है। बहुत सारे भाषण हो चुके हैं। माननीय भीखालाल जी ने भी बहुत सी बातें कहीं और माननीय काशी नाथ मिश्र जी ने उनकी बातों को काटा। मैं अपने क्षेत्र की थोड़ी बात कहना चाहता हूं और मेरा जो इस सम्बन्ध में अनुभव है, उसको कहूगा। पुलिस का निर्माण जो हुआ था वह अच्छे काम के लिए हुआ था। लेकिन अनुभव में यह आया है कि अधिकतर ये उल्टे ही रहे हैं और किस लिए रहे हैं, मैं दोनों व्यक्तियों की बात का समर्थन कर रहा हूं। माननीय भीखालाल जी का कहना है कि साधु लोगों को परेशान किया जाता है और बदमाशों को बचाया जाता है। माननीय काशीनाथ मिश्र जी का कहना है कि बदमाशों को पकड़ा जाता है और भले लोगों को बचाया जाता है। तो दोनों बातें सही हैं, कैसे सही हो सकती हैं उसका जवाब माननीय काशी नाथ जी ने दिया है। गांव की लेविल पर एक तबका है जो किसी भी मामले में दरोगा के पास पहुंचता है। पुलिस का मतलब यह नहीं है कि ऊपर के अधिकारी हों, बल्कि थाने से सम्बन्धित जो भी लोग हैं, चाहे वह कांस्टेबिल हों, चपरासी हों या अन्य लोग हों। ये सीधे पब्लिक के टच में आते हैं और उन्हीं के ऊपर सारा दारोमदार है। जैसा काशीनाथ जी ने कहा, मेरा भी यह अनुभव है कि 10 प्रतिशत ऐसे आदमी हैं, पुलिस के दरोगा जो अपने मन से काम करते होंगे और वे सही करते होंगे। 90 फीसदी ऐसे लोग हैं जिनको ग्राम के नेता लोग रिश्वत दिलाते हैं और अपना उल्लू सीधा करने के लिए डरवाते भी हैं और कभी-कभी यहां आकर माननीय मन्त्री जी को नमस्कार करके बाहर चले आते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए यह कह आया। वहां से चले यहां आये, मन्त्री जी के चरण छुए और नमस्कार करके कमरे से बाहर आ जाते हैं। उस आदमी को नजदीक भी नहीं जाने देते हैं जिसके लिए वे आते हैं और उससे कह देते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए मन्त्री जी को कह दिया है। उसका प्रभाव गांव के दरोगा पर यह पड़ता है कि ये तो मन्त्री जी के पास जाते हैं। इस प्रकार से वे यह तमाशा किया करते हैं।

यह सही है कि समाज में इस समय थोड़े जरायम बढ़े हैं, आबादी बढ़ी है, लेकिन पुलिस के आदमियों की संख्या में आबादी के हिसाब से कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। अभी मन्त्री जी ने बात ही बात में कह दिया कि नए थाने नहीं खोले जायेंगे। आबादी बढ़ती चली जा रही है, जरायम बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन थाने नहीं खोले जायेंगे और थानेदारों से यह कहा जायगा कि तुम्हारे यहां पर रिपोर्टें कम लिखी गई हैं, जरायम कम दिखाए गए हैं, इनको बढ़ाओ जिस थाने में रिपोर्ट ठीक लिखी गई है उनसे पूछा जायगा कि तुम्हारे यहां पर क्यों कम जरायम हुए और अगर किसी थाने में ज्यादा जरायम होते हैं तो उससे जवाबतलब किया जाता है कि तुम्हारे यहां पर ज्यादा जुर्म क्यों हुए हैं। तो इस परेशानी को दूर करने के लिए केवल मात्र यही एक तरीका है कि थानों की संख्या बढ़ाई जाय, एक थाने पर जो क्षेत्र पड़ता है, उसको कम किया जाय।

मैं खुद अपने क्षेत्र की स्थिति के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 3 ब्लाक्स हैं लेकिन थाना केवल एक है। उसमें 342 नम्बरी गांव हैं, पुर्वों को छोड़ कर। एक-एक गांव में, कुछ ऐसे भी गांव हैं, जिनमें 28-28 पुरवे हैं। थाने में केवल 20 सिपाही हैं, और 3 सब इन्सपेक्टर्स हैं। दूरी करीब-करीब 25 मील उत्तर दक्षिण और 25 मील पूरब दक्षिण की है। तो आप स्वयं सोच सकते हैं कि 20 आदमी कैसे कन्ट्रोल कर सकते हैं। 4 तो लगे रहते हैं सरकारी काम में और बाकी, जिनको

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कहीं जाना पड़ता है तो वे लौट कर थाने तक ही नहीं पहुंच पाते हैं अगर वापस जाते भी हैं तो इतने पस्त हो जाते हैं कि कहीं जा नहीं सकते हैं। नतीजा यह होता है कि सारा का सारा काम फर्जी दिखलाना पड़ता है, उसकी वजह से जरायम कभी रुक नही सकते। इस चीज को मैंने दो एक जगह देखा। दो एक जगह डकैती पड़ी। मैं वहां गया तो वहां पुलिस वाले पहुंच तो पाए नहीं, लेकिन वह यह तो कह नहीं सकते कि हमारे ऊपर काम इतना ज्यादा है कि हम नहीं पहुंच सकते, कहीं उनकी एफीशिएन्सी कम समझ ली जाय इसलिए झूठ-मूठ कहलाते हैं कि डकैती नहीं पड़ी। जिसके यहां डकैती पड़ती है, तो उससे कहते हैं कि तुम अपने यहां डाकू को बुलाकर बैठा लेते रहे होगे, इसलिए ताकि उनकी जान छूट जाय। यदि कोई डाकू को मार दे तो कहेंगे कि तुमने डाकू को नहीं गांव वाले को जान बूझ कर मारा है। यह सब इसलिए कहते हैं ताकि वह झंझट में न फंसें क्योंकि सही बात कहते तो बहुत दिनों तक दौड़ना प ेगा। तो पुलिस के अन्दर जो यह जरायम छिपाने की प्रवृत्ति है उसका एक मात्र कारण यह है कि उनकी संख्या कम है और काम अधिक डाल दिया गया है, वह पूरा नहीं कर पाते।

थोड़ा बहुत मैं विजीलेंस के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। अभी बहुत सी बातें आयीं। मेरा अपना अनुभव यह है कि वहां भी यही झगड़ा है। 12 एस0 पी0 पर 4 मोटर गाड़ियां है और पूरे सूबे भर का इन्तजाम करना है, बदमाशों को पकड़ना है, पता लगाना है कहां-कहां पहुंचेंगे ? उनके रहने को न तो कोई मकान है, न स्थान है सब उनके जिम्मे है। जहां जायेंगे तो वहां उनकी सुरक्षा भी अपने जिम्मे है। जैसा माननीय काशीनाथ जी ने कहा, यहां सेक्रेटेरियट के बड़े-बड़े आफिसर्स हैं वह जब तक उनको आदेश नहीं देते हैं, अपनी तबियत से नहीं जा सकते हैं और न जांच कर सकते हैं। और न ही जैसा मैंने पहले निवेदन किया, जो कान के पास बात करने वाले हैं यह पहले ही रास्ता बन्द कर देते हैं। तो मेरा निवेदन है कि विजिलेंस विभाग के जो ऊपर के अधिकारी हों सब, उनको कम से कम इतनी छूट दी जाय कि उनके पास कोई शिकायत अगर डायरेक्ट आती है तो वगैर यहां शासन की राय लिए हुए स्वयं उसकी जांच कर सकें। इतना तो जरूर उनके पास अधिकार होना चाहिए, नहीं तो वह भी तमाशा बन कर रह जाते हैं। जैसा कि हाउस मे रोज देखते हैं। मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी और जुडिशियल इन्क्वायरी में जो अन्तर लिया जाता है वही अन्तर उसमें आ जाता है। तो विजिलेंस को अगर काम करना है, उनसे काम लेना है तो इतनी छूट दी जाय कि उनके बड़े अधिकारियों के पास जो कोई डायरेक्ट शिकायत आती है तो स्वयं जांच कर सकें और जो खानापूरी करनी पड़ती है वह न करना पड़े।

श्रीमान् जी, पुलिस थानेदार को कहा जाता है कि रिश्वत लेता है। वह रिश्वत लेने के लिए मजबूर किया जाता है। मुझे ठीक से याद नहीं है, 1959-60 में जब माननीय पं0 कमलापति त्रिपाठी गृह मन्त्री थे तब भी मैंने निवेदन किया था। सरकार की तरफ से पुलिस थानेदार को मोटर साइकिल एलाउन्स मिलता है 30 रुपया माहवार और इसी सरकार के या केन्द्रीय सरकार का एक विभाग है एल0आई0सी0 उसका जो इन्सपेक्टर है उसको मोटर एलाउन्स मिलता है 130 रुपया। पुलिस वाले को वह केवल 30 रुपया मिलता है तो क्या पहले से ही प्रिज्यूम नहीं कर लेते हैं कि सौ रुपया कहीं और से लगाएगा ? एक घोड़ा अगर थानेदार के पास रहता है तो उसके भोजन के लिए जो रुपया मिलता है वह दूसरा है, वही घोड़ा एस0पी0 के पास रहता तो दूसरा रुपया है, वही अगर सरकार की लाइन में आ जाय तो दूसरा हो जाता है। तीन ग्रेड इसमें भी रक्खे गए हैं जब कि घोड़े की नाप तौल एक ही है। यह क्या है ?

[कुंवर श्रीपाल सिंह]

जब किसी मुकदमे में थानेदार को गवाहों को ले जाना पड़ता है तो उसे गवाहों को ले जाने के लिए सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिलता। अब जब थानेदार उनको ले जाएगा और अपनी जेब से खर्च करेगा तो उसके पास तो खाने को भी कुछ नहीं बचेगा। इसलिए उसे मजबूर होकर रिश्वत लेना पड़ती है। वह इन सारी चीजों से परेशान रहता है। उसके हाथ में अधिकार इतने अधिक हैं कि उसको रिश्वत मिल जाती है। अब तो सरकार ने उसको गोली मार देने तक के अधिकार दे दिए हैं। यह ठीक है कि प्रशासन कड़ा होना चाहिए, जब प्रशासन क ा होता है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। अगर प्रशासन ढीला होगा तो कोई व्यक्ति सुखी नहीं रह पाएगा। आज जो इमरजेन्सी की तारीफ की जाती है कि उसके होने से यह सब हुआ, मैं तो इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि पहले प्रशासन ढीला था, वह कड़ा हुआ तभी सब चीजें ठीक हो गयीं। शासन के माने ही हैं क ाई. मगर कड़ाई के साथ मैं यह भी अवश्य कहना चाहूंगा कि कहीं कोई निर्दोष व्यक्ति न फंस जाए और उसको बचाने के लिये सरकार को कोई न कोई ब्रेक देना प गा जिससे कि यह सिद्ध हो सके कि ऐक्शन सही लिया गया या गलत। जैसा माननीय काशीनाथ जी ने कहा, मैं भी जानता हूं, बहुत से थानेदार हैं जो बेहद ईमानदार हैं जिन्होंने कभी एक पैसा रिश्वत नहीं ली होगी। बदमाश को अगर वह पकड़ता है तो बुरी तरह पीटता है क्योंकि वह जानता है कि वह मुकदमें में छूट जाएगा, इसलिए उसे यहीं ठीक कर दो। डकैत आम तौर से छूट जाते हैं क्योंकि डर के मारे कोई उनकी शिनाख्त तक नहीं करता। यद्यपि 10-10 केसों में वे फंसे होते हैं। इसलिए वे छूट जाते हैं। तो ऐसे वान्टेड लोगों को गोली मार दीजिए, कोई हर्ज नहीं है, मगर निर्दोष लोग न फंसे यह ध्यान रखना चाहिए। एक दिन एक साहब विरोधी पक्ष के कह रहे थे कि एक बुड्ढे आदमी को डी0 आई0 आर0 में बन्द कर दिया और चार्ज यह लगा दिया कि वह तार काट रहा था। अब वह बुड्ढा आदमी क्या तार काटेगा? जब कोई और दफा नहीं मिली तो यही लगा दी। यह चीजें हमारे मस्तिष्क में यह प्रभाव डालती हैं कि पुलिस अपना काम सही नहीं करती है। इसलिए कुछ न कुछ चेक होना चाहिए। मैं माननीय काशीनाथ जी की हर बात से सहमत हूं। उन्होंने एक बात यह भी कही कि राजनीतिक लोग इनको खराब करते हैं। बिल्कुल सही बात है। आज भी यदि देखा जाय तो थाने में जितना काम होता है .....

श्री उपाध्यक्ष—

काशीनाथ जी, सुनने की कृपा करें।

कुंवर श्रीपाल सिंह—

उसमें से अगर अधिक नहीं तो 40 फीसदी तो जरूर राजनीतिक कारणों से होता है, मजबूरन, इसलिए कि अपनी नौकरी उन्हें बचानी है। उसमें एक चीज की रोक होनी चाहिए कि इस प्रकार की बातें न हों और जो सही काम हो उसे वह करें। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से यह निवेदन करूंगा कि आमतौर से पुलिस के सिपाहियों को शायद गाली देने की ट्रेनिंग दी जाती है क्योंकि जिस प्रकार की गालियां वे देते हैं वैसी गालियां दूसरी जगह तो सुनने को मिल नहीं सकतीं। एक रोज मुझे इसका अनुभव हुआ कि कुछ स्कूल के लड़के एक जगह इम्तहान देने गये थे। वहां से वह लौट रहे थे। रास्ते में कुछ लोगों से उनका झगड़ा हुआ, मारपीट हुई। कुछ गांव वालों ने उन ल कों को डाकू वगैरह समझ कर बांध दिया था। एक पुलिस वाला पहुंचा। उनको पक कर ले आया। उनके पास पूरा सबूत था कि वह पढ़ने वाले ल के हैं। उनके घर वाले आये और उनको छुड़ा कर ले भी गये। मगर उन लड़कों को सड़क पर बिठाल रखा था और एक पुलिस का चपरासी उनको गालियां दे रहा था। मैं इत्तफाक से अपने घर के पास था। सड़क पर मजमा देखा तो मैं भी देखने चला गया। उस वक्त मुझको सुनने का अवसर मिला। इस प्रकार की गालियां बगैर ट्रेनिंग के आदमी नहीं दे सकता।

एक थानेदार साहब मुझसे मिलने आये थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या आप के यहां गाली वगैरह देने की कोई ट्रेनिंग होती है। उन्होंने कहा कि जी नहीं— पहले का जाहिल जपाट रहा

होगा इसलिये उन्होंने भी उसी शब्द का प्रयोग कर दिया, ऐसा कह रहा होगा। मैंने उनसे कहा कि आप तो शायद पढ़े लिखे हैं तो फिर आप क्यों उसी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों से हमारी मुलाकात होती रहती है कि हमारी आदत पड़ गई है। जब तक मस्तिष्क का कन्ट्रोल जबान पर रहता है तब तक सही बोलते रहते हैं और जहां जरा आवेश में आए कि वही भाषा निकल जाती है। तो शासन को कोई न कोई तरीका ऐसा निकालना चाहिए कि उनको गाली देने की ट्रेनिंग खत्म कर के जरा सभ्य भाषा इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी जाय। चोर बदमाशों के साथ चाहे जो भाषा का प्रयोग करें लेकिन सब के साथ न करें।

तो जैसा मैंने निवेदन किया, मेरे निर्वाचन-क्षेत्र का एक थाना लम्भुवा है, जिसमें 442 गांव हैं। उसको अगर स्प्लिट कर के तीन टुकड़ों में कर दिया जाय तो वहां की बहुत कुछ समस्यायें हल हो सकती हैं। पूरे क्षेत्र में अकेले एक थाना है। अगर इस थाने के अलावा दो और आउट-पोस्ट्स उसमें बना दी जायं, एक चांदा और दूसरी कामतागंज बाजार में, तो इन तीनों के क्षेत्र बराबर-बराबर हो जाएंगे। तब डाकुओं की समस्या, जो सुल्तानपुर जिले में बहुत जबरदस्त पैदा हो गयी है, उसका निराकरण हो सकता है। पहले तो मुझे कुछ आशा थी कि शायद आलोचना करने के बजाय अर्ज करने से कुछ सुन लें, लेकिन हमारे मन्त्री जी ने पहले ही कह दिया कि थाने बढ़ाए नहीं जाएंगे। अगर किसी वजह से आप थाने बढ़ा सकते हैं और आपकी बढ़ाने की स्कीम हो तो मेरा निवेदन है कि कृपया इस पर ध्यान दें।

श्री धर्मवीर--

मेरी मंशा कदापि यह कहने की नहीं थीं कि थाने नहीं बढ़ाए जाएंगे। प्रश्न के उत्तर के सन्दर्भ में मैंने कहा था कि अगर किसी विशेष परिस्थिति में कहीं थाने की आवश्यकता पड़ेगी तो थाने बढ़ाए जा सकते हैं।

कुंवर श्रीपाल सिंह--

धन्यवाद, मेरा निवेदन है कि क्या आप जांच कराने के बाद वहां थाने बढ़ायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

आप आग्रह कर रहे हैं, इस पर वे गौर कर रहे हैं।

कुंवर श्रीपाल सिंह--

इसीलिए मैंने उनको धन्यवाद दिया है। (व्यवधान)

श्री प्रेमदत्त (जिला फतेहपुर)--

अभी तो पहले मुझे मिलना है, इनको कैसे मिलेगा ?

श्री धर्मवीर--

कुंवर श्रीपाल सिंह जी और श्री प्रेमदत्त जी से मेरा निवेदन है कि हम प्रयास कर रहे हैं। शासन की यह मंशा नहीं है कि कहीं विशेष आवश्यकता होगी तो भी वहां थाने नहीं बढ़ाए जायेंगे। प्रश्न के उत्तर में मैंने बतलाया कि जैसे नरौरा और सहारनपुर के हैवी एलेक्ट्रिकल्स में, जहां कि विशेष परिस्थिति है, फतेहपुर हो या सुल्तानपुर हो, वहां थाने की व्यवस्था की जाएगी। काशीनाथ जी ने भले ही मजाक में यह बात कही हो, लेकिन कितनी गम्भीर बात है यह, इसको उन्होंने नहीं सोचा। वही हंडिया का एक चावल है। जैसा कि मैंने आपसे कहा--आपके हर प्रशासन और हर अंग में लोग विश्वास नहीं करते हैं। उसका एक मात्र कारण यही है, जो आपने कहा कि कांग्रेस में आ जाइए, थाने बन जायेंगे। क्या मतलब है, इसका ? उपाध्यक्ष जी, मैं जो कुछ भी कह रहा था उसमें उन्होंने मुहर लगा दी।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मेरी मंशा कदापि यह नहीं थी कि कांग्रेस में आ जाइएगा तभी थाने बनेंगे। मैंने तो एक चुटकी ली थी। क्या जहां-जहां कांग्रेसी हैं, वहीं थाने हैं? जहां-जहां नहीं हैं वहां भी थाने बरकरार हैं।

कुंवर श्रीपाल सिंह--

क्षमा करेंगे, मैंने पहले ही कहा था कि चाहे माननीय काशीनाथ जी ने मजाक में ही कहा हो मगर उसका अर्थ कितना बुरा है, इसका प्रभाव कितना जबरदस्त होता है। जो बाहर का आदमी अगर इसे सुनेगा तो वह इसको मजाक नहीं समझेगा। उसके मस्तिष्क में यही चीज बैठी हुई है जो इसे रोज-रोज अपने गांवों में देखने को मिलता है और जैसा कि मैं पहले ही कहा चुका हूं, उसके ऊपर मुहर लग जाएगी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, आज भी निवेदन करता हूं कि राजनीतिक प्रेशर के अन्दर पुलिस से काम लेना बहुत खतरनाक चीज है है और बहुत गलत भी है। इस पर मैं एक वाकया याद दिला दूं, एक थानेदार साहब आए थे, उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने बतलाया कि राजनीति में हमें इस तरह के काम करने पड़ते हैं जो नहीं करने चाहिए। और उन्होंने बड़े खुले शब्दों में कहा--जिस दिन आप इस कुर्सी पर आ जायेंगे, जो आप कहेंगे, सही गलत वही हम करेंगे और कहेंगे। सही गलत शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया। तो मैंने बतलाया कि माननीय काशीनाथ जी मिश्र के मजाक में भी वही बात आ जाती है। मेरा निवेदन है कि श्री काशीनाथ जी जैसे उच्च कोटि के वक्ता यदि सदन में इस प्रकार की आलोचना करें और सदन में इस प्रकार की चीज कहें जिससे पूरे प्रशासन के ऊपर लांछन आ जाए, जिसे वे खुद भी न धो पावें तो यह अच्छा नहीं होगा। इसलिए गृह मन्त्री जी से मेरा निवेदन है कि आप इसकी जांच करा लें, मैं अपनी बात पर स्टिक नहीं करता, आप किसी अधिकारी से जांच करा लें कि लम्भुवा जो थाना है सुल्तानपुर में, क्या वहां का प्रशासन चुस्त हो सकता है जब तक कि यह स्थिति है जो कि इस समय वहां है। मैंने आपसे पहले ही निवेदन किया है 25-30 मील पूरब-पश्चिम और 20-25 मील उत्तर-दक्षिण जिसका एरिया होगा उस थाने में केवल 20 सिपाही और 3 सब-इन्सपेक्टर क्या कर सकते हैं? प्रतिदिन वहां किसी न किसी कोने में डकैती होती रहती हैं, जरायम बढ़ते रहते हैं, उसके सम्भालने के लिए, उसके सुधार का कोई तरीका नहीं है तो मैं निवेदन करूंगा कि जिस तरह से आज हमारे समाज के लिए डाक्टरों की आवश्यकता है रोग को रोकने के लिए, उसी तरह से पुलिस की आवश्यकता है जरायम को रोकने के लिए। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि पुलिस की संख्या बढ़ायी जानी चाहिए और बढ़ा करके उनके ऊपर उतना बोझ रखा जाय, उतना एरिया रखा जाय जितना कि वह कन्ट्रोल कर सकें। नहीं तो परिणाम इतना भंयकर होने वाला है, भीखा लाल जी भी कह रहे थे कि भयंकर स्थिति पैदा होगी, केवल एक मात्र इलाज है कि पुलिस परसौनेल बढ़ाए जाएं तब जाकर कुछ मामला रुकेगा।

एक चीज के बारे में मैं कहना भूल गया था। विजीलेंस में जो अफसर काम करते हैं उसमें ऐसा होना चाहिए कि कुछ परसेन्ट उसमें से लोग 2 साल या 3 साल के बाद जिला प्रशासन में भेज दिए जाएं और जिला प्रशासन से उतने ही परसेन्ट लोग विजीलेन्स में भेज दिए जायं। इससे दोनों लोगों के बराबर आते-जाते रहने से काम का तजुर्बा बढ़ेगा और विजीलेन्स के काम में इफीसेन्सी बढ़ सकती है। मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि आप पुलिस परसोनेल को बढ़ाने की कृपा करें।

श्री ए0 सी0 ग्राइस (नाम-निर्देशित आंग्ल-भारतीय)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। कानून और कायदा यह कहता है कि भीखालाल जी के कटौती के प्रस्ताव का विरोध करूं। पर उन्होंने उसको कुछ अच्छे तरीके से पेश किया है कि वाकई में जो बातें उन्होंने पेश की हैं उनको देखकर दिल नहीं करता है कि विरोध करूं। मैं सरकार से यह भी कहना चाहता हूं कि आज भी कोई न कोई थाने से हमारी कम्युनिटी के ऊपर पुलिस इतनी ज्यादती करती है कि मैं क्या कहूं। कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद या सब जगहों पर अगर किसी

बंगले के बेचारे लोग कहीं नैनीताल या बाहर जाते हैं तो पुलिस उसके ऊपर कब्जा कर लेगी। किसके लिए, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई या किसी और के लिए बंगला ले लेंगे। 36 नम्बर, लखनऊ में पुलिस थाने के 200 गज पर एक आदमी 50 साल से बंगले में रहता है वह बाहर गया था, उसमें दूसरा आदमी बस गया। दूसरा आदमी भीतर घुस गया। वह जब एफ0 आई0 आर0 लाज कराने गए तो ऐसी एफ0 आई0 आर0 लिखी गयी कि वह नान-कागनीजिबिल हो गयी। अभी तक लोग उसमें बसे हुए हैं। मैंने डिस्ट्रिक्ट नाजिर से कहा, डा0 ए0 सी0 दास वहां जा चुके हैं और बोले की एक हफ्ते में निकलवा देंगे लेकिन 2 महीने हो गए हैं आज कल होते-होते अभी तक दूसरे लोग घुसे हैं। किस तरह घुसे, पीछे से सीढ़ी लगाकर घुस गए आज भी सीढ़ी लगी होगी। मुमकिन है कि कोई पुलिस वाला सुनता होगा तो वह बोलेगा और सीढ़ी हट जाएगी, ऐसे तमाम केसेज हैं। दूसरा केस एंग्लो-इंडियन सज्जन का है। वह बाहर गए थे, बेचारे दूसरी जगह गए थे। उसका घर ले लिया गया। मैंने जब बाजपेयी जी से प्रार्थना की तो उन्होंने कहा कि वापस घर दे दिया जाय पर घर दिया नहीं गया। कुछ लोग हमारे पास आते और कहते हैं कि कुछ जगह दिलवा दो तो केस बन्द कर दूं। तो देखिए साहब मैं भीखालाल जी की सपोर्ट न करूं तो कैसे न करूं ?

(हंसी)

मैं खुद ही पशोपेश में फंसा हुआ हूं।

श्रीमन्, दूसरी बात यह है कि मेरा नाम ग्राइस है और पुलिस वाले ऊदल जी को पकड़ कर ले जायं और कहें कि तुम ग्राइस हो तो वह कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फेवर में निकाल दिया है कि कोई भी पकड़ा जाय डी0 आई0 आर0 या मीसा में तो वह कचेहरी में नहीं जा सकता है और इसलिए श्री ऊदल सबूत नहीं दे सकते हैं। इसलिए पुलिस को इतने अधिकार दे दिए गए हैं कि उसकी कोई पूछ नहीं है। जब से इमरजेन्सी आयी है तब से थोड़ा स्कूल, कालेज और शासन में डिस्सिप्लिन आया है। शुरू-शुरू में इमरजेन्सी का जो रुख था वह अब धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। पुलिस वालों की जास्ती यदि होती जाऐगी तो फिर ऊपर से तो शान्ति रहेगी लेकिन अन्दर-अन्दर क्षोभ बढ़ता जाऐगा। इसलिए पुलिस के आप हाथ मजबूत करें लेकिन यह नहीं कहा जाए कि शूट आन साइट। मैं, मान्यवर, मरादाबाद में एक एंग्लो-इंडियन थे उन्होंने बताया कि एक जगह डकैती हो गयी और डाकू पकड़े नहीं गए। पुलिस वाले पहुंचे तो 3-4 को पकड़ लाए और कहा कि तार काट रहे थे जबकि वह तार एक ट्रक वाले से लिया गया था। इसी प्रकार कानपुर से एक आदमी हमारे पास आया था और उसने कहा हमारे आदमी गिरफ्तार हो गए हैं, आप थाने हमारे साथ चलें। उसने बताया कि हम लोग शादी में जा रहे थे। एक पेड़ के नीचे बैठ गए और इतने में पुलिस वाले आए और कहा कि तुम्हीं हो, इतने दिनों से तुमको ढूंढ़ रहे थे, तुम डकैती में थे। इस प्रकार वह शादी जा रहे थे और पकड़े गए। यह बड़े हद की बात है।

श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि लांग डिस्टेन्स बसेज जो जाती हैं उसमें दो पुलिस वाले बैठते हैं बन्दूक लेकर। वह ड्राइवर के पीछे बैठते हैं। डकैती पीछे से ही होती है। हमने उनसे कहा कि तुम पीछे क्यों नहीं बैठते हो ? उन्हों कहा कि पुलिस वालों को बैठने की यह जगह दी है।

श्री धर्मवीर—

यदि आप कहेंगे तो एक आगे और एक पीछे बैठ जाएगा। वहां इसलिए बैठते हैं कि लोग आते रहते हैं और रुकावटें न पड़ें, उनको।

श्री ए० सी० ग्राइस—

जैसा आपने कहा यदि वैसा हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। अभी कुछ दिन पहल मुरादाबाद में चलती हुई बस को रोक कर पीछे से डकैती पड़ी है। मैंने इतनी जल्दी-जल्दी में अपने नोट्स लिखे हैं कि मैं खुद भी नहीं पढ़ पा रहा हूं। आखिर में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि राजा साहब ने जो कहा कि है यह सही बात है कि आबादी इतनी बढ़ गयी है कि पुलिस न बढ़ाई तो नियंत्रण नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसा न हो कि पुलिस की मदद से स्टरलाइजेशन की बात हो जाय। मैं प्रार्थना करता हूं कि पुलिस डिपार्टमेन्ट को इसमें इन्वाल्व न किया जाय। एक जज साहब से परसों हमने कहा कि स्टरलाइजेशन में क्या कर रहे हैं? वह बोले कि ग्राइस साहब तुम्हीं बताओ कि अगर कोई बेल मांगने आए तो क्या मैं उससे कहूं कि पहले स्टरलाइजेशन कराओ तब मैं तुम्हें बेल दूंगा। इसलिए पुलिस को इसमें इन्वाल्व न करें क्योंकि इससे झगड़ा फैलेगा और रुकेगा नहीं। आबादी ज्यादा हो गयी है और कुछ तरीका होना चाहिए जैसे बर्थ कन्ट्रोल। लेकिन जैसा कि हमारी प्रधान मन्त्री कहती हैं कि यह वालन्टरी होना चाहिए; परसूएशन से होना चाहिए। पुलिस के जरिए इसमें कोशिश न की जाय जैसा कि इलाहाबाद में हुआ था। आखिर में इसका समर्थन करता हूं।

कुमारी रमा पन्त (जिला अल्मोड़ा)—

उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुदान माननीय मुख्य मन्त्री जी ने प्रस्तुत किए हैं, मैं उनके सम्बन्ध में अपने विचार रखना चाहती हूं। मैं अपने विचार पुलिस, जिला प्रशासन और सूचना एवं प्रसारण तक ही सीमित रखने की आकांक्षी हूं। पुलिस के सम्बन्ध में अल्मोड़ा जिले की बात और सूचना एवं प्रसारण के सम्बन्ध पूरे पर्वतीय अंचल की बात मैं रखना चाहूंगी। पुलिस के सम्बन्ध में मुझसे पूर्व कुछ सदस्यों ने चर्चा की है, मुझे एक बात निवेदन करनी है कि पुलिस और जनता के बीच में जो सहयोग अपेक्षित है और जो सहयोग होना चाहिए, खास तौर से बीस सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के सिलसिले में, वह सहयोग और एकता नहीं है। इस बारे में जनता में भ्रान्तियां हैं। इसमें असत्यता हो तो इसकी जांच शासन और उच्च स्तर के अधिकारी कर सकते हैं, यह उनका काम है। लेकिन जब हम शान्ति-व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं तो जनता का सहयोग लेना चाहिए। आज तो यह होता है कि अगर कहीं कोई अपराध हो रहा है और चश्मदीद गवाह भी हैं तो भी वे दूर रहते हैं यह समझ कर कि हम कहीं खुद न फंस जायं क्योंकि पुलिस पर उनका विश्वास नहीं है। मैं यह नहीं कहती कि पुलिस के सारे कर्मचारी भ्रष्ट हैं और जनता उन पर विश्वास नहीं करती लेकिन कुछ बात ऐसी अवश्य है। यह पुलिस विभाग पर कलंक है, मैं तो इसको कलंक ही मानती हूं कि जनता को उन पर विश्वास नहीं है, तो उनको ऐसा करना चाहिए कि जनता का उन पर विश्वास बने। जब ऐसी स्थिति होगी तभी हम शान्ति-व्यवस्था कायम करने की बात सोच सकते हैं और अपराधियों को रोकने की बात सोच सकते हैं। मैं नहीं जानती कि इस बात में कहां तक सत्यता है, लेकिन यह कहा जाता है कि पुलिस निरपराध को भी फंसा देती है। कहां तक यह सत्य है कि मैं नहीं जानती, लेकिन यह भी है कि पुलिस और अपराधियों के बीच में सम्बन्ध होते हैं। यह भ्रांति की भी बात हो सकती है। लेकिन इसकी जांच करने की आवश्यकता है और अगर यह बात सत्य है तो पुलिस के अधिकारी या कर्मचारी किसी भी स्तर के हों उनको कड़े से कड़ा दन्ड मिलना चाहिए।

अल्मोड़ा जिले के सन्दर्भ में मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहती हूं। हमारा अल्मोड़ा जिला काफी बड़ा है। जनसंख्या तथा क्षेत्रफल दोनों के हिसाब से लेकिन अभी तक वह पुलिस डिस्ट्रिक्ट नहीं कहलाता है। हमारा पुलिस का जो कन्ट्रोल होता है वह एस० पी०, नैनीताल के द्वारा होता है। हमारे जिले में, जिला मुख्यालय में थाना चौकी है, तहसीलों में थाने हैं तथा कुछ स्थानों में भी छोटी-छोटी चौकियां हैं और जो बाकी काम होता है, उसको रेवेन्यू पुलिस देखती है। कुछ वर्षों से हमने यह देखा है कि हर एक क्षेत्र में विकास के प्रयत्न किए जा रहे हैं और इस सम्बन्ध में आने वाले दिनों में और अधिक पुलिस की आवश्यकता पड़गी, क्योंकि विकास के साथ ही साथ बुराइयां भी आती हैं। इसका कारण वहां पर रिजर्व

पुलिस का होना बहुत आवश्यक है। बीच में कुछ दुर्घटनायें हो गई थीं जिनकी जानकारी तो जल्दी हो सकती थी लेकिन एस0 पी0, नैनीताल का कन्ट्रोल होने के कारण उनका निराकरण इतनी शीघ्रता से नहीं हो पाया। इस कारण अल्मोड़े में इसकी व्यवस्था अवश्य की जानी चाहिए।

प्रशासन के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहती हूं कि जब 20-सूत्री कार्यक्रम आरम्भ हुआ है तो इसकी सफलता हमारा ध्येय है। इसके लिए अधिकारियों, कर्मचारियों तथा सभी का सहयोग वांछनीय है। इसमें आवश्यकता है कि हमारी तरफ से कोई ऐसी चीज न पैदा की जाय जिससे की असन्तोष की भावना पैदा हो। कम्पलसरी रिटायरमेंट के बारे में बहुत चर्चा आज कल हुआ करती है। कुछ अधिकारी और कर्मचारी, जो भ्रष्ट थे, उनको रिटायर कर दिया गया उनको सेवा से निवृत्त कर दिया गया। जहां पर यह सही है वहां यह भी सही है कि कुछ निरपराध और ईमानदारऔर कर्त्तव्यनिष्ठ कर्मचारियों को भी रिटायर कर दिया गया है। ईमानदार और कर्त्तव्यनिष्ट कर्मचारी भी इसके शिकार बन जाते हैं, यह दुख की बात है, जिससे कि असन्तोष की लहर पैदा होती है। इसी के साथ इस बात को भी जानने की आवश्यकता है कि कौन-कौन से अधिकारी और कर्मचारी सक्षम हैं, ईमानदार हैं और कौन-कौन से भ्रष्ट और खुशामद पसन्द। इसका क्या क्राइटेरिया है जिससे आप सक्षमता और असक्षमता का निर्धारण करते हैं? क्या चरित्र-पंजिका में जो नोट अंकित कर दिया जाता है उसी को आप आधार मानते हैं। कुछ स्थानों पर जो मैंने देखा है कि केवल चरित्र-पंजिका की एन्ट्री को ही आधार मानकर यह कर दिया जाता है। यह नहीं होना चाहिए? जो सक्षम और ईमानदार कर्मचारी हैं वे खुशामद पसन्द नहीं होते और न अपने भ्रष्ट कार्य से अधिकारियों को उस प्रकार से प्रसन्न ही कर सकते हैं। मैंने यह देखा है कि कुछ ऐसे कर्मचारियों को जिनका कार्य सन्तोषजनक था और उन्होंने अपने अधिकारी की खुशामद और खातिर तवज्जह नहीं की तो उसकी चरित्र-पंजिका में बैड एन्ट्री दे दी गई और उसको रिटायर होना पड़ा। मैं नाम नहीं लूंगी और अगर माननीय मुख्य मन्त्री जी चाहेंगे तो मैं सामूहिक रूप से उनको सारी बातें बताने के लिए तैयार भी हूं। निश्पक्ष और ईमानदार आदमी किसी की परवाह नहीं करता है और वह अपने काम को ही प्रमुखता देता है। इस प्रकार के सक्षम और ईमानदार आदमी को इन्ट्री के ही आधार पर रिटायर करके अन्याय नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे असन्तोष की भावना बढ़ती है। नहीं तो जो सरकार का उद्देश्य है और जो कदम उसने उठाया है, वह पूरा नहीं हो पाएगा।

मैं अब सूचना तथा प्रचार विभाग के बारे में कुछ विचार प्रकट करना चाहती हूं। मैं चूंकि पर्वतीय क्षेत्रों से आई हूं इसलिए वहां के बारे में मुझे व्यवहारिक तथा व्यक्तिगत रूप से ज्यादा जानकारी है। प्रसार तथा प्रचार का माध्यम एक मात्र अखबार है, रेडियो है। मैं यह मानती हूं कि 1 प्रतिशत लोग ही अखबार पढ़ते हैं, क्योंकि वहां आने जाने के साधन बहुत सीमित हैं लेकिन इन अखबारों की वहां उपयोगिता बहुत है। होता यह है कि दैनिक अखबार नाम-मात्र को निकलते हैं। ज्यादातर साप्ताहिक अथवा अर्द्ध-मासिक पत्र निकलते हैं। जब पास-पड़ोस के क्षेत्र में वह अखबार जाता है तो काफी चर्चा का विषय वह बन जाता है। शासन की नीति तथा उसके कार्यकलापों की जानकारी लोगों को उनसे मिलती है। उनमें स्थानीय समाचार भी रहते हैं। लोग बड़े शौक से उनको पढ़ते हैं और उन पर बहुत असर भी उनका होता है। मैं यह भी बताऊं कि पर्वतीय क्षेत्र की हालत अच्छी नहीं है। लोग बहुत गरीब हैं। सम्पादक तथा प्रकाशकों के लिए यह प्रश्न वहां है कि किस तरह से उन पत्रों को जीवित रखा जाय। मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि सरकार की ओर से उनको किसी न किसी रूप में आर्थिक

[कुमारी रमा पन्त]
सहायता दी जाय क्योंकि उन्हीं अखबारों के माध्यम से वहां की जनता को शासन की नीति, देश विदेश की खबरें तथा स्थानीय सूचनायें प्राप्त हो पाती हैं। अगर सरकार की ओर से इन साप्ताहिक पत्रों को विज्ञापन दिया जाय तो उनको काफी आर्थिक राहत मिल सकती है। इसके अलावा उनके माध्यम से सरकार की नीतियों का प्रचार तथा प्रसार भी होगा और जो कर्मचारी इन समाचार-पत्रों के अन्दर काम करते हैं उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा। लेकिन साथ ही इनके सर्कुलेशन की जांच भी की जाय और यह भी देखा जाय विज्ञापन देने के पहले, कि सरकार की सही नीति व कार्यकलापों को अपने अखबारों में प्रतिपादित कर रहे हैं अथवा नहीं? उनकी जो ग्राहक संख्या है उसकी जांच करना भी आवश्यक है वर्ना फिक्टीशस सर्कुलेशन दिखा कर वे विज्ञापन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं जो किसी तरह से ठीक नहीं है।

हमारें यहां आने जाने के साधन बहुत सीमित हैं। मनोरंजन के साधन भी बहुत कम हैं। सूचना विभाग की ओर से वहां नाटक मंडलियां, संगीत मंडलियां भेजी जानी चाहिए ताकि अल्मोड़ा जनपद के विभिन्न अंचलों में रहने वाले गरीब लोगों को मनोरंजन उपलब्ध हो सके, देश विदेश की सूचनायें उनको मिल सके और सरकार के कार्यक्रमों की सही जानकारी भी उनको हो सके। इस से जनता को प्रोत्साहन मिलेगा, जीने का उत्साह बढ़ेगा और राहत मिलेगी। ज्ञान संवर्द्धन के लिए रेडियो सेट्स का ज्यादा से ज्यादा गांवों में भेजना अत्यन्त आवश्यक है। ताकि जो सूचनायें या समाचार ज्ञानवर्द्धक हों वे जल्दी से जल्दी समाचार-पत्रों के आने से पहले उनको मिल जाया करें और साथ ही साथ उनका मनोरंजन भी हो जाय। कुछ समय पहले मैं सुनती थी कि अल्मोड़ा जनपद में रेडियो स्टेशन खोलने की बात चल रही है और उसके लिए सर्वे भी हो रहा था। लेकिन मझे नहीं मालूम किन परिस्थतियों में वह बात आगे नहीं बढ़ाई गई। इसलिए मैं प्रदेशीय और आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार से निवेदन करूंगी कि वह अल्मोड़ा जनपद में रेडियो स्टेशन खोलने की बात को आगे बढ़ाएं और उसमें ठोस काम हो तथा उसे क्रियान्वित किया जाय। हम तो यह भी चाहते हैं कि वहां पर टेलीविजन केन्द्र भी स्थापित किया जाय। क्योंकि वहां लोगों ने अभी इसका नाम ही सुना है देखा नहीं है और न ही इसके बारे में कोई जानकारी है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारे दूर-दराज के जो इलाके हैं उनमें टेलीविजनन का प्रसार हो सके। मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे बजट पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। अन्त में एक निवेदन और करना चाहूंगी कि हमारे यहां स्थानीय कलाकारों को कमी नहीं है। उन्हें रेडियो के कार्यक्रमों में भाग लेने का आप अवसर प्रदान करें। वहां के संगीत, नाटक, ड्रामा और लोक गीतों से सभी लोग प्रभावित हुए हैं। हम आशान्वित हैं कि हमारें इन कलाकारों को रेडियो के माध्यम से आगे बढ़ने का अवसर दिया जाएगा। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करती हूं। धन्यवाद।

*श्री प्रेमदत्त (जिला फतेहपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय मुख्य मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत अनदानों पर अपने विचार रखने का अवसर दिया। मैं उनके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, हम जानते हैं कि प्रजातन्त्र में पुलिस का रोल बहुत महत्व का होता है। मान्यवर, भारत ऐसे देश में, जहां पर बहुत बड़ी गरीबी हो और गरीबी के साथ-साथ देश के अन्दर कुछ ऐसे तत्व हैं जो देश में समाजावद और 20 सूत्री कार्यक्रम के प्रतिपादन में बड़े बाधक सिद्ध हो रहे हैं। इस सम्बन्ध में पुलिस का कार्य बड़ा ही गुरुतर और उत्तरदायित्वपूर्ण है। मझे खुशी है कि हमारी जो नई सरकार आयी है और उसने जो 2-3 महीने में ही काम किया है उससे पुलिस प्रशासन की इमेज जनता के सामने अच्छी आयी है। लेकिन साथ ही उसके सम्बन्ध में कुछ बातें मैं सुझाव के रूप में आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बात तो यह है कि, जैसा मेरे अन्य साथियों ने भी कहा है मझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे मुख्य मन्त्री जी और माननीय गृह मन्त्री जी इस बात का अनुभव कर रहे होंगे कि इतने बड़े प्रदेश में आज जो पुलिस का अनुपात है, वह बहुत कम है। यह प्रमुख कारण है कि जरायम आज कन्ट्रोल में नहीं आते। जैसा कि अभी माननीय भीखालाल जी ने कहा था कि हमारे प्रदेश की जनसंख्या के आधार पर पुलिस का अनुपात होना चाहिए। साथ ही साथ साधन भी होने चाहिए। मैंने देखा है कि पुलिस के जो सिपाही होते हैं, उनके लिए कोई आवास की व्यवस्था नहीं है और न रहने की ही कोई व्यवस्था है। हर थानों पर ऐसी व्यवस्था उनके लिए उपलब्ध होनी चाहिए, जिससे वे भी यह समझ सकें कि हम भी मनुष्य जीवन व्यतीत करते हैं। मान्यवर, इस प्रदेश में ज्यादातर ऐसे पुलिस थाने हैं जो कि सड़कों से सम्बद्ध नहीं हैं। वहां से आवागमन के साधन नहीं हैं ताकि वें अपने कार्य में सक्षम हो सकें। यह आवश्यक है कि हर थाने में टेलीफोन की व्यवस्था हो। वहां पर वायरलैस वगैरह का प्रबन्ध हो जिससे जुर्म करने वाले को मौका न मिल सके कि वह कहीं भाग जाय। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि वहां पर जीप का होना भी आवश्यक है। मैं जानता हूं कि समाज में उतने अराजक तत्व नहीं है लेकिन पुलिस के साधन न होने के कारण कुछ लोग समाज को परेशान करते हैं। इसलिए आवश्यक है कि इस ओर ध्यान दिया जाय और अगर बजट में पैसे की वृद्धि भी करनी पड़े तो वह की जानी चाहिए।

मान्यवर, मैं यहां पर कानून में परिवर्तन करने के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। जैसा कि सी0 आर0 पी0 सी0 में यह है कि अगर मुलजिम को 60 दिन के भीतर चार्ज शीट नहीं दिया गया तो उसे अधिकार है कि 167 जाब्ता फौजदारी के अन्दर बेल एप्लीकेशन दे दे, उससे उसकी जमानत मिल जाती है। मैं नहीं समझता कि आज का जो क्रिमिनल है वह कोई मोटे दिमाग का है या कोई साधारण बुद्धि से काम करता है, बल्कि वह योजनाबद्ध तरीके से काम करता है। वह इस काम में सारी नई टेक्नीक्स अपनाता है जो कि आज कल दुनियां में चल रही है। तो इस तरह के योजनाबद्ध अपराधों का 60 दिन के अन्दर पता लगाना पुलिस के लिए कठिन होता है। मान्यवर, यदि आज कोई कत्ल का मुकदमा आता है तो उसमें 60 दिन के भीतर चार्जशीट करना कठिन होता है, 396 का मुकदमा दायर करना कठिन होता है। तो मैं चाहता हूं कि इसमें हमारे यहां संशोधन किया जाय।

इसी तरीके से मैं एक और बात कहना चाहता हूं। मैंने कहा है और-और लोगों ने भी कहा है कि पुलिस अपने अधिकारों का दुरुपयोग करती है। कुछ तरीका भी हो गया है कहने का, पुलिस का सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए कहने का, कि अगर नेतागीरी का काम कराना है तो उनसे कहो। तो वह भाषा बुरी लगती है। इस पर कोई इस प्रकार का आदेश होना चाहिए कि अगर किसी भी सामाजिक कार्यकर्त्ता या राजनैतिक कार्यकर्ता से थानेदार इस प्रकार का व्यवहार करें तो उसके खिलाफ ऐक्शन होना चाहिए, चाहे उसे सस्पेन्ड करें या कोई और सजा दें।

मान्यवर, हमारे यहां एन्टीसिपेटरी बेल को शासन ने समाप्त कर दिया है, यह कह कर कि आर्थिक अपराधों की तादाद बढ़ रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आर्थिक अपराधों में एंटीसिपेटरी बेल समाप्त कर दी जाय लेकिन राजनैतिक या सामाजिक कारणों में एन्टीसिपेटरी बेल देने का अधिकार मैजिस्ट्रेट को होना चाहिए। इसलिए इसे पुनः जारी किया जाय, यह मेरा सुझाव है।

इसी तरीके से मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि हमारे यहां जो डकैतियां या चोरियां होती हैं उसमें आप देखेंगें कि मुलजिम पकड़ा जाता है लेकिन सामान बरामद नहीं होता है। तो मेरा सुझाव है कि रिकवरी के मामले में ऐसा किया जाय कि जो दरोगा चोरी और डकैती

[श्री प्रेमदत्त]

का माल रिकवर करे उसे उसी आधार पर प्रमोशन मिले। अगर इसे मापदन्ड बनाया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि जब मुलजिम पकड़ा जाता है और माल नहीं मिलता है तो उसमें सन्देह होता है कि कहीं गलत आदमी को तो नहीं पकड़ा गया है, अगर माल मिल जाय तो फिर वह फूल प्रूफ हो जाता है। मैं तो कहूंगा कि अगर कोई दरोगा रिकवरी दिखाए उसमें से उसको 5 परसेन्ट या 10 परसेन्ट इनाम के रूप में दे दिया जाय क्योंकि जिसका सारा सामान चला जाय उसे रिकवरी होने पर उसमें से 5 परसेन्ट या 10 परसेन्ट देने में एतराज नहीं होगा। इस तरह से दरोगा को भी उसमें इन्टरेस्ट होगा दो उसके इन्ट्रेस्ट हो जायेंगे। एक रिकवरी का और दूसरा पैसे प्राप्त होने का। इसको आपको करना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इससे रिकवरी ज्यादा होगी और इससे अपराध भी घटेंगे। जब अपराधी के यहां से माल बरामद हो जाएगा तो उसके अपराधी सिद्ध होने की पूरी सम्भावनायें हो जाएगी। इसलिए इसको करने के लिए हमारे मंत्री जी को अवश्य ध्यान देना चाहिए।

इसी तरह के लाइसेन्स के बारे में मुझे शिकायत करनी है। गांव के सामाजिक कार्यकर्ता लोंगों के पास पैसा नहीं होता है। आज कल लाइसेन्स लेने के लिए बंधा हुआ है डेढ सौ रुपया थाने पर दे दो, डेढ़ सौ रुपया तहसील में और डेढ़ सौ रुपया एन0 डी0 सी0 को दे दीजिए। बस लाइसेंस मिल जायगा। इस तरह से 8-9 सौ रुपया में लाइसेन्स मिलना उचित नहीं है। इसके लिए पुलिस की संस्तुति होनी चाहिए कि यह आदमी उचित है इसको लाइसेन्स दिया जाए। इससे आदमी को सामाजिक कार्य और अच्छे कार्य करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा वह इसे बतौर इनाम के मिलेगा। अतः इस पर विशेष ध्यान दिया जाय। जो नए लाइसेन्स ईश्यू होते हैं, उन्हीं की बन्दूकें और कारतूस प्रायः डकैती में जाती हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि इसमें सख्ती से काम हो और अच्छे आदमियों को ही प्रश्रय देना चाहिए।

अब मैं अपने जिले के बारें में कुछ कहना चाहता हूं, मेरे अलावा बहुत से ऐसे जिले हैं, जहां रीवर बोट नहीं है। हमारे इलाके में फतेहपुर जनपद के दक्षिणी हिस्से में यमुना नदी का वार्डर है। वहां होता यह है कि हमारें यहां मध्य प्रदेश से डकत आते हैं और लूट मार करके चले जाते हैं। रीवर वोट की व्यवस्था हो जाए, तो गर प्रान्त के लोग जो आते हैं उन पर एक तरह का चेक लग जाए। इसलिए नदी किनारे के स्थानों पर रीवर बोट की व्यवस्था करना बहुत जरूरी है। इसी तरह से हमारे जनपद में लाखों रुपए की फसल खलिहानों में जल जाती है। एक तरफ हम बीस सत्री कार्यक्रम में अधिक अन्न पैदा करने पर जोर देते हैं और वहीं जब हमारा किसान अपनी गाढ़ी कमाई से अन्न पैदा करता है, तो उसमें आग लग जाती है, तो उससे मुझे बड़ा कष्ट होता है। इसलिए मेरें जिले में एक फायर-ब्रिगेड की व्यवस्था कर दी जाए, जिससे इस तरह की अग्निकांड की घटनाओं से फसल नष्ट न होने पावे।

मुझे एक खास बात और कहना है, किसी का हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, कोई आक्रमण करके किसी का अंग-भंग कर दे, तो 325 बनता है और वह बेल-एबुल आफेन्स बनता है और दो रुपए की चोरी नान-बेलेबुल अफेंस है। तो क्या मनुष्य के शरीर के किसी अंग की दो रुपए के सामने कम कीमत है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि यह कानून किसने और कैसे बनाया। यदि किसी आदमी का अंग-भंग होता है तो वह बेल-एबुल अपराध होता है। 323, 324 व 325 के अपराध बेलेबुल हैं और 379 और 411 के अपराधी नान-बेलेबुल हैं। यह आज इस सदन को तय करना है कि क्या मनुष्य के जीवन से सम्पत्ति ज्यादा महत्व रखती है? यदि नहीं, तो इन दफाओं को उलटा करना पड़ेगा। यदि कोई आदमी किसी पर हमला करता है तो वह नान-बेलेबुल होना चाहिए, उसकी जमानत नहीं होनी चाहिए। मन्त्री जी इस कानून को बदलने पर गम्भीरता पूर्वक विचार करें। मैं समझता हूं कि इस कानून को बदलना एक बहुत बड़ा सामाजिक, एक तरह से समाज के लिए बहुत हितकर होगा। इससे जनता को बहुत लाभ होगा और यह जो मारते-पीटते हैं, इनकी जमानत नहीं होनी चाहिए। 323, 325 की जमानत थाने से हो जाती है और अगर दो रुपए की चोरी है, तो उसे डिप्टी साहब के पास पेश किया जाता है और तब जा करके दो दिन के बाद नम्बर आता है, तब उसकी जमानत हो

पाती है। मान्यवर, इस चोरी की अपेक्षा मनुष्य की कीमत अधिक है। इसलिए जो मार-पीट का कार्य करते हैं, उनकी जमानत नहीं होनी चाहिये। इसके लिए कानून में परिवर्तन करना पड़ेगा।

मान्यवर, मेरी समझ में नहीं आता कि जो जआ खेलते हैं, जिसे मारल-डेस्टीट्यूट कहते हैं, अगर इस जुर्म में कोई नगद दाखिल कर देता है तो वह एलेक्शन लड़ सकता है और उसे मुकदमा नहीं लड़ना पड़ता है। मान्यवर, इस परिभाषा का बदलना चाहिए। अगर कोई आदमी किसी के शरीर पर मारता है तो उसको चुनाव लड़ने को अधिकार नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं कि इसको बदलने की कृपा करेंगे। इसी तरीके से थाने की बात मैं क्या बताऊं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में यमुना नदी कैनाड है। वहां पर कोई थाना नहीं है। होता यह है मान्यवर, कि वहां पर जब कोई घटना हो जाती है तो पुलिस को जल्द खबर नहीं भेजी जा सकती है। वहां से थाना जो है, वह बहुत दूर है, । वहां पर डकैत रहते हैं वे इन्दिरा गांधी जिन्दाबाद, बीस सूत्री जिन्दाबाद, इस तरीके से एलानियां कह कर नारे लगाते हैं। 2-4 महीने की घटना बताऊं हमारे यहां पर एक सिपाही मारा गया। तो आवश्यक है, उन इलाकों में जो नदी के किनारें हैं, रेवाइन्स के किनारे हैं, वहां पर आप पुलिस के कमीशन के कानून को आप छोड दीजिए। वहां पर नक्शे में बैठ कर 100 किलो मीटर का डाएमीटर नहीं देखना चाहिए। इसका सर्वे कराना चाहिए। सर्वे इस तरह से कराना चाहिए जिससे मालूम हो, किसी ने किया है।

मेरी कांस्टीट्यूंसी बिरनई द्वारिकापुर है। वहां थाना बिरनई में है और द्वारिकापुर चांदपुर में है। तो इस तरह से थाने का बंटवारा कैसे करेंगे अगर उनको यह जानकारी होती कि दोनों गांव मिले हुए हैं, तो जिस तरह की रिपोर्ट भेजी है उस तरह की रिपोर्ट न भेजी जाती। हमारे यहां पर मलवा थाना बना हुआ है, मझिला से 5 मील की दूरी पर है और जहां पर 25 मील की दूरी है, वहां पर थाने नहीं बनाए गये हैं। मेरा निवेदन है कि चाहे आप पुलिस कमीशन से फिर से रिपोर्ट मंगावें परन्तु जहां पर थाने दूर-दूर हैं, वहां पर पास-पास थाने होने चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि जो हमारे माननीय मन्त्री महोदय हैं, इस पर विचार करने की कृपा करें।

मान्यवर, एक बात मुझे अखरा करती है कि हमारे यहां चौकीदार जो होता है वह हरिजन होता है और जिलों की बात तो मुझे नहीं मालूम है लेकिन मुझे अपने जिले की बात मालूम है कि वह हरिजन होता है और उसकी तनख्वाह कितनी होती है, आप सब जानते हैं, 10-15 रुपए होती है, यह तो कितना मजाक है। मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने कभी इस बात पर विचार किया है ? वह राज्य की सेवा करता है और उसे केवल 10 रुपए मिलता है। वह बेचारा औरत की तरह से काम करता है तो उसे 10 रुपए देकर आप कहां का समाजवाद लाना चाहते हैं ? तो मैं जोर देकर कहता हूं कि उसको कम से कम 100 रुपए तनख्वाह दी जाए। अगर आपके पास वित्तीय साधन नहीं हैं तो मैं कहता हूं इस पोस्ट को समाप्त कर दीजिए लेकिन इस तरह का मजाक मत कीजिए। यह हमारे लिए कलंक है। 20 सूत्री कार्यक्रम का आप नारा देते हैं।

अब मैं एक दूसरी बात और कहना चाहता हूं कि इसमें एक धारा है 109- की। मान्यवर, मैं इसको भी मजाक समझता हूं। आप रिकार्ड मंगाकर देख लें तो सभी में यही पायेंगे कि खुसर-खुसर कर रहे थे, इनके पास माचिस थी, और एक को पकड़ लिया, एक भाग गया। ये लोग 307 का और 302 का मुलजिम नहीं पकड पाते हैं और 109 का मुलजिम पकड़ लेते हैं। बेचारों के पास पैसा नहीं होता है। वह ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा नहीं

[श्री प्रेमदत्त]

होता है। उन लोगों को पकड़ कर 109 में बन्द कर दिया जाता है। तो मान्यवर, मैं कहता हूं कि इस धारा को समाप्त कर दिया जाए। अगर किसी व्यक्ति ने जुर्म नहीं किया है तो उसको बन्द करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। पुलिस को अपना कोटा पूरा करना होता है, इसलिए वह गरीब आदमी को इस धारा के अन्तर्गत बन्द कर देती है। मैं समझता हूं कि इसको बन्द कर देना चाहिए। यह गरीबों के लिए अभिशाप है। मैं मान्यवर, ज्यादा न कह कर इतना ही कहना चाहता हूं कि मैंने जो सुझाव दिए हैं तो मेरा पुलिस व्यवस्था से कोई विरोध नहीं है। पुलिस जब देश की रक्षक होगी तभी जनता उसका साथ देगी और अगर पुलिस रक्षक नहीं होती है तो जनता उसका विरोध करेगी। इन शब्दों के साथ माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का मैं समर्थन करता हूं।

श्री अम्बिका प्रसाद सिंह (जिला सुल्तानपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस के साथ ही साथ जो सुझाव माननीय भीखा लाल जी ने दिया या माननीय काशीनाथ मिश्र जी ने कहा और जैसा कुंवर श्रीपाल सिंह ने बीच का रास्ता अपनाया है। उसे हम दिखायेंगे नहीं। मैं अपने थोड़े से सुझाव आपके सामने रखना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष जी, हमारे जिले सुल्तानपुर में 16 थाने हैं और 48 सब-इन्सपेक्टर हैं, 32 हेड कांन्स्टेबिल और 360 कांन्स्टेबिल हैं। इस जिले में 16 ब्लाक हैं। अगर हर ब्लाक में एक थाना बना दिया जाए तो समन्वय होगा। आप जानते ही हैं कि पुलिस का कार्य काफी बढ़ गया है। केवल सुरक्षा व चोरी डकैती रोकना ही उनका काम नहीं रह गया है, उसको अब और भी काम करने पड़ते हैं। चारों तरफ से पुलिस की मांग होती है। मेला हुआ तो पुलिस की मांग, इम्तिहान हुए पुलिस की मांग, कलेक्शन होता है तो पुलिस की मांग, नहर वाले पुलिस की मांग करते हैं। गर्ज यह कि चारों तरफ से पुलिस की मांग होती है। तो कहां कहां पुलिस पहुंचेगी? यदि शान्ति व्यवस्था कायम करनी है, ला-एन्ड आर्डर मेन्टेन करना है तो पुलिस को जरूर बढ़ाना पड़ेगा चाहे प्रदेश को कितना भी खर्च वहन करना पड़े।

बहुत सी बातें तो कुंवर श्रीपाल सिंह जी ने कही। उन्होंने कहा कि करप्शन बढ़ाने के लिए परिस्थितियां पैदा होती हैं। मैं कहता हूं कि एक-एक थाना बिका करता है। बहुत से एस0 पी0 थानों को बेचते हैं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि हमारे एस0 पी0 ईमानदार हों, तो 50 प्रतिशत थानों की रिश्वत कम हो जाय। प्रदेश में जितने थाने हैं, उनकी जानकारी आप नहीं कर सकते हैं लेकिन 56 जिलों के जो हमारे एस0 पी0 हैं, उनकी जानकारी आप अवश्य करा सकते हैं। आपको इसके लिए अपनी सी0 आई0 डी0 को आदेश देना पड़ेगा ताकि वह एस0 पी0 लोगों का जायजा ले सकें। इस प्रकार से प्रदेश में 50 प्रतिशत थानों की रिश्वतखोरी बन्द हो जायगी, बंगलिंग बन्द हो जाएगी। हमारे प्रदेश में जितना भ्रष्टाचार समाप्त होगा, उतना ही स्तर हमारा ऊंचा होगा और प्रदेश की साख ऊंची हो जाएगी।

इस सम्बन्ध में मुझे एक घटना याद आती है। हमारे प्रदेश के एक नेता जो किसान मजदूर प्रजा पार्टी में थे और अब हमारी कांग्रेस में एम0 पी0 भी हैं, एक बार उनके चारों तरफ कार्यकर्ता बैठे हुए थे और कह रहे थे, कि क्या बात है कि हम लोग किसानों और गरीबों के लिए दौड़ते हैं। लेकिन इलेक्शन कांग्रेस जीतती है। उस वक्त उन्होंने बताया कि जिस नारे को लेकर तुम दौड़ते हो कांग्रेस उसको एनफोर्स करती है, लागू करती है और ईमानदारी के साथ लागू करती है। फिर उन्होंने 10-15 पदों के नाम गिनवाए और कहा कि तुम इनकी मूर्ति बनवा लो, जैसे पटवारी, कान्सटेबिल, दरोगा, कलेक्शन अमीन, और अन्य लोग, जिनका जनता से सम्बन्ध है और तब उन पर धूप दीप और नैवेद्य चढ़ाइए और कहिए कि हे कलयुग के देवता अगर तुम न होते और जनता की खाल न खींचते तो विरोधी दल मर गया होता। अगर प्रदेश से करप्शन समाप्त हो जाय तो हमारे सिद्धान्त, हमारे उसूल, हमारी नीतियां, हमारा 20 सूत्री प्रोग्राम बहुत सफल हो जाय।

अभी कुछ दिन हुए, मैं अपनी तहसील में गया था कादीपुर में। वहां पर एक किसान बैठा हुआ था। मैंने पूछा कैसे आए हो, उसने बताया कि वसूली में पकड़ कर आया हूं। मैंने पूछा क्या कर्जा अदा नहीं किया तो उसने कहा कि अदा तो कर दिया था लेकिन सरकारी खाते में खतियाया नहीं गया है। सियाहा नहीं हुआ है। तो हमने पूछा कि क्या किसान खाता भी लिखाएगा ? किसान ने बताया कि ये लोग कहते हैं कि पहले जमा कर दो फिर हिसाब-किताब होता रहेगा। उस आदमी ने यह भी कहा कि मैं जमा नहीं करूंगा चाहे मुझे कभी तक यहां पर बैठे रहना प। उसने मुझसे एक प्रश्न पूछा कि ये जो गरीब की खाल खींच कर रुपया सरकारी खजाने में गया क्या इसका कोई रखवाला भी है ? मेरी समझ में यह सवाल नहीं आया है। उसने कहा कि खजांची और तहसीलदार 4 1/2 लाख रुपया लेकर तहसील सदर के खजाने से गायब हो गए, मेरे पास कोई जवाब नहीं रहा। यहां सदन में जब आया तो सुना एक रिंग मशीन जिसकी कीमत 6 लाख रुपया होती है उस पर 17 लाख रुपया रिपेयरिंग में खर्च हो गया।

मान्यवर, करप्शन के विषय में मैं बताऊं कि मेरे जिले में कोल्ड स्टोरेज बना, डी0 सी0 एफ0 ने बनाया। बोर्ड ने चाहा कि 87 हजार रूपया संस्था को अधिक न देना पड़े, किन्तु निबन्धक ने प्राइवेट को देने के लिए मजबूर किया। ऐसा क्यों हो रहा है ? ये कठिनाइयां हैं। चीनी मिल का सवाल है। 1, 16 लाख रुपया ऐडवांस दिया एक पूंजीपति को 2 वर्ष पहले। 30 लाख उसका सूद होता है और वह मिल 2 वर्ष बाद तक बनने वाली नहीं है। तो यह ऊंचे किस्म की बंगलिंग देखकर मैं स्तब्ध रह गया। मैं कहता हूं कि हाजी मस्तान और बखिया को बन्द करके श्रीमती इन्दिरा गांधी, हमारी प्रधान मन्त्री अमर हो गयीं। मैं मुख्य मन्त्री से कहूंगा कि प्रदेश के ऊंचे स्तर पर जो बंगलिंग है, अगर उसको पकड़ कर बन्द कर देंगे तो आप भी अमर हो जायेंगे और कांग्रेस की साख बढ़ जाएगी। कांग्रेस की मर्यादा है, हमारे मुख्य मन्त्री जी समाजवादी विचारधारा के हैं और उनके हृदय में यह सच्चाई है और वह चाहते हैं इसको लागू करना। हमें उनसे आशायें हैं कि वह लागू करेंगे। विभागों में ऊंचे स्तर पर घपला होता है। चीनी मिल की गड़बड़ी की दरख्वास्त मैंने दी, मुझे भय है कि चूंकि बड़े-बड़े हाथ उस पर लगे हुए हैं वह सुनी नहीं जाएगी, लेकिन सुनाना मेरा कर्त्तव्य है। जो जनता गरीब टैक्स पेयर है, हम उसके नुमाइन्दे हैं। हम आप तक उसकी फरियाद करते हैं। मेरी फरियाद सुनी जाय या न सुनी जाय लेकिन मैं अपने कर्त्तव्य से सुबकदोश होता हूं। इस ऊंचे स्तर के करप्शन के सम्बन्ध में कुछ कहने की जनता की हिम्मत नहीं है गरीबों की हिम्मत नहीं है। हम लोगों को कहने के अलावा कोई अधिकार नहीं है। शासन को ही है शासन दृढ़ कदम उठा देगा तो कांग्रेस की साख बढ़ेगी। परसों शुक्रवार को एक कदम उठाया। विरोधी दल चैलेंज नहीं कर सकता कि शासन सुनता नहीं है और सख्त कदम नहीं उठाया जा सकता है। इसके लिए विरोधी दल को भी साधुवाद देना चाहिए....

श्री मीखा लाल--

दिया गया था।

श्री अम्बिका प्रसाद सिंह--

आप लोगों ने विरोधी दल ने भी धन्यवाद दिया। इन्हीं चन्द सुझावों के साथ उपाध्यक्ष जी, मैं ज्यादा नहीं समय लेना चाहता, आपको धन्यवाद देता हूं और बजट का समर्थन करता हूं।

श्री भगवती प्रसाद (जिला फैजाबाद)--

मेरा कटौती का प्रस्ताव है।

श्री उपाध्यक्ष—

आपको भी समय मिलेगा। (माननीय धर्मवीर जी।)

श्री धर्मवीर—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी इस माननीय सदन के सम्मानित सदस्यों ने सामान्य प्रशासन और पुलिस प्रशासन पर अपने बहुमूल्य सुझाव दिए हैं। जहां तक प्रश्न है पुलिस प्रशासन का, उस सन्दर्भ में मैं कुछ थोड़ा सा आपके सामने निवेदन करना अपना दायित्व समझता हूं कि ताकि हमारे माननीय सम्मानित सदस्यों को इस विषय में कुछ थोड़ी जानकारी भी होगी और उसके आधार पर उनका हमको सहयोग भी प्राप्त होगा।

मैं उनका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने बहुत ही बहुमूल्य सुझाव दिए हैं। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि जैसा कि हमारे साम्यवादी दल के नेता, श्री भीखा लाल जी ने कहा है कि प्रशासन का सारे राज्य और पुलिस प्रशासन का दायित्व है, बड़ा महत्वपूर्ण होता है। मैं समझता हूं कि उनकी यह बात अतिशयोक्ति नहीं है, पूरे प्रदेश की पुलिस का जो कार्यकलाप है उसका प्रभाव सारे विभागों पर पड़ता है। जिस प्रकार राष्ट्र की सुरक्षा का दायित्व हमारे देश की सेनाओं पर रहता है, सीमाओं पर वह सुरक्षा करते हैं, उसी प्रकार से प्रदेश के अन्दर, प्रदेश की विशाल जन संख्या के इतने विस्तृत प्रदेश के अन्दर शान्ति और व्यवस्था कायम रहे, हमारे प्रदेश की जनता और यहां की सरकार प्रदेश के विकास को आगे ले जाय, आर्थिक रूप से वह प्रदेश आत्म-निर्भर हो सके, इसके लिए शान्ति व्यवस्था बनाए रखना यह निसन्देह ही पुलिस विभाग का एक बड़ा ही महान, गुरुतर दायित्व है। वर्तमान परिस्थिति में, आपातकालीन स्थिति में, जिसकी मैं बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता, पिछले वर्ष इस प्रदेश और देश में क्या हालात हो गए थे, यह सारी जनता जानती है। हमारे राष्ट्र की नेता, प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने समय पर अपनी महान् सूझ-बूझ के आधार पर एक महत्वपूर्ण निर्णय ले कर आपातकालीन स्थिति की घोषणा कर के सारे देश की अखंडता की रक्षा की है और आपातकालीन स्थिति की घोषणा के बाद ही हमारे देश और प्रदेश की जनता ने अपने दायित्व को समझा और हमारे देश में एक महान् अनुशासन आया और वह अनुशासन देश, प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में आया है, नागरिक क्षेत्र में भी और प्रशासनिक क्षेत्र में भी और इस प्रकार इधर 5-7-8 महीनों में हमने जो उपलब्धियां की हैं उसके आधार पर हम यह निःसन्देह कह सकते हैं कि हमारे प्रदेश के विकास के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हमार देश और प्रदेश की आर्थिक सुदृढ़ता के लिए हमारे देश और प्रदेश में हर कीमत पर हमें शान्ति और व्यवस्था बनाए रखना है। इसीलिए इस प्रदेश के अन्दर पुलिस प्रशासन के अन्दर चुस्ती लाने के लिए हमारी नयी सरकार के गठन पर, जिसका नेतृत्व हमारे मुख्य मन्त्री, श्री नारायण दत्त जी कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन कदम-कदम पर सहयोग करके हमारे मुख्य मन्त्री जी की जो प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर कर के आर्थिक रूप में सम्पन्न बनाने की जो कल्पना है, उसको साकार बनाने में पूरी-पूरी मदद कर रहा है।

जिस बात की तरफ हमारे माननीय सदस्यों ने कुछ चिन्ता व्यक्त की है और उदाहरण दिए हैं कि कहीं-कहीं पुलिस ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है, मैं उन तथ्यों से इन्कार नहीं करना चाहता लेकिन मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इतने विशाल प्रदेश के अन्दर कहीं-कहीं छुटपुट जो घटनायें होती हैं उन पर तत्परता के साथ कार्यवाही की जाती है और वर्तमान सदन के अन्दर जो सत्र चल रहा है जो कुछ भी घटनायें माननीय सदस्य हमारे प्रकाश में लाए हैं प्रशासन ने बड़ी तत्परता के साथ उन पर कार्यवाही की है। वह चाहे हमारी राष्ट्र-नेता, इन्दिरा गांधी के आर्थिक कार्यक्रम को पूरा करने में बाधा डालने की बात हो, चाहे कोई अमानुषिक कार्य हुआ हो, वहां प्रशासन ने तत्परता दिखायी है और मुझे यह कहने में संकोच नहीं होता क्योंकि तथ्य है कि इस नयी सरकार के गठन के बाद ही दो-एक घटनायें 20 सूत्री कार्यक्रम को पूरा करने में कुछ ऐसे तत्वों ने जिन्होंने हमेशा स्वराज्य की लड़ाई में, जमींदारी प्रथा को तोड़ने में जिन्होंने विरोध किया है, जो प्रगतिशील नीतियों में विश्वास नहीं रखते वही तत्व अब भी हमारे समाज के अन्दर हैं, उन्होंने उसमें रुकावट डालने की बातें

की और उसके आधार पर कहीं-कहीं हमारे कमजोर वर्ग के ऊपर जिसके लिए प्रदेश की सरकार और हमारा दल बचनबद्ध है कि हम उनको हर प्रकार की सुविधा और समानता के अधिकार दे कर रहेंगे।

जहां कहीं भी किसी ने कानून और व्यवस्था बनाये रखने में रुकावट डाली है, शासन ने तुरन्त चुस्ती के साथ कदम उठाया है। जिस चीज की चर्चा माननीय भीखा लाल जी ने की, मैं समझता हूं वह देश या प्रदेश के हित में नहीं थी, लेकिन मुझे उन्हें यह सूचित करते हुय गर्व का अनुभव हो रहा है कि पुलिस प्रशासन ने ऐसे तत्वों को पकड़ने में और उन पर काबू पानेमें पूर्ण सफलता प्राप्त की जो इस आपातकालीन स्थिति में इस नयी सरकारके जमाने में शान्ति और व्यवस्था को भंग करने में लगे थे। वे तत्व कहीं पर हरिजन-हरिजन को लड़ाने का, कहीं हिन्दू और मुसलमानों को लड़ाने का, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं और किसी चीज को लेकर गड़बड़ी पैदा कराना चाहते थे। हमारे इन्टेलीजेन्स विभाग ने और पुलिस ने बड़ी तत्परता से उनका पता लगाया और कार्यवाही की। पुलिस की तत्परता के कारण ही उन लोगों की योजनायें सफल नहीं हो पायीं। इस प्रदेश के योग्य प्रशासन ने उनको ठंडा कर दिया। शायद ही कोई ऐसी घटना हुई हो जहां कोई षड्यन्त्र रचा गया हो और पुलिस ने 2-4 घंटे में ही उसका पता न लगा लिया हो और स्थिति पर काबू न पा लिया हो या ऐसे अराजक तत्वों पर, चाहे वह आर0एस0एस0 के हों, जन संघ के हों, सी0आई0ए0 के हों, आनन्दमार्गी हों, या मुस्लिम लीगी हों, हमारे पुलिस और इन्टेलीजेन्स विभाग ने पूरी तरह से चौकसी रखी है और उनकी कोई भी योजना सफल नहीं होने दी। इस प्रदेश की सरकार को समाप्त करके जो अराजकता की स्थिति वे तत्व लाना चाहते थे वह नहीं आ पायी। इस सरकार के योग्य प्रशासन ने जो भी कार्य किये हैं उसका सही मूल्यांकन कोई भी आज बिना भेदभाव के कर सकता है। हमने निष्पक्ष रुप से कार्य किया है। ऐसे तत्वों कोहम ने जेलों में भर दिया ताकि दूसरे लोगों की हिम्मत न पड़े। उसी का नतीजा हुआ कि प्रदेश में हर वक्त शान्ति व्यवस्था कायम रही। वे तत्व आज भी अन्दर ही अन्दर साजिश में लगे रहते हैं, मगर यह प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। आप इतना ही सहयोग करें कि जहां कहीं आपको ऐसे तत्व नजर में आयें उसकी सूचना आप हमें दें, मंत्रिमंडल के सदस्यों को उससे अवगत करायें, उस पर तुरन्त कार्यवाही की जायेगी।

जहां तक 20 सूत्री कार्यक्रम का संबंध है, उसे पूरा करने में प्रशासन को पुलिस की पूरी मदद मिली है। जहां-जहां पुलिस की मदद मांगी गयी है, पुलिस ने अपना पूरा सहयोग दिया है। पुलिस और प्रशासन में हर वक्त तालमेल रहा है।

मान्यवर, हमारा कमिटमेंट है कि हम उन लोगों से जिन लोगों ने अनधिकृत रूप से जमीन पर कब्जा कर रखा है, जमीन निकाल कर भूमिहीन हरिजनों को देंगे। पुलिस के सहयोग से प्रशासन अपने इस कार्य में तेजी से आगे बढ़ रहा है ऐसे लोगों के खिलाफ, जिन्होंने अनधिकृत रूप से जमीन पर कब्जा कर रखा है, पुलिस द्वारा भी कार्यवाही की जा रही है और भूमिहीनों को कब्जा भी दिलाया जा रहा है। हर जिले में पुलिस प्रशासन और अधिकारियों के बीच ऐसे तत्वों के बारे में सूचना मिलती है, सरकार तुरन्त तत्परता से कार्यवाही करती है वह उदाहरण आपके सामने मौजूद है। हमने कभी नहीं चाहा, न शासन की मंशा है कि किसी अधिकारी के मनोबल को ऊंचा करने के लिये किसी अधिकारी का पक्ष लेकर या किसी राजनीतिक प्रभाव को डाल कर कोई कदम उठाने में कोताही करें। वर्तमान आपके सामने हैं। हमें तो जनता के मनोबल को ऊंचा करना है और मेरा विश्वास है कि जिस

[श्री धर्मवीर]

तरह से आज पुलिस का प्रशासन चल रहा है उससे जनता का मनोबल ऊंचा रहेगा और हमारा प्रशासन आगे बढ़ सकेगा। अगर कोई ऐसे मिलें, जो इस सम्बन्ध में किसी तरह का भ्रम फैलाते हैं, तो उस भ्रम को आप को अपने में से निकालना होगा। शान्ति और व्यवस्था को कायम करने में किसी दल, किसी व्यक्ति का पक्ष लेकर कोई काम नहीं होगा, बल्कि निष्पक्ष रूप से जांच करके उस पर कार्यवाही की जायगी, इस पर आप भरोसा रखें। लेकिन साथ ही साथ मेरा निवेदन है कि कोई भी कदम उठाने से पहले आप इस बात का विश्वास कर लें कि जो तथ्य हैं, वे सही हैं या नहीं। बिना सही जानकारी किये जल्दबाजी में कोई कदम उठाना, इससे निश्चित रूप से जनता के प्रशासन पर असर पड़ता है। मैं इतनी आपसे अपेक्षा करता हूं कि किसी तथ्य की जानकारी करने के लिये आप हमें पर्याप्त समय दें जिससे किसी बड़े अधिकारी के खिलाफ भी कार्यवाही करने से पहले हम सही दिशा में काम कर सकें।

दूसरे प्रदेशों में शान्ति और व्यवस्था कायम करने के लिये जितना काम हुआ है, उससे हमारे यहां कम नहीं हुआ है। पुलिस एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड फोर्स है। हमें तो चारों तरफ दृष्टि रखनी पड़ती है और मुझे खुशी है कि हमारे यहां का पुलिस फोर्स प्रदेश के अन्दर शान्ति व्यवस्था कायम करने के लिये हर तरह से सजग है और सरकार भी सजग है। कुछ ऐसे तत्व जो, प्रदेश के अन्दर अशान्ति फैलाना चाहते हैं, उनको खोज निकालना होगा, चाहे वे प्रशासन के अन्दर हों, चाहे जनता के अन्दर हों। जो हमारी आजादी और शान्ति व्यवस्था के लिये खतरनाक हैं और जिनकी तरफ आपका संकेत है और आग्रह है, मैं भी आपसे आग्रह करता हूं, और पुनः इस बात को दोहराता हूं कि आप हमारे ऊपर विश्वास रखें। किसी प्रकार किसी भी कार्यवाही में कोई कोताही नहीं होगी। निष्पक्ष जांच की जायगी और सख्त से सख्त कार्यवाही की जायगी।

मुझे यह सूचना देने में गर्व होता है कि पिछले साल की अपेक्षा इस वर्ष और इस वर्ष की अपेक्षा ही नहीं, इस विगत तीन महीने के अन्दर पूरे प्रदेश में अनुशासन और शान्ति व्यवस्था में पर्याप्त सुधार हुआ है लेकिन जिसकी तरफ आपने थोड़ा संकेत किया है, प्रशासन में कुछ ढिलाई हो रही है। तो मैं कहना चाहता हूं कि यह भ्रममात्र है। आपातकालीन स्थिति में अगर प्रशासन लचर हो, कहीं ढीला हो तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपातकालीन स्थिति में देश और प्रदेश के अन्दर कहीं भी प्रशासन में लचर नहीं आया, जनवरी से इधर के आंकड़े अगर आप देखें तो मुझे खुशी के साथ कहना पड़ता है कि ला ऐंड आर्डर को मेनटेन करने में, क्राइम सिचुएशन को कंट्रोल करने में इधर ट्रिमेंडस सुधार हुआ है। वह केवल आपके सहयोग से। आपके सुझाव के आधार पर और सरकार की जो वर्तमान नीति है। इस सरकार के जो अगुवा हैं, जो नेता हैं उनके विश्वास के आधार पर ही पुलिस प्रशासन में पर्याप्त सुधार लाया गया है। तो आप इस बात का विश्वास रखे कि जो आपकी भावनायें हैं, जो आकाक्षायें हैं उसके अनुसार, प्रशासन उस दिशा में आगे बढ़ता जायेगा।

इसके साथ ही साथ मैं एक बात की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन को चुस्त बनाने के लिये उसमें पर्याप्त सुधार किये गये हैं और साथ ही साथ इस बजट के अन्दर जो बढ़ोत्तरी हुयी है, उसके अनुसार हमने प्रयास किया है कि हमारे पुलिस प्रशासन में चुस्ती आये और हर काम तत्परता से हो सके, जिससे जो क्राइम हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। इसके लिये हमने बजट के अन्दर कुछ प्रोवीजन किये हैं। 'गौरें कमीशन', 1972 में जो कमेटी बैठी थी, उसकी रिपोर्ट के आधार पर 42 लाख रुपये खर्च किये जा रहे हैं। 600 नये सब इंसपेक्टर भर्ती किये गये हैं और 3 सौ नये कांस्टेबिल भर्ती किये गये हैं। इसके साथ-साथ पुलिस प्रशासन को और चुस्त बनाने के लिये, जरायम को रोकने के लिये आवागमन तथा सूचना के साधनों को उपलब्ध किया जा रहा है, जिससे

आसानी से अपराधों पर कंट्रोल किया जा सके। सूचना के माध्यम से हर थाने को इंटर कनेक्टैड किया जा रहा है जिससे एक मिनट के अन्दर सूचना दी जा सकें और पुलिस सजग रहे। किसी भी थाने के अन्दर सूचना एक मिनट के अन्दर पहुंच जाय, इसके लिये हमारी नयी सरकार ने विभाग के लिये ऐसा प्रोवीजन किया है कि इस वर्ष के अन्तिम समय तक हमारे सारे प्रदेश के प्रत्येक थाने के अन्दर वायरलेस को सुविधा प्रदान कर दी जायगी।

(मेजों को थपथपाने की आवाजें)

इस व्यस्था से सारे प्रदेश के अन्दर जो थाने हैं, इंटर-कनेक्टेड हो जायेंगे, जिससे जरायम रोकने में काफी मदद मिलेगी और जरायम भी कम होंगे। इसके साथ ही साथ सारे प्रदेश के अन्दर कम्यूनल सेंसटिव एरियाज जो हैं, उनके अन्दर 10 नये कंट्रोल रूम खोलने की योजना इस वर्ष के अन्त तक पूरी हो जायगी। इसी प्रकार प्रत्येक थाने के अन्दर जीप उपलब्ध कराने के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि 100 जीपों का प्राविधान किया गया है। इससे सब थानों की पूर्ति तो नहीं हो पायेगी, लेकिन हमने इस और एक कदम उठाया है। हम आधुनिक साज-सामान पुलिस को उपलब्ध करना चाहते हैं, जिससे किसी प्रकार की कमी न रहे। अभी जैसा हमारे साथ प्रेम दत्त जी ने कहा कि आज के क्रिमिनल्स पुराने टाइप के नहीं रह गये हैं, वह योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं और इस तरह से करते हैं कि कानून और पुलिस की नजर से बच जाय। मैं कहना चाहता हूं कि कानून के हाथ लम्बे होते हैं और पुलिस चुस्त है। तो ऐसे सभी डकैतों, चोरों और जरायम पेशा करने वाले लोगों, जो लोगों का शांति और अमन खतरे में डालते हैं, उन पर नियंत्रण रखने के लिये प्रदेश की पुलिस को आधुनिक साज-सामान से सुसज्जित कर रहे हैं।

इसके साथ ही साथ ट्रेनिंग के बारे में हमारे कुंवर श्रीपाल जी ने कहा था, कि क्या कुछ लोगों को गाली देने की ट्रेनिंग दी जा रही है, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह ट्रेनिंग तो नहीं दी जाती है, अधिक कार्य की व्यस्तता के कारण मैं पुलिस ट्रेनिंग कालेज नहीं जा पाया हूं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि नये ए0 आई0 जी0 पद का सृजन किया गया है ताकि पुलिस कांस्टेबिल से लेकर अधिकारियों तक को नये प्रकार से ट्रेनिंग दी जा सके। इसीलिये हमने नये ए0 आई0 जी0 का पद सृजित किया है और नियुक्ति भी हो गयी है और काम भी चल रहा है। हम पुलिस को नयी ट्रेनिंग देकर साज सामान से सुसज्जित कर रहे हैं। साथ ही साथ इसलिये बजट पर थोड़ा सा प्रभाव भी पड़ेगा। हमें कर्मचारियों की तरफ भी देखना है। उनको कहीं मकान मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते हैं। बहुत से ट्रांसफर्स भी होते हैं। इन्टेलीजेन्स वाले, पी0 ए0 सी0 तथा सी0 आई0 डी0 के लोग सारे के सारे लोग पुलिस में जाना चाहते है। इन्टेलीजेन्स, पी0 ए0 सी0, सी0 आई0 डी0 का भी बहुत बड़ा दायित्व है। उनकी मांग भी किसी हद तक सही है। सरकार ने इसकी तरफ ध्यान दिया है कि उनको पूर्ण तया सुसज्जित कर सकें उनको सुविधायें पहुंचा सकें, उनको मकान की सुविधा मिल सके, अगर न मिल सके तो किराये से हम उनकी सहायता कर सकें। ताकि उनकी जो दिक्कतें हैं और जो कमियां है वह पूरी हो सकें।

इसके अतिरिक्त, जैसा कि श्री भीखालाल ने कहा था और शुरू-शुरू में मैंने भी पुलिस महानिरीक्षक से कहा था, कि हमारे माननीय सदस्य यहां शिकायती-पत्र प्रेषित करते हैं, जो आई0 जी0 को भेजे जाते हैं तो उनका इम्प्रेशन है कि आई0 जी0 से डी0 आई0 जी0 और उसके बाद सीरियल से एस0 पी0 से इंस्पेक्टर तक वह पहुंचतें हैं जो कि ठीक नहीं हैं। प्रशासन की तरफ स पत्र जांच के लिये जाते हैं जिनकी क्षेत्रीय अधिकारी (सी0 ओ0) जांच करते हैं।

[श्री धर्मवीर]

इस तरह कहीं न कहीं हमको विश्वास तो करना ही पड़ेगा और वह जांच करके विवरण शासन को भजते हैं। जब और प्रशर प ता है तो सर्किल आफिसर की पोस्ट और ब ढ़ायी जाती हैं। जिससे इस पर कुछ असर पड़ा है।

इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमरे प्रदेश में फायर स्टेशनों की कमी है। अभी हमारे मुख्य मंत्री जी 10 जगहों पर, जैसी की सूचना हमको दी है, इस वर्ष के अन्त तक प्रदेश के प्रत्येक जिले में फायर स्टेशनों की स्थापना हो जायेगी। इससे बहुत ब ा सुधार होगा और घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी। किसानों की फसल और संपत्ति का नुकसान होता है, जो कि राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान है इसलिये इसको रोकने के लिये फायर स्टेशनों की स्थापना हो जायगी। इस प्रदेश में सबसे बड़ी चीज शांति लाने के लिये जनता का सहयोग होना चाहिये। जब से कार्य-भार सम्भाला है तबसे स्थानीय अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित किया और चेतावनी भी दी है कि आज की परिस्थितियों में इमरजेन्सी में किसी भी व्यक्ति को इस बात की भावना नहीं होनी चाहिये कि पुलिस अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है। इसलिये आप कोई भी तथ्य हमारे सामने लायेंगे तो हम उस पर कार्यवाही करेंगे। जैसाकि माननीय सदस्यों ने कहा कि 10–15 पुलिस कांस्टेबिल रख कर चारों तरफ शांति व्यवस्था कायम रखें तो मुश्किल होती है क्योंकि काम बहुत हैं जैसे नहर की सुरक्षा, प्रोक्योरमेन्ट की व्यवस्था और शांति व्यवस्था। तो इस प्रकार काम बहुत हैं और वह नहीं कर पाते हैं। इसलिये कितनी फोर्स ब ावें कि यह सब हो सकें। अतः ज्यों–ज्यों हमारी शक्ति ब ेगी, हम इस ओर कदम ब ायेंगे। हम चाहते हैं कि जनता का सहयोग मिल जाय तो बहुत ब ी उपलब्धि हो सकती है। हमने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि गांव के अन्दर सुरक्षा की व्यवस्था रखने के लिये ग्राम–सुरक्षा समितियों का पुनर्गठन हो।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि अपने क्षेत्रों के जन्दर जाकर ग्राम–सुरक्षा समितियों का गठन करावें। हमने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि उसका काम चौकीदारी तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सुरक्षा समितियों के माध्यम से गावों के विकास में, गांव की शांति में, जैसा कि श्री भीखालाल ने बताया है कि गांवों में आर0 एस0 एस0 के एलीमेन्ट्स घुसकर उपद्रव करते हैं, तो उन पर कड़ी निगाह रखना है। इसलिए वहां के नागरिक पुलिस को सहयोग दें। उनको इस प्रकार का इन्टरटेनमेन्ट दें जिससे वहां के नागरिक समितियों में सम्मिलित हो। इस बात की भी शिकायत आयी है कि गांव सुरक्षा समिति में कमजोर वर्ग के लोगों से कहा जाता है कि तुम पहरा दो। तो हमने कहा कि उन्हें समझाबुझाकर सभी का सहयोग मिलना चाहिए। असुरक्षा की भावना तो छोटे लोगों पर ही नही है बल्कि ब ों पर भी है। असुरक्षा की भावना तो स्वाभाविक रूप से ब ड़े लोगों में आती है। ब ड़े लोगों को इसमें सहयोग करना चाहिए। ग्राम सुरक्षा समितियों के माध्यम से, सिविल डिफेन्स के माध्यम से, हम गांवों और प्रदेश में शांति व्यवस्था रख सकते हैं और उन तत्वों पर भी नजर रख सकते हैं जो सुरक्षा व्यवस्था में गड़-बड़ी करते हैं। इसलिए ग्राम सुरक्षा समितियों का, मोहल्ला–समितियों का गठन ठीक तरह सें हो, यह अत्यन्त आवश्यक है।

एक बात यह उठायी गयी कि रिपोर्ट दर्ज कराने में कोताही होती है। इसके बारे में मैंने कहा था कि किसी तरह की कोताही न बर्ती जाय। यह भी कहा गया है कि किसी की तरक्की या तनुज्जली इस पर निर्भर करेगी कि वह किस प्रकार काम करता है, और कैसे केस को वर्क आउट करता है। इसमें अगर रिपोर्टिंग में कोताही करने की कहीं से शिकायत आये तो उसकी जांच हो और अगर वह तथ्य पाया जाय तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाय। यह भी बात कही गयी कि सामन्तशाही लोग या ब ड़े लोग मिल कर पुलिस पर दबाव डालकर गलत काम करवाते हैं तो इसके लिए भी मैंने कहा है कि इस मामले में सख्त कार्यवाही होगी और मैं समझता हूं कि अब यह प्रथा समाप्त हो जायगी।

एक बात और है जिसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। थानों पर कुछ प्रभावशाली लोगों के साथ या थाने के लोगों के साथ कुछ तत्व अपना संपर्क बनाते हैं जिनको कि दलाल कहा जाता है, तो उन पर भी सख्ती के साथ कार्यवाही करने के आदेश दिये हैं। ऐसे लोग जिनका कोई काम थाने पर नहीं है और वह थाने पर बैठकी लगाते हैं, वह यह बन्द कर दें। अगर इस प्रकार के लोग वहां पाये जायगे जो रेगुलरली वहां बैठते हैं तो वहां की पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ और उन लोगों के खिलाफ भी कार्यवाही की जायगी। जब पुलिस विभाग के लोग एक थाने से दूसरे थाने पर जाते हैं तो ऐसे लोग उभर कर सामने आ जाते हैं और गलत सूचना दिया करते हैं। तो यह तंबीह कर दी गयी है कि ऐसे लोगों को प्रश्रय न दिया जाय। एक और बात जिसको सदन के माननीय सदस्यों ने बार-बार दोहराया, यह है कि जनता का सहयोग लेना चाहिये और सामान्य लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिये। हमने अपने यहां छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कर्मचारी से निवेदन किया है कि सामान्य जनता के साथ भी मानवीय व्यवहार होना चाहिये। अगर कोई गरीब से गरीब व्यक्ति या साधारण परिवार का आदमी या मध्यम श्रेणी का व्यक्ति रिपोर्ट लिखाने आता है तो उसकी बात सुन लें और सही बात हो तो कार्यवाही करें। लेकिन उसको तिरस्कृत न करें और न ही उसके साथ दुर्व्यवहार करें। हां, ऐसे असामाजिक तत्व, जो बदमाश हैं, गुन्डे हैं, जो समाज की शांति-भंग करते हैं, तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करें और जो भाषा बोलना चाहें, बोलें। लेकिन सामान्य लोगों के साथ मानवीय व्यवहार करना चाहिये। आज लोगों के अन्दर जागृति आयी है, नागरिकता की भावना जागृत हुई है, तो उनके प्रति अच्छा व्यवहार होना चाहिये। मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारा पुलिस विभाग इस दिशा में क्रियाशील होगा। लेकिन दोनों बातें दोनों तरफ से हुआ करती हैं। मैं अपेक्षा करता हूं कि आपकी तरफ से सामान्य व्यवहार होना चाहिये। अगर कहीं कोई दुर्व्यवहार की बात हो तो मौके पर रेजिस्ट करने से पहले उसकी सूचना यहां के उच्च अधिकारी को दें, यहां पर भेजें, माननीय मुख्य मंत्री जी के नोटिस में लावें और मुझको भी उसकी सूचना दे दें। जिन घटनाओं की तरफ माननीय सदस्यों ने ध्यान आकर्षित किया हैं, मैंने उनको नोट कर लिया है, और उनका निराकरण करने के लिये, कार्यवाही करने क लिये जांच करने के लिये आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।

एक सुझाव थाने बढ़ानें और उनका पुनर्गठन करने का आया था। मुझे यह सूचना मिली है कि पुनर्गठन हो रहा है। थाने का रीआर्गनाइजेशन जिस तरह से हो रहा है, बहुत सी जगहों से रिपोर्ट आ गई है। कई स्थानों पर अभी यह नहीं हुआ है। अगर आप लिखकर देंगे, तब हम उस पर कार्यवाही करेंगे। साथ ही साथ आपने जो सी० आर० पी० सी० के बारे में कहा है, मैं आपकी बात से सहमत हूं परन्तु नियमों में इस प्रकार की मजबूरी है कि पुलिस कोशिश करती है कि वह उन बदमाशों और डकैतों को पकड़े, लेकिन वह सफल नहीं हो पाती है। हम गावों में रहते हैं। जो लोग चोर हैं और साथ ही जबरदस्त भी हैं, उनके खिलाफ कोई गवाही नहीं मिल पाती है। अगर फिर भी पुलिस उनको पकड़ती है तो ये छूट जाते हैं। प्रशासन उसकी तरफ भी देख रहा है और सजग है।

आपने जो चौकीदारों के वेतन को बढ़ाने की बात कही है, यह स्वीकार करने योग्य बात है। चौकीदार जो काम करता है उसके लिये उसको 10 रु० का वेतन मिलता है। मैं इस सम्बन्ध में अधिकारियों से बातचीत करूंगा और चौकीदारों के वेतन में बढ़ोत्तरी हो जायेगी। 109 सी० आर० पी० सी० के बारे में भी विचार हो रहा है कि जो बेगुनाह लोग हैं, वे उसमें न फंस पायें।

[श्री धर्मवीर]

आपने एन्काउन्टर्स की भी बात कही है। पुलिस को बहुत से एन्काउन्टर्स करने पड़े हैं और उसको काफी सफलता भी मिली है। बहुत से ऐसे डकैत मारे गये हैं जिनसे जनता त्रस्त थी। हमको इसमें काफी सफलता मिली है। लेकिन यह भी सही है कि कहीं पर छुटपुट ऐसी भी घटनायें हुई हैं जिनकी ओर माननीय सदस्यों ने हमारा ध्यान आकर्षित किया। अगर माननीय सदस्य मुझको ऐसी घटनाओं के बारे में बतायेंगे तो उन पर तुरन्त जांच करवाई जायेगी। अगर किसी ने ताकत का गलत इस्तेमाल किया है, उसका दुरुपयोग किया है, तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो शूट ऐट–साइट की घोषणा की थी, उसका कारण यही था कि लोग ट्रान्सफार्मर्स की चोरी कर लेते थे, रास्ते में बोल्डर्स के जरिये गाड़ी लूट लेते थे। अगर ऐसे केसेज में सख्ती के साथ काम नहीं लिया जायगा, तो शान्ति और व्यवस्था की स्थापना कैसे की जा सकती है? आपकी जो भावनायें हैं, उनसे शासन पूर्णरूप से अवगत है, कि इसका दुरुपयोग न हो सके। जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने कहा है, और जो आदेश दिये हैं, वे इसी कारण हैं और इन आदेशों का पालन कड़ाई के साथ किया जायगा, और उसमें किसी तरह की लापरवाही बर्ती नहीं जायेगी। ऐसे समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध नियंत्रण करने के लिये ही इस प्रकार की सख्ती करने के आदेश दिये गये हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि इसका दुरुपयोग नहीं किया जायगा। हमको अपने प्रदेश में शान्ति और व्यवस्था की स्थापना करनी ही है और इसमें आपका सहयोग वांछनीय है। पुलिस प्रशासन के सम्बन्ध में जो आपने बहुमूल्य सुझाव दिये हैं उनको हमने नोट कर लिया है और हम यह आशा करते हैं कि अगर कुछ ऐसी गतिविधियां होती हैं तो उनसे आप हमको या मुख्य मंत्री जी को सूचित करते रहेंगे और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जिस प्रकार से इन तीन महीनों में शान्ति–व्यवस्था के क्षेत्र में हमको उपलब्धियां मिली हैं जरायम रोकने की दिशा में, वैसा ही हम आगे भी सफल होते रहेंगे। हम यही चाहते हैं कि प्रदेश में शान्ति व्यवस्था की स्थापना रहे और हम अपना आर्थिक विकास कर सकें। जिन बातों की कल्पना हमारे मुख्य मंत्री जी ने और हमारी प्रधान मंत्री जी ने की है इन 20 सूत्री कार्यक्रम के विषय में, उसकी पूर्ण उपलब्धि हम कर सकेंगे। हमको आशा है कि अगर आपका सहयोग और विश्वास बना रहा तो हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति शीघ्र ही कर लेंगे।

(इस समय 4 बजकर 5 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

अन्त में मैं यह निवेदन करूंगा कि पुलिस प्रशासन के सम्बन्ध में जो आपने कटौती का प्रस्ताव रखा है उसको वापस लेने की कृपा करेंगे।

श्री भगवती प्रसाद—

मैंने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसको प्रस्तुत करने से मुझे क्यों वंचित कर दिया गया है। उससे मेरी तथा मेरे दल की जो भावनायें हैं उनको मैं व्यक्त कर सकता था।

श्री अध्यक्ष—

इस वक्त आप कटौती का प्रस्ताव नहीं रख सकते। परम्परा यह रही है कि विरोधी दल से एक सदस्य उसे रख देता है। कटौती के प्रस्ताव के समय आपने कहा होता तो मैं आपको भी मौका दे देता।

श्री भगवती प्रसाद—

मैं कई बार खड़ा हुआ.....

श्री अध्यक्ष—

आप खड़े ही नहीं हुये। भीखा लाल जी के बाद आप खड़े नहीं हुये तभी ईश्वरी सिंह को बोलने के लिये मैंने इशारा किया।

श्री भगवती प्रसाद—

कुंवर श्रीपाल सिंह के नाम के बाद मेरा नाम था और मैं कई बार खड़ा हुआ था।

श्री अध्यक्ष—

आपको देखा ही नहीं मैंने।

श्री भगवती प्रसाद—

उसके बाद मैं खड़ा हुआ था।

श्री अध्यक्ष—

आप बोलना चाहते हैं तो बोल लें।

श्री भगवती प्रसाद—

मुझे बोलने का शौक नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

कटौती के प्रस्ताव के समय वहां कोई खड़ा नहीं हुआ था। ईश्वरी सिंह जी खड़े हुये तो मैंने उनको बुला लिया था। अब आपको बोलना हो तो बोल लें, नहीं तो बैठ जाइये।

श्री भगवती प्रसाद—

मंत्री महोदय बोल चुके हैं। उनके बाद बोलने से क्या फायदा होगा? मैं कुछ घटनाओं के बारे में प्रकाश डालता जो हरिजनों के साथ हुई हैं और उस सम्बन्ध में मैं कुछ सुझाव देता।

श्री धर्मवीर—

माननीय सदस्य लिख कर दे देंगे तो मैं उसे देख लूंगा।

श्री भगवती प्रसाद—

मेरी आदत आपके कार्यालय में जाने की नहीं है। मैं यहीं सुझाव देना चाहता था जो पुलिस विभाग से सम्बन्धित हैं और आपके लिये अशोभनीय है।

श्री अध्यक्ष—

नियमानुसार कटौती के प्रस्ताव के समय आप खड़े नहीं हुये थे और उस समय आप थे भी नहीं।

श्री भगवती प्रसाद—

मैं खड़ा हुआ था।

श्री अध्यक्ष—

कटौती के प्रस्ताव के समय खड़े नहीं हुये थे। लेकिन बोलने की इजाजत मैं आपको दे रहा हूं, आप बोलिये। अभी बाद में मुख्य मंत्री बोलेंगे।

श्री भगवती प्रसाद—

अध्यक्ष महोदय, पुलिस विभाग इस समय मेरे समाजवादी दोस्त के हाथ में है और मुख्य मंत्री ने जो कदम उठाये हैं वे बहुत सराहनीय हैं,लेकिन मैं पुलिस की राक्षसी-मनोवृत्ति पर कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं। क्योंकि मैं विरोधी हूं इसलिये मुझे डर है, जैसी इस समय स्थिति है अगर उस पर पूरी तरह से प्रकाश डालें तो दूसरी जगह भेजा जा सकता है।

श्री अध्यक्ष—

यहां पर जो आप बोलेंगे उसके लिये आप दूसरी जगह नहीं जायेंगे। बाहर बोलियेगा तो बात दूसरी हो सकती है।

(हंसी)

श्री भगवती प्रसाद—

सत्ता–पक्ष के भाई मिश्रा जी ने जो बातें कहीं, मैं उनसे सहमत हूं कि थाने पर कुछ तत्व ऐसे मौजूद रहते हैं जिनसे पुलिस के कामों में ग ब ी होती है, और वे उनसे अनाधिकार काम कराने की चेष्टा करते हैं। दुख के साथ मुझे कहना प ता है कि काशी नाथ मिश्र ने सदन में आज फिर उसी बात को उठाया हैं। चाहे वह फेमिली प्लानिंग से सम्बन्धित हो अथवा पुलिस से, उसी हरिजन की बात को ले कर उन्होंने अपनी बात कही। मेरे पास जितने भी आंक े हैं, ब े शर्म की बात है कि ऐसी-ऐसी बारदातें हुई हैं। मैंने विशेषाधिकार का प्रश्न भी उठाया था। काशीनाथ मिश्र जी को मालूम नहीं है, उन्होंने भाषण में कहा है कि आई0 जी0 और डी0 आई0 जी0 उन्हें कुर्सी दें। उन्होंने पुलिस विभाग की तारीफ की। जहां तारीफ की बात होती है, वहां तारीफ की जाती है लेकिन आज जो पुलिस प्रशासन नाजायज और राक्षसी पावर इस्तेमाल कर रहा है उसका ज्वलन्त प्रमाण मेरे पास है और वह मेरे जिले में हुआ है।

हमारे जिले में एक हरिजन महिला को कट्टा दिखाकर इनईपुर में हवालात में बन्द कर दिया गया और थानेदार को तरक्की दे दी गई। हरिजन महिला के साथ इस प्रकार का व्यवहार करके उसे तो बन्द किया जाता है और दूसरी ओर थानेदार की तरक्की हो जाती है, यह पुलिस प्रशासन का हाल है। दूसरी मिसाल हमारे ही जिले के उग्रसेन सिंह छात्र के बारे में है जो कि बी0 टी0 सी0 की ट्रेनिंग कर रहा था। यह वह छात्र है, जो अंग्रेजों के जमाने में जब एक कलेक्टर को मारा गया था और उसकी लाश सरयू में फेंक दी गई थी, उस रायबहादुर आदमी का यह पोता है जिसका पूरा पैर तो ड़ दिया गया है। उसमें मैजिस्टीयल इन्क्वायरी हो रही है। राजनीतिक दबाव से, सत्ता पक्ष के दबाव से हमारे जिले के जो तथाकथित नेता कहे जाते हैं उनके लिये राजसी ठाठ की व्यवस्था की जाती है। दूसरी घटना जैदपुर थाने की है इसमें एक हरिजन, जिसकी 8 बिस्वा जमीन काट ली गई थी, वह जब थाने में रिपोर्ट करने गया,तो उससे कहा गया कि तुम पैसा लाये हो–दो–तीन रुपये। यह दो–तीन रुपया वहां का मुंशी लेता है। मुंशी ने उसे गाली दी कि तुम पैसा लेकर क्यों नहीं आये। उसे मारा और उसे भगा दिया। जब एस0 पी0 से शिकायत की गई तो उन्होंने कहा कि इन्कवायरी करायेंगे। डी0 वाई0 एस0 पी0 थाने में बुलाये गये तो उन्हें थाने में न बुलाकर एक किसी कालेज में बुलाया और फिर उसी थानेदार को तफशीश करने के लिये कहा गया। तो यह हाल है। जबतक व्यवस्था नहीं बदलेगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है। काशीनाथ जी को डी0 वाई0 एस0 पी0 सलाम करते हैं। उच्च अधिकारियों की वकालत करते हैं। भीखालाल जी ने जो बात कही वह सत्य है।

आज पूरे प्रदेश में हरिजनों के साथ जो व्यवहार हो रहा है वह ब ा निन्दनीय है और उसे हम जानते हैं। माननीय मंत्री जी जानते हैं कि काशीनाथ जी अफसरों के ऊपर आये हैं। हम समझते हैं कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री बड़े विचारवान हैं। हम लोग बहुत दिनों तक साथ रह चुके हैं वह भी इस बात को मानेंगे। आज हरिजनों के साथ पुलिस जो दुर्व्यहार कर रही है, ऐसा दुर्व्यवहार अंग्रेजों के जमाने में नहीं होता था, सामंतों के जमाने में नहीं होता था क्योंकि उनका भी उसमें कुछ स्वार्थ रहता था। आज पुलिस में राजसी मनोवृत्ति पैदा हो गई है। इसलिये आपको अंकुश लगाना चाहिये। आप भी अपने क्षेत्र में देखें, तो यही पायेंगे। हो सकता है कि आप वहां के मिनिस्टर हैं इसलिये आपके साथ अच्छा व्यवहार

होता हो। श्री काशीनाथ मिश्र जरा अपने दिल पर हाथ रख कर कहें उनके यहां किस तरह का व्यवहार लोगों के साथ पुलिस करती है। मैं आजमगढ़ के हरिजनों के संबंध में जानता हूं।

श्री काशीनाथ मिश्र---

मेरे जिले में किसी हरिजन के साथ दुर्व्यवहार नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष---

आपका नाम नहीं ले रहे हैं। किसी काशी प्रसाद का नाम लिया है. . . .

श्री त्रिवेनी (जिला आजमगढ़)---

आपको अगर दूसरे जिले की जानकारी न हो तो मत बोलें।

श्री भगवती प्रसाद---

मैं, अध्यक्ष महोदय, ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि श्री काशीनाथ मिश्र को तकलीफ हो रही है। मैं उसूल की बात कहता हूं। मेरी परम्परा है कि मैं सच बात कहूं, ऐसा नहीं है कि किसी बात को हंसी में टाल दूं। इसलिये मैं कहूंगा कि हमारे उप-मंत्री इस पर विचार करें।

श्री प्रेम दत्त---

राज्य-मंत्री कहिये, उपमंत्री नहीं।

श्री भगवती प्रसाद---

मैं चाहता हूं कि हमारी सामाजिक व्यवस्था को कायम रखने के लिये पुलिस अपने रवैये को बदले। सरकार ने कुछ इस दिशा में किया है। जो परसों हमारी माननीय मंत्री ने काम किया है उससे हम को कुछ आभास हुआ है। आप हम लोगों की पिटाई करवायें, बड़े लोगों की पिटाई करवायें, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में हरिजनों की पिटाई करायेंगे तो जनता का विश्वास उठ जायेगा और आप किसी काम के नहीं रह जायेंगे। मुझे इस बारे में ज्यादा बोलने का मौका नहीं मिला लेकिन मैं उम्मीद रखता हूं कि आप काशीनाथ मिश्र के माहौल में न जायें। उनको आई0 जी0 के यहां कुर्सी मिल जाती है इसलिये वह उन्हें खुश करने की बात कहते हैं। उनकी हमेशा कोशिश रहती है कि दूसरे को डिस्टर्ब किया जाय। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात का ध्यान रखेंगे। पुलिस प्रशासन में सन् 1971 में जितना बजट था, उससे आज तिगुना हो गया है, करीब 60 करोड़ इस विभाग का बजट हो गया है, इसलिये मैं नहीं समझता हूं कि पुलिस कम है। जुर्म इसलिये बढ़ रहे हैं कि पुलिस का व्यवहार ठीक नहीं है। वह ढीली-ढाली है जो है अशांति के मन से काम करती है। आपकी पुलिस सामंती है, आपकी पुलिस पूंजीवादी है। आपकी पुलिस अंग्रेजों के जमाने की पुलिस है। वह गरीब आदमियों की कमर तो ती है, लोगों की मां, बेटियों की इज्जत लूटती है। श्री काशीनाथ मिश्र को तो हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है।

*श्री नारायणदत्त तिवारी--

श्रीमन्, मैं नेता साम्यवादी दल व उन सभी माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं जिन्होंने उन तमाम मदों पर, जिनका मुझसे संबंध है, अपने विचार व्यक्त किये। मैं नेता साम्यवादी दल को बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने स्वभाव के अनुरूप सुन्दर शैली में सुझाव दिये और उनके तर्कों में कोई कटुता नहीं थी।

श्री भीखालाल--

शरीर से क्या तालुक है.....

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैंने शैली कहा 'शैली' को 'शरीर' आप समझेंगे, तो बड़ा अनर्थ हो जायगा। श्रीमन्, उन्होंने पुलिस प्रशासन के सम्बन्ध में मुख्यतः जो चर्चा की, उसमें एक सुझाव उन्होंने बहुत अच्छा दिया कि जरायम का मूल्यांकन होना चाहिये कि जरायम क्यों बढ़ रहा है और कहां बढ़ रहा है। श्रीमन्, पहले ही मैंने स्पष्ट किया था, म उन जिलों में, जहां पर अपराध कम होते हैं, लेकिन एक मार्जिनल आधार पर और जिन जिलों में अपराधों का एक इतिहास रहा है, यानी अपराधों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही है--उन सब जिलों का मूल्यांकन किया जाए। डकैती या हत्या का ग्राफ यदि हम देखें तो वह ग्राफ करीब-करीब वही रहता है। तो उसका हम गहराई से मूल्यांकन करने जा रहे हैं। हम यह देखेंगे कि उन जिलों में क्या आर्थिक, सामाजिक या वैयक्तिक विशेष कारण हैं, जिनकी वजह से यहां जरायम विशेष रूप से प्रभावी रहता है। सभी दल के लोगों की कोशिशों के बा जूद और यहां पर अच्छे से अच्छे दरोगा या एस0 एस0 पी0 को भेजने के बावजूद भी ग्राफ क्राइम का वही है। यह एक चिन्ता की गम्भीर बात है। उन जिलों के लिये, बजाय पुलिस कमीशन की रिपोर्ट के हम विशेष स्टडी-टीम बना रहे हैं, जो मूल्यांकन करेगी। इसमें केवल पुलिस का ही दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाएगा, इसके अलावा उन विशेष क्षेत्रों में क्या कार्यवाही करनी चाहिये, जिससे अपराध कम हो, इसका भी मूल्यांकन करेगी।

श्रीमन्, यह बात देखें कि हमारे प्रदेश में प्रति व्यक्ति पुलिस में, कई अन्य प्रदेशों की तुलना में खर्च कम है। प्रत्येक पुलिस मैन पर भी जितना खर्च होता है, वह भी अन्य प्रदेशों की तुलना में कम है। पिछले वर्षों में यह अवश्य कुछ है और पुलिस बजट बढ़ा है। लेकिन आज हमारे यहां लगभग एक लाख पुलिस-पी0 ए0 सी0 वगैरह को मिलाकर हैं। लेकिन जनसंख्या के आधार पर यानी आधुनिक तरीके से देखें, तो जनसंख्या और पुलिस के बीच में जो तालमेल होना चाहिये, जो अनुपात होना चाहिये वह आज भी कम है। इसलिए वास्तव में हमारी चेष्टा है कि कम से कम पुलिस का प्रयोग हो और जनसंख्या के अनुपात में कम होते हुए भी, जो हमरे वास पुलिस फोर्स है, उसका सही-सही उपयोग किया जाएं।

श्रीमन्, इसी तरह से सामान्य प्रशासन की दृष्टि से भी हमारे पास अधिकारी या कर्मचारी कम हैं। आप आई0 ए0 एस0 को ले लीजिए, यह हमारे यहां चार सौ से कुछ अधिक हैं, जब हरियाणा जैसे छोटे स्टेट में, जो हमसे एक बटा नौ है, उसका कैडर 111 या 112 का है। तो आबादी में हम उनसे नौ गुना बड़े हैं, जबकि आई0 ए0 एस0 हमारे यहां केवल चौगुने हैं। तो इसी तरह से हमारे यहां जो अन्य प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनकी संख्या दूसरे प्रदेशों की संख्या की तुलना में कम है। हमारे यहां जिले भी जनसंख्या की दृष्टि से बड़े-बड़े हैं। हमारे यहां 30 लाख की आबादी तक के जिले हैं। इतने बड़े जिले में एस0 पी0 या जिला अधिकारी आदि सभी को कठिनाई पड़ती है। यह कहकर हमें कोई जिलों की संख्य नहीं बढ़ाना है, लेकिन एक प्रशासनिक कठिनाई जो रही है, उसका केवल उल्लेख करना है। हमारे पास जो वर्तमान मशीनरी है, उसका राष्ट्रहित में अधिक से अधिक अच्छा उपयोग किया जाए, उसी दृष्टिकोण से मैं इसे कह रहा हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आज जिलाधिकारियों का जो पद है और जो कमिश्नर का पद है वह सर्वथा म त्व का पद है हमारे लिये और सब इस बात को मानते भी हैं। बहुत से इस में से लोग हैं जो जिलाधिकारी के पद को कहते थे कि इसको विकेन्द्रित कर दिया जाय। कोई यह भी कहते हैं कि जिलाधिकारी के पद का रहना, एक केन्द्रविन्दु का रहना जिलास्तर पर, जो सभी विभागों का समन्वय करे, जिलाधिकारी के पद का रहना बहुत आवश्यक है। मेरी कुछ ऐसे मुख्य मंत्रियों से बातें हुईं, जिनके यहां आज भी बड़ा स्ट्रांग ऐडमिनिस्ट्रेशन है। उनके यहां ऐडमिनिस्ट्रेशन का कारण है वहां के डी० एम० को सारे अधिकार देना। डी० एम० और एस० पी० जितने मजबूत होंगे, वहां का ऐडमिनिस्ट्रेशन उतना ही मजबूत होगा। डी० एम० की देखरेख में एस० पी० भी रहेगा तो शासन चुस्त होगा, तेजी से काम होगा। जहां पर डी० एम० ढीले हुए, वहां पर शासन ढीला हुआ है। तो हमारे प्रदेश में हमको इस बात को सोचना है कि किस प्रकार एक तरफ हम प्रजातंत्र की मर्यादा भी रखें, दूसरी तरफ तेजी से कार्य भी हो। फैसले भी हों, इम्प्लीमेन्टेशन भी हो जाय, यह बड़ा मुश्किल काम है। पुलिस के लिये भी ऐसा ही काम कठिनाई का है कि एक तरफ तेजी से शांति व्यवस्था को भी बनाये रखा जाय, लापरवाही न हो, दूसरी तरफ अन्याय भी नहो। एक तरफ जिसने गुनाह किया हो, उसको दंडित किया जाय, दूसरी तरफ बेगुनाह न पकड़ा जाय। हमने यह प्रयास किया है इन दिनों कि इस प्रकार से दूध का दूध और पानी का पानी इस भावना से हमारा शासन चले। एक तरफ 20–सूत्री कार्यक्रम को पूरा करने के लिये, आपत्तिकालीन स्थिति में जो दायित्व है, उसको पूरा करने के लिये पुलिस और हमारा शासन, जो न्याय है, उसको सुनिश्चित करना, जो कानून के अन्तर्गत होना है, वह इमरजेन्सी के दिनों में पुलिस और शासन का विशेष दायित्व है, जिम्मेदारी है।

आज भी हमारी पुलिस असावधान नहीं रह सकती। इसलिये कि बहुत से लोग पकड़ लिये गये या प्रतिक्रियावादी तत्व दबाये जा चुके हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत से सन्दर्भ में पुलिस को और जिला प्रशासन को बहुत सचेत रहना है। प्रतिक्रियवादी तत्व, जैसाकि नेता साम्यवादी दल ने कहा, इस लिये पुलिस को हर समय सावधान रहना है। जिला प्रशासन को सावधान रहना है और वह सभी लोग इस इमरजेंसी के प्रति योगदान दे रहे हैं। हम सभी को सावधान रहना है। हमें अपने मनसा, बाचा, कर्मणा में ढिलाई नहीं दिखाना है। दूसरी तरफ यह भी है कि इमरजेंसी के दौरान अधिकारियों को जरूर कुछ नियंत्रित किया गया है। इमरजेन्सी के तहत जो अधिकारी थे उनमें बहुत से अधिकारियों के अधिकारों के सीमित किया गया हैं, इस माने में कि वह समाज के अधिकारों को सीमित न करें। तो पुलिस ने या जिला प्रशासन ने अगर इमरजेंसी में अधिकारों के प्रयोग में अगर कुछ कार्यवाही की है, तो उसे हमें स्वीकार करना होगा और यह बात सही है कि कहीं-कहीं पर ऐसे उदाहरण हो सकते हैं कि जहां पर बेगुनाह लोग पकड़े गये हैं, तो जहां कहीं ऐसे उदाहरण हमारे सामने आये, उनको रिहा किया गया या उन्हें पैरोल पर छोड़ा गया और मीसा अगर लगा हुआ है तो उसे विघटित करने के लिये भारत सरकार को लिखा गया हैं। मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि जहां वह समझते हैं कि बेगुनाह लोग पकड़े गये हैं, वहां अवश्य उस पर जांच होकर, जैसे कार्यवाही होती रही है, उन पर कार्यवाही होगी और अगर उनको छोड़ने की आवश्यकता है, तो उन्हे छोड़ा जायगा।

मीसा के बारे में एक समिति बनायी गयी है जो प्रत्येक केस को देखती है, कहीं ज्यादती न हो जाये। तभी मीसा के अन्तर्गत कार्यवाही होती है। इमरजेन्सी के दौरान

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

सारे देश में निर्णय लिया गया है और उनको लागू करना ही होगा, लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि कहीं बेगुनाह लोग न पकड़े जायें। जहां तक क्राइम का सम्बन्ध है, जैसा माननीय सदस्य, फतेहपुर श्री तिवारी जी ने कहा, वह ठीक ही कहा कि जो क्राइम की स्थिति है, जो सिचुएशन है, वह एक विशेष रूप की है। अब क्राइम करने वाले लोग हथकन्डे करते हैं। वह भी वायरलेस का प्रयोग करते हैं। एक स्थान पर उनके पास कारबाइन निकले। यही नहीं उनके पास वायरलेस और ट्रान्समीटर भी निकले। इसलिये हमें पुलिस को माडर्नाइज करना पडेगा इसीलिये हमने इस बात की चेष्टा की है, जैसा हमारे सहयोगी राज्य मंत्री ने बताया कि हम पुलिस को माडर्नाइज कर रहे हैं हमारा यह प्रयास है कि हम को वायरलेस सेट दिये जायें। इस प्रकार की कोशिश भारत सरकार से की गयी है। अगर हमको मिल गये तो पौने दो करोड़ की धनराशि हम इस पर खर्च करने जा रहे हैं।

हमारे 34 जिले ऐसे हैं, जहां पर फायर ब्रिगेड नहीं है। हमारा यह प्रयास है कि कम से कम जिला हेडक्वार्टर पर एक फायर ब्रिगेड होना चाहिये। जैसा हमारे राज्य मंत्री ने कहा कि पुलिस ट्रेनिंग की भी व्यवस्था तथा थानों के आधुनिकीकरण तथा सी0 आई0 डी0 के जो लोग हैं उनको सहूलियतें दी जायें। सी0आई0 डी0 पर लोगों का विश्वास बना हुआ है। आमतौर पर लोग कहते हैं कि सी0 आई0 डी0 से जांच करायी जाये क्योंकि सी0 आई0 डी0 पर कुछ भरोसा है और यह अत्यन्त महत्व की जगह है कि सही रिपोर्ट दें। अगर उनके पास मकान नहीं होगा और किसी मकान में रहेंगे तो कहा जा सकता है कि किसी हद तक उन पर प्रभाव हो सकता है। उनको इस तरह की सुविधायें देने का प्रयास है, तभी वे बिना किसी दबाव के कार्य कर सकेंगे। शूट–ऐट–साइट, जिसके बारे में मैंने कहा था, आमतौर पर जनता ने इसका स्वागत किया है और समाचार पत्रों ने भी इसका स्वागत किया है और सदन में माननीय सदस्यों ने इसका स्वागत किया है। माननीय भीखा लाल जी ने जो खतरा बताया है उससे मैं स्वयं अवगत हूं लेकिन लोगों का चलना बन्द है। लोग परेशान हैं। इसीलिए कुछ तो ऐक्शन लेने के लिये अधिकार देना चाहिये। अगर हम अपने साथियों पर अविश्वास करने लगें, तो फिर कैसे गाड़ी चल सकती है? विश्वास और भरोसा दोनों का सन्तुलन करना होगा। कर्यू की तरह का यह अधिकार है अगर रात में कोई चोरी कर रहा है तो सेल्फ डिफेन्स में शूटिंग करें। यह उसकी मंशा नहीं है। अगर कोई वास्तव में ट्रान्सफार्मर की चोरी कर रहा है तो इससे ला एण्ड आर्डर की स्थिति सुधरेगी। बार-बार लोग यह कहते हैं कि ला एण्ड आर्डर की सिचुएशन कमजोर होती जा रही है, क्राइम्स बढ़ रहे हैं। आज प्रदेश में जो होर्डर्स हैं, जिनकी सारी खेती और व्यापार पर असर होता है, उसको रोकने केलिये हमें कुछ अवश्य करना पड़ेगा। अभी तो हमने हाईवे होल्ड अप्स और ट्रान्सफार्मर्स की चोरी के लिये यह कदम उठाया है अभी तक हमने जो असामाजिक तत्वों के लिये कदम उठाये हैं,अगर उसमें भी कोई सुधार नहीं हुआ तो उस दिशा में भी कुछ न कुछ करना पड़ेगा।

रेलवेज में भी बहुत डकैतियां पड़ रही हैं। उनके सम्बन्ध में भी हमने भारत सरकार के रेल मंत्री, जो स्वयं भी बड़े सक्रिय हैं, उनसे परामर्श किया है। हमने दूसरे प्रदेश में उनके गृह–मंत्रियों से भी परामर्श किया है। हमारे आई0 जी0 ने भी दूसरे प्रदेश, जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और पंजाब के लोगों से बातचीत की है क्योंकि ट्रेनें एक स्टेशन से नहीं आती हैं बल्कि दूसरे प्रदेशों से भी आती हैं। तो देखना होगा कि ट्रैफिक्स में जो इस प्रकार से क्राइम करने वाले हैं और यहां आकर लूटपाट करते हैं, डकैतियां करते हैं, उनके लिये क्या आपरेशन होना चाहिये, और किस प्रकार से अन्य स्टेट्स से समाचार प्राप्त करना और दूसरा समन्वय होना चाहिये। दूसरे ऐसे लोग जो बैठते हैं, अन्य प्रदेशों से उनके आइडेन्टिफिकेशन की बात भी की जा रही है। रेलवेज में डकैतियां कम हों, इसके लिये भी पूरा प्रयास हो रहा है।

यहां पर साम्प्रदायिक तनाव की बात भी सुनने को मिलती है। साम्प्रदायिक दुर्घटनाओं को सुनकर बहुत बड़ी चिन्ता होती है। मुझे खुशी है कि बहुत से सम्मानित सदस्यों ने साम्प्रदायिक एकता को बनाने के लिये चेष्टा की है। मुझे विश्वास है, जैसा कि हमारे राज्य गृह मंत्री जी ने कहा है कि हम सुरक्षा समितियों के माध्यम से साम्प्रदायिक तनाव को भी कम करेंगे, लेकिन आज ऐसा लगता है कि प्रदेश में 2–4 जगहों पर ऐसे तत्व मौजूद हैं जो कि अन्डरग्राउण्ड हैं और उनके वेस्टेड इन्टेरेस्ट भी हैं, वे यह चाहते हैं कि कभी किसी पागल को भड़का दिया जाये, कभी किसी मंदिर या मस्जिद के सवालों को लेकर साम्प्रदायिक तनाव पैदा करवा देते हैं। तो मैं इस प्रकार के तत्वों को सावधान करना चाहता हूं कि प्रदेशीय सरकार किसी ऐसे साम्प्रदायिक तत्वों को नहीं रहने देगी, उन्हें कुचल देगी। अभी प्रदेश में जो ऐसे तत्व हैं, उनके साथ सख्ती की गई है और यदि आवश्यकता हुई तो इससे भी ज्यादा सख्ती की जायेगी।

स्क्रीनिंग के बारे में एक माननीय सदस्य ने कहा कि वह ठीक से हमारी सर्विसेज में नहीं हुई है। जहां तक मेरी जानकारी है, वह हुई है, लेकिन पूरे मायने में नहीं हुई है। यदि माननीय सदस्य मुझे सूचना देंगे कि यहां–यहां पर नहीं हुई तो मैं उसे देखूंगा। क्योंकि मैं इस बात को मानता हूं कि यदि हमारी सर्विसेज में कहीं भी साम्प्रदायिक तत्व, या प्रतिक्रियावादी विचार धारा के लोग हैं, तो हम नहीं चाहते कि वे सर्विसेज में रहें। इससे बड़ा खतरा और कोई नहीं हो सकता है। मुझे यदि सूचना मिल जाय कि फलां–फलां विभाग में ठीक से स्क्रीनिंग नहीं हुई है, तो मैं इसे देखूंगा।

माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि पूंजीगत योजना पर खर्चा कम है। कैपिटल एक्सपेण्डिचर, वैसे तो वित्त विभाग की मद से आता है लेकिन चूंकि इसका उल्लेख आता है, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारा जो कैपिटल एक्सपेन्डिचर है, सही मायने में, जितना प्लान एक्सपेण्डिचर हमारे बजट में लिखा हुआ है, उससे कहीं अधिक है। जो हमारी कन्टीन्युड स्कीम्स है, जो प्लानिंग में चली आती हैं, उनका खर्चा पुरानी स्कीम में आता है, इस साल के खर्चे में नहीं आता है। इसलिये जितना प्लान एक्सपेंडीचर, कैपिटल एक्सपेन्डीचर लिखा जाता है वह उस साल की नयी मदों का प्लान एक्सपेन्डीचर है। जैसे 1976-77 के बजट में जो कैपिटल एक्सपेन्डीचर लगाया गया पूंजीगत व्यय, वह इस साल में जो नयी मदें आ गयी हैं, वह उन योजनाओं पर योजनागत व्यय है, जो चालू है उन पर नहीं है। और बहुत सी मदें ऐसी हैं जिनके खर्चे हमारी मद में नहीं आते। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का है। उनका ओबरा का है, या हरदुआगंज का है या पनकी का या टेहरी का, वह हिस्सा जो पावर से सम्बन्धित है, या यमुना हाइडिल का––वह हमारे बजट में नहीं आएगा। वह पूंजीगत व्यय इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के व्यय में होगा, जो हमारे कंसालिडेटेड फन्ड के हिसाब से अलग होता है। उसकी फंडिग अलग होती है। हां, साल में हम जितना ऋण देते हैं वह एक जगह लिखा होता है कि 'लोन्स टु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड'। उसमें एक तरफ लोन और दूसरी तरफ प्राप्तियां होती हैं। नेट जो अक्चुअल होता है वह उतना नहीं होता। उनका काम बैंक से, एल0 आई0 सी0 से, आर0 ई0 सी0 से और दूसरी मदों से, जहां से उनको आमदनी होती है, वहां से बजट चला है और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की जो आमदनी होती है वह हमारे बजट में नहीं आती––चाहे वह हार्स पावर में चार्ज करें या बिजली में चार्ज करें उन्हीं के पास जमा होता है। हमारे कंसालिडेटेड फण्ड में नहीं होता। इसलिए जितनी कारपोरेशन्स हमारे प्रदेश में हैं, ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन है, उसके खर्चे हमारे बजट में रिफ्लेक्टेड नहीं हैं। पिछले सालों में एक पैसा भी नहीं दिया। बहुत थोड़ा दिया। तो तीन करोड़

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

रुपया उनके प्लान्ड आइटम लोन में दे दिया। रोडवेज का बजट, ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन की 50 करोड़ की आमदनी हमारे बजट में रिफ्लेक्टेड नहीं है, लेकिन प्लान में है। प्लान जो बनता है है उसमें समावेश होता है। क्योंकि योजना में उनकी योजना भी शामिल है, वह सा प्रदेश की योजना है। वैसे कहीं आंकड़ों की कोई भूल रह गयी हो तो मैं उसको कन्सीडर करने के लिए तैयार हूं। लेकिन सामान्यतया जो सिद्धान्त है बजट का वह मैं प्रतिपादित करने की कोशिश कर रहा हूं।

जहां तक ऋण का सवाल है, हमें ऋण से परेशान नहीं होना चाहिए कि हमारा ऋण बढ़ रहा है, हमारे प्रदेश के ऊपर कर्ज बढ़ रहा है। बल्कि मैं तो और ऋण चाहता हूं। मेरा बस चले तो मैं इस कोशिश में हूं कि हमारा पर-कैपिटा एक्सपेन्डीचर यानी लोन दुगना हो जाय ताकि दुगना इन्वेस्टमेन्ट हमारा हो जाय। ट्यूबवेल है, बिजली लगनी है, खेती में उत्पादन बढ़ाना है। हर सरकार कोशिश करती है। हमारा वर्ल्ड बैंक से प्रयास चल रहा है। शारदा सहायक योजना, गन्डक योजना, ड्रेनेज योजना-गंगा योजना के लिए वर्ल्ड बैंक से हम चाहते है कि ऋण मिल जाय। भारत सरकार इस प्रयास में रहती है कि वर्ल्ड बैंक से और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से लोन मिल सके और पब्लिक डेब्ट जो जनता से लेते हैं उससे वृद्धि हो। कोई देश या प्रदेश अगर पब्लिक से लोन न ले तो फिर वह इन्वेस्टमेन्ट प्रोडक्टिव योजनाओं में नहीं कर सकता और अपनी नीतियों को सफल नहीं बना सकता। तो ऋण अगर लिया है तो हमें यह देखना चाहिए कि वह प्रोडक्टिव ऋण है या नहीं, कितना उस ऋण से हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। जो पिछले वर्षों में हमने ऋण लिया और इस वर्ष ले रहे हैं वह प्रोडक्टिव लोन है। वह या तो ओबरा को बिजली बढ़ाने के लिए है या हरिद्वार, ऋषिकेश, दिल्ली के लिए, शारदा सहायक योजना के लिए है, जो ब्याज के अलावा रिपेमेन्ट भी हो सकेगा। ऐसे ऋणों के लिए हमने धनराशि रखी है। एक बात और भी है कि हमने ऋण लिये जरूर हैं लेकिन प्रत्येक ऋण की अदायगी समय पर की है। एक भी ऐसा मौका नहीं आया कि हमने अपने ऋण का भुगतान न कर दिया हो। कर्जे के अलावा कर्जे की किस्त का भी सही भुगतान हुआ है। कभी दो, चार महीने का समय ले लिया हो वेज ऐंड मीन्स की पोजीशन देखते हुये, वह अलग बात है लेकिन आम तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ रही है। किसी भी राज्य की आर्थिक और बजटीय ताकत का यही एक मापदन्ड है कि हम अपने ऋणों की समय से अदायगी करें और इस दृष्टिकोण से मैं अपने सम्मानित सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं।

मेरे कुछ एक सम्मानित सदस्यों ने बिल्कुल ठीक कहा और मेरे पास कुछ माननीय सदस्यों ने लिख कर भी भेजा कि हमारे बहुत से जिलों में जो 20 सूत्री कार्यान्वयन समिति बनी है, उस में विधायकों को स्थान हम अभी तक नहीं दे सके हैं। व्यक्तिगत रूप से हमें बड़ी प्रसन्नता होगी कि हम इन समितियों में विधायकों को भी स्थान दे सकें। इस सम्बन्ध में हमारी केन्द्र से बातचीत हो रही है। अगर मुझे केन्द्रीय गाइड लाइन्स को बदलने की इजाजत मिल गयी तो हफ्ता, 15 दिन में ही विधायकों को भी इन समितियों में हम स्थान दे सकेंगे। इस बारे में हमें सेन्ट्रल गाइड लाइन्स के अनुसार चलना पड़ता है।

मुन्सिफों का तहसीलों में जाना और कई बातें हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने कहीं। इस बीच में कुछ निर्णय लिए गए कि एस0 डी0 एम0 अपने सब-डिवीजन में रहेगा, नायब तहसीलदार ब्लाक में रहेगा। अब इन सब के लिए एकदम से आवास की व्यवस्था करना बड़ा कठिन काम है कि हम उनके लिए बिल्डिग बनवा दें। इसके लिये कई करोड़ रुपए की जरूरत होगी। तो फिलहाल एडहाक तो हमें अरेन्जमेन्ट करने होंगे। फिर यह भी देखना होगा कि इससे कितना लाभ होता है, किस तरह जो जिले की सरकारी मशीनरी है उसको और लाभदायिनी बनाया जा सकता है। बहुत से लोग तो कहते हैं कि इससे उतना लाभ नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। मेरी कोई निजी राय नहीं है लेकिन हम स्थिति का अवश्य मूल्यांकन करेंगे और उसके बाद सोचेंगे कि क्या सुधार लाया जाय।

हमारे सम्मानित, श्री ग्राइस के भाषण जो भाषण दिया उसके बारे में मुझे जानकारी हुई। घटनाओं की सूचना मिली, जिससे वह दुखी हुए। का वह प्रतिनिधित्व करते हैं, उसको किसी प्रकार दिलाना चाहता हूं और उनसे आग्रह करूंगा कि वह मुझे आज ही लिख कर दे दें ताकि मैं कार्यवाही कर सकूं। उन्होंने कुछ परिवार नियोजन के बारे में कहा। हमारा कोई विचार नहीं है कि पुलिस के जरिए परिवार नियोजन कराया जाय। कोई भी यह नहीं चाहता। लेकिन इतना अवश्य है कि सब का सहयोग चाहिए। हम इतिहास के उस सन्दर्भ में पहुंच गए हैं जहां परिवार नियोजन जिन्दगी और मौत का सवाल बन गया है। पिछले 20 वर्षों में हमारे उत्तर प्रदेश की आबादी 3 करोड़ 80 लाख बढ़ गयी है। प्रति व्यक्ति आमदनी कहां से बढ़े? जितना अनाज हम पैदा कर रहे हैं उससे ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है और हमारे एक्सपर्ट्स यह कहते हैं कि अगर इसी रफ्तार से आबादी बढ़ती रही तो अगले 20 साल के अन्दर हमारे प्रदेश की जनसंख्या 20 करोड़ हो जाएगी। तो फिर कितने मकान की जरूरत होगी और हर चीज की जरूरत बढ़ जाएगी। इसलिए एकोनामिक प्राब्लम और अधिक जटिल न हो, फैमिली प्लानिंग का सहारा लिया जा रहा है।

के समय में अनुपस्थित था लेकिन उन्होंने मुझे बहुत दुःख हुआ कि उनको कुछ ऐसी हमारा कोई इरादा नहीं है कि जिस वर्ग की कठिनाई हो। मैं उन्हें विश्वास

जिस ढंग से आबादी बढ़ रही है, उसको देखते हुए हमें कृषि तथा बिजली जैसे कामों की तरह इसको भी प्राथमिकता देनी पड़ेगी। यह सुन कर मुझे बड़ी हैरत होती है जब गांव में लोग यह उड़ाते हैं कि इससे लोग हिजड़े हो जाते हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में कानूनी कदम उठाना हमारा आखिरी कदम होगा। मैं ग्राइस साहब को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पहले हम इसके लिए जनमत का सहारा लेंगे। आप सब का सहयोग लेंगे। कुछ लोग इसको मजहबी बात बताने लगते हैं। सारी दुनियां ने इसको माना है और फेमिली प्लानिंग को अपनाया है। कहीं भी इसको धर्म से नहीं जोड़ा गया है। आज हमें लोगों को इसके लिए समझाना पड़ेगा। समझा कर राजी करना होगा। अपोजीशन पार्टीज के मेनीफेस्टो में भी फेमिली प्लानिंग को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है? मैं अपने सम्मानित और पुराने मेम्बर ग्राइस साहब से निवेदन करूंगा वे इसको एक राष्ट्रीय नीति का प्रश्न मान कर हमारी इसमें मदद करें। हां, अगर किसी बेगुनाह को पकड़ कर उसको मजबूर किया जाता है, इसके लिए तो उसको दन्ड दिया जाएगा।

इसके अलावा अनिवार्य सेवा-निवृत्ति के बारे में कहा गया। यह बात ठीक है कि बहुत से लोग इसके आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं। इस ओर बहुत से कदम उठाए गए हैं। सैकड़ों लोगों की सर्विसेज टर्मीनेट भी की गयी हैं। केवल पुलिस विभाग में ही 1975-76 तक जिनके खिलाफ कार्यवाही हुई, वह मैं बताना चाहता हूं। अब तक 87 गजेटेड अफसर डिसमिस हुए, 63 रिमूव हुए, 877 सस्पेंड हुए, 8,694 केसेज में दूसरे दन्ड दिए गए। यह पुलिस विभाग के आंकड़े हैं, अन्य विभागों के बारे में अलग से आपको जानकारी मिलेगी। इस समय उन सब को बता कर मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता। भविष्य में हम इस बात को देखेंगे कि अनिवार्य सेवा-निवृत्ति के जरिए काम चोर लोगों को हटाया जा सके। हम सभी अति मानवी हैं। जहां कहीं कोई आकर अपनी परेशानी बताता है, दया आ ही जाती है। मेरा आपसे यह आग्रह है, हम सभी शासन में हैं। सब का यह नैतिक उत्तरदायित्व है कि आप हमारे हाथ इस सम्बन्ध में मजबूत करें। जितने हमारे हाथ आप अपना आर्शीवाद देकर मजबूत करेंगे उतना ही मजबूती के साथ हम इस कार्य को कर सकेंगे और अगर आप कहीं दयावान हो जाते हैं तो हमें भी दयावान होना पड़ेगा। इसलिए आपसे मेरा आग्रह है और निवेदन है कि वे

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

दयावान न हों तभी शासन मजबूत होगा। डेमोक्रेसी में ऐडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत करने के लिए ऐडमिनिस्ट्रेशन को जस्ट और फर्म होना पड़ेगा। एक तरफ आप न्याय चाहते हैं तो दूसरी तरफ अनुशासन में भी सख्ती लानी होगी। अगर सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने की कोशिश न की जाय तो इससे हमे मदद मिलेगी। हमारी प्रधान मन्त्री जी ने एक आदर्श हमारे सामने रखा है। सस्ती लोकप्रियता को छोड़ कर एक आधारित बुनियादी लोकप्रियता के सिद्धान्त पर वे चल रही हैं। जो इनका आर्थिक कार्यक्रम है उससे हम प्रेरणा ले रहे हैं और मुझे विश्वास है कि उनसे प्रेरणा प्राप्त करके महत्वपूर्ण कार्यक्रम को कार्यन्वित करने में हमें अपने साथियों का सहयोग प्राप्त होगा।

जो सूचना विभाग के सम्बध में सुझाव आए, विज्ञापन के सम्बन्ध में बहुत सी बातें कही गयी हैं। बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि जिलों के अन्दर बहुत से अखबार ऐसे हैं जो ब्लैकमेल छाप रहे हैं, एक-एक पेज के पर्चे हैं और केवल नाम को अखबार है, इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को मैं आश्वश्त करना चाहता हूं कि जिन-जिन जिलों में इस प्रकार के स्केन्डल शीट्स छप रहे हों और ऐसे अखबार जो केवल एक पेपर पर, एक पर्चे पर छापते हों, हमें लिख कर दे दें, नियमानुसार उनकी जांच करके, छानबीन करके उचित कार्यवाही की जाएगी। इस सम्बन्ध में बाजपेयी कमेटी की रिपोर्ट पर भी विचार हो रहा है। रिपोर्ट आ जाने पर उस पर भी कार्यवाही करेंगे। मुझे आशा है कि इस सामान्य प्रशासन तथा पुलिस प्रशासन के बजट को पारित करने में माननीय सदस्यों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा जिससे इस प्रदेश का प्रशासन चुस्त, और सुदृढ़ हो सके। इस विश्वास के साथ मैं माननीय भीखा लाल जी से आग्रह करता हूं कि वे अपने कटौती के प्रस्तावों को वापस लेने की कृपा करें।

श्री भीखालाल—

अध्यक्ष जी, मैंने कटौती का प्रस्ताव पेश करते समय जो प्रश्न उठाए थे, उनके सम्बन्ध में माननीय मुख्य मन्त्री और राज्य गृह मन्त्री जी ने जो विश्वास दिलाए हैं और आश्वासन दिए है, मैं अपने कटौती प्रस्तावों को वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 18, 19, 23, 25, 21, 22, 30, 36 तथा 40 के अन्तर्गत प्रस्तुत माननीय भीखालाल जी को उनके कटौती प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति दी जाय।

(सदन की अनुमति से कटौती के प्रस्ताव वापस हुए।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 18—सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,65,00,700 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 19—जिला प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,66,88,200 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 23—लेखन सामग्री और मुद्रण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,29,52,200 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 25—अन्य प्रशासनिक सेवायें के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,55,32,600 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 21—पुलिस के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 51,29,47,600 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 22—कारागार के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,76,75,700 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 30—वैज्ञानिक सेवायें एवं शोध के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 19,75,800 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 36—सूचना तथा प्रचार के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,38,99,100 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 40—अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक सेवायें के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,26,500 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

आज नियम 51 के अन्तर्गत एक सूचना प्राप्त हुई है। श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी ने गाजीउद्दीन हैदर कैनाल, लखनऊ के निवासियों को सचिव, विकास प्राधिकरण द्वारा मकान गिराने की नोटिस दिए जाने से उत्पन्न संकट के बारे में दी है।

इस पर प्रश्नों के दौरान माननीय मन्त्री जी ने काफी प्रकाश डाला है। माननीया श्रीमती बख्शी भी उपस्थित नहीं हैं इसलिए यह अस्वीकृत की जाती है।

श्री मोहम्मद शकील अहमद (जिला लखनऊ)—

अध्यक्ष महोदय, मैंने रामपुर शुगर मिल के बारे में दिया था उस पर बयान हो जाता। मैंने नोटिस दिया था नियम 51 में। आपके यहां से सूचना गयी थी कि आप प्रश्न कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न तो आप कर सकते हैं।

श्री मोहम्मद शकील अहमद—

अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी कोई बयान दे देते।

श्री अध्यक्ष—

आपकी कोई सूचना नहीं है। आपने कुछ लिखकर नहीं दिया। श्रीमती बख्शी ने दिया है उसके बारे में तो मन्त्री जी ने बयान दे दिया है।

जौनपुर जिले के कतिपय विकास क्षेत्रों तथा वाराणसी जिले की विभिन्न तहसीलों में पेय जल संकट के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

स्वायत्त शासन राज्य मन्त्री (श्री श्रीकृष्ण गोयल)—

जनपद जौनपुर की पेयजल संकट की सूचना प्राप्त होते ही जिलाधीश, जौनपुर ने संकट के निवारण हेतु एक मीटिंग का आयोजन किया था, जिसमें जल निगम, सिंचाई (नलकूप) विभाग, राजस्व विभाग के स्थानीय अधिकारियों ने भी भाग लिया था। जिलाधीश की संस्तुति के आधार पर तुरन्त पेयजल संकट के निवारणार्थ 5 लाख रुपया 23 अप्रैल, 1976 को उत्तर प्रदेश जल निगम को आवंटित कर दिया गया।

जौनपुर में ग्रीष्म-ऋतु में पेयजल का अभाव हो जाता है। कहीं-कहीं पर यह समस्या इतनी विकट हो जाती है कि स्थानीय जनता को पेयजल प्राप्त करने के लिए अनेकों संकट का सामना करना पड़ता है। मड़ियाहूं तहसील के ब्लाक रामपुर के 74 ग्रामों में पेयजल का अभाव पाया गया है। विकास क्षेत्र, बरसठी एवं रामनगर में जिलाधीश ने सूचित किया है कि पेयजल का संकट नहीं है।

जल निगम ने सूखा से प्रभावित 74 ग्रामों में से 27 ग्रामों में सिंचाई विभाग के नलकूपों एवं जल-निगम के नलकूपों से पाइप लाइन द्वारा पेयजल उपलब्ध करा दिया है। इन गांवों की सूची सूचनार्थ संलग्न है। शेष 47 ग्रामों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए

युद्धस्तर पर कार्यवाही की जा रही है और आशा है कि स्थानीय जनता को शीघ्र ही पेयजल उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जौनपुर में जहां-जहां से भी पेयजल अभाव की सूचना प्राप्त होती है, वहां पर तत्काल व्यवस्था किए जाने के आदेश वायरलेस द्वारा जिलाधिकारी, जौनपुर को दिनांक 17 अप्रैल, 1976 को दिए जा चुके हैं। शासन पेयजल संकट से निपटने के लिए पूर्णरूप से सजग है।

(सूची के लिए देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 692–693 पर।)

जनपद वाराणसी की ज्ञानपुर एवं वाराणसी तहसीलों में अब तक 431 ग्राम सूखाग्रस्त घोषित किए जा चुके हैं। इन ग्राम में तत्काल पेयजल आपूर्ति के लिए शासन द्वारा आर्थिक सहायता 30 मार्च, 1976 को जल निगम को दी जा चुकी ह। सिंचाई विभाग के नलकूपों से अस्थायी रूप से पाइप लाइन डालकर पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है? उपरोक्त ग्राम में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए युद्धस्तर पर कार्यवाही जारी है। अब तक 126 ग्रामों में पेयजल उपलब्ध करा दिया गया है। शासन द्वारा 17 अप्रैल, 1976 को जिलाधिकारी, वाराणसी को यह आदेश दिए गए हैं कि जहां-जहां से भी पेयजल अभाव की सूचना प्राप्त हों, वहां-वहां पर जल-सम्पूर्ति की तत्काल व्यवस्था किए जाने की कार्यवाही की जाय। शासन पेयजल संकट से निपटने के लिए पूर्णरूप से सजग है।

जनपद वाराणसी में, 22 योजनायें चल रही हैं, जिनमें से 4 जलोत्सारण योजनाएं हैं और 18 जल-सम्पूर्ति योजनाएं हैं। यह सही हैं कि कुछ योजनाओं में टंकियों का तथा सम्बन्धित कार्य अपूर्ण हैं किन्तु योजना चालू हैं और जनता को जल उपलब्ध किया जा रहा है।

सरकारी ट्यूबवेलों से ही पाइप लाइन द्वारा—पेयजल उपलब्ध कराया जाता है तथा इन्हीं ट्यूववेलों से पानी देने की व्यवस्था के सम्बध में तथा तालाबों में पानी भरवाने हेतु यथोचित कार्यवाही की जा रही है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, जौनपुर के हिस्से का माननीय मन्त्री जी ने जिक्र किया। ज्ञानपुर तहसील वाराणसी तहसील का हिस्सा एक क्षेत्र मिलाकर जिक्र किया है। नौगढ़ अलग से आता है। तो जहां तक ट्यूबवेलों से पानी देने की व्यवस्था का सवाल है। तो जो पुरानी पाइप लाइनें लगी थी, उनमें से बहुत सी पाइप लाइनें उखाड़ ली गयी है और उनकी व्यवस्था नहीं की गयी है। तो क्या माननीय मन्त्री जी इस प्रश्न पर विचार करके आदेश देगी कि जो पुरानी पाइप लाइन बिछी थी, उसको उखाड़ा गया है। पुन: उसको लगाकर जल्दी से जल्दी पानी की व्यवस्था करायी जाएगी?

श्रम मन्त्री (श्रीमती राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)—

मान्यवर, यह व्यवस्था की गयी है और आदेश दिए गए हैं कि जिलाधीश जहां-जहां सूचना पायें इसकी व्यवस्था फौरन कराएं। इसके लिए धन भी उपलब्ध करा दिया गया हैं।

श्री ऊदल—

मान्यवर, यह जो 18 जल-सम्पूर्ति योजनाएं वाराणसी में चल रही है, जिसमें दो की व्यक्तिगत मेरी जानकारी है—पिंडरा और सिंधौरा की जहां दोनों की टंकी नहीं बनी हैं। पाइप लाइन भी पूरी नहीं पड़ी है। अभी 17 अप्रैल को ऐडवाइजरी कमेटी में गया था, जहां मुझे पता चला कि जल-निगम बन गया है और इसलिए सारी योजनाएं जल-निगम को ट्रान्सफर

[श्री ऊदल]

हो गयी है और पुराना जो स्वायत्त शासन इन्जीनियरिंग विभाग है ; उसने रुपया ट्रान्सफर नहीं किया और कुछ ठेकेदार भी भाग गए। क्या मन्त्री जी व्यवस्था करेंगी कि जो अधूरी योजनायें हैं उनको चालू किया जाय ? सरकार के माध्यम से रुपया दें या जो स्वायत्त शासन इन्जीनियरिंग विभाग के पास रुपया है उसे जल्दी से जल्दी ट्रान्सफर करवा दें ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

वाराणसी जिले की जो पेयजल योजनायें हैं, उनमें से 13 योजनाएं चालू हैं। कुछ में टंकी सम्बन्धी दिक्कत है। प्रयास यह है कि उन पर काम आरम्भ कर दिया जाय। इस समय स्थिति की जो गम्भीरता है, उसको देखते हुए यह प्रयास किया गया है कि जो प्राइवेट नलकूप हैं, उनसे पानी लेकर व्यवस्था करवायी जाय। इसके लिए विद्युत-परिषद् की तरफ से यह कह दिया गया कि उसको चालू न करने में जो खर्च होगा उसको बाद में दे देंगे लेकिन इस वक्त लोगों को पानी दिया जाय। जो सरकारी नलकूप के अलावा प्राइवेट नलकूप हैं उनसे भी पानी दिलवाने की व्यवस्था की जा रही है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा ऊदल जी ने कहा कि जहां सरकारी ट्यूबवेल पर टंकी बनी हुई हैं उससे वाटर सप्लाई नजदीक के गांवों में करवायी जाय। यह जौनपुर और वाराणसी का ही प्रश्न नहीं है। सभी पूर्वी जिलों में यह हालत है। बलिया का तो मैं खुद जानता हूं। गर्मी का जून महीना बाकी है और कुएं सूख रहे हैं। हमारे यहां तो 6 मील के एरिया में कोई कुआं नहीं है। पूर्वी जिलों में जहां पेयजल का संकट है और जहां टंकी बनी हुई है, वहां से पेयजल की व्यवस्था माननीय मन्त्री जी करवा देंगी ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो विस्तृत प्रश्न है।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी —

जहां विशेष संकट है उस पर ध्यान दिया जा रहा है ।

श्री राजकिशोर तिवारी (जिला जौनपुर)—

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे जिले में भयंकर स्थिति पैदा हो गयी थी और उसका युद्धस्तर पर मुकाबला करने का जो आश्वासन दिया गया है उसके लिए मैं स्वायत्त शासन मन्त्री जी को बधाई देता हूं और उन्हीं के वक्तव्य से सम्बन्धित एक प्रश्न करने की धृष्टता कर रहा हूं। जौनपुर में पेयजल की विषम स्थिति हो जाती है । स्थानीय जनता को पेयजल प्राप्त करने के लिए अनेकों संकटों का सामना करना पड़ता है। मान्यवर, विगत वर्ष भी इसी तरह का संकट आया था और जिला परिषद् से प्रस्ताव पास कराकर भेजा था। मैं यह जानना चाहता हूं कि पाइप लाइन से पानी देने की जो व्यवस्था की जा रही है क्या वह स्थायी रूप से इन स्थानों पर रहेगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी —

हमारी यह कोशिश होगी कि जहां पर क्रानिक कठिनाई रहती हैं वहां प्राथमिकता के आधार पर पेयजल की व्यवस्था की जाय।

श्री बालकृष्ण सनवाल (जिला नैनीताल)—

एल0 एस0 जी0 ई0 डी0 का सारा स्टाफ और रुपया निगम को दे दिया गया। संस्थान भी बनाया गया लेकिन एक इंच भी काम नहीं हो पाया। मालूम नहीं सरकार का क्या नियंत्रण है । जो रुपया दिया है उसका किस प्रकार प्रयोग होगा और संस्थान और निगम पर कोई नियन्त्रण रहेगा या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो अलग का प्रश्न है। आप लिख कर दे दें।

श्री ऊदल—

एक दिक्कत यह हो रही है कि अभी तक जितनी योजनाएं हैं वे स्वायत्त शासन इन्जीनियरिंग विभाग की तरफ से थी। पैसा उनको दे दिया गया। हाल ही में जल-निगम स्थापित हो गया है और दूसरे पेय जल का काम भी उसके पास है, जिसमें सिंचाई विभाग जल की सप्लाई करेगा। स्वायत्त शासन इन्जीनियरिंग विभाग ने टंकियां भी स्थापित कर ली हैं।] आपने 22 योजनाएं चला रखी हैं जिनका नक्शा भी बन गया है।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—!

माननीय सदस्य को कुछ भ्रान्ति हो गई है। जल-निगम बना। उसको काम सुचारु रूप से संचालित करने के लिए आवश्यक धनराशि भी दे दी गई है। भविष्य में अब कोई ऐसी दिक्कत होने वाली नहीं है? टंकी की बात भी कही गई। उसके बारे में भी जल निगम काम करेगा। सिंचाई विभाग, स्टेट ट्यूबवेल और प्राइवेट लोगों की मदद लेकर यह काम होगा। एक संकट उपस्थित है जिसका मुकाबिला किया गया है। योजनाबद्ध तरीके से पेय जल वहां पर लागू की जायेगी और भविष्य में इस प्रकार की कठिनाई लोगो को नहीं होगी। 22 योजनाओं का काम चालू है, इसमें से कुछ तो पूरा करने की स्टेज में है और कुछ में थोड़ा सा समय लग जाएगा परन्तु काम हो ही रहा है। शासन ने संस्थान इस लिए बनाया कि इन्स्टीट्यूशनल फाइनेन्स से उसको फाइनेन्स मिल सके और इसमें उसको कोई दिक्कत न हो और हम इस काम को कर सकें। केवल नाम बदल गया है। हमारे सरकार की जो योजनायें हैं वे सभी कार्यान्वित की जा रही हैं। इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। वे सारा काम सरकार की जो प्लानिंग है उसके हिसाब से ही किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष—

अब समय समाप्त हो गया है।

अब हम कल प्रात : 11.00 बजे तक के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 17 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह;
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
3 मई, 1976 ।

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 13 का उत्तर पीछे पृष्ठ 580 पर)

मु0 इ0 नं0 47 धारा 307

चिक नं0 47

रिपोर्ट करने का समय दिनांक 27 मार्च, 1975, समय 10.20 ए0 एम0

घटना स्थल मो0 मदरसा टोला, सण्डीला

दिनांक समय घटना का 27 मार्च, 1975, समय 10 बजे के करीब

वादी—श्री योगेन्द्र कुमार, पुत्र श्री विद्याधर त्रिपाठी, सदर बाजार सण्डीला।

बनाम—राम विलास सिंह, होमगार्ड।

जुवानी वादी

मेरा नाम योगेन्द्र कुमार त्रिपाठी है, पिता का नाम श्री विद्याधर त्रिपाठी मो0 सदर बाजार, कस्बा सण्डीला में रहता हूं और लखनऊ विश्वविद्यालय में एल एल0बी0 का प्रथम वर्ष, का छात्र हूं, आज मैं सुरेश नाथ मेहरोत्रा, मो0 महतवाना, जयप्रकाश गुप्ता, मो0 मलकाना, नरोत्तम पाण्डेय उर्फ किशोर, मो0 चौकुन्टी, पवनकुमार जायसवाल, बड़ा चौराहा, राधाकृष्ण गुप्ता, निवासी छोटा चौराहा, राम प्रकाश गुप्ता, निवासी बरौनी, गिरीशचन्द्र गुप्ता, निवासी अवाराम टोला तथा अन्य बहुत से छोटे लड़के रंग खेलने करीब दस बजे दिन भगवान बुद्ध हायर सेकेन्डरी स्कूल, सण्डीला में गए। वहां श्री विष्णु गोपाल अस्थाना, प्रिंसिपल श्री यज्ञदत्त मिश्रा, लिपिक तथा प्रभु दयाल, श्री राम दयाल, श्री शिव दत्त गौड़, अध्यापक गण उपस्थित थे और राम विलास नाम का एक होमगार्ड भी मौजूद था उन लोगों ने होली खेलने से मना किया और हम लोगों को बुरी तरह दुतकारते हुए बाहर निकल जाने को कहा, हम लोगों ने इन लोगों से कहा कि आज होली का त्योहार है इसलिए मैं आप होली न मिलें ठीक है, लेकिन हम लोगों को इस तरह से दुतकारो नहीं फिर वे लोग हम लोगों को धक्का देकर वहां से निकालने लगे। गाली-गुप्ता देने लगे इसी बीच होमगार्ड स्कूल से बल्लम निकाल कर लाया और प्रिंसिपल ने कहा इन सबको भगा दो, होमगार्ड ने हम लोगों को दौड़ाया हम लोग भागे सड़क पर आकर उसने कई वार किए, एक छोटे बच्चे जिसको मैं नहीं जानता हूं, मामूली चोट आई है, इसके बाद फिर होम गार्ड हम लोगों को मारने दौड़ा कि मैंने वहीं पर पड़ा एक बांस लेकर होमगार्ड राम विलास सिंह के हाथ पर मारा वह लड़खड़ाता हुआ और गिरता पड़ता स्कूल में घुस गया फिर मास्टरों ने स्कूल का ताला अन्दर से बन्द कर लिया पांडिया की हालत बहुत खराब थी। हरद्वारी लाल राठौर बस स्टेशन, हुसैन बक्स उर्फ बक्सी उसे तरब्बू के रिक्शे पर लाद कर डाक्टर बुद्धा की क्लीनिक पर फर्स्ट एड दिलवा कर सीधे अस्पताल सण्डीला ले गए। मैं रिपोर्ट को आया हूं, आवश्यक कार्यवाही की जावे, जो लिखाया, लिखा गया, पढ़ा ठीक है।

एस0 डी 0 वाई कुमार

तसदीकी लेखक शिवकुमार शुक्ला;
दिनांक 27-3-75।

क0 सं0 47/ए धारा 147/332/336

प्रेषक,

प्रधानाचार्य भगवान बुद्ध उ0 मा0 विद्यालय, सण्डीला (हरदोई)

बनाम

(1) रामेश्वर त्रिपाठी,
(2) सुरेश मेहरोत्रा व काफी लड़के।]

सेवा में;

थाना अध्यक्ष महोदय, सण्डीला, हरदोई।

महोदय,

निवेदन है कि आज दिनांक 27 मार्च, 1975 को लगभग 10 बजे प्रात: एक भीड़ रामेश्वर त्रिपाठी तथा सुरेश मेहरोत्रा पुत्र श्री काशीनाथ मेहरोत्रा, एम0 एल0 ए0 के नेतृत्व में विद्यालय में घुस आई। डियूटी पर होमगार्ड के सिपाही ने उनको रोका परन्तु उन लोगों ने ईंट पत्थर फेंकना तथा गाली देना शुरू कर दिया।

फलस्वरूप असंख्य ईंटे, पत्थर भूख ह;ताल मंच के समीप फेंके गये। यदि होमगार्ड मौके पर न होता तो अध्यापकों की जान न बच पाती।

अत: प्रार्थना है कि तुरन्त उचित कार्यवाही करने की कृपा की जाय, महान् कृपा होगी।

भवदीय,
ह0 विष्णु गोपाल अस्थाना, प्रधानाचार्य,
भगवान बुद्ध उ0 मा0 विद्यालय,
सण्डीला, हरदोई।

मैं हे0 मो0 प्रमाणित करता हूं कि नकल तहरीर वादी शब्दश: की गई।

ह0 अपठनीय,
27-3-75
हे0 कां0।

वारदातकों 1	दूसरी प्रतिलिपि	मु0इ0नं047-ए	धारा 147/332/336
वारदातहक 28-ए	न्यायालय के लिए	पेज नं0 31	आई0 पी0
	प्रथम सूचना की रिपोर्ट	पृष्ठ संख्या—	

दन्ड विधि—संग्रह की धारा 154 के अन्तर्गत पुलिस द्वारा हस्तक्षेप किए जाने योग्य अपराध की प्रथम सूचना।
थाना—ओ0 पी0 सण्डीला।
सब-डिस्ट्रिक्ट—सण्डीला
जिला—हरदोई
संख्या—47-ए दिनांक व समय घटना का 27-3-75 समय करीब 10 बजे

दिनांक व समय जबकि रिपोर्ट की गई	घटनास्थल, दिशा और पुलिस स्टेशन से दूरी	पुलिस स्टेशन से भेजे जाने का दिन
27-3-75 समय 12.45 बजे	मौ0 मदरसा टोला	28—3—75

नोट—प्रथम सूचना देने वाले के हस्ताक्षर या अंगूठे का चिन्ह लेना चाहिए और इसकी पुष्टि गवाही लिखने वाले पदाधिकारी के हस्ताक्षर होनी चाहिए।

सूचना देने वाले या का नाम व निवास स्थान	अभियुक्त का नाम व निवास स्थान	धारा सहित अपराध बाले जाई गई सम्पत्ति (यदि कोई हो) का संक्षिप्त विवरण	तहकीकात के सम्बन्ध में जो कार्यवाही की गई तथा सूचना के दर्ज करने में देरी होने का कारण	मुकदमें का परिणाम
1	2	3	5	5
विष्णु गोपाल अस्थाना प्रधानाचार्य, भगवान बुद्ध उ0 मा0 वे0 विद्यालय, सण्डीला, हरदोई।	1–रामेश्वर त्रिपाठी, 2–सुरेश मेहरोत्रा पुत्र श्री काशीनाथ मेहरोत्रा व काफी लड़के।	धारा 147/ 332/336 आई0पी0 सी0	मुकदमा कायम किया गया	तफतीश श्री रणंजय सिंह एस0 ओ0

प्रथम सूचना पृष्ठ भाग में लिखी जाएगी।

हस्ताक्षर—

पद—(ह0) अपठनीय
27-3-75 एच0 सी0

नोट—सूचना देने वाले का हस्ताक्षर या निशान अंगूठा रिपोर्ट के अन्त में लगवाना चाहिए।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 39 का उत्तर पीछे पृष्ठ 586 पर ।)

तालिका 'क'

पेराई सत्र 75–76 में माह नवम्बर (1975 में कार्यरत) चीनी मिलों की सूची

क्रम संख्या	चीनी मिल का नाम	मिल चलने की तिथि
1	2	3
1	इकबालपुर	30–11–75
2	देव बन्द	30–11–75
3	सरसांवा	26–11–75
4	मंसूरपुर	23–11–75
5	खतौली	21–11–75
6	रोहाना	20–11–75
7	शामली	21–11–75
8	दौराला	21–11–75
9	जसवंत	23–11–75
10	मोहीउद्दीनपुर	27–11–75
11	बेगमाबाद	22–11–75
12	सिभौली	21–11–75
13	मवाना	21–11–75
14	बागपत	16–11–75
15	बुलंदशहर	24–11–75
16	काशीपुर	21–11–75
17	बाजपुर	16–11–75
18	अमरोहा	26–11–75
19	बिलारी	24–11–75
20	आनन्दनगर	24–11–75
21	गौरीबाजार	26–11–75
22	छितौनी	24–11–75
23	कैप्टेनगंज	24–11–75
24	लक्ष्मीगंज	21–11–75
25	रामकोला (पी)	21–11–75
26	रामकोला (के)	21–11–75
27	पडरौना	28–11–75
28	कठकुइयां	29–11–75
29	कायमगंज	19–11–75
30	रामपुर	29–11–75
31	सिवहारा	23–11–75
32	बिजनौर	23–11–75

1	2				3
33	धामपुर	..	..	..	23-11-75
34	नेवली	..	..	..	16-11-75
35	किच्छा	..	..	..	28-11-75
36	पीलीभीत	..	..	..	24-11-75
37	मझोला	..	..	..	16-11-75
38	हरदोई	..	..	..	26-11-75
39	हरगांव	..	..	..	30-11-75
40	महोली	..	..	..	26-11-75
41	बिसवां	..	..	..	30-11-75
42	गोला	..	..	..	24-11-75
43	ऐरा	..	..	..	22-11-75
44	पलिया कलां	..	..	..	28-11-75
45	रसड़ा	..	..	..	26-11-75

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 7 का उत्तर पृष्ठ 596 पर।)

बहराइच जिले के प्रश्नगत पिछड़े विकास खंड के विकास हेतु प्रस्तावित अथवा कार्यान्वित की जा रही विशेष योजनाओं का ब्योरा:—

उद्योग :

बहराइच जनपद प्रदेश के 39 औद्योगिक दृष्टिकोण से घोषित पिछड़े जनपदों में से एक है। पिछड़े जनपदों के लिये अनुमन्य सभी सुविधाएं जैसे तकनीकी सहायता, वित्तीय सहायता, कच्चे माल एवं मशीनों का उपलब्ध कराया जाना, इन विकास खंडों में उद्योग लगाने वाले व्यक्तियों के लिये भी उपलब्ध है।

पिछड़े जनपदों के विकास हेतु प्रारम्भ की गयी विशेष योजना के अन्तर्गत प्रति वर्ष 20 से 25 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य है जिससे इन विकास खण्डों के उद्योग लाभान्वित हो सकते हैं।

इकौना विकास खण्ड में लाख औद्योगिक सहकारी समिति एवं हरिजन अनाज दाल प्रशोधन सहकारी समिति, हरिहरपुर रानी विकास खण्ड में औद्योगिक सहकारी समिति, परसाडेहरिया तथा सिरसिया विकास खण्ड में चर्म शोधन सहकारी समिति, चहलाही को आर्थिक सहायता प्रदान कर सुदृढ़ किए जाने का प्रयास किया जा रहा है जिससे इस क्षेत्र में ग्रामोद्योग विकास के साथ-साथ रोजगार की भी समस्या हल होगी।

दोआबा क्षेत्र में सर्वेक्षण के आधार पर रेशा, झाऊ तथा लकड़ी से टोकरियां एवं कृषि प्रयोग में होने वाले देशी उपकरण तथा फर्नीचर बनाने की योजना है।

इन विकास खंडों में कुम्हारों के लिये व्यक्तिगत इकाई के रूप में कुटीर उद्योग चलाने के लिये पंजीकृत बैंक एवं उद्योग विभाग के सहयोग से 10 इकाइयों की स्थापना की जाने की योजना है।

गोपालपुर ग्राम (विकास खंड इकौना) के निवासी श्री राम मनोरथ को गोबर गैस संयंत्र स्थापित करने के लिये खादी कमीशन से स्वीकृत प्राप्त हो चुकी है।

सड़क यातायात :

इन विकास खण्डों में निर्मित अथवा निर्माणाधीन मार्गों एवं पुलों का विवरण निम्नवत् है :—

विकास खंड हरिहरपुर रानी :

(1) तिलकपुर–मंगहा मार्ग :—	7.2 किलोमीटर, इसका पुनर्निर्माण पूर्ण है।
(2) ककरदरी–चौधरीडीह मार्ग :—	32 किलोमीटर, 31 किलोमीटर निर्माण पूर्ण है और यातायात के लिये सुलभ है।
(3) भिनगा–सिरसिया चौधरीडीह मार्ग	35 किलोमीटर, 12 किलोमीटर पेन्टेंड तथा शेष वाटरबाउण्ड है। 32 किलोमीटर सड़क यातायात के लिये सुलभ है।
(4) बहराइच–भिनगा मार्ग पर भाकला सेतु :—	144 मीटर लम्बा, पूर्ण है और यातायात के लिए सुलभ है।
(5) भिनगा–लक्ष्मनपुर मार्ग:—	14.5 किलोमीटर, मिट्टी का कार्य 11.5 किलोमीटर तक और पुलिया का निर्माण 10 किलोमीटर तक पूर्ण है।

विकास खंड सिरसिया :

(1) केन नाला सेतु:— .. 58 मीटर लम्बा, भिनगा, सिरसिया–चौधरीडीह मार्ग पर पूर्ण है।

(2) सूरज कुण्ड नाला सेतु:— 57 मीटर लम्बा, पूर्ण है।

(3) भैंसाही नाला सेतु:— 54 मीटर लम्बा, 83 प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण है।

(4) डगमरा नाला सेतु:— .. 154 मीटर लम्बा, प्रस्तावित है।

(5) हथिया कुण्ड नाला सेतु:— 57 मीटर लम्बा, प्रस्तावित है।

(6) गौरेया नाले पर सेतु:— 57 मीटर लम्बा, प्रस्तावित है।

विकास खंड इकोना :

(1) पाण्डे पुरवा इकौना मार्ग 16 किलोमीटर लम्बा, यह मार्ग हरिहरपुर रानी तथा इकौना विकास खंड के अन्तर्गत पड़ता है। 12.80 लाख रुपये के परिव्यय से इस मार्ग का निर्माण प्रस्तावित है।

विद्युत् :

हरिहरपुर रानी तथा सिरसिया विकास खंडों के लिये ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत स्कीम के अन्तर्गत 11 के0 वी0 (11,000 वोल्ट) विद्युत् लाइन का निर्माण प्रस्तावित है जिसमें से 32 किलोमीटर की लाइन बन चुकी है। एकघरवा से लक्षमनपुर बाजार तक तथा लक्षमनपुर बाजार से दुर्गापुर तक लाइन बनाई जा चुकी है।

इकौना विकास खण्ड पहले से ही विद्युत् के सम्बन्ध में विकसित है। अत: इसके लिये अलग से कोई स्कीम नहीं है।

सिंचाई :

विकास खंड हरिहरपुर रानी में एक राजकीय नलकूप नम्बर–100 बी0 जी0 ग्राम पूरे अधारी सलारपुर में छिद्रित किया जाना प्रस्तावित है। विकास खण्ड, सिरसिया ट्रान्स-राप्ती क्षेत्र जहां पर राजकीय नलकूप की सफलता संदिग्ध है, को अन्वेषणात्मक नलकूप के लिये प्रस्तावित किया गया है।

नत्थी 'घ'

(देखिये पीछे पृष्ठ 599 पर ।)

उत्तर प्रदेश भाण्डार अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक, 1976

उत्तर प्रदेश भाण्डार अधिग्रहण अधिनियम, 1955 को स्थायी बनाने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भाण्डार अधिग्रहण (संशोधन) अधिनियम, 1976 कहा जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, 1955 की धारा 1 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश भाण्डार अधिग्रहण अधिनियम, 1955 की धारा 1 में, उपधारा (4) निकाल दी जायगी ।

विधान परिषद

उद्देश्य और कारण

खाद्यान्नों और खाद्य सामग्रियों को भण्डारों में रखने के निमित्त भवनों के अधिग्रहण हेतु एक परिमित अवधि के लिये अधिकारों की व्यवस्था करने के लिये उत्तर प्रदेश भाण्डार अधिग्रहण अधिनियम, 1955 अधिनियमित किया गया था तब से समय-समय पर उसकी अवधि बढ़ाई गई है। हाल में, सरकार ने खाद्यान्नों का मूल्य स्थिर रखने और अभावग्रस्त क्षेत्र में उसकी उपलब्धता के लिये सरकार ने खाद्यान्नों की खरीद बहुत अधिक बढ़ा दी है। निकट भविष्य में स्थिति में परिवर्तन होने की कोई सम्भावना नहीं है। अतएव, उपर्युक्त विधायन को स्थायी बनाने का प्रस्ताव है।

2---तदनुसार यह विधेयक पुरः स्थापित किया जाता है।

बलदेव सिंह आर्य,
खाद्य मंत्री।

नत्थी 'ङ'

(देखिये पीछे पृष्ठ 599 पर ।)

उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1976

उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 और उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 1972 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

बिधेयक

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 1976 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 1972 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में—

(क) उपधारा (1) में—

(i) खंड (क) और (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखे जायेंगे, अर्थात्—

"(क) किसी सार्वजनिक भवन पर ; या

(ख) किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्था की या उसमें निहित किसी ऐसे भवन पर जिसकी सम्पूर्ण आय का उपयोग ऐसी संस्था के प्रयोजनार्थ किया जाता हो ; " ;

(ii) खंड (च) में, शब्द "किसी विश्वविद्यालय या अन्य परिनियत निकाय द्वारा अथवा" निकाल दिये जायेंगे ;

(ख) उपधारा (2) में—

(i) (1) शब्द, अंक और कोष्ठक, "धारा 24 की उपधारा (2)" के पहले शब्द, अंक और कोष्ठक "धारा 12 की उपधारा (5), धारा 21 की उपधारा (1—क)" बढ़ा दिए जायेंगे;

(ii) वर्तमान स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण—1 के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायगा, और इस प्रकार पुनः संख्यांकित स्पष्टीकरण—1 के पहले निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ाया जायगा, अर्थात् :—

"प्रतिबन्ध यह है कि जहां किसी भवन का निर्माण सरकार या भारतीय जीवन बीमा निगम या किसी बैंक या किसी सहकारी समिति या उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् से ऋण या अग्रिम के रूप में प्राप्त निधि से सारतः किया जाय, और ऐसे ऋण या अग्रिम के प्रतिदान की अवधि, उपर्युक्त दस वर्ष की अवधि से अधिक हो, वहां इस उपधारा में दस वर्ष की अवधि के प्रति निर्देश पन्द्रह वर्ष की अवधि या ऐसे ऋण या अग्रिम (व्याज सहित) के वास्तविक प्रतिदान के दिनांक को समाप्त होने वाली अवधि (जो भी कम हो) के प्रति निर्देश समझा जायगा।"

(iii) इस प्रकार पुनः संख्यांकित स्पष्टीकरण–1 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् —

"स्पष्टीकरण–2–पद 'बैंक' का तात्पर्य निम्नलिखित से है—

(i) बैंकिंग रेग्यूलेशन ऐक्ट, 1949 में यथा परिभाषित बैंकिंग कम्पनी ;

(ii) स्टेट बैंक आफ इंडिया ऐक्ट, 1955 के अधीन गठित स्टेट बैंक आफ इंडिया ;

(iii) स्टेट बैंक आफ इंडिया (सब्सिडियरी बैंक्स ऐक्ट, 1959 में यथा परिभाषित सब्सिडियरी बैंक ;

(iv) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 के अधीन गठित तत्स्थानी नया बैंक ;

(v) वित्त पोषण बैंक या केन्द्रीय बैंक (जैसा कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 में परिभाषित है), जो भूमि विकास बैंक न हो ;

(vi) राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये बैंक के रूप में, गजट में अधिसूचित, कोई अन्य वित्तीय संस्था।

स्पष्टीकरण–3—यह समझा जायगा कि किसी भवन का निर्माण प्रतिबन्धात्मक खंड में उल्लिखित स्रोतों से प्राप्त निधि से सारतः किया गया है, यदि ऐसे एक या अधिक स्रोत से प्राप्त निधि निर्माण व्यय के आधे से अधिक हो।" ;

(ग) उपधारा (3) में, शब्द "किसी शैक्षिक या पूर्त संस्था" के स्थान पर शब्द "किसी सार्वजनिक पूर्त या सार्वजनिक धार्मिक संस्था" रख दिये जायेंगे।

नई धारा 2-क और 2-ख का बढ़ाया जाना

3—मूल अधिनियम की धारा 2 के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ायी जायेंगी, अर्थात्—

अल्पावधि की अनुज्ञप्ति के लिये विशेष उपबन्ध

"2–क(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, स्वामी के रूप में या किरायेदार के रूप में या किसी अन्य है सियत से किसी भवन में अध्यासीन कोई व्यक्ति (जिसे इस धारा में आगे 'अनुज्ञप्तिदाता' कहा गया है) किसी अन्य व्यक्ति को (जिसे इस धारा में आगे 'अनुज्ञप्तिधारी' कहा गया है) तीन मास से अनधिक अवधि के लिये पूर्णतया अस्थायी आवास स्थान में धारा 16 के अधीन प्रदेशन आदेश के बिना अध्यासन के लिये अनुज्ञप्ति दे सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि संयुक्त रूप में अनुज्ञप्तिदाता और अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा ऐसी अनुज्ञप्ति के प्रदान किए जाने का प्रज्ञापन अनुज्ञप्ति-धारी द्वारा भवन या उसके भाग के अध्यासन के दिनांक से एक मास के भीतर जिला मजिस्ट्रेट को किया जायगा :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि जिला मजिस्ट्रेट आदेश द्वारा ऐसे अस्थायी अध्यासन की अधिकतम अवधि को कुल मिलाकर 6 मास तक के लिये (जिसमें अध्यासन की मूल अवधि भी सम्मिलित है) बढ़ा सकते हैं।

प्रतिबन्ध यह भी है कि अंतिम अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भवन या उसका भाग खाली करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के भीतर उसी भवन या उसके भाग के संबंध में किसी अन्य को इसी प्रकार की अनुज्ञप्ति नहीं दी जायगी।

(2) यह नहीं समझा जायगा कि ऐसा अनुज्ञप्तिधारी धारा 20 के प्रयोजनार्थ किरायादार है, यद्यपि वह ऐसे अध्यासन के लिये किराया देता है या उसका देनदार है।

(3) यह नहीं समझा जायगा कि ऐसे भवन या भाग पर ऐसे अनुज्ञप्तिधारी का अध्यासन ऐसी अनुज्ञप्ति प्रदान करने के कारण धारा 12 के अर्थानुसार समाप्त हो गया है।

(4) जिला मजिस्ट्रेट अनुज्ञप्तिधारी द्वारा खाली किये गये भवन या उसके भाग के सम्बन्ध में धारा 16 के अधीन प्रदेशन मकानदार की सहमति के सिवाय नहीं करेगा।

(5) यदि अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति की अवधि की समाप्ति के पश्चात् भवन या उसका भाग खाली करने में चूक जाय या उससे इन्कार करे तो अनुज्ञप्तिदाता उसे बेदखल करने के लिये नियत प्राधिकारी को आवेदन का सकता है, और तदुपरान्त नियत प्राधिकारी उसे बेदखल करने का आदेश देगा और उसका आदेश अन्तिम होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन कोई आदेश सम्बद्ध पक्षों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना नहीं दिया जायगा।

(6) उपधारा (5) के अधीन दिये गये आदेश पर धारा 23 के उपबन्ध लागू होंगे मानों वह धारा 21 या धारा 22 के अधीन दिया गया आदेश है।

किराया नियंत्रण अधिकरण का गठन

2—ख (1) राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा प्रत्येक जिले में एक या अधिक अधिकरण (जिसे किराया नियंत्रण अधिकरण कहा जायगा) गठित कर सकती है, और इसी प्रकार ऐसा आदेश निरस्त या संशोधित कर सकती है।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी जिले में अधिकरण गठित किया जाय, वहां राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसे अधिकरण को इस अधिनियम के अधीन जिला मजिस्ट्रेट या नियत प्राधिकारी की सभी या कोई शक्ति प्रदान कर सकती है, और तदुपरान्त ऐसा अधिकरण, इस अधिनियम में किसी अन्य उपबन्ध के होते हुये भी, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ, यथास्थिति, जिला मजिस्ट्रेट या नियत प्राधिकारी समझा जायगा, और ऐसे अधिकरण के गठन के ठीक पूर्व, यथास्थिति, जिला मजिस्ट्रेट या नियत प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन सभी मामले अधिकरण को अन्तरित हो जायेंगे, और अधिकांश के समक्ष कोई अग्रतर कार्यवाही उसी प्रक्रम से जारी रहेगी जिस प्रक्रम पर कोई मामला अन्तरित किया जाता है, और मामला अधिकरण द्वारा निस्तारित किया जायगा।"

धारा 3 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 3 में—

(i) खंड (क) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ाया जायगा और सदैव से बढ़ाया गया समझा जायगा, अर्थात्—

"स्पष्टीकरण—किसी होटल या बासा, में किसी कमरे के अध्यासी को किरायेदार नहीं समझा जायगा ;";

(ii) खंड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जायगा; अर्थात्—

"(ङ) 'नियत प्राधिकारी' का तात्पर्य सिविल न्यायिक अधिकारी या न्यायिक मजिस्ट्रेट से है जो जिला न्यायाधीश द्वारा इस अधिनियम के अधीन नियत प्राधिकारी की सभी या किसी शक्ति, कृत्य और कर्त्तव्य के प्रयोग सम्पादन तथा पालन के लिये प्राधिकृत हो, और भिन्न-भिन्न क्षेत्रों या मामलों या मामलों के वर्गों के सम्बन्ध में ऐसे भिन्न-भिन्न अधिकारियों को इस प्रकार प्राधिकृत किया जा सकता है, और जिला न्यायाधीश ऐसे किसी अधिकारी से कोई मामला वापस मंगा सकता है और उसे किसी अन्य ऐसे अधिकारी को निस्तारण के लिये अन्तरित कर सकता है ;";

(iii) खंड (ङ) में, शब्द "टाउन एरिया कमेटी" के पश्चात् शब्द "जिला परिषद्, उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम, 1973 के अधीन स्थापित विकास प्राधिकरण, या उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्" बढ़ाये जायेंगे;

(iv) खंड (ढ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिये जायेंगे, अर्थात्—

"(ढ) "सुधार" का तात्पर्य किसी भवन के सम्बन्ध में, उसमें कोई परिवर्धन या परिवर्तन करने या किरायेदार के लिये किसी नई सुख सुविधा की व्यवस्था करने से है, और इसके अन्तर्गत किसी वर्ष में की गयी ऐसी सभी मरम्मत भी है जिसका व्यय उसके दो मास के किराये की राशि से अधिक हो;

(ण) "सार्वजनिक भवन" का तात्पर्य केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार (जिसके अन्तर्गत किसी अन्य राज्य की सरकार भी है) की या उसके द्वारा या उसकी ओर से पट्टे पर लिये गये या अधिगृहीत किसी भवन से है, और इसके अन्तर्गत किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के निगम की या उसके द्वारा या उसकी ओर से पट्टे पर लिया गया या अधिगृहीत कोई भवन भी है ;

अधिनियम सं0 1, 1956

(त) "सार्वजनिक क्षेत्र का निगम" का तात्पर्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी निगम से है, और इसके अन्तर्गत कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 में परिभाषित कोई ऐसी कम्पनी भी है जिसमें सरकार की अंशदत्त पूंजी कम से कम पचास प्रतिशत हो ;

(थ) "मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्था" का तात्पर्य इन्टरमीडियेट शिक्षा अधिनियम, 1921 या उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 के अधीन मान्यताप्राप्त या उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अधीन मान्यताप्राप्त या सम्बद्ध किसी संस्था से है ;

(द) "पूर्त संस्था" का तात्पर्य पूर्त प्रयोजन के लिये बनाये गये किसी अधिष्ठापन, उपक्रम, संगठन या एसोसियेशन से है और इसके अन्तर्गत कोई विशिष्ट निबन्ध भी है ;

स्पष्टीकरण––इस खंड के प्रयोजनार्थ शब्द "पूर्त प्रयोजन" के अन्तर्गत दारिद्रय में सहायता, शिक्षा, चिकित्सा सहायता और जन–साधारण के या उसके किसी भाग के लाभ या भलाई के किसी अन्य उद्देश्य का अभिवर्धन भी है, जो नितान्त धार्मिक प्रकार का न हो ;

(घ) "धार्मिक संस्था" का तात्पर्य किस मन्दिर, मठ, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या किसी अन्य सार्वजनिक पूजा-स्थल से है और इसमें वक्फ भी सभी सम्मिलित है जो वक्फ अलल औलाद न हो ।"

धारा 9 का संशोधन

5––मूल अधिनियम की धारा 9 में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्––

"(2–क) उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, जिला मैजिस्ट्रेट साधारणतया उक्त दिनांक को भवन (जिसके अन्तर्गत उसका स्थल भी है) के बाजार मूल्य के दस प्रतिशत प्रति वर्ष को उसका वार्षिक मानक किराया समझेगा, और मासिक मानक किराया इस प्रकार आकलित वार्षिक मानक किराये के बारहवें भाग के बराबर होगा ।"

नई धारा 9–क का बढ़ाया जाना

6––मूल अधिनियम की धारा 9 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्––

"9–क (1) जहां किसी सार्वजनिक पूर्त या सार्वजनिक धार्मिक संस्था का कोई भवन किसी किरायेदार को दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान के लिये किराये पर दिया गया हो, वहां इस अध्याय या किसी संविदा या पट्टा में किसी बात के होते हुये भी, ऐसे भवन का मकानदार भवन के लिये देय मासिक किराये का पुनरीक्षण करने के लिये जिला मैजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकता है, और ऐसे किराया का पुनरीक्षण किरायेदारी के अधीन भवन के बाजार मूल्य के दस प्रतिशत के बारहवें भाग के बराबर धनराशि तक किया जायगा :

संस्थाओं द्वारा किराये पर दिये वाणिज्य भवनों के किराये का पुनरीक्षण

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन पुनरीक्षित किराया, इस उपधारा के अधीन मकानदार द्वारा आवेदन-पत्र देने के दिनांक पर देय किराये के दुगने से अधिक नहीं होगा :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि पूर्ववर्ती अन्तिम आवेदन–पत्र के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति के पूर्व ऐसे पुनरीक्षण के लिये कोई द्वितीय या अनुवर्ती आवेदन–पत्र ग्राह्य नहीं होगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन पुनरीक्षित किराया आवेदन–पत्र के दिनांक के ठीक बाद पड़ने वाले किरायेदारी मास के प्रारम्भ से किरायेदार द्वारा देय होगा;

(3) जहां किसी भवन का किराया उपधारा (1) के अनुसार पुनरीक्षित कर दिया गया हो, वहां मकानदार अन्तिम आदेश के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि के भीतर उक्त उपधारा के अधीन नया आवेदन–पत्र देने का हकदार न होगा ।

स्पष्टीकरण––इस धारा में, पद "दुकान" और "वाणिज्य अधिष्ठान" का वही अर्थ होगा जो उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 में उनके लिये दिये गये हैं ।"

धारा 12 का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 12 में—

(i) उपधारा (3) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ाया जायगा, अर्थात्—

"स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनार्थ—

(क) किसी व्यक्ति के द्वारा किसी भवन को अन्यथा अर्जित कर लिया गया समझा जायगा, यदि वह किरायेदार, प्रदेशन गृहीता या अनुज्ञप्ति धारी के रूप में आवासिक प्रयोजनों के लिये सार्वजनिक भवन पर अध्यासन किये हों ;

(ख) किस किरायेदार के सम्बन्ध में, पद "परिवार का कोई सदस्य" के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति न होगा जो सामन्यतया ऐसे किरायेदार के साथ न तो रहता हो और न उस पर पूर्णतया आश्रित हो।"

(ii) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्—

"(3–क) यदि किसी आवासिक भवन के किरायेदार का, जो किसी सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या सार्वजनिक क्षेत्र के निगम के अधीन या किसी अन्य सेवायोजक के अधीन अन्तरणीय पद पर हो, किसी अन्य नगर, म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया या टाउन एरिया में स्थानान्तरण कर दिया गया है तो ऐसे किरायेदार का ऐसे स्थानान्तरण के दिनांक के बाद पड़ने वाले जून के तीसवें दिनांक से या उस नगर, म्युनिसपैलिटी, नोटीफाइड एरिया या टाउन एरिया में, जहां उसका स्थानान्तरण किया गया है, उसे कोई आवास स्थान का प्रदेशन किये जाने के दिनांक से, (चाहे कोई वास स्थान इस अधिनियम के अधीन प्रदिष्ट किया जाय या सेवायोजक द्वारा किसी सरकारी वास स्थान की व्यवस्था की जाय), जो भी पश्चात्वर्ती हो, ऐसे भवन से अध्यासन समाप्त समझा जायगा ।

(3–ख) यदि किसी आवासिक भवन का किरायेदार किसी नगर, म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया या टाउन एरिया में, जहां उक्त भवन स्थित हो, किसी वृत्ति, व्यापार, आजीविका या सेवायोजन में आबन्धित है, और ऐसा आबन्ध किसी कारण से समाप्त हो जाता है, और वह किसी अन्य नगर, म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया या टाउन एरिया में किसी अन्य भवन का मकानदार है तो प्रथमोक्त भवन से ऐसे किरायेदार का अध्यासन उस दिनांक से, जब उसे उपरोक्त भवन का खाली कब्जा, चाहे धारा 21 के कार्यवाही के फलस्वरूप या अन्यथा, मिल जाय, समाप्त समझा जायगा।";

(iii) उपधारा (4) में, शब्द, कोष्ठक और अंक "उपधारा (3)" के स्थान पर शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर "उपधारा (3), उपधारा (3–क) या उपधारा (3–ख)" रख दिये जायेंगे ;

(iv) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्—

"(5) उपधारा (3) में निर्दिष्ट कोई किरायेदार, या यथास्थिति, उसके परिवार का कोई सदस्य उक्त उपधारा में निर्दिष्ट किसी

आवासिक भवन के, जिसे उसने उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 1976 के प्रारम्भ के पूर्व किराया पर दिया हो, मकानदार के रूप में अपने किरायादार की उस भवन से बेदखली के लिये धारा 21 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन आवेदन करने का अधिकारी होगा भले ही वह भवन ऐसा है जिस पर इस अधिनियम के शेष उपबन्ध लागू नहीं होते हैं।"

धारा 14 का प्रतिस्थापन

8—मूल अधिनियम की धारा 14 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्:—

"14—उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराया तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 1976 के प्रारम्भ के दिनांक पर किसी भवन या उसके भाग में अध्यासीन प्रत्येक व्यक्ति के प्रति, जो मकानदार के रूप में प्रविष्ट किया गया है, यह समझा जायगा कि वह विधिमान्य रीति से प्रविष्ट किया गया है और किरायेदार है यद्यपि किरायेदार के रूप में इस प्रकार प्रविष्ट करने के सम्बन्ध में कोई प्रदेशन आदेश इस अधिनियम के अधीन प्राप्त नहीं किया गया था।

स्पष्टीकरण—कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराया तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 1976 के दिनांक पर बेदखली का कोई वाद या कार्यवाही (जिसमें पुराने अधिनियम की धारा 7-क के अधीन कोई कार्यवाही सम्मिलित है) किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन है या जिसको उक्त दिनांक के पूर्व मकानदार ने रजिस्ट्री डाक से मकान छोड़ने के लिये नोटिस दी है, मकानदार द्वारा भवन या उसके भाग में किरायादार के रूप में प्रविष्ट किया गया नहीं समझा जायगा।"

धारा 16 का संशोधन

9—मूल अधिनियम की धारा 16 में—

(i) उपधारा (1) में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—

"प्रतिबन्ध यह है कि धारा 12 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट रिक्ति की स्थिति में, जिला मजिस्ट्रेट खंड (क) के अधीन कोई आदेश देने के पूर्व, यथास्थिति, मकानदार या किरायेदार को यह दिखलाने का अवसर देगा कि उक्त धारा उसके मामले में आकर्षित नहीं होती है।"

(ii) उपधारा (4) में, शब्द "और किसी भी अन्य व्यक्ति ने उस पर अध्यासन कर लिया हो या अपना अध्यासन बनाये रखा हो" निकाल दिये जायेंगे;

(iii) उपधारा (7) में, शब्द और अंक "धारा 18 के अधीन किसी अपील के परिणाम के अधीन रहते हुये" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 18 के अधीन दिये गये किसी आदेश के अधीन रहते हुये" रखे जायेंगे;

(iv) उपधारा (8) में, शब्द, अंक और कोष्ठक "उपधारा (5) और धारा 18 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये" के स्थान पर शब्द अंक और कोष्ठक "उपधारा (5) और (9), और धारा 18 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये" रखे जायेंगे ;

(v) उपधारा (9) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जायगी, अर्थात्--

"(9) जिला मजिस्ट्रेट, उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन आदेश देते समय, प्रदेशनगृहीता से मकानदार को--

(क) जहां भवन किसी पर्वतीय म्युनिसिपैलिटी में स्थित हो, वहां वार्षिक उपधारित किराये के आधे, और

(ख) किसी अन्य स्थिति में, एक मास के उपधारित किराये, के बराबर अग्रिम देने की अपेक्षा करेगा, और उसके द्वारा एक सप्ताह के भीतर भुगतान न करने पर या न देने पर प्रदेशन आदेश को विखंडित कर सकता है।

स्पष्टीकरण--इस उपधारा में, पद "उपधारित किराया" का तात्पर्य किराये की उस धनराशि से है जिसे जिला मजिस्ट्रेट धारा 9 की उपधारा (2) और (2-क) के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुये प्रथम दृष्ट्या युक्तियुक्त समझे, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी धनराशि उस किराये की धनराशि से कम न होगी जो अन्तिम किरायेदार द्वारा, यदि कोई हो, देय रही हो।

(10) उपधारा (9) की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि जिला मजिस्ट्रेट से प्रदिष्ट भवन का उपधारित किराया निश्चित करने के पूर्व कोई साक्ष्य लेने या कोई औपचारिक जांच करने की अपेक्षा की गयी है, और प्रदेशन आदेश में उपधारित किराये के रूप में उल्लिखित धनराशि सम्बद्ध पक्षों के बीच किसी लिखित करार या धारा 9 के अधीन औपचारिक जांच के पश्चात् मानक किराया के किसी अनुवर्ती अवधारण के अधीन होगी :

प्रतिबन्ध यह है कि जब तक कि उपधारित किराया इस प्रकार करार द्वारा या धारा 9 के अधीन आदेश द्वारा पुनरीक्षित कर दिया जाय, किरायादार प्रदेशन आदेश में विनिर्दिष्ट उपधारित किराया के अनुसार किराये का देनदार बना रहेगा, किन्तु इस प्रकार कि धारा 9 के अधीन कोई अनुवर्ती आदेश किरायेदारी के प्रारम्भ के दिनांक से ही प्रभावी होगा।"

धारा 17 का संशोधन

10--मूल अधिनियम की धारा 17 में, उपधारा (2) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण उसमें बढ़ाया जायगा, अर्थात् --

"स्पष्टीकरण--जहां मकानदार के अध्यासन में आवासीय प्रयोजन के लिये कोई भवन प्रदिष्ट किये जाने वाले भवन से (चाहे अगल बगल या ऊपर नीचे) सटा हुआ हो, और--

(क) दोनों भवनों के लिये प्रवेश द्वारा उभयनिष्ठ हो, या रास्ता उभयनिष्ठ हो, या

(ख) दोनों भवनों के लिये सफाई की सुविधायें या अन्य आराम (जिसमें बिजली का कनेक्शन सम्मिलित नहीं है) उभयनिष्ठ हो ;

वहां इस बात के होते हुये भी कि दोनों भवन स्वतंत्र रूप से आवासीय प्रयोजन के योग्य हैं, उनको एक दूसरे का भाग इस उपधारा के प्रयोजनार्थ समझा जायगा।"

धारा 18 का संशोधन

11--मूल अधिनियम की धारा 18 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जायगी, अर्थात्--

"(1) कोई अपील धारा 16 या धारा 19 के अधीन किसी आदेश के विरुद्ध ग्राह्य नहीं होगी, चाहे वह इस धारा के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् प्रारम्भ की गयी है, किन्तु उक्त धाराओं में से किसी के अधीन किसी अन्तिम आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर, जिला न्यायाधीश को पुनरीक्षण के लिये आवेदन निम्नलिखित किसी एक या अधिक आधार पर कर सकता है, अर्थात्--

(क) जिला मजिस्ट्रेट ने ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया है है जो उसमें विधि द्वारा निहित नहीं है ;

(ख) जिला मजिस्ट्रेट ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में असफल रहा है जो ऐसे निहित है ;

(ग) जिला मजिस्ट्रेट ने अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में अवैध रूप से या तात्विक अनियमितता से कार्य किया है ;

(1-क) पुनरीक्षण प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन दिये गये अन्तिम आदेश की पुष्टि कर सकता है या फिर से सुनवाई के लिये मामला जिला मजिस्ट्रेट को प्रतिप्रेषित कर सकता है और पुनरीक्षण होने तक ऐसे आदेश के प्रवर्तन को ऐसी शर्तों पर स्थगित कर सकता है जिन्हें वह उचित समझे।"

धारा 19 का संशोधन

12--मूल अधिनियम की धारा 19 में, शब्द या अंक "धारा 18 के अधीन अपील" के स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा 18 के अधीन पुनरीक्षण" रख दिये जायेंगे।

धारा 20 का संशोधन

13--मूल अधिनियम की धारा 20 में,--

(क) उपधारा (2) में खंड (घ) में, शब्द "कोई ऐसा कार्य किया है जो उस प्रयोजन से असंगत हो जिसके लिये उसे भवन किराये पर दिया गया था, या मकानदार की लिखित सहमति के बिना उसका प्रयोग ऐसे प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिये किया है" के स्थान पर शब्द "मकानदार की लिखित सहमति के बिना उसका प्रयोग उस प्रयोजन से, जिसके लिये उसे भवन किराये पर दिया गया था, भिन्न प्रयोजन के लिये किया है या अन्य प्रकार से कोई ऐसा कार्य किया है जो ऐसे प्रयोग से असंगत है" रख दिये जायेंगे ;

(ख) उपधारा (4) में--

(i) शब्द "प्रस्तुत कर दें" के स्थान पर शब्द " प्रस्तुत कर दें या न्यायालय में जमा कर दें" रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे ;

(ii) अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्--

"स्पष्टीकरण--इस उपधारा के प्रयोजनार्थ--

(क) पद " प्रथम सुनवाई' का तात्पर्य प्रतिवादी पर तामील किये गये समन में उल्लिखित किसी पैरवी या कार्यवाही के लिये प्रथम दिनांक से है,

(ख) पद 'वाद व्यय' के अन्तर्गत किसी प्रतिवादित वाद के लिये आदेय काउन्सेल की फीस की आधी धनराशि भी है।" ;

(ग) उपधारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी और सदैव से बढ़ाई गयी समझी जायगी, अर्थात्--

"(6) उपधारा (4) या सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रथम अनुसूची के आदेश 15 के नियम 5 के अधीन किरायेदार द्वारा जमा की गयी कोई धनराशि मकानदार के आवेदन-पत्र पर, पक्षकारों के अभिवचनों पर अक्षत प्रभाव डाले बिना और वाद में अन्तिम निर्णय के अधीन रहते हुए, तत्काल मकानदार को दे दी जायेगी।"

धारा 21 का संशोधन

14--मूल अधिनियम की धारा 21 में, --

(i) उपधारा (1) में--

(क) उसके द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड में--

(1) शब्द "जिसमें किरायेदार किसी वृत्ति, व्यापार या आजीविका में आबन्धित है" के स्थान पर शब्द " जो केवल अनावासिक प्रयोजन के लिये किराये पर दिया गया हो" रखे जायेंगे ;

(2) शब्द "दो वर्ष के किराये के बराबर धनराशि" के स्थान पर शब्द " दो वर्ष के किराये से अनधिक धनराशि" रखे जायेंगे ;

(ख) उसके तृतीय प्रतिबन्धात्मक खंड के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जायेगा और सदैव से बढ़ाया गया समझा जायेगा, अर्थात्--

"प्रतिबन्धयह भी है कि नियत प्राधिकारी उन मामलों के सिवाय जिनकी व्यवस्था स्पष्टीकरण में की गयी है, आवेदन-पत्र की अस्वीकृति से मकानदार की सम्भावित कठिनाई की तुलना में आवेदन-पत्र की स्वीकृति से किरायादार की सम्भावित कठिनाई को ध्यान में रखेगा और उस प्रयोजन के लिये ऐसे तथ्यों को दृष्टिगत रखेगा जो नियत किये जायें।";

(ग) उसके स्पष्टीकरण में--

(1) खण्ड (1) में शब्द "उसके परिवार के किसी सदस्य ने" के पश्चात् शब्द तथा कोष्ठक "(जो सामान्यत : उसके साथ निवास कर रहा हो या उस पर पूर्णतया आश्रित हो ।)" बढ़ा दिए जायेंगे और सदैव से बढ़ाए गए समझे जायेंगे और अन्त में, निम्नलिखित टिप्पणी बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् --

"टिप्पणी--इस खण्ड के प्रयोजनार्थ यह समझा जायगा कि किसी व्यक्ति ने किसी भवन को अन्यथा अर्जित कर लिया है, यदि उसका अध्यासन किरायादार, प्रदेशन गृहीता या अनुज्ञप्तिधारी के रूप में आवासिक प्रयोजनों के लिए सार्वजनिक भवन पर हो"

(2) खण्ड (iv) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात् :--

(iv) जहां मकानदार उसी नगर, म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया या टाउन एरिया में सेवायोजन में व्यस्त था, जिसमें मकान स्थित है और ऐसे सेवायोजन के कारण किसी अन्य वासस्थान पर अध्यासीन था या जहां मकानदार किसी ऐसे व्यक्ति की पत्नी या अवयस्क पुत्र या अविवाहित पुत्री है जो उस नगर, म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया या टाउन एरिया से दूर किसी वृत्ति, रोजगार, आजीविका या सेवायोजन में व्यस्त था, जिसमें भवन स्थित है, और ऐसे व्यक्ति के साथ रहता था, और ऐसी व्यस्तता की समाप्ति के कारण मकानदार को मकान की आवश्यकता निजी अध्यासन के लिए आवासीय प्रयोजन के लिए हो, वहां ऐसी आवश्यकता खण्ड (क) के प्रयोजनार्थ सामान्यतया पर्याप्त समझी जाएगी ।";

(ii) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् ---

"(1-क) धारा 2 में किसी बात के होते हुए भी, मकानदार, के तदर्थ आवेदन-पत्र पर किराएदारी के किसी भवन से किरायेदार की बेदखली के लिए आदेश नियत प्राधिकारी के द्वारा दिया जायेगा, यदि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसे भवन का मकानदार किसी सार्वजनिक भवन का अध्यासी आवासीय प्रयोजनों के लिए था, जिसे अपने सेवायोजन की समाप्ति के कारण उसे खाली करना पड़ा ;

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे सार्वजनिक भवन में अध्यासीन मकानदार के द्वारा अपने सेवायोजन की समाप्ति के प्रदर्शित दिनांक से पूर्व एक वर्ष की अवधि में भी इस उपधारा के अधीन आवेदन-पत्र दिया जा सकता है, किन्तु ऐसे आवेदन-पत्र पर बेदखली का आदेश वास्तविक समाप्ति के दिनांक पर ही प्रभावी होगा ।";

(iii) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात् ---

"(3) उपधारा (1) या उपधारा (1-क) या उपधारा (2) के अधीन कोई आदेश सम्बद्ध पक्षों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना नहीं दिया जायगा ;

प्रतिबन्ध यह है कि जहां किरायेदार सरकार का या किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के निगम का सेवक होते हुए आवेदन-पत्र का प्रतिवाद न करे, वहां जिला मजिस्ट्रेट को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा, जिन्हें आवेदन-पत्र के विरोध करने का अधिकार होगा।";

(iv) उपधारा (4) में शब्द, अंक और कोष्ठक "उपधारा (1) या उपधारा (2)" के स्थान पर शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर "उपधारा (1) या उपधारा (1-क) या उपधारा (2)" रख दिए जायेंगे ;

(v) उपधारा (5) में, शब्द, अंक और कोष्ठक "उपधारा (1) या उपधारा (2)" के स्थान पर शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर "उपधारा (1) या उपधारा (1-क) या उपधारा (2)" रख दिए जायेंगे ;

(vi) उपधारा (6) में, शब्द, अंक और कोष्ठक "उपधारा (1) या उपधारा (2)" के स्थान पर शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर "उपधारा (1) या उपधारा (1-क) या उपधारा (2)" रख दिए जायेंगे ;

(vii) उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् —

"(7) जहां उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन किसी आवेदन-पत्र के लम्बित रहने के दौरान मकानदार की मृत्यु हो जाती है, वहां उसके विधिक प्रतिनिधि मृतक की आवश्यकता के स्थान पर स्वयं अपनी आवश्यकता के आधार पर ऐसे आवेदन-पत्र पर अग्रतर कार्यवाही करने के हकदार होंगे ;

(8) उपधारा (1) के खंड (क) की कोई बात राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या सार्वजनिक क्षेत्र के निगम या किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्था को किराये पर उठाये गए भवन पर लागू न होगी जब तक कि नियत प्राधिकारी का यह समाधान न हो जाय कि मकानदार ऐसा व्यक्ति है जिस पर उपधारा (1) के स्पष्टीकरण का खंड (ii) या खंड (iv) लागू होता है ;

प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे भवन की स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट, मकानदार के आवेदन-पत्र पर, उसके लिए देय मासिक किराया उतनी धनराशि तक बढ़ा सकता है जो किरायेदारी के अधीन भवन के बाजार मूल्य के दस प्रतिशत के बारहवें भाग के बराबर होगा, और इस प्रकार बढ़ाया गया किराया आवेदन-पत्र के दिनांक के ठीक बाद पड़ने वाले किरायेदारी के मास के प्रारम्भ से देय होगा :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि अग्रतर वृद्धि करने के लिए इस प्रकार का आवेदन-पत्र वृद्धि के अन्तिम आदेश के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् दिया जा सकता है।"

धारा 21 का संशोधन

15—मूल अधिनियम की धारा 22 में, शब्द और अंक "धारा 18" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 20" रख दिए जायेंगे।

16—मूल अधिनियम की धारा 24 के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय बड़ा दिया जाएगा, अर्थात् —

नए अध्याय 4-क का बढ़ाया जाना

"अध्याय 4 क—

कुछ आवेदन-पत्रों का संक्षिप्त विचारण

24-क—इस अध्याय के या उसके अधीन निर्मित नियम के उपबन्ध, उनसे असंगत किसी बात के इस अधिनियम में अन्यत्र या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में, या किसी प्रतिकूल संविदा (चाहे अभिव्यक्त या विवक्षित हो), रूढ़ि या प्रथा में होते हुये भी, प्रभावी होंगे ।

24-ख—(1) जहां किसी मकानदार से, जो ऐसा व्यक्ति है जिसके अध्यासन में कोई आवासिक सार्वजनिक भवन है, सरकार या अन्य सम्बद्ध प्राधिकरण द्वारा दिए गए किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा या उसके अनुसरण में ऐसे भवन को खाली करने की, या व्यतिक्रम की स्थिति में, कतिपय आभार ग्रहण करने की इस आधार पर अपेक्षा की जाय कि उसका उसी नगर, म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया या टाउन एरिया में उसके स्वामित्व में उसके नाम से या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम से कोई आवासिक भवन है, जहां ऐसे आदेश के दिनांक पर और दिनांक से, मकानदार को किसी ऐसे भवन का कब्जा, जिसे उसने किराए पर उठाया हो, तुरन्त लेने का अधिकार उत्पन्न हो जाएगा :

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह मकानदार को जिसका उसी नगर, म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया या टाउन एरिया में चाहे अपने नाम से या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम से दो या अधिक निवास गृह हैं, एक से अधिक निवास गृह का कब्जा लेने का अधिकार प्रदान करती है और ऐसे मकानदार को उस वास स्थान को बताना विधिमान्य होगा जिसका कब्जा वह लेना चाहता है ।

(2) जहां मकानदार उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त कब्जा लेने के अधिकार का प्रयोग करता है वहां किरायेदार को या उसके माध्यम से या अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति को उसे कोई प्रतिकर देय नहीं होगा और कोई न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण ऐसे प्रतिकर के लिए कोई दावा ग्रहण नहीं करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां मकानदार ने —

(क) किरायादार से कोई अग्रिम किराया लिया है, वहां वह भवन का कब्जा वापस पाने के दिनांक से नब्बे दिन के भीतर किरायादार को उतनी धनराशि वापस करेगा जितनी संविदा, करार या पट्टे के असमाप्त भाग के लिए देय किराया के बराबर हो :

(ख) किरायादार से कोई अन्य भुगतान लिया है वहां वह उपर्युक्त अवधि के भीतर किरायादार को इस प्रकार प्राप्त कुल राशि में से उसी अनुपात में धनराशि वापस करेगा, जो अनुपात संविदा या करार या पट्टे के असमाप्त भाग का संविदा या करार या पट्टे की कुल अवधि से हो :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि उपर्युक्त धनराशि को वापस करने में कोई व्यतिक्रम किया जाय तो मकानदार उस राशि पर जिसे उसने वापस नहीं किया है या वापस करने में चूक की है, बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज का देनदार होगा ।

24-ग--(1) धारा 24-ख में विनिर्दिष्ट आधार पर किसी भवन का कब्जा पाने के लिए मकानदार द्वारा प्रत्येक आवेदन-पत्र जिला मजिस्ट्रेट को दिया जायगा और इस धारा में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार उस पर कार्यवाही की जाएगी।

(2) जिला मजिस्ट्रेट उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन-पत्र के सम्बन्ध में, नियत प्रपत्र में सम्मन जारी करेगा।

(3) (क) जिला मजिस्ट्रेट किरायेदार को सम्मन जारी करते समय उसके अतिरिक्त यह भी निदेश देगा कि सम्मन किरायादार या उसके एजेन्ट को, जो तामील स्वीकार करने के लिए सशक्त हो, सम्बोधित करके, रजिस्ट्री डाक द्वारा उस स्थान पर तामील कराई जाय, जहां किरायादार या उसका एजेन्ट वस्तुत: एवं स्वेच्छापूर्वक निवास करता है या कारबार करता है या लाभार्थ स्वयं कार्य करता है और यदि मामले की परिस्थितियों द्वारा अपेक्षित हो, यह भी निदेश दे सकता है, कि सम्मन को समाचार-पत्र में प्रकाशित किया जाय, जिसका प्रचार उस क्षेत्र में है जिसमें अन्तिम बार का पता हो कि किरायादार ने निवास किया है या कारबार किया है, या लाभार्थ स्वयं कार्य किया है।

(ख) जब जिला मजिस्ट्रेट को कोई रसीद मिले, जिससे यह प्रकट हो कि उस पर किरायादार या उसके एजेन्ट ने हस्ताक्षर किया है या कोई रजिस्ट्रीकृत वस्तु, जिसमें सम्मन हो वापस मिले, जिससे प्रकट हो कि उस पर किसी डाक कर्मचारी ने इस आशय का पृष्ठांकन किया है कि किरायादार या उसके एजेन्ट ने रजिस्ट्रीकृत वस्तु को लेने से इनकार किया है, तब जिला मजिस्ट्रेट यह घोषणा कर सकता है कि सम्मन की तामील विधिमान्य है।

(4) किरायादार जिस पर सम्मन सम्यक रूप के तामील किया जाय (चाहे साधारण रूप से या रजिस्ट्री डाक द्वारा) भू-गृहादि से बेदखली के लिए प्रार्थना का तब तक प्रतिवाद नहीं करेगा जब तक कि वह ऐसा शपथ-पत्र प्रस्तुत न करे जिसमें ऐसे कारण उल्लिखित किए गए हों, जिनके आधार पर वह बेदखली के आवेदन-पत्र का प्रतिवाद करना चाहता हो, और जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति न प्राप्त कर ले, जैसा कि इसमें आगे उपबन्धित है, और सम्मन के अनुसरण में उपस्थित होने में या ऐसी अनुमति प्राप्त करने में चूक करने पर, मकानदार द्वारा बेदखली के आवेदन-पत्र में दिया गया कथन किरायेदार द्वारा स्वीकार कर लिया गया समझा जायगा और आवेदक उपर्युक्त आधार पर बेदखली के आदेश का हकदार होगा।

(5) जिला मजिस्ट्रेट किरायेदार को आवेदन-पत्र का प्रतिवाद करने के लिए अनुमति देगा यदि किरायेदार द्वारा प्रस्तुत किए गए शपथ-पत्र से ऐसे तथ्य प्रकट हों जिनसे मकानदार धारा 24-ख में विनिर्दिष्ट कारण भू-गृहादि का कब्जा वापस पाने का आदेश प्राप्त करने का हकदार न रहे।

(6) जहां किरायेदार को आवेदन-पत्र का प्रतिवाद करने के लिए अनुमति दी जाय, वहां जिला मजिस्ट्रेट आवेदन-पत्र की सुनवाई यथाव्यवहार्य शीघ्र प्रारम्भ करेगा।

(7) कोई अपील या द्वितीय अपील किसी भू-गृहादि के कब्जा वापसी के लिए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस धारा में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार दिए गए आदेश के विरुद्ध ग्राह्य नहीं होगी :

प्रतिबन्ध यह है कि जिला न्यायाधीश अपना यह समाधान करने के प्रयोजनार्थ कि इस धारा के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया आदेश विधि के अनुसार है, मामले का अभिलेख मंगा सकता है और उसके सम्बन्ध में ऐसा आदेश दे सकता है जैसा वह उचित समझे।

(8) जहां कोई आवेदन-पत्र जिला न्यायाधीश को पुनरीक्षण के लिए न दिया गया हो, वहां जिला मजिस्ट्रेट सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रथम अनुसूची के आदेश 47 के उपबन्धों के अनुसार पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग कर सकता है।

धारा 26 का संशोधन

17--मूल अधिनियम की धारा 26 में, उपधारा (3) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् --

"स्पष्टीकरण--पद 'सुधार में प्रयुक्त किसी सामग्री' के अन्तर्गत बिजली के काम के तार लगाना या किसी जल संयोजन के सम्बद्ध कोई पाइप भी है।"

धारा 28 का संशोधन

18--मूल अधिनियम में धारा 28 में --

(i) उपधारा 2 में--

(क) शब्द "एक महीने के किराये" के स्थान पर शब्द "दो महीने के किराए" रख दिए जायेंगे ;

(ख) उसका प्रतिबन्धात्मक खण्ड निकाल दिया जायगा ;

(ii) उपधारा (3) में, शब्द "यथास्थिति एक महीने या दो महीने के किराये", के स्थान पर शब्द "दो महीने के किराये" रख दिए जायेंगे;

(iii) उपधारा (4) में, शब्द "यथास्थिति, एक महीने या दो महीने के किराये के स्थान पर शब्द "दो महीने के किराए" रख दिए जायेंगे ।

नई धारा 28-क और 28-ख का बढ़ाया जाना

19--मूल अधिनियम की धारा 28 के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जाएंगी, अर्थात् --

शिकमी किराएदार द्वारा परिवर्तन तथा सुधार नहीं किया जायगा।

"28-क--धारा 6, या धारा 20 की उपधारा (2) के खण्ड (ग), या धारा 26 की उपधारा (3) की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि वह किसी शिकमी किरायेदार का किसी भवन में, किरायेदारी के निबन्धनों के अनुसरण से अन्यथा कोई परिवर्तन या सुधार करने का अधिकार प्रदान करती है ।

किरायेदार का जल संयोजन तथा सफाई का सामान लगवाने का अधिकार।

28-ख--किसी स्थानीय प्राधिकरण से सम्बन्धित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, किराएदार (जिसके अन्तर्गत शिकमी किरायेदार भी है) को अपनी किरायेदारी के भवन में अपनी लागत पर जल-संयोजन, बिजली का कनेक्शन और सफाई के सामान लगवाने का अधिकार होगा और प्रत्येक ऐसे कार्य के सम्बन्ध में धारा 26 की उपधारा (3) के उपबन्ध लागू होंगे ।"

नई धारा 29-क का बढ़ाया जाना

20-मूल अधिनियम की धारा 29 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् --

कतिपय श्रेणी के किरायेदारों को जिस भूमि पर भवन बने हों; उससे बेदखल करने के विरुद्ध संरक्षण।

"29-क--(1) इस धारा के प्रयोजनार्थ पद "किरायेदार" और "मकानदार" के अर्थ शब्द 'भवन' के स्थान पर शब्द 'भूमि' को रखते हुए क्रमश : वही होंगे जो धारा 3 के खन्ड (क) और (ञ) में उनके लिए दिये गए हैं ।

(2) यह धारा केवल उस भूमि पर लागू होगी जो इस धारा के प्रारम्भ होने के पूर्व या पश्चात् किराए पर दी गयी है, यदि किराएदार ने मकानदार की सहमति से कोई स्थायी संरचना की हो और उस के निष्पादन पर व्यय किया हो।

(3) इस धारा में आगे दिए गए उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी भूमि के सम्बन्ध में धारा 20 के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे किसी भवन के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

(4) किसी भूमि का किराएदार, जिस पर यह धारा लागू हो, मकानदार को ऐसे किराए का, जो पक्षों के बीच परस्पर सम्मत हो, और किसी सम्मति के न होने पर उपधारा (5) के अनुसार अवधारित किराए का देनदार होगा।

(5) जिला मजिस्ट्रेट मकानदार या किरायेदार के आवेदन-पत्र पर ऐसी भूमि के सम्बन्ध में देय वार्षिक किरायों जो भूमि के वर्तमान बाजार मूल्य के दस प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अवधारित करेगा, और ऐसा किराया, उपधारा (6) में की गयी व्यवस्था के सिवाय, भूमि किराए पर देने की अवधि की समाप्ति के या इस धारा के प्रारम्भ के दिनांक से, जो भी पश्चात्वर्ती हो, देय होगा।

(6) (क) इस धारा के प्रारम्भ के दिनांक से ठीक पहले विचाराधीन किसी वाद या अपील या अन्य कार्यवाही में कोई डिक्री किसी किराएदार की किसी भूमि से, जिस पर यह धारा लागू होती हो, बेदखली के लिए धारा 20 की उपधारा (2) में उल्लिखित एक या अधिक आधार के सिवाय, नहीं दी जाएगी और निष्पादित नहीं की जाएगी, यदि किरायेदार इस धारा के प्रारम्भ से तीन महीने की अवधि के भीतर न्यायालय में आवेदन-पत्र द्वारा, वाद कालीन सम्पूर्ण अवधि के लिए और आगे भूमि के बढ़े हुए किराए को, भूमि के वर्तमान बाजार मूल्य के दस प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वाद-व्यय सहित (जिसके अन्तर्गत किसी अपील या किसी निष्पादन या अन्य कार्यवाहियों का व्यय भी है) मकानदार को बिना शर्त देने का प्रस्ताव करता है ;

(ख) प्रत्येक ऐसे मामले में बढ़ा हुआ किराया उपधारा (5) में किसी बात के होते हुए भी, उस न्यायालय द्वारा अवधारित किया जायगा, जिसके कब्जे में मामला किसी प्रक्रम पर हो ;

(ग) किराएदार द्वारा ऐसे समय के भीतर; जो न्यायालय इस बात के लिए नियत करें, उपरोक्त रूप के ऐसे बढ़े हुए किराए का व्यय सहित भुगतान वादी या डिक्रीधारी या उसके वकील के यथाविधि हस्ताक्षर-युक्त रसीद के प्रति करने पर या निक्षेप न्यायालय में करने पर, न्यायालय बेदखली के लिए वाद को खारिज कर देगा, या यथास्थिति, डिक्री को विमोचित कर देगा और तत्पश्चात् किराएदारी इस प्रकार बढ़े हुए किराए के आधार पर प्रति वर्ष चलती रहेगी

(घ) यदि किराएदार इस प्रकार नियत समय के भीतर (जिसके अन्तर्गत बढ़ाया गया समय, यदि कोई हो; भी है, जिसे न्यायालय नियत करें या पर्याप्त कारण से स्वीकृत करे) उक्त धनराशि का भुगतान न करे तो न्यायालय उस मामले में उसी प्रकार कार्यवाही करेगा मानों इस धारा के पूर्ववर्ती उपबन्ध प्रवृत्त न थे।

(7) इस धारा के उपबन्ध तत्समय प्रवृत्त किसी संविदा या लिखत या किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे ।

स्पष्टीकरण--उपधारा (6) के प्रयोजनार्थ, जहां किसी मामले में एक न्यायालय ने किराएदार के विरुद्ध निर्णय दिया हो और उसके विरुद्ध अपील की अवधि इस धारा के प्रारम्भ के ठीक पूर्व दिनांक को समाप्त न हुई हो, वहां यह धारा उसी प्रकार लागू होगी जिस प्रकार वह विचाराधीन कार्यवाहियों पर लागू होती है, और किराएदार इस धारा के उपबन्धों के अनुसार निर्णय का पुनर्विलोकन करने के लिये उस न्यायालय को आवेदन कर सकता है।"

धारा 31 का संशोधन

21--मूल अधिनियम की धारा 31 में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात् --

"(2) किसी व्यक्ति को, जो विधिपूर्ण कारण के बिना किसी किराएदारी के अन्तर्गत भवन या उसके किसी भाग को गिराता है, दोष सिद्धि पर किसी भांति के कारावास का जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकती है या अर्थ दन्ड का, जो पांच हजार रुपए तक हो सकता है, या दोनों का दन्ड दिया जाएगा।"

धारा 34 का संशोधन

22-मूल अधिनियम की धारा 34 में --

(क) उपधारा (1) में, शब्द "अपील प्राधिकार" के स्थान पर शब्द "अपील या पुनरीक्षण प्राधिकारी" रख दिए जायेंगे, और शब्द "किसी अपील" के स्थान पर शब्द "किसी अपील या पुनरीक्षण" रख दिए जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) में--

(1) शब्द "अपील प्राधिकारी" के स्थान पर शब्द "अपील या पुनरीक्षण प्राधिकारी" रख दिए जायेंगे, और शब्द "किसी अपील" के स्थान पर शब्द "किसी अपील या पुनरीक्षण" रख दिए जायेंगे ;

(2) शब्द और अंक "दन्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 480 और 482" के स्थान पर शब्द और अंक "दन्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345 और 346" रख दिए जायेंगे ;

(ग) उपधारा (3) में शब्द "अपील प्राधिकारी" के स्थान पर शब्द "अपील या पुनरीक्षण प्राधिकारी" रख दिए जायेंगे ;

(घ) उपधारा (7) में, शब्द "अपील प्राधिकारी" के स्थान पर शब्द "अपील या पुनरीक्षण प्राधिकारी" रख दिए जाएंगे ।

धारा 43 का संशोधन

23--मूल अधिनियम की धारा 43 में, उपधारा (2) में --

(i) खण्ड (घ) में, शब्द "जारी रखी और समापित की जायगी मानों यह अधिनियम पारित न किया गया हो" के स्थान पर शब्द "पुराने अधिनियम के अनुसार, जिसे उसी प्रयोजन के लिए प्रवृत्त समझा जायगा, जारी रखी और समापित की जायेगी" रखे जायेंगे और सदैव से रखे गए समझे जायेंगे ;

(ii) खण्ड (ङ) में शब्द "ऐसे जारी रहेगी और समापित की जाएगी मानो यह अधिनियम पारित न किया गया हो," के स्थान पर शब्द "पुराने अधिनियम के अनुसार जिसे उस प्रयोजन के लिए प्रवृत्त समझा जायगा, जारी रखी और समापित की जायेगी" रखे जायेंगे और सदैव से रखे गए समझे जायेंगे;

(iii) खण्ड (त) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् —

"(तत) धारा 34 के उपबन्ध के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों सहित, पूर्ववर्ती खण्डों में निर्दिष्ट प्रत्येक पुनरीक्षण पर लागू होंगे ; ";

(iv) खण्ड (द) में, शब्द "जारी रखी और समापित की जा सकती है मानों यह अधिनियम पारित न हुआ हो, " के स्थान पर शब्द "पुराने अधिनियम के अनुसार जिसे उस प्रयोजन के लिए प्रवृत्त समझा जायगा, जारी रखी और समापित की जा सकती है" रखे जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे ।

(v) खण्ड (द) में —

(1) शब्द "और किरायेदार की बेदखली के लिये कोई वाद संस्थित न किया गया हो" के स्थान पर शब्द "चाहे किरायेदार की बेदखली के लिये कोई वाद संस्थित किया गया हो या नहीं" रखे जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे ;

(2) निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायगा और सदैव से बढ़ाया गया समझा जायगा; अर्थात् ।

"प्रतिबन्ध यह है कि पुराने अधिनियम की धारा 3 के अधीन दी गई अनुज्ञा के आधार पर इस खण्ड के अधीन कोई आवेदन-पत्र कायम नहीं रहेगा जबकि ऐसी अनुज्ञा इस अधिनियम के प्रारम्भ के तीन वर्ष से अधिक पहले अन्तिम हो गई थी ; "

(vi) खण्ड (घ) में, शब्द "जारी रखी और समापित की जा सकती है मानों यह अधिनियम पारित न हुआ हो" के स्थान पर शब्द 'पुराने अधिनियम के अनुसार जिसे उस प्रयोजन के लिए प्रवृत्त समझा जायेगा, जारी रखी और समापित की जा सकती है" रखे जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे ;

धारा 44 का प्रतिस्थापन

24—मूल अधिनियम की धारा 44 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात् —

"44—उत्तर प्रदेश, आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 की धारा 68 निकाल दी जाएगी।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22, 1972 की धारा 2 का संशोधन

25—उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 1972 की धारा 2 में —

(i) खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिए जायेंगे और सदैव से रखे गए समझे जायेंगे, अर्थात् —

"(कक)" भौमिक अधिकार में सम्बन्धित विधि, का तात्पर्य समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 ई0, उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1956, जौनसार-बावर जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1956, कुमायूं तथा उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1960, उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 या उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत, सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 से है ;

(ख) "भू-गृहादि" का तात्पर्य किसी भूमि (जिसके अन्तर्गत कोई वन भूमि या उस पर लगे हुए वृक्ष, अथवा जलाच्छादित भूमि या राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित कोई सड़क या ऐसी सड़क से संलग्न भूमि भी है), या किसी भवन या किसी भवन के भाग से है, और इसके अन्तर्गत —

(1) ऐसे भवन या भवन के भाग के अनुलग्न उद्यान, मैदान और बाह्य गृह, यदि कोई हो, भी है ; और

(ii) ऐसे भवन या भवन के भाग में उसके और अधिक लाभकारी उपयोग के लिए लगाए गए कोई फिटिंग्स या फिक्स्चर्स या उसके लिए दिया गया कोई फर्नीचर भी है,

'किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसी भूमि नहीं है जो भौमिक अधिकार से सम्बन्धित किसी विधि के अधीन किसी खातेदार द्वारा तत्समय धृत हो ;"

(iii) खण्ड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा और सदैव से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् —

"(ङ) 'सार्वजनिक भू-गहादि' का तात्पर्य किसी ऐसे भू-गृहादि से है जो राज्य सरकार का हो या उसके द्वारा या उसकी ओर से पट्टे पर लिया गया या अधिगृहीत किया गया हो, और उसके अन्तर्गत कोई ऐसा भू-गृहादि भी है; जो निम्नलिखित का हो या उनके द्वारा या उनकी ओरसे पट्टे पर लिया गया हो —

(i) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 में यथा-परिभाषित कोई कम्पनी जिसमें राज्य सरकार की कम से कम इक्यावन प्रतिशत दत्त अंश पूंजी हो ; या

(ii) कोई स्थानीय प्राधिकरण; या

(iii) राज्य सरकार के स्वामित्व या नियन्त्रण में कोई ऐसा निगम (जो कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 में यथा परिभाषित कम्पनी या कोई स्थानीय प्राधिकरण न हो) ; या

(iv) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सोसाइटी, जिसके शासी निकाय में सोसाइटी के नियमों या विनियमों के अधीन पूर्णत : लोक अधिकारी या राज्य सरकार के नामांकिती, या दोनों हों, और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी है :—

(i) नजूल भूमि या कोई ऐसा भू-गृहादि जिसका प्रबन्ध किसी स्थानीय प्राधिकरण को सौंपा गया हो (जिसके अन्तर्गत कोई ऐसा भवन भी है, जिसका निर्माण उस स्थानीय प्राधिकरण को भूमि सौंपे जाने के पश्चात् राज्य सरकार की भूमि पर सरकारी निधि से किया गया है, जो भौमिक अधिकार सम्बन्धी किसी विधि से अधीन गांव सभा या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण में निहित या उसको प्रबन्धार्थ सौंपी गई भूमि नहीं है) ;

(ii) कोई भू-गृहादि जो भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन राज्य सरकार की सहमति से किसी कम्पनी के लिए (जैसा उक्त अधिनियम में परिभाषित है) अर्जित किया गया हो और

उस कम्पनी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 41 के अधीन निष्पादित ऐसे करार के अधीन धृत हों जिसमें कतिपय दशाओं में राज्य सरकार द्वारा पुनः प्रवेश करने की व्यवस्था हो ;";

(iii) खण्ड (च) के अन्त में, शब्द "और किसी निगमित प्राधिकरण द्वारा किसी सार्वजनिक भू-गृहादि को पट्टे पर देने की दशा में ऐसे प्राधिकरण को देय प्रीमियम और ब्याज भी हैं" बढ़ा दिए जायेंगे ।

संक्रमण कालीन उपबन्ध

26--(1) इस अधिनियम द्वारा मूल अधिनियम की धारा 3 के खण्ड (ङ) के संशोधन के होते हुए भी --

(क) कोई अधिकारी या प्राधिकारी जिसके समक्ष इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व मूल अधिनियम की धारा 21; धारा 22, धारा 26, धारा 27, धारा 28 या धारा 43 के अधीन कोई कार्यवाही विचाराधीन हो, खण्ड (ख) के अधीन रहते हुए, मामले की सुनवाई जारी रखेगा और उसका निर्णय करेगा ;

(ख) किसी अधिकारी या प्राधिकारी के समक्ष मूल अधिनियम के अधीन विचाराधीन किसी मामले को (इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित) मूल अधिनियम की धारा (3) के खण्ड (ङ) द्वारा यथा परिभाषित किसी नियत प्राधिकारी को अन्तरित करना जिला न्यायाधीश के लिए विधि पूर्ण होगा, और तदुपरान्त ऐसा प्रत्येक नियत प्राधिकारी उसी प्रक्रम से कार्यवाही करेगा जिस पर वह मामला उसे इस प्रकार अन्तरित किया जाय।

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व मूल अधिनियम की धारा 18 के अधीन विचाराधीन समस्त अपील को इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उक्त धारा के अधीन प्रस्तुत पुनरीक्षण समझा जाएगा और तदनुसार उनका निस्तारण किया जाएगा।

(3) जहां राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या सार्वजनिक क्षेत्र के किसी निगम या किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्था को किराए पर उठाए गए किसी भवन के सम्बन्ध में मूल अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन बेदखली का कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व दिया गया हो, किन्तु ऐसा किराएदार वास्तव में बेदखल न किया गया हो और वह ऐसे प्रारम्भ के समय भवन पर कब्जा बनाए रखे हो, वहां उपधारा (4) के अनुसार नियत प्राधिकारी को दिए गए किराएदार के आवेदन-पत्र पर नियत प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार दिया गया बेदखली का आदेश उन्मोचित हो जायेगा और बेदखली का ऐसा कोई आदेश निष्पादित नहीं किया जाएगा ।

(4) उपधारा (3) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन-पत्र इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो मास के भीतर दिया जाएगा और किराएदार उसमें किराएदारी के अधीन भवन के बाजार मूल्य से 10 प्रतिशत के बारहवें भाग की दर से किराए का बिना शर्त भुगतान करने का उल्लेख करेगा, और तदुपरान्त, नियत प्राधिकारी तदनुसार पुनरीक्षित किराया अवधारित करेगा; और ऐसा पुनरीक्षित किराया उपधारा (3) में निर्दिष्ट आदेश के दिनांक से देय होगा ।

(5) किसी न्यायालय या प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराए पर देने, किराए तथा बेदखली का विनियमन) नियमावली, 1972 के नियम 16 के उपबन्ध इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन बनाये गए समझे जायेंगे मानों यह अधिनियम सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था।

(6) उत्तर प्रदेश सिविल विधि संशोधन अधिनियम, 1972 की धारा 9 के उपबन्ध उसमें निर्दिष्ट प्रकार के वादों के सम्बन्ध में, जो उस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व किसी सक्षम न्यायालय को अन्तरित कर दिए गए थे और उस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक के ठीक पूर्व ऐसे अन्तरित न्यायालय में विचाराधीन थे उसी प्रकार लागू होंगे और सदैव लागू हुए समझे जायेंगे जैसे वे उन वादों के सम्बन्ध में लागू होते हैं जो उस न्यायालय में विचाराधीन थे जिसमें वे संस्थित किए गए थे :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई वाद, जिसका निर्णय अन्तरित न्यायालय ने उक्त अधिनियम के प्रारम्भ और इस अधिनियम के प्रारम्भ के मध्य इस अनुमान के आधार पर किया हो कि उक्त धारा 9 ऐसे वादों पर लागू नहीं होती, विधिमान्यतः निर्णीत समझे जाएंगे मानों उक्त धारा ऐसे वादों पर लागू नहीं होती थी।

उद्देश्य और कारण

15 जुलाई, 1972 को उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 प्रवृत्त हुआ था। पिछले चार वर्षों के अधिनियम के प्रवर्तन से उसकी कुछ कमियां मालूम पड़ीं। जनता से भी अधिनियम में संशोधन करने के लिये अनेक सुझाव प्राप्त हुए हैं। हाल ही में उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की पूर्ण न्याय-पीठ ने नियमावली के नियम 16 को नियम विरुद्ध घोषित किया जिसमें यह व्यवस्थित था कि किरायेदार को बेदखल करने के लिये मकानदार को अनुज्ञा दी जानी चाहिये या नहीं, इस बात को तय करते समय किरायादार और मकानदार दोनों की आवश्यकता को ध्यान में रखना चाहिये। इन परिस्थितियों में उपर्युक्त अधिनियम को संशोधित करना आवश्यक हो गया है। संशोधन विधेयक की मुख्य-मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

1—अब, अधिनियम की धारा 21 के अधीन किरायादार को बेदखल करने के पूर्व मकानदार और किरायादार की आवश्यकता पर विचार करना अनिवार्य होगा।

2—धारा 21(1) के स्पष्टीकरण का खंड (4) निकाल दिया गया है। इस खंड में यह व्यवस्था थी कि यदि मकानदार मकान के एक भाग में रहता है तो यह बात निश्चायक होगी कि मकानदार को शेष भाग की आवश्यकता है।

3—किरायादार वार्षिक मरम्मत आदि के लिये एक महीने के किराये के बजाय दो महीने के किराये की मांग करने का हकदार होगा। वह मकानदार की अनुमति के बिना बिजली और पानी का कनेक्शन भी ले सकता है और सफाई के सामान लगा सकता है।

4—प्रत्येक व्यक्ति को जिसका उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 1976 के प्रारम्भ के दिनांक को किसी भवन पर मकानदार की सहमति से अध्यासन हो, ऐसे भवन का किरायादार समझा जायगा।

5—कुछ जिलों में मकानदार भूमि के ऐसे पट्टेदारों को बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने उद्योग के प्रयोजनों के लिये फैक्टरी और अन्य भवन का निर्माण किया है, यह व्यवस्था की जा रही है कि ऐसी भूमि के पट्टेदारों को भी भवन के किरायादार की भांति अधिनियम का संरक्षण प्राप्त हो।

6—यदि किसी व्यक्ति का उसी शहर में कोई अपना मकान हो तो उसे अपने मकान में रहना आवश्यक होगा ताकि उसकी किरायेदारी में जो मकान है वह अधिक जरूरतमन्द व्यक्ति को उपलब्ध हो सके। ऐसे कर्मचारियों की स्थिति में जिनका स्थानान्तरण होता है, उनके द्वारा अध्यासित भवन आगामी जून के तीसवें दिनांक से या नये गन्तव्य स्थान पर भवन के प्रदेशन के दिनांक से जो भी पश्चात्वर्ती हो, खाली समझा जायगा यदि किसी सरकारी कर्मचारी से उसकी किरायेदारी के अधीन मकान खाली कराने के पश्चात् उसे अपने मकान में रहने के लिये कहा जाय तो उसका मकान शीघ्र खाली हो जाय, इसके लिए उसकी बेदखली की प्रक्रिया दिल्ली अधिनियम के आधार पर अपनायी जा रही है।

7—अभी तक केवल "पूर्त संस्थाओं" को अधिनियम के कुछ या सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट थी यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि जन-हित में ऐसा करना आवश्यक है। अब सार्वजनिक धार्मिक निकायों को भी छूट देने का यदि आवश्यक हो, प्रस्ताव है।

8—प्रस्तावित संशोधनों के माध्यम से राज्य सरकार को रेन्ट कन्ट्रोल के मामलों का शीघ्रता से निपटारा किये जाने के लिये किराया नियंत्रण अधिकरण स्थापित करने के लिये राज्य सरकार को शक्ति प्रदान की जा रही है। इस बीच "नियत प्राधिकारी" की परिभाषा में परिवर्तन

करने का प्रस्ताव है और रेन्ट कन्ट्रोल ऐक्ट के अधीन बेदखली के मामलों की सुनवाई करने के लिये सिविल न्यायिक अधिकारियों या न्यायिक मजिस्ट्रेटों को प्राधिकार दिये जा रहे हैं। एक अधिकारी के यहां से दूसरे के यहां मामलों का अन्तरण करने के लिये जिला न्यायाधीश को भी शक्ति प्रदान की जा रही है।

9—प्रदेशन आदेश के विरुद्ध अपील नहीं की जायगी। व्यक्ति प्रदेशन आदेश के विरुद्ध अपील करने के बजाय पुनरीक्षण के लिये जिला न्यायाधीश के समक्ष आवेदन कर सकता है।

10—इस अवसर का लाभ भूल अधिनियम में कतिपय अन्य छोटे-मोटे और आनुषंगिक परिवर्तन करने के लिये भी उठाया जा रहा है।

11—उच्च न्यायालय द्वारा बताये गये कतिपय दोष का निराकरण करने के लिये उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 1972 में आये हुए पद "भू-गृहादि" और "सार्वजनिक भू-गृहादि" की परिभाषा में भी सुधार किया जा रहा है।

तदनुसार यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

बलदेव सिंह आर्य,
खाद्य मंत्री।

अनुसूची 'घ'

(देखिये पीछे पृष्ठ 657 पर।)

विकास खंड, रामपुर में सूखे से प्रभावित ग्रामों का नाम

क्रम संख्या	गांव का नाम	क्रम संख्या	गांव का नाम
1	ठाठर	38	कोचारी
2	चक बढ़वाल	39	मुरकटिया
3	भरसथ	40	हीरा-पट्टी
4	महेवा	41	अडियाह
5	रिकेवीपुर	42	सरैया
6	पुराजीवन	43	पटखोशी
7	कृष्णपुर	44	जगदीशपुर
8	गंडवा हेमराज	45	राईपुर
9	गडंवा बंशीधर	46	पिपिअवना
10	धन्जयपुर	47	मलेथ
11	इथेरा	48	दादुर (आहिरान)
12	फत्तपुर	49	गधौना (चतर्भजपुर)
13	जमालपुर	50	कटौना
14	खरगसापुर	51	नरहरपुर
15	पुरलला	52	माधोरापुर
16	कालूवारी (भवानीगंज)	53	दुबेपुर
17	चकईपुर	54	आशापुर
18	दुबान	55	खेमापुर
19	शेखपुर पट्टी	56	कोदहला
20	बत्तीपुर	57	पचबल
21	नौनारी	58	चकक्षगुर
22	पूरनोनिया	59	सिधवंन
23	मुहथिया	60	फतुलहा
24	जैसिंहपुर	61	रामानपुर
25	सहजना	62	नवजोहर
26	नागैर	63	लगधरपुर
27	पृथवीपुर	64	कारोदी कलां
28	कठवतिया	65	रामपुर निरकी
29	कमरन्दीपुर	66	भदखिन
30	हरिहरपुर	67	बोहडोरा
31	घाधरपुर	68	सरायडीह
32	जामडीह	69	बेनीपुर
33	नुरपुर	70	करौरीखुर्द
34	पट्टीकीरतराय	71	गदीपुर
35	काकीपुर	72	चत्तपुर
36	पट्टी भरत राय	73	महंगुपुर।
37	सुरेरा		

1976 में सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल कार्यों का दिनांक 24-4-76 तक प्रगति-प्रपत्र

(लाभान्वित ग्रामों का नाम)

क्रम संख्या	प्रतिवेदित सप्ताह में लाभान्वित सूखाग्रस्त ग्रामों का नाम
1	कटौना
2	दूबेपुर
3	नरहापुर
4	माधोरामपुर
5	कोड़ैला
6	दादर (अहिरान)
7	मधोना (चतुर्भुजपुर)
8	खेमापुर
9	पचबल
10	फतुलहा
11	हरिहरपुर
12	पृथ्वीपुर
13	घांघरपुर
14	सरैया
15	पटखौली
16	भदाखीन
17	अड़ियार
18	काकीपुर
19	पट्टीकीरतसराय
20	पट्टी जियाराय
21	वल्लोपुर
22	जमालपुर
23	कोलवारी (भवानीगंज)
24	महंगूपुर
25	पूराजीवन
26	रकवीपुर
27	हथेरा ।

पी0एस0यू0पी0--एल0 105 वि0 सभा--(218)--1976--8401